राज्यसभा में दो बार

2014-2026

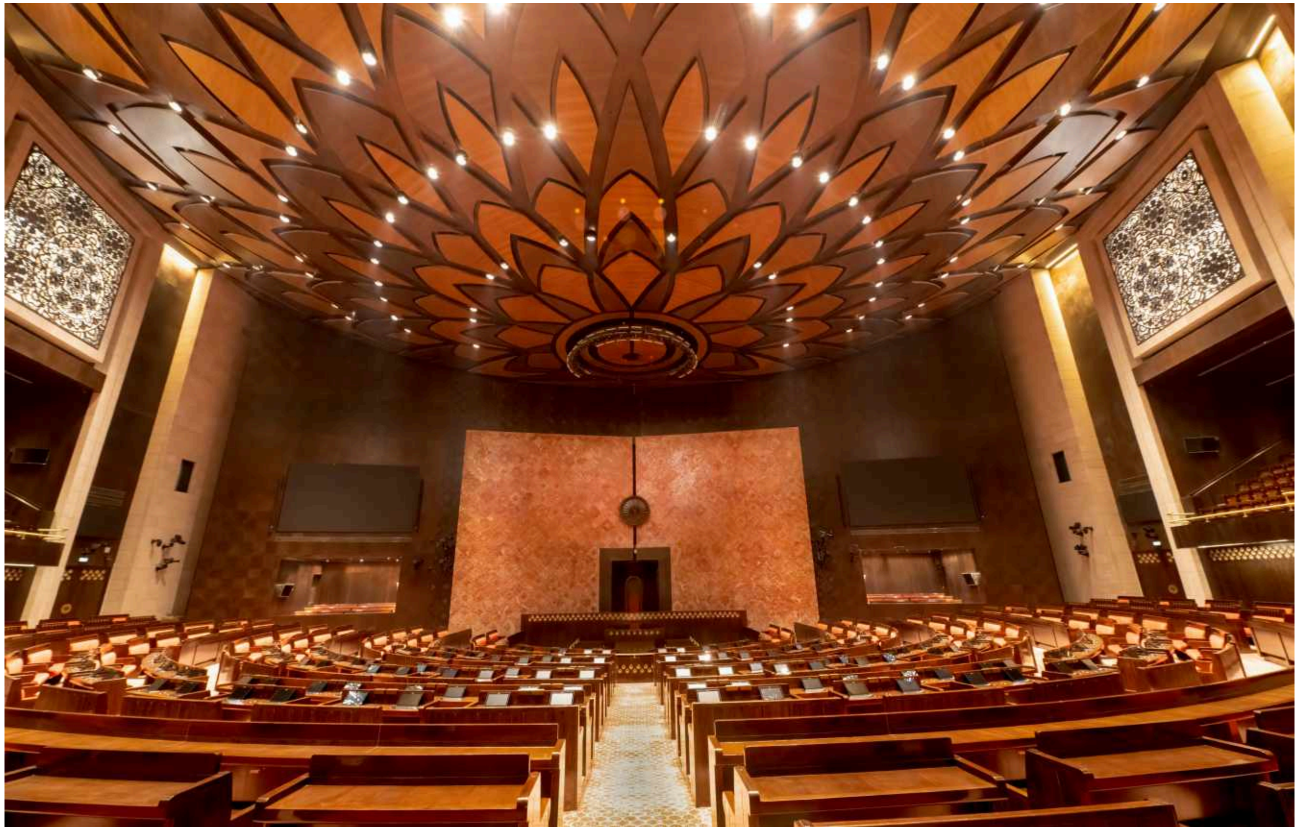
हरिवंश का रिपोर्ट कार्ड



एकं सत्विप्राः बहुधा वदन्ति

नए संसद भवन के बारे में

- इसका शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को हुआ.
- 11 जुलाई 2022 को भवन की छत पर स्थापित 6.5 मीटर की ऊंचाई वाले, कांस्य निर्मित राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया.
- 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया. उन्होंने पूर्व-पश्चिम दिशा की ओर मुख किए शीर्ष पर नंदी युक्त सेंगोल भी स्थापित किया.
- 19 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री ने पुराने भवन के सेंट्रल हॉल से नए संसद भवन तक सांसदों के साथ एक शोभायात्रा का नेतृत्व किया.



- नए भवन में देश के विभिन्न भागों की विशेषताओं को शामिल किया गया है. इसमें राजस्थान का ग्रेनाइट, महाराष्ट्र की लकड़ी तथा भदोही के कारीगरों द्वारा निर्मित कालीन आदि प्रमुख हैं.
- नए भवन के पहले दिन संसद ने ऐतिहासिक 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक 2023)' पर चर्चा की, जिसे 21 सितंबर 2023 को पारित किया गया. यह कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं (दिल्ली सहित) की कुल सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है.

क्षेत्रफल और बैठक व्यवस्था:

यह भवन 64,500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में चार मंजिलों का है. लोकसभा कक्ष में 888 सीटें हैं, जो पुराने भवन की 543 सीटों से अधिक है. राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है. इसे भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है.

नए संसद भवन की आवश्यकता:

पुराना संसद भवन (संविधान सदन) वर्ष 1927 में बनाया गया था. नए भवन की योजना अधिक कर्मचारियों और कार्यालयों की व्यवस्था तथा आधुनिक तकनीक को समाहित करते हुए 21वीं सदी की विधायी संस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई. यह नया भवन 'आजादी का अमृत महोत्सव' (भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उत्सव) का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है.

आभार

राज्यसभा में मेरी दूसरी पारी का समापन हुआ, 9 अप्रैल 2026 को. उच्च सदन में दो बार रहना हुआ. पहली बार अप्रैल, २०१४ से अप्रैल, 2020 तक. दूसरी बार, अप्रैल, 2020 से ०९ अप्रैल, 2026 तक. इस तरह राज्यसभा का कुल कार्यकाल 12 वर्षों (अप्रैल 2014 से अप्रैल 2026) का रहा. राज्य, बिहार से. दल, जनता दल (यूनाइटेड) या जदयू. सांसद के रूप में लगभग चार वर्षों तक अप्रैल, 2014 से 8 अगस्त 2018 तक, काम का मौका मिला. इसी बीच पार्टी के लिए भी सक्रियता से काम किया. संगठन के विस्तार, प्रशिक्षण (कार्यकर्ताओं के लिए) व चुनावों में. मणिपुर व झारखंड में पार्टी प्रभाव बढ़ाने के लगातार प्रयास. बिहार में सघन कामकाज. कार्यसमिति से लेकर पार्टी के विशेष आयोजनों का दायित्व भी संभाला. सार्वजनिक मंचों (प्रचार) पर दल की नीतियों-उपलब्धियां को बताने से लेकर सदस्य बनाने तक. साथ ही तन्मयता से एक सांसद की भूमिका का निर्वहन भी. उस दौरान अगर संसद से अनुपस्थिति भी रही, तो दल के कामकाज या चुनावों के कारण. अन्यथा संसदीय समितियों में शत-प्रतिशत उपस्थिति रहे, यह हमेशा कोशिश रही.

दोबारा उपसभापति बना. इस बीच अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक सांसद की भूमिका रही. कोरोना काल में, इस दौरान भी विभिन्न क्षेत्रों (जिला स्तर) के संगठन प्रभारी व पार्टी के सक्रिय लोगों के साथ, लगातार पार्टी के कामकाज पर, दल के वरिष्ठ नेताओं से जुड़कर तकनीकी प्लेटफार्मों के माध्यम से कार्यक्रमों में साझीदारी रही.

उपसभापति पहली बार चुना गया 9 अगस्त 2018. 9 अप्रैल 2020 तक कामकाज. दोबारा फिर सितंबर 2020 से 9 अप्रैल 2026 तक उपसभापति.

पहले दौर के पांच वर्षों (2014 से 2019 तक) की रिपोर्ट (पांच सालों का संसद सफर) का सार्वजनिक प्रकाशन हमने किया था (इस अंक की प्रति को पढ़ने का क्यूआर कोड बैक कवर पेज पर अंकित है). तब, देश गांधी जी की 150वीं जन्म शताब्दी (अक्टूबर 2019) मना रहा था. उसी क्रम में यह दूसरी सार्वजनिक रिपोर्ट (कुल बारह वर्षों की) है. कई तथ्यों का उल्लेख पहले की रिपोर्ट में है. मसलन हमने किन छात्रों का केंद्रीय स्कूलों में अपने कोटे से दाखिला कराया? सांसद के रूप में क्या बोला? समितियों में कैसी भागीदारी रही, सांसद कोष का आरंभिक उपयोग कहां हुआ? किन सार्वजनिक आयोजनों में भागीदारी रही? राजनीति में प्रवेश के आरंभिक अनुभव? देश व सार्वजनिक जीवन में जिन सम्मानित वरिष्ठ लोगों के सौजन्य से, हमें यह सार्वजनिक दायित्व मिला, उन सब के प्रति आभार समेत अन्य आवश्यक सूचनाओं को दर्ज किया था. कोशिश है, कि उन चीजों का इस रिपोर्ट में पुनः दोहराव न हो. इस तरह पहली रिपोर्ट के तथ्य व इस रिपोर्ट के तथ्यों को जोड़कर ही बारह वर्षों की सार्वजनिक यात्रा की तस्वीर बनती है.

इस रिपोर्ट में कोशिश है कि अधिक से अधिक आंकड़ों व तथ्यों के आधार पर ही बारह वर्षों के कामकाज का विवरण हो.

यह कोशिश या प्रयास क्यों?

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात कही है, जिसका आशय है कि संसद का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि यह कैसे काम करती है? इसका महत्वपूर्ण योगदान क्या है? इस आधार पर नहीं की किसने जबरन संसद में व्यवधान डाला? या हंगामा किया? यह कसौटी या (बेंचमार्क) का मापदंड नहीं हो सकता. संसद के मूल्यांकन की कसौटी होनी चाहिए कि संसद ने कितने घंटे काम किये? कितनी सकारात्मक चीजें संसद में हुई?

इस मापदंड के आधार पर एक सांसद या उपसभापति के रूप में हमारा दायित्व और कामकाज क्या रहा? यह दर्ज करने की कोशिश का प्रतिफल है, यह रिपोर्ट! इस कामकाज के पीछे प्रेरक रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के कहे शब्द (1998), जिसका आशय है, कि हमारा यकीन है कि जब तक भारत, दुनिया में अपनी पहचान नहीं बनता, तब तक कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा. इस संसार में भय की कोई जगह नहीं है. केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है. हमें ताकतवर बनना है, सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी ताकतवर. दोनों साथ-साथ होना चाहिए.

कहना चाहिए कि सांसद के रूप में काम करते हुए, हमेशा डॉ. कलाम की यह बात प्रेरणास्रोत रही.

साथ ही उपसभापति के रूप में दायित्व संभालने के बाद, भी यह ध्यान रहा कि भविष्य, या इतिहास संसद में हम सभी के कामकाज के मूल्यांकन की कसौटी का पैमाना डॉ. कलाम का यह कथन भी तय करेगा.

इसी कोशिश में, ताकि सार्वजनिक जीवन में हमारे कामकाज पारदर्शी हों, लोक मूल्यांकन का आधार बनें, यह रिपोर्ट आपके हाथों में है.

यह सांसद यात्रा मुमकिन हुई, जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दो बार हमें बिहार से राज्यसभा भेजा. उनके प्रति आभार व धन्यवाद. 2018 व पुनः 2020 में राज्यसभा के संवैधानिक उपसभापति पद के लिए प्रत्याशी के रूप में हमें दो बार मौका मिला. इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार. साथ ही माननीय अमित शाह जी के प्रति आभार. एनडीए के सभी घटक दलों ने दो बार यह दायित्व सौंपा, उन सबको धन्यवाद. सदन संचालन में सभी पक्षों, सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मिला. एक-एक माननीय सदस्य को धन्यवाद. राज्यसभा के तीन माननीय सभापति व देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी, श्री जगदीप धनखड़ जी व श्री सी. पी. राधाकृष्णन जी के साथ काम करने व सीखने का अवसर मिला. इनमें से हर एक के प्रति आभार व धन्यवाद. राज्यसभा में उपसभापति के रूप में काम करते हुए जिन-जिन माननीय सदस्यों का 'वाइस चेयरमैन' पैनल सदस्य के रूप में सहयोग मिला, उन्हें भी धन्यवाद.

इस कार्यकाल के दौरान, कार्यालय में जिन लोगों के सहयोग से अपना दायित्व पूरा कर सका, उनमें से एक-एक के प्रति निजी आभार में धन्यवाद.

- हरिवंश

Editorial Board: N. K. Singh, A.S.Raghunath, Nirala, Abhijit Banare

Cover Design: Krishnendu Dutta

Layout Design: Yashpal Vats

Coordinator : P.N. Singh, Ranjan Chaturvedi, Surendra Singh Rawat,Deepak Kumar Ojha,Devendra Nath Tiwari,Stanley Simon Shalu,Jitendra Singh Jimmy

Cover Photo and Photographs of Parliament Courtesy :
Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat

अनुक्रम

पहुंचना राज्यसभा

न कोई पूर्व सूचना थी, न आभास या एहसास कि बिहार जद (यू) से राज्यसभा जाना होगा. अब तक पत्रकारिता में, बाहर से राजनीति का दरस-परस होता था, घेरे के (राजनीति) बाहर की दुनिया की. दर्शक की भूमिका में.

पत्रकारिता में रहते देखा, सुना और पढ़ा कि मौजूदा राजनीति में राज्यसभा वगैरह जाना कितना कठिन हो गया है? हाल में कांग्रेस के राव वीरेंद्र सिंह (हरियाणा) ने बयान दिया कि सौ करोड़, राज्यसभा पहुंचने का खर्च है. बगल के झारखंड में 2010 और 2012 में हुए राज्यसभा चुनावों में 26 विधायकों के खिलाफ सीबीआइ जांच चल रही है. लगभग सभी बड़े दल (माले जैसे दलों को छोड़ कर) के विधायक जांच घेरे में हैं. एक विधायक, दो प्रत्याशियों पर सीबीआइ ने चार्जशीट दायर किया है. 2012 के राज्यसभा चुनाव में ही आयकर ने 2.15 करोड़ नगद राशि पकड़ी थी. इसके पहले याद करें, कर्नाटक से विजय माल्या (जिनकी किंगफिशर एयरलाइंस डूब गयी), निर्दलीय हो कर भाजपा के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे थे.

ऐसे अनेक प्रकरण हैं, कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय दलों के सहयोग से निर्दल या कॉरपोरेट घरानों के प्रत्याशी राज्यसभा पहुंचते रहे हैं. महाराष्ट्र से जिस पृष्ठभूमि के कुछ लोग गये हैं, वह जानने योग्य है. उत्तर प्रदेश से भी अतीत में, निर्दल प्रत्याशी के रूप में सबसे अधिक मत पानेवाले प्रत्याशी रहे हैं. बिना मुकाबला, सर्वसम्मत से चुनाव होना (बिहार में यह पहले भी हुआ है). राज्यसभा के लिए स्वाभाविक प्रक्रिया मानी गयी थी, जिसकी जो संख्या, विधानसभा में, उस अनुपात में सीटें तय हो जायें. फिर अनावश्यक जोड़-तोड़ का मुकाबला क्यों? पर यह परिपक्व और ईमानदार राजनीतिक माहौल में ही संभव है.

यह सब अनुभव था, पत्रकारिता संसार का.

सूचना मिली, तो राज्यसभा के कागजात भरने एक दिन पहले पटना आना हुआ. राजनीतिक पाठशाला के प्राइमरी स्कूल के छात्र के रूप में. राज्यसभा प्रत्याशी के फार्म भरने में इतनी सूचनाएं

राज्यसभा सांसद बनने के बाद 02 फरवरी 2014 को 'प्रभात खबर' में प्रकाशित लेख



पटना में निर्वाचन पदाधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए. साथ में हैं पार्टी की सहयोगी कहकशां परवीन (दाईं ओर). वह भी 2014 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई थीं.

चाहिए, यह एहसास नहीं था. पुराने व अनुभवी इसे जानते हैं, तो उन्हें सुविधा रहती हैं. पर, हर कदम पर मदद के लिए पार्टी के अनुभवी लोग थे. राजनीतिक दल कैसे समर्पित व परदे के पीछे रह कर लोग चलाते हैं? बिना यश की कामना के, ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता मिले. शायद अन्य दलों में भी ऐसे लोग हों. समय-अनुशासन के पाबंद. उन्हें धन्यवाद दिया कि राजनीतिक दलों में यह निष्ठा, कांपीटेंस (क्षमता) और स्वअनुशासन का बाहर रहते एहसास नहीं था. फार्म भरना हुआ. दस हजार सुरक्षा राशि देकर फार्म मिला. निर्विरोध चुनाव के बाद यह राशि भी वापस हो गयी. इस तरह बिना एक पैसा खर्च के राज्यसभा पहुंचने का प्रमाणपत्र मिला. एक पत्रकार के रूप में यह अनुभव छाप छोड़ गया है. यह सही है कि देश के अनेक संपन्न, बड़े व धनी राज्यों से राज्यसभा चुनाव में व्यवसाय की भी खबरें आयी हैं, पर बिहार, जो पैसे या विकास में उन धनी राज्यों से पीछे हैं, राजनीतिक मूल्यों, संस्कार या व्यवहार में, देश का पथ-प्रदर्शक है. यह राजनीति शुचिता अनुकरणीय है.

कोशिश रहेगी कि लोकसेवक के रूप में यह शुचिता, व्यवहार में रहे. इसलिए नामांकन भरने गया, तब भी दो-एक मित्र साथ थे. न समर्थक, न फूल-माला. चयन का प्रमाणपत्र मिला, तब भी लगभग अकेले. अन्य सफल उम्मीदवारों की भरी भीड़ के किनारे-किनारे प्रमाणपत्र लेकर निकलना हुआ. दो-एक मित्रों के साथ फूल-माला से बचते हुए. एक मित्र ने असहज होने का उल्लेख किया. कहा, नहीं भीड़ का हिस्सा रहना ही धरती से जुड़े रहना है. राज्यसभा फार्म में जो निजी सूचनाएं देनी थीं, उनके अतिरिक्त भी खुद से जुड़ी सूचनाएं, सबको भेज कर सार्वजनिक की. कई प्रोफेशनल लोगों ने बरजा कि इतनी जरूरत ही नहीं है. पर लगा कि सार्वजनिक जीवन में पांव रख रहे हैं, तो नैतिक तकाजा है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़ी निजी सूचनाएं भी सार्वजनिक हों.रांची के कई मित्रों ने फोन किया, कब आ रहे हैं? कैसे आ रहे हैं? नहीं बताया. पत्रकार के रूप में भी कभी सार्वजनिक या अनजान लोगों को पत्रकार बता कर विशेष बनने की कोशिश नहीं की. कभी गाड़ी पर प्रेस का स्टिकर नहीं लगा. भीड़ का हिस्सा रहते हुए पत्रकारिता की. कई लोक अभियान चलाये. स्कूलों-कॉलेजों में विभिन्न इलाकों में, विभिन्न मुद्दों पर. एक सामान्य आदमी रहते हुए, इस नयी भूमिका में भी रहने की ख्वाहिश है.



धर्म चक्र प्रवर्तन और बुद्ध (संविधान सदन के बाहरी लॉबी में स्थित चित्रों में से एक)

संसदीय करियर: प्रमुख क्षण

2014



जद(यू) की ओर से राज्यसभा में शपथ लेते हुए (फोटो सौजन्य: आरएसटीवी, संसद टीवी)

2018



राज्यसभा के उपसभापति पद के चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में नामित. तत्कालीन उपसभापति प्रो. पी.जे. कुरियन के उत्तराधिकारी के रूप में 8 अगस्त 2018 को इस पद को संभालने वाले हरिवंश,पहले गैर-कांग्रेसी सदस्य बने

2019



हरिवंश ने 1990 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के अतिरिक्त मीडिया सलाहकार के रूप में काम किया. 24 जुलाई 2019 को माननीय सभापति (राज्यसभा) एम वेंकैया नायडू, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने पार्लियामेंट काम्पलेक्स में हरिवंश द्वारा श्री चंद्रशेखर की सह-लिखित जीवनी 'Chandra Shekhar: The Last Icon of Ideological Politics' का लोकार्पण किया.

2020



जद(यू) की ओर से राज्यसभा के लिए पुनः निर्वाचित

संसदीय करियर: प्रमुख क्षण



14 सितंबर 2020 को हरिवंश को राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया

मई 2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का अवसर मिला



बतौर सांसद 2014-2018

बिहार से जनता दल (यूनाइटेड) के प्रतिनिधि व संसद सदस्य के रूप में (२०१४—२०१८) अपने चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान हरिवंश ने विभिन्न संसदीय बहसों में सक्रिय भागीदारी की. साथ ही संसदीय समितियों में अपनी भूमिका के निर्वहन पर समान रूप से ध्यान केंद्रित किया. पत्रकार और संपादक के रूप में उनका अनुभव और विषय के प्रति गंभीरता और तथ्यों के प्रति जिम्मेवारी का भाव, विधायी बहसों के साथ-साथ 'शून्य काल' तथा 'स्पेशल मेंशन' जैसी हस्तक्षेप के अवसर पर भी दिखा. हर विषय पर सदन में आने से पहले सूक्ष्म और गंभीर तैयारी के साथ आना और अपनी बात रखना, उनकी पहचान बनी.

बतौर सांसद, हरिवंश ने न्यायिक जवाबदेही, शेल कंपनियों के नाम पर वित्तीय कुप्रबंधन तथा 'प्रश्न काल', 'शून्य काल' और 'स्पेशल मेंशन' के दौरान विद्यालयों में पढ़ने और सीखने के परिणाम में सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाएं. २७ जुलाई, २०१६ को 'स्पेशल मेंशन' के दौरान हरिवंश ने 'ओपन पत्रिका' में प्रकाशित न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित चिंताजनक रिपोर्ट की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया. यह उल्लेख उस प्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ बिचौलियों को कारपोरेट और अन्य लाभार्थियों के लिए न्यायिक निर्णयों से संबंधित अग्रिम जानकारी तक पहुंच प्राप्त थी. वे कई वर्षों से यह काम कर रहे थे. भयमुक्त भाव से.

एक अन्य अवसर पर, २२ मार्च, २०१७ को हरिवंश ने शेल कंपनियों का मुद्दा उठाया. हस्तक्षेप के दौरान महालेखाकार की रिपोर्ट का उल्लेख किया. सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया कि मात्र दो महीनों में कम से कम ₹३,९०० करोड़ की मनी लाउंड्रिंग की गई थी. अकेले कोलकाता में ३,००० से अधिक सक्रिय शेल कंपनियां चल रही थीं. इस विषय पर हरिवंश के हस्तक्षेप के बाद इसकी गंभीरता को आंक कर ११ सदस्यों ने स्वयं को इस विषय से संबद्ध किया. इस अवधि के दौरान सरकार ने पहले ही शेल कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कदम उठाने शुरू कर दिये थे. संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत एक अपडेट प्रस्तुत किया गया, जिसमें कंपनी नियमों के अंतर्गत पंजीकृत ऐसी कंपनियों की पहचान कर उन्हें 'स्ट्राइक आफ' करने की कार्रवाई को रेखांकित किया गया.

२०१४ में केंद्रीय बजट पर दिया गया उनका पहला भाषण नव-निर्वाचित सरकार के पहले बजट के साथ संयोगवश हुआ. उस समय हरिवंश विपक्षी खेमे में थे. पर, उस दौरान भी हरिवंश ने विभिन्न विषयों को समेटते हुए रचनात्मक आलोचना के साथ तथ्यों को रेखांकित किया.

कुल मिलाकर उन्होंने १९ विधायी बहसों में भाग लिया, जिनमें The Fugitive Economic Offenders Bill, २०१८; The Benami Transactions (Prohibition) Amendment Bill, २०१६; तथा The Compensatory Afforestation Fund Bill, २०१६ जैसे महत्वपूर्ण विधेयक सम्मिलित थे. संसद सदस्य के रूप में हरिवंश अनेक समितियों में सक्रिय रहे, जिनमें प्रमुख रूप से Department Related Parliamentary Standing Committee on Defence शामिल थी. इस समिति में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत की रक्षा आवश्यकताओं के आधुनिकीकरण तथा रक्षा बजट से संबंधित कई महत्वपूर्ण विमर्शों में भाग लिया. इसके अतिरिक्त, २०१७ में Motor Vehicles Act में संशोधन के मूल्यांकन के दौरान Select Committee द्वारा अनुशंसित प्रमुख परिवर्तनों में भी उनका योगदान रहा. यह विधेयक २०१९ में पारित हुआ.



रक्षा संबंधी स्थायी संसदीय समिति के एक दौरे की तसवीर



मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017 पर संसद की चयन समिति की बैठक के दौरान

सांसद के रूप में काम-काज :
संक्षिप्त विवरण(2014-2018)



उपस्थिति: संसद सदस्य के रूप में हरिवंश ने सत्र 231 (जून 2014) से सत्र 246 (अगस्त 2018) तक आयोजित कुल 297 बैठकों में से 266 बैठकों में भाग लिया. 8 अगस्त, 2018 को वे राज्य सभा के उपसभापति निर्वाचित हुए. संसद सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनकी उपस्थिति 90 प्रतिशत से अधिक रही. जिन कुछ दिनों में वे अनुपस्थित रहे, उनमें से एक उल्लेखनीय भाग 2015 के शीतकालीन सत्र के दौरान का था, जो राज्य विधानसभा चुनावों से संबंधित दलगत दायित्वों के कारण रहा.

प्रश्न: चार वर्षों के विभिन्न सत्रों के दौरान हरिवंश ने कुल 309 प्रश्न पूछे. इनमें से 279 अतारांकित प्रश्न थे, जिनमें सदस्यों को केवल लिखित उत्तर प्रदान किए जाते हैं, जबकि 30 तारांकित प्रश्न थे, जिनके माध्यम से सदस्य को सदन के पटल पर संबंधित मंत्री से पूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त होता है.

बहस में सहभागिता

Debate Type	Debates Participated
Short Duration Discussion	4
Matters raised with Permission (Zero Hour)	56
Special Mention	6
Budget	5
Government Legislation	22
Private Member Legislation	2
Other Discussions	5

उपस्थिति का ब्यौरा

Session No.	Session Name	Sittings	Attended
231	First Session after Constitution of 16th Lok Sabha	3	3
232	Monsoon Session, 2014	27	26
233	Winter Session, 2014	22	15
234	Budget Session-I, 2015	19	19
235	Budget Session-II, 2015	13	13
236	Monsoon Session, 2015	17	5*
237	Winter Session, 2015	20	19
238	Budget Session-I, 2016	16	15

Session No.	Session Name	Sittings	Attended
239	Budget Session-II, 2016	15	11
240	Monsoon Session, 2016	20	20
241	Winter Session, 2016	21	21
242	Budget Session, 2017	29	27
243	Monsoon Session, 2017	18	15
244	Winter Session, 2017	13	13
245	Budget Session, 2018	30	30
246	Monsoon Session, 2018	17	14*

* बिहार में चुनाव होने के कारण पार्टी के काम में व्यस्त रहे, जिस वजह से संसद सत्र में भाग नहीं ले सके.

** 09 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित हुए. राज्यसभा उपसभापति बनने के बाद सदन में उपस्थिति के लिए हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं होती.

सांसद के रूप में समितियों में हिस्सेदारी (2014–2018)

उपस्थिति: इन चार वर्षों के दौरान, हरिवंश सभी 109 समिति बैठकों में विभिन्न समितियों में उपस्थित रहे.

No.	Committee	Term	Meetings held	Attendance
1.	House Committee	Sept. 2014 to June, 2018	17	17
2.	Defence Committee - DRPC	Sept. 2014 to Aug. 2018	59	59
3.	Select Committee on the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013	July - Aug. 2016	4	4
4.	Joint Committee on Bill to amend Citizenship Act, 1955	Aug. 2016 to Sept. 2018	9	9
5.	Select Committee on Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2017	Aug. - Sept., 2017	10	10
6.	Consultative Committee for the Ministry of Information and Broadcasting	Sept. 2014 to Aug. 2018	8	8
7.	National Platform for Disaster Risk Reduction	June, 2017	0	0
8.	Samsad (Court of Vishva Bharati) Santiniketan*	May - Aug., 2018	-	-
9	Agriculture Committee – DRPC**	July 2020 – Sept. 2020	0	0

*सदस्य के रूप में संक्षिप्त अवधि के दौरान बैठक आयोजित नहीं हुई.
** उपसभापति के रूप में पुन: निर्वाचित होने से पहले संक्षिप्त अवधि के लिए समिति का हिस्सा रहे.

इन समितियों के भी रहें सदस्य.

No	Committee	Member	Elected
1.	Hindi Vidyapeeth, Deoghar (JHARKHAND)	Member (Managing Council)	31.03.2018
2.	Telecom Advisory Committee, Patna	Member	07.03.2016
3.	District Consumer Protection Council, Patna	Member	03.09.2016



2020 में सांसद के रूप में पुनः निर्वाचित होने के बाद, (बाईं ओर से) श्री रामनाथ ठाकुर (2020 में ही निर्वाचित सांसद) बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, जदयू के बिहार अध्यक्ष व सांसद श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, श्री नंदकिशोर यादव.

जदयू: पार्टी दायित्व

20 अप्रैल 2014. हरिवंश राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए. जनता दल यूनाइटेड (जदयू), बिहार से. पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेने के दिन से ही हरिवंश पार्टी में कार्यकर्ता की तरह सक्रिय हुए. दल के नेताओं ने जिम्मेवारियां तय कीं. दायित्व निर्धारित किये. मनोयोग से सबका निर्वहन करने की कोशिश की. पार्टी में यह सक्रियता, राज्यसभा उपसभापति बनने 09 अगस्त 2018 तक रही.

मणिपुर प्रभारी के रूप में

पार्टी ने हरिवंश को मणिपुर का प्रभारी बनाया. हरिवंश ने मणिपुर की यात्राएं कीं. वहां के नेताओं से मुलाकात की. कार्यकर्ताओं से संवाद किये.


कुड़मी को संवैधानिक अधिकार मिले : हरिवंश

करम महोत्सव

गोपाल मैदान में शनिवार को कुड़मी सेना के करम महोत्सव में पारंपरिक नृत्य करतीं युवतियां। • हिन्दुस्तान

करम महोत्सव में मांदर पर थाप देते राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश।

गोपाल मैदान में शनिवार को करम महोत्सव में सम्मानित समाज के लोगों के साथ मुख्य अतिथि राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश व बिहार के मंत्री शैलेश कुमार। • हिन्दुस्तान

नीतीश की निर्णायक भूमिका

सरकार एसटी का दर्जा दे

इन हस्तियों का हुआ सम्मान

राज्य में संगठन को सक्रिय और मजबूत करने तथा पार्टी को विस्तार देने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर वहां के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत की.

राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता के रूप में

पार्टी ने हरिवंश को राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी. इन दोनों भूमिकाओं का निर्वहन हरिवंश ने किया. राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेवारी जब तक रही, तब तक नेशनल मीडिया में बिहार के विकास की बात, नीतीश कुमार की नीतियों के बारे में और क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मसले पर जदयू की नीतियों को विस्तार से रखते रहे. इस दौरान हरिवंश ने सभी राज्य प्रवक्ताओं, जिला प्रवक्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर विषय संबंधित पार्टी की नीतियों के अनुसार बयान देने, नियमित प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के विषय में संवाद कर प्रशिक्षण और निर्देशन का दायित्व भी निभाते रहे.

कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर

सांसद बनने के बाद और उपसभापति बनने के पहले तक कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में हरिवंश ने सक्रिय भूमिका निभायी. उनके सांसद रहते, पटना में पार्टी की ओर से राज्यस्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ. इस शिविर में जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. शिविर में हरिवंश की उपस्थिति शत—प्रतिशत रही. इस दौरान हर दिन कार्यकर्ताओं से संवाद हुआ. इस शिविर का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के कोने—कोने से आये सक्रिय कार्यकर्ताओं को पार्टी के विचारों, नीतियों से अवगत कराना था. साथ ही यह बताना भी कि यह पार्टी कैसे अलग या क्या विशिष्ट है. पार्टी नेता श्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसे देश में अपनी अलग छाप छोड़ी है और सुशासन, सामाजिक न्याय के साथ विकास आदि के जरिये कैसे अभिशप्तता को ही नियति मान लेने की राह पर चल रहे बिहार को अपनी दूरदर्शिता, नीतियों से न सिर्फ पटरी पर लाया है, बल्कि पूरे देश में, कई मायने में बिहार को एक मॉडल राज्य बना दिया है.

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक

हरिवंश के सांसद रहते पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तीन बैठकें हुई. पहली बैठक 16—17 अक्तूबर 2016 को राजगीर में. इस बैठक में पार्टी की ओर से सामाजिक,राजनीतिक व आर्थिक मसलों पर प्रस्ताव लाया गया, पास हुआ. दूसरी बैठक 19 अगस्त 2017 को पटना में. तीसरी बैठक 08 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में. पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारी के रूप में तीनों बैठकों में न सिर्फ भाग लिया बल्कि इन बैठकों के लिए पार्टी की ओर से मिली जिम्मेवारियों का भी निर्वहन किया. इस दौरान उन्होंने पार्टी के घोषणा पत्र का ड्राफ्ट तैयार करने में भूमिका निभायी, जिसे कार्यकारिणी बैठक में पेश किया गया.

मानव श्रृंखला में भागीदारी

श्री नीतीश कुमार को सामाजिक सुधार के लिए दो फ्लैगशिप योजनाओं—आंदोलनों को शुरू किया. एक शराबबंदी का फैसला और दूसरा दहेजबंदी—दहेजविरोधी, बाल विवाह के खिलाफ अभियान. बिहार में बदलाव के वाहक के तौर पर माने जानेवाले दोनों प्रमुख योजनाओं के लिए श्री नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाने की पहल की. इस अभियान को सफलीभूत बनाने में एक पार्टी कार्यकर्ता—पदाधिकारी के तौर पर हरिवंश ने अपनी भूमिका का निर्वहनकिया .छपरा, सीवान और गोपालगंज जिला में इस अभियान को सफल बनाने और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर जोड़ने में अपनी भूमिका निभायी. जयप्रकाशजी के गांव सिताबदियारा में रहकर दोनों मानव श्रृंखला में भागीदार रहे.

झारखंड में सक्रियता

झारखंड, हरिवंश की कर्मभूमि रहा है. करीब तीन दशकों तक वहां रहे हैं. पत्रकारिता के दौरान. हरिवंश, बिहार से जदयू के सांसद बने. पर, झारखंड के उनके लंबे अनुभवों का लाभ पार्टी ने लिया और हरिवंश ने

अपने अनुभवों के आधार पर अपनी भूमिका का निर्वहन ने किया. झारखंड में पार्टी को सक्रिय रखने और विस्तार के लिए निरंतर कोशिश में रहे. इस क्रम में रांची के धुर्वा मैदान में 25 फरवरी 2018 को राज्यस्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ. हरिवंश ने उसमें सक्रिय सहभागिता निभायी. इसके पहले दुमका में 26 अक्तूबर 2016 को आयोजन था, जिसमें पार्टी के प्रमुख व बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ भाग लिये. 11 जून 2017 को जमशेदपुर में शराबबंदी और सीएनटी/एसपीटी एक्ट पर पार्टी ने एक आयोजन पार्टी की ओर से हुआ. झारखंड के पलामू व धनबाद में पार्टी ने शराबबंदी पर एक विशाल आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी प्रमुख व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हरिवंश ने भाग लिया. झारखंड की राजधानी रांची में सीएनटीफ/एसपीटी पर पार्टी की ओर से एक विशेष आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के प्रमुख श्री नीतीश कुमार के साथ सहभागी बने.

कोविड दौर में सक्रियता

कोविड के कालखंड में हरिवंश कुछ महीने के लिए उपसभापति के पद पर नहीं थे. इस दौरान उन्होने पुन: पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम किया. बिहार और झारखंड, दोनों राज्यों के लिए. झारखंड में पार्टी का विस्तार करने के लिए आनलाइन माध्यमों से पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लिया. अनेक नेताओं और योग्य कार्यकर्ताओं से संवाद कर, उन्हें पार्टी से जोड़ने की कोशिश की. झारखंड के वरिष्ठ नेता सालखन मुर्मू समेत अनेक वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के करीब लाने और जोड़ने में भूमिका निभायी.



नीतीश कुमार के नेतृत्व और मार्गदर्शन में , हरिवंश ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए विभिन्न भूमिकाओं में काम किये.

कोविड के दौरान 18 जुलाई से 02 अगस्त 2020 के बीच बिहार में विधानसभावार वर्चुअल सम्मेलन हुआ. इस दौरान हरिवंश ने हर दिन वर्चुअल सम्मेलन में पार्टी के नेताओं के साथ भाग लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया. बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों को जिलावार फ्रेम में रखा गया और हर दिन अलग—अलग टीम के साथ हरिवंश सम्मेलन में सहभागी बने. इस टीम में जदयू नेता अशोक चौधरी, संजय झा, शैलेश कुमार, रामसेवक सिंह, मो. युनुस हुसैन हकीम, संतोष निराला, नीरज कुमार, अभय कुशवाहा, रमेश ऋषिदेव, लक्ष्मेश्वर राय, तनवीर अख्तर, सुहेली मेहता, महेश्वर हजारी, मदन सहनी, कहकशा परवीन, उमेश कुशवाहा आदि शामिल रहे. इन सबके साथ मिलकर हरिवंश ने राज्य के सभी जिले और विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और नेताओं से सात निश्चय योजना, बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जल-जीवन-हरियाली, शिक्षा की स्थिति, शैक्षणिक संस्थानों का विकास, थरूहट विकास, मिथिला पेंटिंग के विकास के लिए योजनाएं, बिजली की स्थिति, पथ एवं पुल निर्माण, पर्यटन स्थलों का विकास समेत सभी विषयों पर विधानसभावार जिले के कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद कर उन्हें राज्य सरकार की सक्रियता और उपलब्धियों के बारे में संवाद किया.

विशेष आयोजन

लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर उनके गांव सिताबदियारा में 11 अक्तूबर 2014 को खास आयोजन हुआ. इस आयोजन में भाग लेने श्री नीतीश कुमार के साथ ही दल के कई वरिष्ठ नेता सिताबदियारा पहुंचे. इस आयोजन में भाग लेने श्री नीतीश कुमार सड़क मार्ग से सिताबदियारा गये थे.तब वे बिहार में मुख्यमंत्री का पद छोड़ चुके थे. इस आयोजन में भाग लेने श्री नीतीश कुमार जब सिताबदियारा जा रहे थे तो पूरे रास्ते आम जनता ने जिस तरह से उनका स्वागत किया था, वह ऐतिहासिक रहा. इस आयोजन में पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते और साथ ही अपने गांव सिताबदियारा में आयोजन होने के नाते सक्रिय सहभागिता रही.

सांसद निधि: दूरदर्शिता के साथ बदलाव की बुनियाद

शिक्षण,प्रशिक्षण और अनुसंधान के पांच संस्थान

1

Centre for River Studies

4.27 cr

Aryabhatta Knowledge University, Patna

2

Centre for Earthquake Engineering Research

7.1 cr

IIT Patna

3

Centre for Endangered Language Studies

IIT Patna

9.87 cr

4

Business Incubation Centre
Centre for Poilicy Research

9.43 cr

CIMP Patna

5

Centre for Atificial Intelligence

Magadh University Gaya

20 cr

(2014 - 2026) 54.57 cr were available. 51.19 cr were spent as on Dec, 31 2025

हरिवंश 2014 में सांसद बने. दो बार निर्वाचित हुए. बिहार से. जदयू पार्टी से. 12 सालों की संसदीय यात्रा में जब सांसद निधि के उपयोग की बारी आई, तो उन्होंने पहले ही टर्म से अपना ध्येय और लक्ष्य स्पष्ट रखा. तय किया कि सांसद निधि का उपयोग बिहार में ही करेंगे और ऐसे मद में करेंगे, जिससे राज्य में बदलाव की नयी बुनियाद तैयार हो. इसी दृष्टि के साथ उन्होंने सांसद निधि का उपयोग बिहार में शिक्षण,प्रशिक्षण और अनुसंधान के पांच संस्थानों की स्थापना के लिए फंड दी. इन पांचों केंद्रों का सार—संक्षेप ग्राफिक रूप में है और साथ ही इस विषय पर 'दैनिक भास्कर' (09—11 जनवरी 2026) में प्रकाशित हरिवंश के लिखे चार आलेख क्रमवार दिये जा रहे हैं, जिसमें सांसद निधि की उपयोगिता का क्रमवार ब्यौरा है.

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स)1993 में शुरू हई. इसकी बुनियादी सोच क्या थी? जनप्रतिनिधि सीधे ऐसे कामों की सिफारिश करें, जो स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार हो.टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियां बनें. विकास कार्यों का संचालन कार्यपालिका का दायित्व है. पर इस योजना ने सांसदों को अपने क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी ज़रूरतों पर सीधे हस्तक्षेप का अवसर दिया. इससे जनता और जनप्रतिनिधि के बीच भरोसे का रिश्ता भी मजबूत होना था. पर, शुरुआती वर्षों में ही यह साफ़ दिखा कि इस योजना की मंशा और उसके क्रियान्वयन में दूरी रही. 1990 के दशक में एक अख़बार के संपादक के तौर पर हमने कई बार देखा कि निधि का उपयोग अपेक्षित दिशा में नहीं हुआ. स्वतंत्र स्तर पर की गयी परियोजनाओं की जांचों से पता चला कि प्रक्रिया में गड़बड़ियां थीं. यही कारण है कि कुछ लोगों के गलत प्रयोग ने समूचे राजनीतिक वर्ग की साख को अकल्पनीय चोट पहुंचाई. हालांकि कई जिम्मेदार सांसदों ने इसका ईमानदारी से उपयोग कर यह दिखाया कि अच्छी नीयत और पारदर्शिता से छोटा बजट भी ज़मीन पर बड़े बदलाव ला सकता है. कुल मिलाकर 790 सांसदों के लिए यह निधि भले ही केंद्रीय बजट का छोटा हिस्सा हो, लेकिन इसका सही उपयोग स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाओं को गति देता है. यह सांसदों को अपने दृष्टिकोण और विकास-दृष्टि को समाज के सामने साकार रूप में प्रस्तुत करने का अवसर देता है.

बिहार : एक नयी ज्ञानयात्रा की दहलीज़ पर

कभी-कभी इतिहास का पहिया लौटकर वही सवाल पूछता है, जिनका उत्तर हमने जाने-अनजाने अधूरा छोड़ दिया था. आज बिहार के सामने भी वैसा ही प्रश्न है? क्या वह अपनी प्राचीन नालंदा-विक्रमशिला की गौरवगाथा को आधुनिक काल की प्रयोगशालाओं और तकनीकी नवाचारों से जोड़ पाएगा? क्या वह उस खोई हुई 'ज्ञानभूमि'की विरासत को पुनर्जीवित कर, एक नयी सभ्यता की दिशा में दीप जला सकेगा?

दूसरे विश्व युद्ध के बाद का दौर. आधुनिक तकनीक की नींव रख रहा था. टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में काम करने वाला एक युवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. जैक किल्बी. ऐसी सोच पर काम करना शुरू किया, जिसने दुनिया बदल दी.किल्बी ने पूरेजटिल तंत्र को समेटा.एक छोटे-से सर्किट में. 'चिप' का आविष्कार किया.तब शायद उसने खुद भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन मानव सभ्यता का बड़ा हिस्सा इन्हीं सूक्ष्म 'चिपों' में सिमट जाएगा. 21वीं सदी में दुनिया का दबदबा हथियारों से नहीं, बल्कि इन छोटी चिप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की सर्वोच्चता से तय होगा.एआई मानव इतिहास के अब तक के सबसे महत्त्वपूर्ण अध्याय का सूत्रधार बनेगी.याद रखिए 1900 के दशक में जहाँ कंप्यूटरों को चलाने के लिए भारी-भरकम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था.वहीं किल्बी ने तारों के जंजाल को खत्म कर एक छोटी-सी प्लेट पर सभी विद्युत घटकों को समेट दिया. 1957 में बना यही वह पहला 'इंटीग्रेटेड सर्किट' (आईसी) था.इसे आज हम 'चिप' के नाम से जानते हैं. जो युग कल तक औद्योगिक युग था, वह आज 'ज्ञानयुग'बन गया है.और ज्ञान, आधुनिक सभ्यता की नयी मुद्रा (करेंसी).

हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों को करीब से देखने का अवसर मिला.1994 में. अमेरिकी सूचना सेवा कार्यक्रम के तहत. देश भर से वरिष्ठ पत्रकारों, संपादकों को चुना गया था. इस यात्रा ने राय बदली. कैसे बड़े विश्वविद्यालय ज्ञान का सृजन करते हैं?सरकार की नीतियों और समाज की दिशा को प्रभावित करते हैं?यह देखकर चकित था. कैसे ये विश्वविद्यालय बौद्धिक केंद्र भी हैं?शासन, समाज और नीति के हर स्तर को दिशा देने वाले. फिर मन में सवाल उठा.क्या बिहार, जिसने कभी नालंदा की रौशनी से एशिया को आलोकित किया था, वह फिर से वैसा ही ज्ञानकेंद्र बन सकता है? क्यों 1990 के दशक में जब दक्षिण भारत के राज्य तकनीकी संस्थानों की नींव रख रहे थे, तब बिहार 'चरवाहा विद्यालयों' के प्रयोग में उलझा हुआ था? 'बीमारू' का विशेषण किसी नियति का शाप नहीं था, बल्कि दीर्घकालीन नीतिगत भ्रष्टाचार और दूरदृष्टि की कमी का परिणाम थी.

याद रखिए, 90 का दशक भारतीय इतिहास में तकनीकी विकास का निर्णायक दौर था.इसने देश में आईटी सेवा क्षेत्र की मजबूत नींव रखी. पर, बिहार के लिए यह दौर पलायन की एक दुखद कहानी बन गया. राज्य के होनहार छात्रनिकले.आईटी क्षेत्र में आए उछाल का लाभ उठाने के लिए. प्रोफेशनल कोर्स करने के बहाने. वे बिहार से बाहर निकलने का पहला मौका तलाशते थे. उनके साथ गरीब बिहार से पूंजी भी गई. यह एक कड़वा सच है. इसी दौर में बिहार अपने गौरवशाली इतिहास को आधुनिक युग के 'नॉलेज हब' में बदलने के अवसर को भुनाने में विफल रहा. जहाँ अतीत में हम दुनिया को राह दिखाते थे, वहीं आधुनिक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दौड़ में बिहार अपनी समृद्ध विरासत का लाभ उठाने से चूक गया.

आज फिर हम इतिहास के अहम मोड़ पर खड़े हैं.आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे समाज का ढांचा बदल रही है. उलेख़ीय बात है कि वर्तमान केंद्र सरकार 2014 के बाद तकनीकी शक्ति का उपयोग भारत की प्रगति के लिए करने पर पूरी तरह केंद्रित है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश, आज सेमी-कंडक्टर इकोसिस्टम बनाने और दुनिया की बेहतरीन प्रतिभाओं को आकर्षित करने पर जोर दे रहा है. भारत न केवल एआई में नवाचार को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि 'क्रिटिकल मिनरल्स' (महत्वपूर्ण खनिजों) के मामले में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अपनी रणनीति बदल रहा है. एआई आज बोलचाल की भाषा का एक 'बजवर्ड' (आम शब्द) बन गया है.पर, समाज पर इसके वास्तविक प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं तक पहुंचने का सफर अभी लंबा है. यदि भारत को एआई की इस असीम क्षमता का लाभ उठाना है, तो हमें अपनी प्रतिभाओं को रोकने के लिए निवेश बढ़ाना होगा. इसी कड़ी में संस्थागत ढांचे का निर्माण अनिवार्य है. इसकी शुरुआत हो गई है. केंद्र सरकार ने पहले ही तीन 'एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की घोषणा कर दी है.



सितंबर, 2025 में आइआइटी पटना में दो केंद्रों के उद्घाटन समारोह में. इनमें एक संस्थान भूकंप इंजीनियरिंग को, तो दूसरा लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण व विकास को समर्पित है.

आज की अस्थिर वैश्विक राजनीति पर नज़र डालें. दिलचस्प होड़ दिखाई देती है. दुनिया भर के देश, उन बेहतरीन प्रतिभाओं को अपनी ओर खींचने के लिए कतार में खड़े हैं.जो अब अमेरिका से इतर नए अवसरों की तलाश कर रहे हैं. आज पूरी दुनिया नवाचार (इनोवेशन) और खासकर से तकनीकी क्षेत्र में नई खोजों के लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है.भारत इस दौड़ में एक बेहद मजबूत स्थिति में है. यहाँ 'प्रतिभा' और 'अवसर' का एक दुर्लभ संगम देखने को मिल रहा है. एक विशाल और विविधतापूर्ण मुल्क होने के नाते, हमारे घरेलू बाजार को हर क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की भारी जरूरत है.

सवाल उठता है कि तकनीक की इस वैश्विक दौड़ में बिहार कहां खड़ा है ? अब तक उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश का बड़ा हिस्सा दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्यों तक ही सीमित रहा है. पर, देश के संतुलित विकास के लिए यह अनिवार्य है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में भी ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए, जो विकास को गति दे सके. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, बिहार अब अपनी प्रतिभाओं को संवारने और उभरते क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से गढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. पुनर्निर्माण की नयी दिशाअब, जब समाज के हर पहलू को नया आकार दे रही है. बिहार के पास अवसर है कि वह इस यात्रा में सहभागी बने. इसी भावना से अपने सांसद निधिसे तीन प्रमुख संस्थानों की स्थापना हेतु राशि समर्पित की.बोधगया के मगध विश्वविद्यालय में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संस्थान'. पटना के चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान(सीआईएमपी) में पब्लिक पॉलिसी अध्ययन केंद्र, और उसी संस्थान में एक व्यवसाय नवाचार एवं इन्क्यूबेशन केंद्र.

इस पहल के तहत पहला महत्वपूर्ण कदम बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संस्थान' का विकास है. इसके लिए 20 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि आवंटित की गई.यह एआई संस्थानकेवल मशीन लर्निंग, साइबरसुरक्षा या रोबोटिक्स की औपचारिक शिक्षा नहीं देगा; यह बिहार की समस्याओं के समाधान में

भी भागीदार बनेगा. चाहे वह कृषि की उत्पादकता बढ़ाना हो, माटी और पानी की स्थिति का विश्लेषण हो, या स्वास्थ्य व शिक्षा तंत्र में पारदर्शिता स्थापित करना.

वहीं पटना के चंद्रगुप्त संस्थान में प्रस्तावित 'पब्लिक पॉलिसी सेंटर' और 'नवाचार केंद्र' उसी विचार का विस्तार हैं. सीआईएमपी को हाल ही में नीति आयोग द्वारा 'लीड नॉलेज इंस्टीट्यूट' घोषित किया गया है. जार्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से साझीदारी हुई है. यह बताता है कि बिहार अब एकांगी क्षेत्र नहीं, बल्कि वैश्विक शैक्षिक तंत्र का सक्रिय हिस्सा बनना चाहता है. यह बार-बार दोहराने की बात नहीं है. भारत जैसे विकासशील देश के लिए उसकी जनसांख्यिकी और युवा प्रतिभा ही विकास संबंधी आकांक्षाओं का आधार स्तंभ बनेगी. बिहार के संदर्भ में यह तथ्य और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है. हमारे पास युवाओं की एक विशाल आबादी है.

अक्सर कहा जाता है कि प्रतिभा को सही अवसर की तलाश होती है. यदि बिहार में स्थानीय स्तर पर ही ऐसी सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराए जाएं, जो इस युवा मेधा को निखार सकें, तो राज्य की तकदीर बदलना तय है. यह राज्य के आर्थिक ढांचे को मजबूत करेगा ही, बिहार को एक ज्ञान-आधारित समाज के रूप में भी नई पहचान दिलाएगा. इसे ध्यान में रखकर इन दोनों केंद्रों के लिए ₹9.43 करोड़ की सहायता स्वीकृत हुई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'आत्मनिर्भर भारत'की परिकल्पना वस्तुतः बुद्धकी उसी प्रेरणा का आधुनिक रूप है- 'अप्प दीपो भव'. यह प्रयास उसी संदेश की विशिष्ट प्रतिध्वनि है. बिहार अपनी नियति स्वयं गढ़े. अपने ज्ञान और प्रतिभा से नया भारत रचे.आज भारत के पास दो लाख से अधिक स्टार्टअप हैं. इक्कीस लाख से अधिक लोगों को नई रोजी-रोटी मिल चुकी है. नवाचार को शुरुआती स्तर पर मदद देने के लिए वर्ष 2021 में 'स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम' की शुरुआत की गई.इसके लिए 945 करोड़ रुपये का कोष (कार्पस) निर्धारित किया गया.सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने इस दिशा में कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है. विभाग के प्रयासों से अब तक 1,173 स्टार्टअप्स में लगभग 21,276 करोड़ रुपये के बड़े निवेश को सुगम बनाने में सफलता मिली है. ये आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में जमीनी स्तर पर नए उद्यमियों को तकनीकी मार्गदर्शन, वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए भी एक मजबूत तंत्र तैयार किया जा चुका है. पर, यह आँकड़ा तभी पूरा होगा जब पटना, गया, दरभंगा और भागलपुर भी इस नक्शे पर नवाचार के केंद्र बनें.क्योंकि विकास की कोई दिशा स्थायी नहीं, जब तक वह समावेशी न हो. और बिहार के बिना भारत का 'विकसित भारत 2047'का स्वप्न अधूरा रहेगा. निकट भविष्य में पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का भी.

याद रखें जब इतिहास किसी क्षेत्र पर करुणा और दायित्व दोनों का वरदान देता है, तब वह क्षेत्र केवल भौगोलिक इकाई नहीं रहता-वह चेतना की भूमि बन जाता है.नालंदा की राख से यदि एक नया नालंदा उठ सके, मगध के बोधिवृक्ष के नीचे यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अंकुर फूट सके, तो बिहार अपनी सारी चुनौतियों के बावजूद भविष्य का पहला अध्याय लिख सकता है.



हरिवंश के सांसद निधि से निर्मित आइआइटी पटना के दो केंद्रों के उद्घाटन समारोह की तसवीर. इनमें एक संस्थान भूकंप इंजीनियरिंग को, तो दूसरा लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण व विकास को समर्पित है.

आपदा के साये में सुरक्षा की तलाश

15 जनवरी, 1934की तारीख. बिहार और नेपाल के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह दर्ज है. रिक्टर पैमाने पर 8.3 की तीव्रता वाला विनाशकारी भूकंप. मानवीय इतिहास में तबाही की ऐसी इबारत लिखी, जिसकी मिसाल कम है. सरकारी आंकड़े भले ही सात हजार मौतों की तस्दीक करते हों. पर, गैर-सरकारी अनुमानों में यह संख्या 20 हजार से भी ऊपर थी. इस त्रासदी में बिहार के तीन जिले पूरी तरह मलबे के ढेर में तब्दील हो गए थे. वही नियति नेपाल के काठमांडू, भक्तपुरकी भी रही. ये शहर भी इसी विनाशकारी भूकंप के शिकार हुए. इस हादसे के बाद तकरीबन एक सदी बीत गए. फिर भी प्रकृति के इस विनाशलीला का भय मिटा नहीं है. 1988 में फिर एक भूचाल आया. खुद उस विध्वंस का साक्षी रहा.

हिमालय की तराई में बसे क्षेत्रों के लिए जोखिम जाहिर है. प्राकृतिक आपदाओं को लेकर हमारी समझ कहीं अधिक गहरी हुई है. भारतीय मानक ब्यूरो के मुताबिक, बिहार केआठ जिले भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील 'कैटेगरी-5' (वेरी हाई रिस्क जोन) में हैं. राज्य के 38 में से 27 जिले 'कैटेगरी-4' में शामिल हैं. ऐसे में बिहार के लिए भूकंप आना महज संयोग नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है. वर्ष 2015 का भूकंप और पिछले दो दशकों में आए 5.4 तीव्रता से अधिक के 25 झटके इस खतरे की पुष्टि करते हैं. ऐसे में सवाल यह नहीं कि भूकंप आएगा या नहीं ? असल बात है कि हमारी तैयारी कितनी है ? ऐसे हादसों से पार पाने की. अतीत गवाह है. भूकंप जैसी बड़ी घटनाएं न केवल एक पूरी पीढ़ी की यादों को गढ़ती हैं, बल्कि हमें यह गहराई से समझने के लिए भी प्रेरित करती हैं कि ऐसी आपदाएं क्यों और कैसे आती हैं ? बिहार के समक्ष खड़ी चुनौतियां बहुआयामी हैं. एक ओर जहां भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील नेपाल से इसकी भौगोलिक निकटता एक स्थायी संकट है, वहीं दूसरी ओर यहां की मृदा (मिट्टी) की विशिष्ट प्रकृति भी इमारती ढांचों और बुनियादी संरचनाओं के लिए एक गंभीर जोखिम पैदा करती है.

वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें - तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप में हुई व्यापक तबाही का असल कारण दोषपूर्ण भवन निर्माण और लचर इंजीनियरिंग को माना गया. विशेषज्ञों का यह निष्कर्ष गौर करने लायक है. भारत जैसे देश में, जहां हर वर्ष इंजीनियरों की एक बड़ी खेप तैयार होती है. हमारे शिक्षण संस्थानों के पास उन्नत ज्ञान का भंडार है. इन चुनौतियों का समाधान खोजने की असीम संभावनाएं मौजूद हैं. इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सांसद निधि (एमपीलैड) के माध्यम से आईआईटी पटना में 'सेंटर फॉर अर्थक्विक इंजीनियरिंग रिसर्च' (सीईईआर) की स्थापना का निर्णय लिया गया. 7.1 करोड़ रुपये की लागत से बना यह संस्थान बेहतरीन इंजीनियर तैयार करने और निर्माण मानकों में सुधार लाने के ध्येय से काम कर रहा है. सीईईआर में स्थापित बिहार की पहली 'रीकॉन्फ़िगरेशन रिएक्शन वॉल' बहुमंजिला इमारतों की सुरक्षा जांच में मील का पत्थर साबित होगी. यह विशिष्ट तकनीकी ढांचा बहुमंजिला इमारतों और ऊंचे निर्माणों की सुरक्षा का सटीक आकलन करने के लिए कृत्रिम 'सिम्युलेशन' और कठिन परीक्षणों की सुविधा प्रदान करता है. उल्लेखनीय है कि इस प्रयोगशाला का संपूर्ण प्रारूप संस्थान के विद्वान संकाय सदस्यों द्वारा ही तैयार किया गया है.

याद रखें, राज्य में कुशल पेशेवरों की संख्या जितनी अधिक होगी, भूकंप जनित खतरों से निपटने के 'बहुआयामी दृष्टिकोण' को लागू करने की सरकारी क्षमता उतनी ही सुदृढ़ होगी. यह रणनीति महज प्राकृतिक आपदा के लिए तात्कालिक तैयारियों तक सीमित नहीं है।इसके केंद्र में तमाम निवारक उपाय और निवेश भी शामिल हैं. यह केंद्र भूकंपीय क्षेत्रों का 'माइक्रो-जोनिंग' कर रहा है. ताकि भविष्य में वे जान-माल की क्षति को न्यूनतम करने में सहायक हों. आपदा के समय राहत और बचाव तंत्र को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप ढाला जा सके.

पर, बिहार का संघर्ष केवल धरती के नीचे छिपे खतरे से नहीं है. भूकंप की तरह ही बाढ़ भी बिहार की नियति बनी हुई है. 1954 से लेकर 2008 तक तबाही का लंबा सिलसिला देखा है. कोसी, जिसे 'बिहार का शोक' कहा जाता है. गंगा, सोन, गंडक और बागमती जैसी नदियों के जाल. उनके बदलती धारा, हमेशा जोखिम की संभावना रखती है. नदियों में गाद (सेडिमेंट्स) का जमा होना और ऊपरी क्षेत्रों में जल भंडारण की क्षमता का अभाव इस समस्या को और विकराल बनाता है. जलवायु परिवर्तन और बेमौसम बारिश ने स्थिति को और नाजुक कर दिया है. नतीजतन तीन-चौथाई आबादी हर साल इस डर के साये में जीती है.

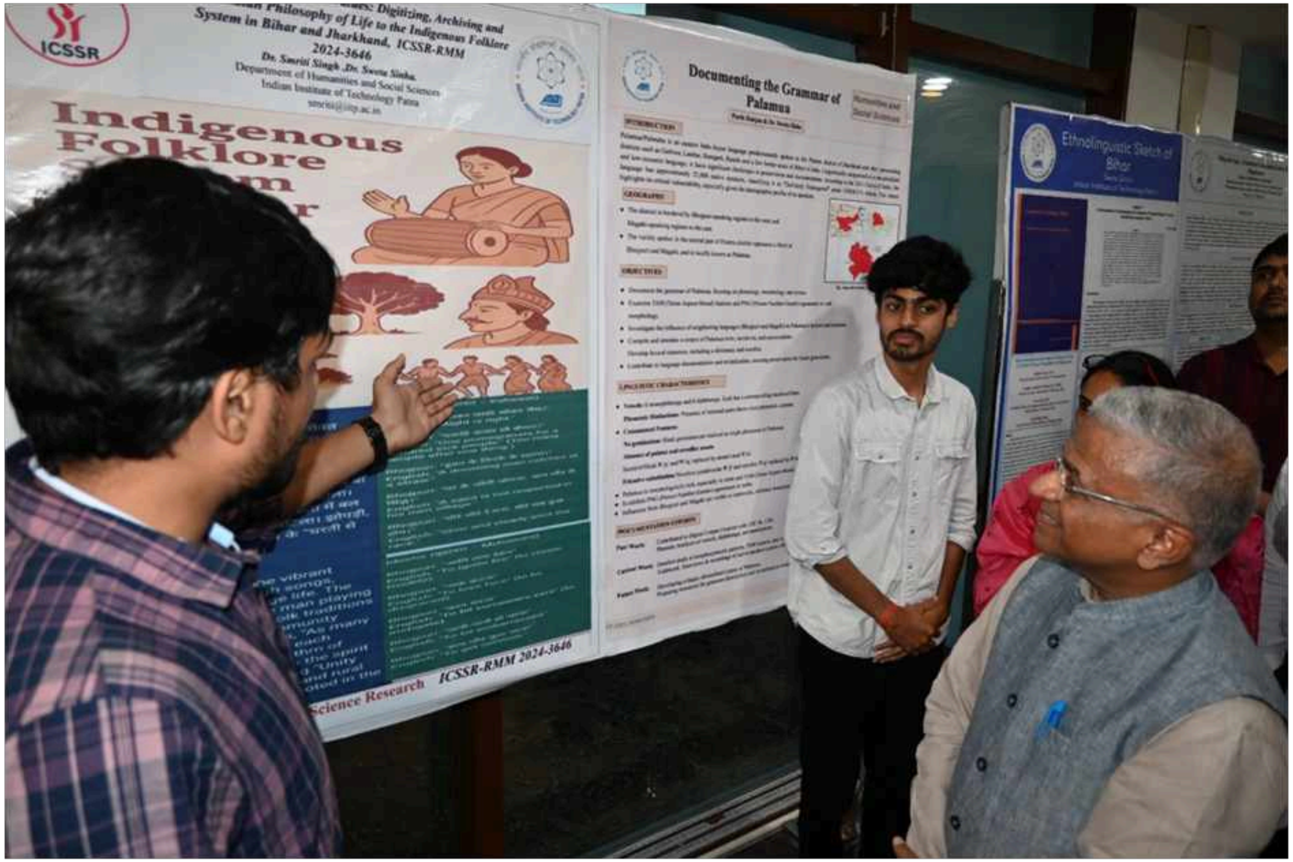
बिहार में बाढ़ की विभीषिका कितनी गंभीर है? इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने खासतौर पर बिहार के लिए 'फ्लड एटलस' जारी किया है.

यह एटलस बुनियादी कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है. आखिर किस वजह से यह क्षेत्र बार-बार जलप्रलय का सामना करता है ? गौरतलब है कि बिहार हर साल बाढ़ प्रबंधन और राहत कार्यों पर करीब 1,000 करोड़ रुपये खर्च करता है. यह भारी-भरकम राशि राज्य के विकास बजट पर एक बड़ा बोझ है. बिहार अब तकनीकी समाधानों की ओर बढ़ रहा है. इसी संकट से सीखते हुए पटना के आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में रिवर रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई. अक्तूबर, 2016 में. चार करोड़ सत्ताईस लाख की लागत से बने इस केंद्र को हाल ही में एआईसीटीई से स्वीकृति मिली है. शिक्षा और अनुसंधान के इस समन्वय का परिणाम है कि वर्ष 2023 से छात्रों के पहले बैच ने इस विषय में विधिवत पढ़ाई भी शुरू कर दी है. यहां नदी प्रबंधन में एम.एससी., सर्टिफिकेट और पीएचडी जैसे पाठ्यक्रम प्रारंभ हुए हैं. संस्थान ने पहले ही सीमांचल में परियोजनाएं शुरू की हैं. अंतरराष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित किया है. प्रौद्योगिकी और नीति को जमीनी हकीकत से जोड़ने की यह कोशिश उल्लेखनीय है. यह संस्थान, नदी विज्ञान और प्रबंधन में विशेषज्ञों की नई फौज तैयार कर रहा है.

रुड़की स्थित राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एनआईएच) के साथ जुड़ाव और विशेषज्ञ फैकल्टी के माध्यम से यहां के छात्र सीमांचल जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं.

संसाधनों का सही नियोजन और संस्थागत क्षमता का विकास ही भविष्य की सुरक्षा की गारंटी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शासन-दृष्टि ने इस दिशा में दीर्घकालिक सोच दी है. बिहार ने ढांचागत बदलावों पर ध्यान केंद्रित किया है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत जब जी-20 अथवा बिम्सटेक मंचों पर आपदा प्रबंधन की क्षमता का नेतृत्व करता है, तो यह ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है कि धरती और नदी-दोनों के स्वभाव को विज्ञान और संवेदना के संतुलन से समझा जाए. 15वें वित्त आयोग ने आपदा न्यूनीकरण (DRR) के लिए जो 2.28 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, उनका सही लाभ तभी संभव है जब हमारे पास बेहतर विशेषज्ञ और शोध संस्थान हों. और यही समझ उसे भविष्य के लिए तैयार कर रही है. आईआईटी पटना और नदी अनुसंधान केंद्र जैसे प्रयास न केवल बिहार, बल्कि पूरे भारत की आपदा प्रबंधन क्षमता को नई मजबूती प्रदान करेंगे.



आइआइटी पटना परिसर में लुप्तप्राय भाषाओं पर संस्थान द्वारा किए गए शोध के बारे में चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से बताते हुए छात्र.

भाषाएं बचेंगी, तो संस्कृति बचेगी

मानव को मनुष्य बनाने वाली कौन-सी अनूठी शक्ति थी ? युआल नोआ हरारी ने 'सेपियन्स' में इसका जवाब, भाषा के रूप में खोजा है. वही भाषा जिसने हमें सोचने, समझने और समाज में संगठित होने की क्षमता दी. आदिम जंगलों से लेकर अंतरिक्ष युग तक की यात्रा में भाषा हमारी सबसे बड़ी सभ्यता रही है. और यह भारत भूमि,भाषाओं का सागर है. एक नहीं, दो नहीं, बाइस संवैधानिक भाषाएं. उन्नीस हजार नौ सौ पचास बोलियों और मातृभाषाओं की एक विराट दुनिया बसी है.

इतिहास के पन्नों को पलटें. बिहार, भाषाओं और संस्कृतियों के अनूठे मेल का केंद्र रहा है. वही बिहार, जहां से जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने मानवता को अपना विनम्र संदेश दिया. यह धरती ज्ञान, चिंतन और संवाद का पालना बनी. बिहार इतिहासकारों के लिए किसी अनखोजा भंडार है. इस सांस्कृतिक वैभव को समझने के लिए हमें महान यायावर राहुल सांकृत्यायन को याद करना होगा.

इस चेतना को जीवन देने वाले यायावर थे, राहुल सांकृत्यायन. उनके लिए यात्रा केवल भटकाव नहीं, खोज थी. वह पथिक थे. तीस भाषाओं में दक्ष.राहुल जी ने 140 से अधिक ग्रंथ रचे. 'मध्य एशिया का इतिहास'के लिए उन्हें साहित्य अकादेमी अवार्ड मिला. 1958 में.पर





जब सांसद निर्माण कार्य में अपना सांसद निधि से योगदान देते हैं, तो विश्वविद्यालयों को भी परियोजनाओं के विकास के लिए अनुदान प्राप्त करने में सहायता मिलती है.

उनके जीवन का सच्चा पुरस्कार वह गुमनाम कर्तव्य था, जो उन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए निभाया.

कहना न होगा ही बौद्ध धर्म की तीन शाखाएं हैं. हीनयान (थेरावाद), महायान व वज्रयान. नालंदा की ज्योति बुझने के साथ बौद्ध वज्रयान शाखा के असंख्य ग्रंथ जल गए थे. राहुल जी ने वह खोई हुई धरोहर फिर से खोजने की ठानी. श्रीलंका से लेकर तिब्बत तक चार यात्राएँ कीं. पंद्रह महीने तक तिब्बत में ठहरे.हजारों पांडुलिपियाँ देखीं और आठ सौ दुर्लभ ग्रंथ और कलाकृतियां भारत वापस लाने में सफल रहे. यह वह संपदा थी, जो नालंदा के विनाश के समय बच गई थी. इतिहासकार के.पी. जायसवाल की सलाह पर उन्होंने ये बहुमूल्य साक्ष्य पटना संग्रहालय को सौंप दिए, जहाँ वे आज भी सुरक्षित हैं. इनमें से अधिकांश तिब्बती भाषा में हैं.आज भी पटना संग्रहालय में सुरक्षित हैं. करीब आठ साल पहले दिल्ली की प्रदर्शनी में उनमें से चुनिंदा ग्रंथ रखे गए. भारत के ज्ञान की पुनर्खोज का दस्तावेज.

पर, राहुल सांकृत्यायन का काम महज इतिहास की धूल झाड़ने भर का नहीं था, वह वस्तुत: साखी भी है. सभ्यता की रक्षा का अर्थ है,भाषाओं की रक्षा. भारत की हर बोली, हर जनजातीय भाषा अपने अंदर लोक जीवन का दर्शन, अनुभव और स्मृति लिए हुए है. इन्हें सहेजना कोई सरकारी परंपरा का हिस्सा नहीं, बल्कि आत्मरक्षा का संकल्प है.

इसी भावना से अपनी सांसद निधि से, बिहार में लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण हेतु सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेज (सीईएल) की स्थापना में पहल की. आइआइटी, पटना में यह केंद्र बना. तकरीबन 9.87 करोड़ रुपये की लागत से बना, इस केंद्र का भवन. आज यह केंद्र उन भाषाओं और बोलियों पर काम कर रहा है, जो बाजार की आंधी में गुम हो रही हैं. इनका व्यापक उद्देश्य बिहार के गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर उसकी संस्थागत शक्ति को फिर से जागृत करना है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं था.आज जब वैश्वीकरण केवल अर्थतंत्र नहीं, भाषातंत्र भी तय करता है.तब यह संस्थान आत्मसम्मान का प्रतीक बन सकता है. सीईएल आने वाले समय में इन दुर्लभ पांडुलिपियों के अनुवाद का काम संभाल सकता है. यह प्रयास महज अतीत को सहेजने का ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का एक मिशन भी है.

एक बिहारी होने के नाते, गर्व होगा यदि यह संस्थान भारतीय इतिहास की हमारी समझ को और गहरा करने और भाषाओं में छिपी संस्कृतियों को बचाने में सफल होगा.

बिहार की यही भूमि है, जिसने सदियों पहले संसार को ज्ञान का उपहार दिया था; अब वही भूमि ज्ञान को पुनर्जीवित करने की दिशा में अग्रसर है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा पुनरुत्थान हो या तिब्बती पांडुलिपियों का सूचीकरण, हर पहल को प्रोत्साहन दिया. सांकृत्यायन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सारनाथ के तिब्बत अध्ययन केंद्र के विशेषज्ञ बुलाए गए ताकि वे इन प्राचीन ग्रंथों का पुनर्पाठ और अनुवाद कर सकें.

आखिर यह सब क्यों जरूरी है? क्योंकि भाषा केवल बोलने का साधन नहीं, संस्कृति का विस्तार है. भाषा में ही हमारे संस्कार हैं. स्मृतियाँ हैं. सपने हैं. आकांक्षाएं भी. याद रखिए, जो मुल्क अपनी भाषाओं को मरने देता है, वह अपनी स्मृति से वंचित हो जाता है. बिहार ने कभी दुनिया व भारत को बुद्ध व महावीर दिया. चाणक्य व चंद्रगुप्त के साथ अनेक महान ज्ञानी ऋषियों की यह मिट्टी है. अब वही भूमि 21वीं सदी की ज्ञान की दुनिया में दुनिया के लिए प्रकाश स्तंभ बन सकती है.

राज्यसभा सदस्य होने के नाते यह स्वतंत्रता रही कि इस निधि को पूरे बिहार में उपयोग किया जा सके. बिहार के समग्र विकास की दृष्टि से. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन के तहत हमारी प्राथमिकता ऐसी योजनाओं पर रही, जिनका सामाजिक और आर्थिक प्रतिफल मूल निवेश से कई गुना अधिक हो. बचपन से बिहार की सामाजिक-राजनीतिक यात्रा को देखने का अनुभव इसका आधार रहा. 1960 के दशक से लेकर आगे के वर्षों तक जिस तरह राज्य शासनहीनता और पिछड़ेपन में उलझा, उसने देश से उसकी दूरी बढ़ाई. देश इसी दौर में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से सेवाक्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा था. बिहार की शासन–व्यवस्था लड़खड़ा रही थी. राज्य पिछड़ता चला गया. 1990 से 2005 के बीच का दौर. इसे आम बोलचाल में 'जंगलराज' कहा गया. वह दरअसल बिहार की विकास गति के ठहराव का समय था. दक्षिण भारत के कई राज्यों ने जब तकनीक और औद्योगिक प्रगति की राह चुनी, तब बिहार जातीय और पहचान की राजनीति में उलझता गया. आंध्र प्रदेश ने 1990 के दशक के आखिर तक कुछ ही वर्षों में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या में कई गुना वृद्धि की. अपने इंजीनियरिंग कॉलेजों को 32 से बढ़ाकर 107 करने में कामयाब रहा. कर्नाटक पहले से ही इंजीनियरिंग–तकनीकी का बड़ा केंद्र बन चुका था. कर्नाटक में उस समय 132 इंजीनियरिंग कॉलेज थे. नतीजतन दक्षिणी राज्यों सेइंजीनियरों का बड़ी फौज निकली. जिसकी गूंज दुनिया में है. इसके

उलट बिहार में 'चरवाहा विद्यालयों' जैसे प्रतीक ही चर्चा में रहे. इससे पूंजी और प्रतिभा, दोनों का दीर्घकालिक पलायन हुआ. परिणामस्वरूप आज जो आर्थिक असमानता और प्रवासन के ढांचे दिख रहे हैं, उनकी जड़ें यही हैं.

आज जब गूगल विशाखापत्तनम में 15 अरब डॉलर का एआई हब बना रहा है या अमेज़न 35 अरब डॉलर के निवेश की बात कर रहा है, तब यह स्पष्ट है कि पूर्व दशकों में बने शैक्षणिक और तकनीकी ढांचों ने इन राज्यों को आगे बढ़ाया. दुर्भाग्य सेइन अवसरों की हर लहर के साथ बिहार पीछे छूटता गया. लाखों बिहारी युवाओं की पूंजी–संचित आकांक्षा अन्य राज्यों की शिक्षा–व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करती रही.

इसी बीच नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 के बाद बिहार ने सबसे पहले स्कूल स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया. साइकिल योजना जैसे कदमों ने लड़कियों की शिक्षा में ठोस फर्क डाला. वहीं नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्जीवन से लेकर इंजीनियरिंग, प्रबंधन और चिकित्सा संस्थानों के विस्तार तक, उच्च शिक्षा ढांचे को मजबूत किया गया. इसी माहौल और व्यक्तिगत अनुभवों ने सांसद के रूप में यह निर्णय आसान किया कि एमपीलैड्स की राशि ईंट–गारे के बिखरे हुए कामों में नहीं, बल्कि ज्ञान–संस्थानों और शोध–केंद्रों के विकास में लगाई जाए.

पत्रकार जीवन के शुरुआती वर्षों में अमेरिका के प्रमुख विश्वविद्यालयों का दौरा किया. तब यह अनुभव हुआ था कि नीति–निर्माण तात्कालिक प्रतिक्रियाओं से नहीं, बल्कि दीर्घकालिक, तथ्य–आधारित शोध से संचालित होता है. वही सीख बिहार में ज्ञान–आधारित संस्थागत निवेश का सूत्र बना.

2014 से दो कार्यकालों के दौरान कुल उपलब्ध ₹54.5 करोड़ में से लगभग ₹50 करोड़ सांसद निधि बिहार में ज्ञान–केंद्रों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए आवंटित किए गए. यह निवेश वस्तुतः राज्य के लिए दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक प्रतिफल पैदा करने वाली बुनियाद है. इसका लाभ अनेक पीढ़ियां उठा सकती हैं.

इसी सोच के तहत 2016–18 के बीच लगभग ₹7.1 करोड़ की राशि आईआईटी पटना में 'सेंटर फॉर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग रिसर्च' (सीईईआर) और पटना के आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में 'सेंटर फॉर रिवर स्टडीज़' की स्थापना के लिए दी गई. बिहार के आठ जिले अत्यधिक भूकंप–जोखिम श्रेणी (कैटेगरी V) और 27 जिले उच्च जोखिम (कैटेगरी IV) में आते हैं. ऐसे में भूकंप पर संगठित शोध और आधुनिक प्रयोगशाला की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी.



मगध विश्वविद्यालय,गया के संस्थान परिसर में हरिवंश के सांसद निधि से निर्मित होनेवाले 'एआई सेंटर' के लिए भूमि पूजन समारोह के दौरान, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी के साथ.

सीईईआर ने स्टक्चरल इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम और अत्याधुनिक प्रयोगशाला के माध्यम से भवन–डिज़ाइन, निर्माण–मानकों और मौजूदा संरचनाओं के आकलन की एक व्यवस्थित फ्रेमवर्क (रूपरेखा) विकसित की है. इससे न केवल भविष्य की इमारतों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि आपदा–जोखिम में कमी लाने का वैज्ञानिक आधार भी तैयार होगा.

दूसरी ओर, कोसी, गंगा, सोन, गंडक, बागमती, घाघरा जैसी नदियों वाले बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था और समाज को भारी क्षति पहुंचाती है. सरकार को लगभग ₹10,00 करोड़ सालाना बाढ़ नियंत्रण और राहत पर खर्च करने पड़ते हैं. आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का नदी अध्ययन केंद्र राज्य की भौगोलिक–हाइड्रोलॉजिकल चुनौतियों पर शोध के साथ व्यावहारिक समाधान खोजने में जुटा है. बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित अन्य संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रहा है.

इन्हीं के समानांतर आईआईटीपटना में 'सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेज स्टडीज़' (सीईएल) की स्थापना की गई, जिसकी प्रेरणा राहुल सांस्कृत्यायन जैसे यायावर विद्वान की ज्ञान–यात्रा से ली गई है. उन्होंने तिब्बत से नालंदा की प्राचीन पांडुलिपियों और धरोहरों को वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. यह केंद्र बिहार और आसपास के इलाकों की लुप्तप्राय भाषाओं के दस्तावेजीकरण, अनुसंधान और पुनरुत्थान का दीर्घकालिक काम कर रहा है.

आगे की कड़ी में गया और पटना में लगभग ₹30 करोड़ की सांसद निधि से तीन और संस्थानों की रूपरेखा तैयार की गई है. मगध विश्वविद्यालय, गया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंससेंटर, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना में लोक–नीति केंद्र और बिज़नेस इनक्यूबेशन एवं इनोवेशन फाउंडेशन. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसकेंद्रन सिर्फ नए पाठ्यक्रम और कौशल–विकास की राह खोलेगा, बल्कि क्षेत्रीय नवाचार, उद्यमिता और रोज़गार सृजन को नई दिशा देगा.

इन सभी संस्थानों के लिए एमपीलैड्स ने आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराया. पर, ये संस्थान आगे चलकर राज्य सरकार और अन्य प्रोजेक्ट–अनुदानों की साझेदारी से ये केंद्र दीर्घकालिक रूप से आत्मनिर्भर ज्ञान–हब में बदल रहे हैं. सबसे महत्वपूर्ण यह कि बिहार के युवा अब बिहार की समस्याओं पर शोध और नवाचार के ज़रिये सीधे काम कर रहे हैं. इससे सामाजिक–आर्थिक लाभ मूल वित्तीय निवेश से कई गुना अधिक हो रहा है व होगा.

विश्वविद्यालय	परियोजना	राशि (करोड़ रूपये में)
आर्यभट्ट नालेज यूनिवर्सिटी, पटना	नदी अध्ययन केंद्र	4.27
आईआईटी, पटना	सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेज स्टडीज़	9.87
आईआईटी, पटना	सेंटर फॉर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग रिसर्च' (सीईईआर)	7.1
चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना	बिज़नेस इनक्यूबेशन एवं इनोवेशन फाउंडेशन और सेंटर फार पब्लिक पॉलिसी (लोक–नीति केंद्र)	9.43
मगध विश्वविद्यालय, गया	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर	20

इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संबंधित ज़िलाधिकारियों को शुरुआत से ही विस्तृत विवरण और स्पष्ट निर्देश दिए गए. सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से काम हो. जनप्रतिनिधि सिफारिश तक सीमित रहें। जबकि प्रशासन कुशल निष्पादन की ज़िम्मेदारी संभाले. मूल सवाल प्रक्रिया का नहीं, नीयत और परिणाम का है. सांसद निधि का हर रुपया उस दिशा में खर्च होना चाहिए, जहां समाज को दीर्घकालिक लाभ मिल सके.

राज्यसभा में एमपीलैड्स समिति के अध्यक्ष के रूप में प्राथमिकता रही है कि सदस्यों की प्रशासनिक दिक्कतें दूर हों. योजना का पूरा ढांचा एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बने.

दरअसल सवाल सिर्फ सांसद निधि का नहीं, समूचे सार्वजनिक व्यय का है. चाहे वह केंद्र का बजट हो, राज्य का या स्थानीय निकायों का. प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वह अपने राज्य और क्षेत्र की संस्थागत तथा विकास क्षमता को सुदृढ़ करे. एमपीलैड्स जैसे छोटे–से प्रावधान को भी ईमानदार दृष्टि और दीर्घकालिक सोच के साथ ज्ञान–केंद्रित निवेश में अगर बदला जाए,तो यह न सिर्फ राजनीति की साख को पुनर्स्थापित कर सकता है, बल्कि बिहार जैसे राज्यों के लिए नई बौद्धिक और आर्थिक सुबह का आधार भी बन सकता है.

बनना उपसभापति (राज्य सभा)

राज्य सभा के उपसभापति का पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 89 के अंतर्गत प्रदान किया गया है. चूंकि भारत के उपराष्ट्रपति पदेन (ex officio) राज्य सभा के सभापति होते हैं. सदन अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चयन करता है. सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं.

उपसभापति के निर्वाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत, राज्य सभा का कोई भी संसद सदस्य अपने किसी सहकर्मी का नाम इस पद के लिए प्रस्तावित करते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, जिसे किसी अन्य संसद सदस्य द्वारा अनुमोदित (seconded) किया जाना आवश्यक होता है. प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य को संबंधित सांसद की हस्ताक्षरित सहमति-पत्र भी प्रस्तुत करना होता है, जिसमें उपसभापति के रूप में सेवा देने की उनकी इच्छा व्यक्त की गई हो. यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित किए जाते हैं, तो निर्वाचन के परिणाम का निर्णय सदन के बहुमत द्वारा किया जाता है.



2018 में राज्यसभा के माननीय सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू (दाईं ओर) हरिवंश को उपसभापति चुने जाने पर बधाई देते हुए. साथ में हैं, संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार, संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल, राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा.



2018 में उपसभापति चुने जाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ.

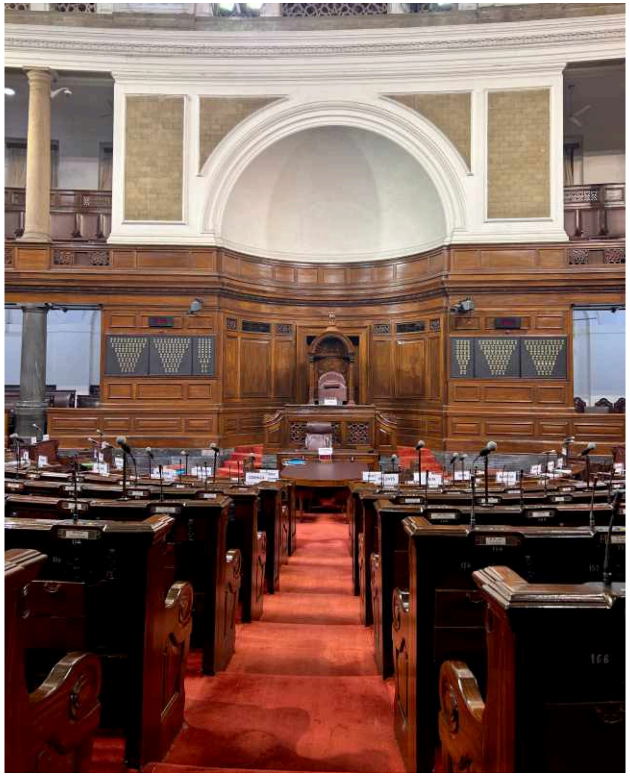
उपसभापति, राज्य सभा

उपसभापति, कार्य सलाहकार समिति (Business Advisory) के भी सदस्य होते हैं, जो विभिन्न बहसों के लिए निर्धारित किए जाने वाले समय की अनुशंसा करती है. उपसभापति Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) समिति तथा Committee of Privileges के अध्यक्ष भी होते हैं.

पद पर निर्वाचित होने के पश्चात् Presiding Officers दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर अपने आचरण में निष्पक्षता का पालन करते हैं. Speaker, Deputy Speakers तथा Deputy Chairmn ने औपचारिक रूप से अपनी पार्टी से अलग हुए बिना स्वयं को सक्रिय दलगत राजनीति से दूर रखते है.

No.	Name	Tenure
1.	Shri S.V. Krishna Moorthy Rao	31/05/1952 to 02/04/1956
2.	Shri S.V. Krishna Moorthy Rao	25/04/1956 to 01/03/1962
3.	Smt. Violet Alva	19/04/1962 to 02/04/1966
4.	Smt. Violet Alva	07/04/1966 to 16/11/1969
5.	Shri Bhaurao Dewaji Khobragade	17/12/1969 to 02/04/1972
6.	Shri Godey Murahari	13/04/1972 to 02/04/1974
7.	Shri Godey Murahari	13/04/1972 to 02/04/1974
8.	Shri Ram Niwas Mirdha	30/03/1977 to 02/04/1980
9.	Shri Shyam Lal Yadav	30/07/1980 to 02/04/1982
10.	Shri Shyam Lal Yadav	28/04/1982 to 29/12/1984
11.	Dr. Najma A. Heptulla	25/01/1985 to 20/01/1986
12.	Shri M.M. Jacob	26/02/1986 to 22/10/1986
13.	Smt. Pratibha Devisingh Patil	18/11/1986 to 05/11/1988
14.	Dr. Najma A. Heptulla	18/11/1988 to 04/07/1992
15.	Dr. Najma A. Heptulla	10/07/1992 to 04/07/1998
16.	Dr. Najma A. Heptulla	09/07/1998 to 10/06/2004
17.	Shri K. Rahman Khan	22/07/2004 to 02/04/2006
18.	Shri K. Rahman Khan	12/05/2006 to 02/04/2012
19.	Prof. P.J. Kurien	21/08/2012 to 01/07/2018
20.	Shri Harivansh	09/08/2018 to 09/04/2020
21.	Shri Harivansh	14/09/2020 to 09/04/2026

हरिवंश पहली बार 9 अगस्त, 2018 को उपसभापति निर्वाचित हुए. 14 सितंबर, 2020 को पुनः इस पद पर निर्वाचित किए गए. उपसभापति पद पर निर्वाचित होने के बाद हरिवंश ने आरंभिक दिनों के राजनीतिक प्रभावों का जिक्र करते हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आचरण का स्मरण किया. जयप्रकाश नारायण उसी सिताबदियारा गांव के थे, जिस गांव के हरिवंश हैं. हरिवंश ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक परंपरा समृद्ध रही है. इन परंपराओं ने ही भारत की संसदीय संस्कृति को आकार दिया है. उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि वे सभी को साथ लेकर चलेंगे



तथा सदन की कार्यवाही का संचालन गरिमा और निष्पक्षता के साथ करेंगे.

हरिवंश दूसरी बार अप्रैल 2020 में ही राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए. पर, उस समय कोविड-19 का दौर था. इस वजह से जुलाई 2020 में दूसरी बार संसद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी हुई. कुछ ही महीनों के अंदर उन्हें पुन: एनडीए की ओर से उपसभापति पद का प्रत्याशी नामित किया गया. 09 सितंबर, 2020 को उन्होंने इस पद का दायित्व ग्रहण किया.

2018 से उपसभापति के रूप में अपने आठ वर्षों के कार्यकाल के दौरान हरिवंश संसदीय कार्यवाही को निष्पक्ष रूप से संचालित करने के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध रहे.सदन में व्यवधान तथा सदस्यों के बार-बार वेल में आने जैसी चुनौतियों के बीच भी संयम और शांति के साथ काम करते रहे. सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करते रहे. यह चलन में रहा है कि , माननीय सभापति प्रायः दिन की शुरुआत में प्रश्नकाल के दौरान तथा कभी-कभी विधायी कार्य के समय सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं. इसके उपरांत सामान्यतः सदन की अध्यक्षता उपसभापति द्वारा की जाती है और समय और स्थितियों के अनुसार सभापति-पैनल के किसी सदस्य द्वारा. हरिवंश ने दीर्घकालीन बैठकों के दौरान भी नियमित रूप से सदन की अध्यक्षता की. 2 अप्रैल 2026 तक पारित कुल 281 विधेयकों में से 144 विधेयक—अर्थात् संबंधित सत्रों के दौरान पारित अथवा वापस किए गए कुल विधेयकों का 51 प्रतिशत—उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुए. यह तथ्य न केवल सदन द्वारा उनमें व्यक्त किए गए विश्वास को रेखांकित करता है, बल्कि कार्यवाही के उनके स्थिर और संतुलित संचालन को भी दर्शाता है. ये विधेयक नीति के व्यापक क्षेत्रों से संबंधित थे, जिनमें संवैधानिक संशोधन, आर्थिक एवं वित्तीय सुधार, सामाजिक न्याय के उपाय, संस्थागत पुनर्गठन तथा शासन सुधार शामिल थे.

प्रस्तुत एवं पारित सभी विधेयकों की पूर्ण सूची के लिए कृपया क्यूआर कोड स्कैन करें.

अभिनंदन :
पहली बार उपसभापति निर्वाचित होने के बाद (9 अगस्त, 2018)



हरिवंश जी की एक विशेषता यह भी है, उन्होंने अपने अखबार में एक कॉलम चलाया था, 'हमारा सांसद कैसा होना चाहिए', लेकिन तब उनको भी पता नहीं था कि एक दिन वे भी एमपी बनेंगे. उन्होंने ' हमारा सांसद कैसा होना चाहिए', इसकी बड़ी मुहिम चलाई थी, तो मैं समझता हूं कि उनके वे जो सपने थे, आज उनको पूरा करने का एक बड़ा अवसर उन्हें मिला है.

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी



हम लोगों को पिछले कई वर्षों से, एक सांसद के रूप में हरिवंश जी को देखने का अवसर मिला. जब भी इस सदन में बोले हैं, तो पूरी तैयारी के साथ बोले हैं. मुझे लगता है कि जो व्यक्ति जो इन मापदंडों के हिसाब से चलता रहा है, निश्चित रूप से वह इस सदन की गरिमा, उपसभापति के रूप में और बढ़ाएगा

- सदन के नेता अरुण जेटली



आप पत्रकार भी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर एक पत्रकार डिप्टी चेयरमैन बने, तो हमारे कुछ संबंध और पत्रकारों के साथ बन जाएं. पार्लियामेंट की ज्यादा कार्यवाही दिखाई जाए. बाकी जो बाहर की न्यूज़ है, उन पर कम ध्यान देकर पार्लियामेंट की कार्यवाही पर ज्यादा दिया जाए. इस काम में इनका जो पत्रकारिता का अनुभव है, शायद वह भी हमारे काम आ जाए

- विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद



अभिनंदन :
दूसरी बार उपसभापति निर्वाचित होने के बाद (14 सितंबर, 2020)

मैं हरिवंशजी को बहुत कम ही बिना मुस्कान के देखता हूं. कभी-कभी गंभीर उकसावों के बावजूद भी सदन की कार्यवाही संचालित करने में यह एक महान गुण है. मैं एक बार फिर हरिवंशजी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. मुझे विश्वास है कि वे इस गरिमामय सदन की प्रतिष्ठा और मर्यादा के अनुरूप उसी उत्साह, दृढ़ता और ऊर्जा के साथ इसकी सेवा करते रहेंगे. जिस पद को वे सुशोभित करने जा रहे हैं, उस पर लगातार दूसरी बार आसीन होने के लिए मैं उन्हें हार्दिक सफलता की शुभकामनाएँ देता हूं."

- माननीय सभापति श्री एम. वेंकैया नायडू

"मैं श्रीमान् हरिवंश जी को दूसरी बार इस सदन का उपसभापति चुने जाने पर पूरे सदन और सभी देशवासियों की तरफ से बहुत-बहुत बधाई देता हूं. सामाजिक कामों और पत्रकारिता की दुनिया में हरिवंश जी ने जिस तरह से अपनी ईमानदार पहचान बनाई है, उस वजह से मेरे मन में हमेशा उनके लिए बहुत सम्मान रहा है. मैंने महसूस किया है कि हरिवंश जी के लिए जो सम्मान और अपनापन मेरे मन में है, इन्हें करीब से जानने वाले लोगों के मन में है, वही अपनापन और सम्मान आज सदन के हर सदस्य के मन में भी है. यह भाव, यह आत्मीयता हरिवंश जी की अपनी कमाई हुई पूंजी है. उनकी जो कार्यशैली है, जिस तरह से सदन की कार्यवाही को वे चलाते हैं, उसे देखते हुए यह स्वाभाविक भी है. सदन में निष्पक्ष रूप से आपकी भूमिका लोकतंत्र को मजबूत करती है. मैंने यह भी कहा था कि सदन के इस मैदान में खिलाड़ियों से ज्यादा अंपायर परेशान रहते हैं. नियमों में खेलने के लिए सांसदों को मजबूर करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है. मुझे तो भरोसा था कि ये अंपायरिंग अच्छी करेंगे, लेकिन जो लोग हरिवंश जी से अपरिचित थे, हरिवंश जी ने अपनी निर्णायक शक्ति, अपने फैसलों से उन सबका भी भरोसा जीत लिया."

- प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

श्री हरिवंश जी को डिप्टी चेयरमैन बनने पर बहुत-बहुत बधाई देता हूं. वे दूसरी दफा इस सदन के डिप्टी चेयरमैन बने हैं और पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि बहुत कम समय में इस पद पर रहकर उन्होंने सभी दलों के जो प्रतिनिधि इस सदन में हैं, उनके साथ न्याय करने का पूरा प्रयास किया है.

वे बहुत ही बड़े विद्वान हैं, लेखक हैं और जो इस फील्ड से आते हैं, उनके लिए सभी बराबर होते हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी वे तीनों तरफ दाएं, बाएं और सेंटर पर ध्यान देंगे."

- श्री गुलाम नबी आज़ाद

पिछले दो वर्षों में जब वे सदन के उपसभापति थे, हमने देखा है कि आपकी अनुपस्थिति में उन्होंने पूर्ण ईमानदारी, पूरी निष्ठा और अत्यंत निष्पक्षता के साथ इस सदन की कार्यवाही बहुत ही कुशलतापूर्वक संचालित की है. हम सभी उनकी क्षमता, उनके शिष्ट व्यवहार और संसदीय प्रक्रियाओं के प्रति उनके गहन ज्ञान से प्रभावित हैं. जैसा कि सभी जानते हैं और माननीय प्रधानमंत्री भी उल्लेख कर रहे थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में बिताया है. सामान्यतः पत्रकार किसी भी विषय को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं. इसलिए, एक अत्यंत प्रतिष्ठित पत्रकार रहे होने के नाते, हम आशा करते हैं कि जब वे सदन की कार्यवाही संचालित करेंगे, तो उनकी दृष्टि सदन के हर कोने और प्रत्येक सदस्य पर होगी, चाहे वह किसी भी दल से संबंधित हो — बड़ा दल, प्रमुख दल या छोटा दल."

- प्रसन्ना आचार्य (संसद सदस्य, बीजेडी – ओडिशा)

सेवानिवृत्ति के अवसर पर सदस्यों द्वारा दिए गए वक्तव्य

"डिप्टी चेयरमैन साहब, यहां मेरे बेंचमेट रहे, वह हमेशा मुझे याद रहेगा. वे बहुत सिंपल आदमी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं. कभी-कभी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड से नाराज़ होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड से लोग हमेशा नाराज़ होते हैं."

- श्री गुलाम नबी आज़ाद (09.02.2021, 253 वां सत्र)

"माननीय महोदय, मैंने आपकी अध्यक्षता में, सदन की पीठासीन कुर्सी पर और सदन में काम किया.जब भी मैं आपके पास गया, मुझे जो स्नेह मिला, वह ऐसा था कि आप मेरे लिए केवल उपसभापति नहीं थे, बल्कि एक बड़े भाई के समान थे, जिन्होंने मुझे सिखाया कि पीठासीन आसन पर रहते हुए या उसके बाहर, अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे करना है. महोदय, इसके लिए तथा बड़े भाई के रूप में आपने जो प्रेम और स्नेह मुझे दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं."

- डॉ. सस्मित पात्रा (संसद सदस्य, बीजेडी – ओडिशा) (31.03.2022, 256वां सत्र)

विदाई संबोधन : विभिन्न अवसरों पर माननीय सभापति ने सदन के संचालन में उपसभापति की भूमिका का उल्लेख किया है.

258वां सत्र (23 दिसंबर, 2022)

मैं माननीय उपसभापति के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मूल्यवान सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान किया तथा संसदीय परंपराओं के सर्वोच्च मानकों का उदाहरण प्रस्तुत किया.

265वां सत्र (9 अगस्त, 2024)

मैं माननीय उपसभापति, श्री हरिवंश जी की सराहना करता हूं, जो सदैव अपने सच्चे परामर्श, सलाह, सुझावों और प्रभावशाली योगदान के साथ सदन में उपस्थित रहे. उन्होंने पीठासीन आसन पर न रहते हुए भी अपना अधिकांश समय पैनल ऑफ वाइस-चेयरपर्सन्स तथा सचिवालय में गुणात्मक और अधिक उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए समर्पित किया है.

संसदीय समितियों में

S. No.	Committee	Position	Term	Meetings Held	Meetings Attended
1.	Business Advisory Committee*	Member	Aug. 2018 to April, 2020 and Sept. 2020 onwards	74	69**
2.	Committee of Privileges*	Chairman	Aug. 2018 to April, 2020 and Sept. 2020 onwards	44	44
3.	Committee on Rules*	Member	Aug. 2018 to April, 2020 and Sept. 2020 onwards	0	0
4.	General Purposes Committee, Rajya Sabha*	Member	27 Oct. 2018 to April, 2020 and Sept. 2020 onwards	1	1
5.	Committee on Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS)*	Chairman	Aug. 2018 to April, 2020 and Sept. 2020 onwards	13	13
6.	Committee on Provision of Computers to Members of Rajya Sabha (PCMRS)	Chairman	Aug. 2018 to Nov. 2019	1	1
7.	Content Advisory Committee of Rajya Sabha Television	Chairman	May 2019 to April, 2020	1	1
8.	Committee on Maintenance of Heritage Character and Development of Parliament House Complex	Member	10 Oct. 2018 to April, 2020	-	-
9.	Rajbhasha, Kshetriya Bhasha Shabdawali Samiti	Chairman	March 2021 – Feb 2022	3	3

*Updated until 31.12.2025

**Absenteeism owing to Business Advisory Committee meeting held when Dy. Chairman was presiding over the House.

राज्य सभा के उपसभापति के रूप में, श्री हरिवंश ने संसदीय नियमों और स्थापित परंपराओं के अनुसार, General Purposes Committee, Rules Committee तथा Business Advisory Committee के पदेन (ex-officio) सदस्य के रूप में सेवा दी. ये सभी समितियां राज्य सभा के सभापति की अध्यक्षता में कार्य करती हैं.

इसके अतिरिक्त, उन्होंने राज्य सभा की कई महत्वपूर्ण स्थायी समितियों की अध्यक्षता की, जिनमें प्रमुख रूप से Committee on Privileges, Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) समिति तथा Committee on Provision of Computers to Members of the Rajya Sabha शामिल हैं. उन्होंने कुछ विशेष उद्देश्य वाली समितियों का भी नेतृत्व किया, जिनमें Rajya Sabha Television की Content Advisory Committee तथा राजभाषा क्षेत्रीय भाषा शब्दावली समिति शामिल हैं. इसके साथ ही, वे संसद भवन परिसर के विरासत स्वरूप के संरक्षण एवं विकास से संबंधित संयुक्त समिति (Joint Committee on Maintenance of Heritage Character and Development of the Parliament House Complex) के सदस्य भी रहे.

हरिवंश ने लगभग सभी संबद्ध समिति की बैठकों में भाग लिया. एकमात्र अपवाद Business Advisory Committee रही, जिसकी संबंधित अवधि में आयोजित 74 बैठकों में से उन्होंने 69 बैठकों में सहभागिता की.

उनकी अध्यक्षता में दो प्रमुख समितियों—Committee on Privileges तथा Committee on MPLADS—द्वारा उल्लेखनीय काम हुए. इन दोनों समितियों ने संस्थागत तथा सार्वजनिक महत्व के विषयों से संबंधित मामलों पर विचार किया.

राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति

- श्री हरिवंश, उपसभापति, राज्य सभा की अध्यक्षता में अब तक विशेषाधिकार समिति की कुल 16 रिपोर्टें प्रस्तुत की जा चुकी हैं.
- विशेषाधिकार समिति, राज्य सभा ने अपनी 75वीं रिपोर्ट में पहली बार विशेषाधिकार उल्लंघन या सदन की अवमानना के दोषी पाए गए सदस्यों द्वारा दी जाने वाली क्षमा-याचना से संबंधित कुछ अनिवार्य विशेषताओं की अनुशंसा की.
- वर्ष 2023 में, विशेषाधिकार समिति, राज्य सभा ने विचाराधीन मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु वर्ष में रिकॉर्ड 22 बैठकें आयोजित कीं.
- विशेषाधिकार समिति, राज्य सभा ने अपनी 74वीं रिपोर्ट में पहली बार ऐसे मामले पर विचार किया, जिसमें सदन की कार्यवाही की कथित वीडियोग्राफी किए जाने तथा एक सदस्य द्वारा उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने से संबंधित विशेषाधिकार उल्लंघन का प्रश्न शामिल था.

MPLADS समिति, राज्य सभा

हरिवंश 21 अगस्त, 2018 से Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) समिति के अध्यक्ष रहे और

Year	Date	Total No. of Meetings	Witness
2018	11/09/2018	1	Officials from the Ministry of Statistics & Programme Implementation were present in the meetings.
2019	22/02/2019 12/07/2019 05/09/2019	3	
2020	03/01/2020 14/12/2020	2	
2021	12/11/2021	1	
2022	08/06/2022	1	
2023	13/04/2023 06/10/2023	2	
2024	20/03/2024 16/04/2024	2	
2025	13/01/2025 26/05/2025	2	

2020 में उपसभापति के रूप में पुनः निर्वाचित होने के पश्चात् भी उन्होंने इस समिति की अध्यक्षता जारी रखी.

- MPLADS समिति द्वारा 14 नवंबर से 20 नवंबर, 2018 के दौरान कोलकाता, इम्फाल और गुवाहाटी की एक अध्ययन यात्रा की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल तथा सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों में लंबित एमपीएलएडीएस कार्यों की समीक्षा संबंधित संसद सदस्यों एवं उन राज्यों के अधिकारियों के साथ की गई.
- 11 सितंबर, 2018 को आयोजित बैठक में MPLADS के अंतर्गत आपदा-प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यों को करने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया. कामों की सूची के लिए समिति की स्वीकृति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया.
- समिति के साथ समुचित विचार-विमर्श के उपरांत वर्ष 2023 में Ministry of Statistics and Programme Implementation द्वारा नई दिशा निर्देश जारी किए गए.
- समिति की बार-बार की गई अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप, जिनमें राज्य सभा के पूर्व सदस्य जे. पी. एन. सिंह का प्रकरण भी शामिल है, नए दिशा निर्देशों में दोषी अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की गई.
- समिति की निरंतर अनुशंसाओं के आधार पर e-SHAKSHI पोर्टल तथा नई फंड-फ्लो प्रणाली की शुरुआत कर योजना में पारदर्शिता को और अधिक सुदृढ़ किया गया.
- समिति के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् एक मोबाइल ऐप (MPLADS-eSAKSHI) तथा e-SHAKSHI पोर्टल का निर्माण किया गया.
- संसदीय सत्रों के दौरान संसद सदस्यों तथा उनके पीए/पीएस की MPLADS योजना से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान हेतु कियोस्क/हेल्पडेस्क स्थापित करने की परंपरा वर्ष 2024 से लागू है.

उल्लेखनीय है कि उनके नेतृत्व में समिति का उद्देश्य योजना के क्रियान्वयन में अंतर्निहित सभी बाधाओं और कमियों को दूर करना रहा, ताकि नई दिशा निर्देशों के निर्गमन व नयी तकनीक तथा नयी प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके.

'आधिकारिक भाषा–क्षेत्रीय भाषा पारिभाषिक शब्दावली समिति' में काम

माननीय राज्य सभा सभापति एम. वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में राज्य सभा सचिवालय की हिंदी सलाहकार समिति की सातवीं एवं आठवीं बैठकें क्रमशः 27.12.2018 और 03.10.2019 को आयोजित की गई. इन बैठकों तथा आधिकारिक भाषा कार्यान्वयन समिति की 29वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में, माननीय राज्य सभा सभापति ने 8 मार्च 2021 को राज्य सभा के उपसभापति की अध्यक्षता में एक 'आधिकारिक भाषा–क्षेत्रीय भाषा पारिभाषिक शब्दावली समिति' का गठन किया. इस समिति को राज्य सभा सचिवालय में सचिवालयी उपयोग के लिए लगभग 500–700 सरल शब्दों वाली एक शब्दकोश/पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने का दायित्व सौंपा गया, जिसमें सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचलित शब्दों को सम्मिलित किया जाना था.

उपसभापति हरिवंश के नेतृत्व में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट 20 जनवरी, 2022 को माननीय राज्य सभा सभापति एम. वेंकैया नायडू को प्रस्तुत की.

समिति की प्रमुख अनुशंसाएं:

(i) समिति ने अनुशंसा की कि सदन में सदस्यों द्वारा हिंदी में दिए गए भाषणों में प्रयुक्त अंग्रेज़ी शब्दों को संसदीय बहसों के हिंदी संस्करण (आधिकारिक रिपोर्ट) में केवल देवनागरी लिपि में लिप्यांतरित (transliterate) किया जाए, न कि उनका हिंदी अनुवाद किया जाए. उनके हिंदी समतुल्य शब्द को कोष्ठकों में दिया जा सकता है.

(ii) समिति ने यह भी अनुशंसा की कि संसदीय प्रतिवेदनों, संसदीय बहसों की आधिकारिक रिपोर्टों तथा अन्य संसदीय दस्तावेज़ों के हिंदी अनुवाद में प्रयुक्त कठिन मुख्य शब्दों के लिए उनके समांतर अंग्रेज़ी शब्दों को भी देवनागरी लिपि में लिप्यांतरित कर कोष्ठकों में दिया जाए.

(iii) समिति ने आगे यह अनुशंसा की कि समिति द्वारा सुझाए गए पर्यायवाची शब्दों का यथासंभव उपयोग राज्य सभा सचिवालय के सभी दस्तावेज़ों के अनुवाद में किया जाए.

संसदीय सक्रियता
उपसभापति के रूप में संसदीय दायित्व एवं सहभागिता (भारत में)



संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में (वर्ष 2024)

आधिकारिक दायित्वों के अंतर्गत राज्य सभा के उपसभापति भारत में कई प्रमुख संसदीय सम्मेलनों में निकटता से संलग्न रहते हैं. इनमें All India Presiding Officers Conference (AIPOC) तथा Commonwealth Parliamentary Association India Region के कार्यक्रम प्रमुख हैं. इसके अतिरिक्त, वे नई दिल्ली में आयोजित विभिन्न संसदीय कार्यक्रमों तथा देश के विभिन्न भागों में संसदीय समितियों द्वारा आयोजित अनेक स्मरणोत्सव एवं विशेष आयोजनों का भी हिस्सा रहे हैं. ये सम्मेलन Presiding Officers के लिए विधायी संस्थानों की कार्यप्रणाली पर विचार-विमर्श करने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने के विभिन्न उपायों की पहचान करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं.

संसदीय कार्यप्रणाली से संबंधित अपने संबोधनों में उन्होंने Presiding Officers के समक्ष उपस्थित चुनौतियों—जैसे सदन में व्यवधानों से निपटना, समितियों के कार्य को अधिक प्रभावी बनाना, भविष्य की नीति आवश्यकताओं की तैयारी में विधायिकाओं की भूमिका, बजट की गहन समीक्षा में सुधार—आदि विषयों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है. अपने विभिन्न भाषणों और सहभागिताओं के माध्यम से हरिवंश ने 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप विधायी संस्थानों के निर्माण हेतु एक प्रगतिशील और दूरदर्शी दृष्टिकोण पर निरंतर बल दिया है.

उनके कार्यकाल की एक प्रमुख विशेषता Commonwealth Parliamentary Association Zone—3 के अंतर्गत आयोजित सम्मेलनों के माध्यम से उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ निरंतर और सघन संवाद रहा है. उपसभापति ने इस मंच का उपयोग क्षेत्र के आधारभूत ढांचे और आर्थिक संभावनाओं में सुधार के लिए केंद्र सरकार के बढ़ते फोकस पर विचार-विमर्श करने तथा उसे रेखांकित करने के लिए किया. इसके साथ ही, स्थानीय नीतिगत चुनौतियों और आकांक्षाओं के समाधान हेतु समन्वित क्षेत्रीय दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया.

इन दौरों के दौरान उन्होंने स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय संवाद किया, प्रत्येक राज्य की विविध सांस्कृतिक परंपराओं को निकट से समझा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने में स्थानीय कारीगरों की भूमिका को प्रोत्साहित किया.

अपने विभिन्न संवादों और सहभागिताओं के माध्यम से उपसभापति ने विधायिका की छवि को सुदृढ़ करने के लिए नये—नवाचारी रास्ते और विचारों को निरंतर प्रस्तुत किया है. उनके संबोधनों का एक व्यापक और प्रमुख विषय वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य-नेतृत्वित विकास (state-led develop-ment) पर विशेष बल रहा है. उन्होंने Presiding Officers से आग्रह किया है कि विधायिकाएं उन सेवाओं की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करें, जो स्पष्ट रूप से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जैसे—स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि सुधार तथा शहरी शासन. प्रौद्योगिकी के प्रभाव को रेखांकित करते हुए उन्होंने संस्थागत कार्यकुशलता बढ़ाने के विभिन्न उपायों पर प्रकाश डाला है.

अपने संवादों में वे प्रायः Artificial Intelligence की भूमिका तथा उसे विधायी संस्थानों में अपनाने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार रखते हैं. संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए उन्होंने AI के विकास और उपयोग के लिए hybrid approach अपनाने का आह्वान किया है, जिसमें human oversight को उसके अनुप्रयोग का एक अभिन्न अंग बनाया जाए.



2025 में, Commonwealth Parliamentary Association (सीपीए) इंडिया ज़ोन 3 सम्मेलन के दौरान, Nagaland में.

राष्ट्रीय सम्मेलनों में सहभागिता
(AIPOC, CPA India, CPA India Regional)

All India Presiding Officers' Conference (AIPOC)

S.No.	Conference	Venue	Date	Speeches
1	79th AIPOC	Dehradun, Uttarakhand	18-19 Dec, 2019	2
2	80th AIPOC	Kevadiya Gujarat	25 Nov, 2020	2
3	81st AIPOC	New Delhi (Online)	15 Sep, 2021	1
4	82nd AIPOC	Shimla, Himachal Pradesh	17-18 Nov, 2021	3
5	83rd AIPOC	Jaipur, Rajasthan	11-12 Jan, 2023	3
6	84th AIPOC	Mumbai, Maharashtra	27-28 Jan, 2024	2
7	85th AIPOC	Patna, Bihar	20-21 Jan, 2025	2
8	86th AIPOC	Lucknow, Uttar Pradesh	19-21 Jan, 2026	3

Commonwealth Parliamentary Association (CPA) India Region Zonal Conference

S.No.	Conference	Venue	Date	Speeches
1	18th CPA Zone III	Itanagar, Arunchal Pradesh	12-13 May, 2022	3
2	19th CPA Zone III	Gangtok, Sikkim	23-24 Feb, 2023	3
3	20th CPA Zone III	Shillong, Meghalaya	29-30 Jul, 2023	2
4	21st CPA Zone III	Aizawl, Mizoram	27-28 Sep, 2024	2
5	22nd CPA Zone III	Kohima, Nagaland	10-11 Nov, 2025	3
6	Annual conference of CPA Zone II	Dharamshala, Himachal Pradesh	30 Jun-1 Jul, 2025	4
7.	Young Legislators' Conference of CPA Zone 6	Bhopal, Madhya Pradesh	30-31 Mar, 2026	1
8.	1st Conference of CPA Zone 7	Panaji, Goa	9 April, 2026	2

Commonwealth Parliamentary Association (CPA) India Region Conference

S.No.	Conference	Venue	Date	Speeches
1	7th CPA India	Lucknow, Uttar Pradesh	16-17 Jan, 2020	1
2	8th CPA India	Guwahati, Assam	11-12 Apr, 2022	2
3	9th CPA India	Udaipur, Rajasthan	21-22 Aug, 2023	2
4	10th CPA India	New Delhi	23-24 Sep, 2024	1
5	11th CPA India	Bengaluru, Karnataka	11-12 Sep, 2025	2

संसदीय दायित्वों के अंतर्गत, बतौर उपसभापति, हरिवंश ने 21 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों का भ्रमण किया है.

स्मृति आयोजन

संसद परिसर में महापुरूषों, स्वतंत्रता सेनानियों, यशस्वी दिवंगत नेताओं,पूर्व प्रधानमंत्रियों तथा सामाजिक सुधारकों की जयंती/ पुण्य तिथि के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करने का एक निर्धारित वार्षिक कैलेंडर होता है. इन महान व्यक्तित्वों को संसद परिसर के विभिन्न स्थलों पर स्मरण किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है. इन महापुरूषों की स्मृतियों को अनेक की तैलचित्रों के माध्यम से संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में प्रतिष्ठापना की गई है. इसके अतिरिक्त, भारतीय इतिहास को दिशा देने वाले कई अन्य लोकप्रिय व्यक्तित्वों को संसद परिसर के प्रांगण में स्थापित प्रतिमाओं के माध्यम से भी सम्मानित किया गया है. समग्र रूप से जयंती के अवसरों पर 37 पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा इसके अतिरिक्त वर्ष भर अन्य विशेष कार्यक्रम भी संपन्न होते रहते हैं. वर्ष 2014 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित होने के पश्चात् हरिवंश ने इन सभी कार्यक्रमों में नियमित रूप से सहभागिता करने की परंपरा को निरंतर बनाए रखा है.



15 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी,समाज सुधारक, आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया.





लोकसभा के पहले अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर पुष्पांजलि.



संविधान सदन में पुष्पांजलि कार्यक्रम.



2001 में संसद पर हुए हमले की बरसी पर शहीद सुरक्षाकर्मियों की शहादत को श्रद्धांजलि देते हुए.



देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की जन्म जयंती पर श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू के साथ पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद.

प्रौद्योगिकी के संग-साथ : राज्य सभा इंटर्न्स के साथ संवाद

राज्य सभा के उपसभापति के रूप में हरिवंश देश भर में विभिन्न वर्गों के श्रोताओं को संबोधित करते रहे हैं. सामान्यतः उनसे संसद, राजनीति तथा पत्रकार के रूप में उनके पूर्व अनुभवों पर विचार साझा करने की अपेक्षा की जाती है, किंतु उन्होंने विशेष रूप से छात्रों के साथ संवाद के लिए नए विषयों को विकसित करने का अवसर भी सृजित किया है. ऐसा ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रौद्योगिकी का विकास और उसका प्रभाव है. आज का युवा भारत नये गैजेट्स और आनलाइन ट्रेंड्स से भली-भांति परिचित है. बावजूद इसके, भारत की विकास-यात्रा तथा प्रौद्योगिकी में प्रगति लाने में देश की innovation क्षमता और human resources की भूमिका के संदर्भ में अभी उस अपेक्षा के अनुरूप नहीं है. इसी विषय को केंद्र में रखकर 'Adapting in the Age of Technology' पर यह व्याख्यान, Rajya Sabha Internship Programmes के अंतर्गत छात्रों एवं प्रारंभिक करियर के पेशेवरों के साथ किए जाने वाले संवाद का हिस्सा रहा है. इस संवाद में भारत में प्रौद्योगिकी के क्रमिक विकास, विश्व भर के नवप्रवर्तकों की प्रेरक कथाएं, 1960 के दशक से प्रौद्योगिकी में आए परिवर्तनों के साक्षी के रूप में उपसभापति के व्यक्तिगत अनुभव, तथा भविष्य की दिशा के लिए प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण पाठों को समग्र रूप से प्रस्तुत किया गया.

इस संवाद के माध्यम से भारत के विकास में प्रौद्योगिकी के प्रभाव की एक स्पष्ट झलक प्रस्तुत हुई. हरिवंश ने अपने संबोधन से युवाओं को भारत के भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित किया. प्रौद्योगिकी की भूमिका के साथ-साथ इस व्याख्यान में उससे जुड़े समसामयिक विषयों पर भी प्रकाश डाला गया, जैसे—AI के युग में skilling का महत्व, देश के विकास के विभिन्न चरणों में रोजगार की प्रकृति में आए परिवर्तन, आदि. हरिवंश ने छात्रों को आगाह किया कि बेशक AI उत्पादकता बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है, किंतु अपने learning और critical thinking skills को पूर्णतः प्रौद्योगिकी के हवाले नहीं किया जाना चाहिए. प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास को केंद्र में रखते हुए, हरिवंश ने सदैव 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालने के लिए inter-disciplinary learning को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया है. अपने व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़े रोचक प्रसंगों और कथाओं के माध्यम से उन्होंने छात्रों को पिछले 75 वर्षों में भारत के उत्थान की झलक दिखाई तथा आने वाले वर्षों में युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों की ओर संकेत किया. अपने सभी व्याख्यानों में उन्होंने वर्ष 1970 में प्रकाशित एल्विन टॉफलर की पुस्तक Future Shock में निहित इस quote पर विशेष रूप से जोर दिया है.



2025 में राज्य सभा इंटर्न्स के साथ



'21वीं सदी के निरक्षर वे नहीं होंगे, जो पढ़ और लिख नहीं सकते, बल्कि वे होंगे, जो नई बदली चीजें सीख नहीं सकते, और पुरानी व अप्रासांगिक बातों को भूल नहीं सकते और नये हो रहे बदलावों को फिर से सीख नहीं सकते.'

अमेरिकी लेखक और भविष्यवेत्ता एलविन टॉफलर की चर्चित पुस्तक Future Shock (1970) से लिया गया उद्धरण.

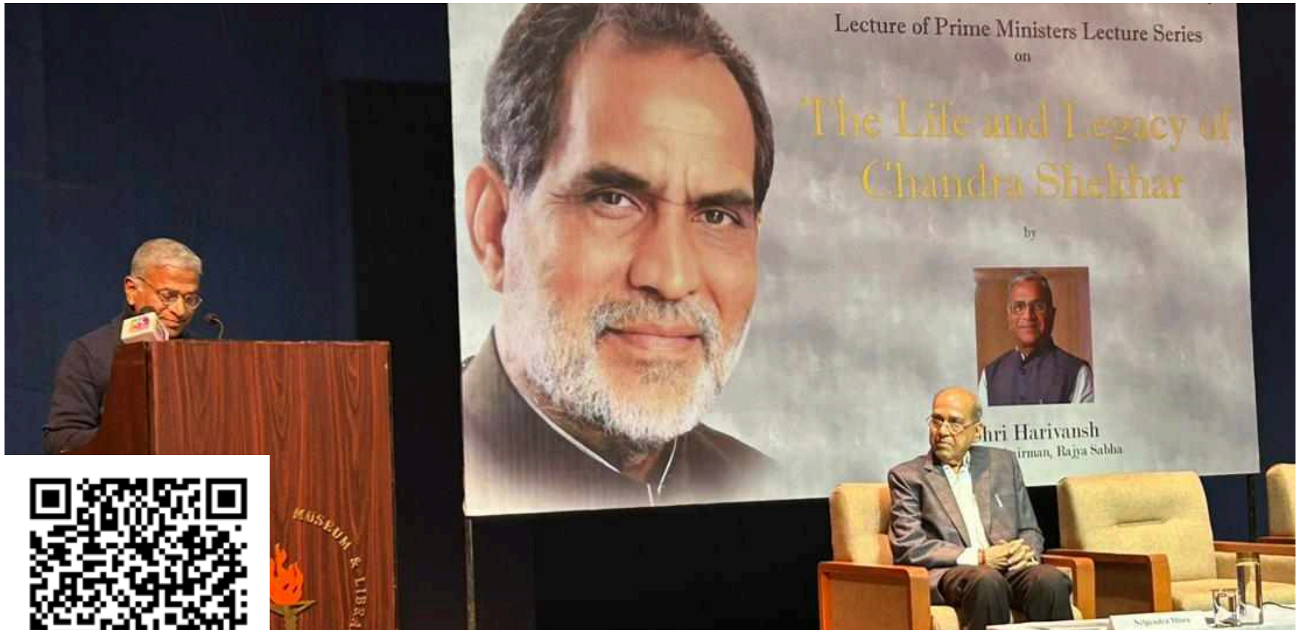
मेमोरियल लेक्चर (स्मृति व्याख्यान)

करीब चार दशकों तक पत्रकारिता में सक्रिय रहे हरिवंश को बतौर वक्ता, अलग—अलग विषयों पर बोलने के लिए देश के कोने—कोने से बुलाया जाता है. पत्रकारिता के दिनों में भी संवाद के लिए उन्हें आमंत्रण मिलते थे. संवाद या व्याख्यान के लिए जाने के पहले पूरी तैयारी के साथ जाना, लंबे समय से अभ्यास में शामिल है. इस बाबत हरिवंश कहते हैं कि उन्होंने जयप्रकाश जी और चंद्रशेखर जी जैसे शीर्ष नेताओं को करीब से देखा था कि वे किसी विषय पर पूरी तैयारी के साथ, अपने तर्कों से ज्यादा तथ्यों पर जोर देते थे. हरिवंश भी अपने व्याख्यान या संवाद में इस परंपरा का अनुसरण करने की पूरी कोशिश करते हैं और इसका पालन भी करते हैं.

जिस तरह से पत्रकारिता लेखन में लंबे आलेख लिखना, हरिवंश की पहचान रही, उसी तरह संवाद में भी देर तक संवाद करना उन्हें प्रिय रहा है. उन्हें जब मेमोरियल लेक्चर में आमंत्रित किया गया, तो वे इसी तैयारी से गये. पिछले 12 वर्षों निजी स्तर पर हुए कुछ चुनिंदा मेमोरियल लेक्चर के साथ देश के प्रतिष्ठित मेमोरियल लेक्चर दिये.इनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल लेक्चर, नानाजी देशमुख मेमोरियल लेक्चर, जयप्रकाश नारायण मेमोरियल लेक्चर, शेष नारायण सिंह ममोरियल लेक्चर, रामचंद्र खान मेमोरियल लेक्चर, केएन सहाय मेमोरियल लेक्चर आदि प्रमुख रहें. पर, यहां इनसे इतर दो मेमोरियल लेक्चर की चर्चा संक्षेप में की जा रही है,जिनमें एक प्रधानमंत्री मेमोरियल लेक्चर और दूसरा डॉ राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर है.

प्रधानमंत्री व्याख्यान श्रृंखला: चंद्रशेखर का जीवन और विरासत

दिसंबर 2023 में हरिवंश ने नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री व्याख्यान श्रृंखला के पांचवें संस्करण में व्याख्यान दिया. पूर्व प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सूचना सलाहकार के रूप में उनके अनुभव तथा उसी जनपद—बलिया—से होने के कारण, उन्होंने चंद्रशेखर के संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान लिए गए उन साहसिक निर्णयों पर सूक्ष्म और तथ्यपरक दृष्टि प्रस्तुत की, जिनसे देश को दिवालियापन की स्थिति में फिसलने से रोका गया. इस व्याख्यान में चंद्रशेखर के निजी जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों को भी रेखांकित किया गया, जो उनकी गहरी वैचारिक जड़ों तथा साधारण पृष्ठभूमि से देश का नेतृत्व करने तक की यात्रा को उजागर करते हैं. हरिवंश द्वारा लिखित पुस्तक Chandra Shekhar: The Last Icon of Ideological Politics वर्ष 2019 में प्रकाशित हुई.



पूरा व्याख्यान सुनने के लिए क्यू आर कोड स्कैन करें.

प्रधानमंत्री व्याख्यान श्रृंखला में हरिवंश ने चंद्रशेखर के बारे में विभिन्न किस्से साझा किए, जिनमें सार्वजनिक जीवन में मूल्यों और विश्वास की भूमिका को रेखांकित किया गया.

डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान

नवंबर 2024 में हरिवंश ने प्रसार भारती द्वारा 1969 से प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही प्रतिष्ठित डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान दी. व्याख्यान के प्रारंभिक भाग में उन्होंने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद से जुड़े अनेक अल्पज्ञात तथ्यों और प्रसंगों को सामने रखा. व्याख्यान का मुख्य विषय वैश्विक व्यवस्था में भारत की उभरती भूमिका पर केंद्रित था. इसमें स्वतंत्रता के पश्चात देश के समक्ष आई विभिन्न चुनौतियों तथा अर्थव्यवस्था के क्रमिक विकास का विवेचन किया गया. साथ ही, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक के दौरान हुए ऐसे उदाहरणों का उल्लेख किया गया, जिन्होंने भारत के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण को बदला और उल्लेखनीय आर्थिक परिवर्तन को रेखांकित किया.



पूरा व्याख्यान सुनने के लिए क्यू आर कोड स्कैन करें.

संसदीय कूटनीति: विदेश

राज्य सभा में अपने कार्यकाल के दौरान—पहले संसद सदस्य के रूप में और बाद में राज्य सभा के उपसभापति के रूप में, हरिवंश भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक संसदीय प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा रहे. उपसभापति, एक पीठासीन अधिकारी के रूप में या विभिन्न संसदीय सम्मेलनों में माननीय लोक सभा अध्यक्ष के साथ देश का प्रतिनिधित्व करते हैं. प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में Inter-Parliamentary Union की महासभा, Commonwealth Parliamentary Association, Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth तथा G20 देशों का संसदीय सम्मेलन P20 आदि प्रमुखता से शामिल हैं. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत, संसदीय कूटनीति के माध्यम से लोकतांत्रिक राष्ट्रों की आवाज़ को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. Inter-Parliamentary Union (IPU) की क्रमिक महासभाओं में हरिवंश ने बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने, शांति को आगे बढ़ाने तथा लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में संसदों की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया. उनके हस्तक्षेप और संवाद में निष्पक्ष एवं मुक्त व्यापार, वैश्विक कर सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और लोकतंत्र, तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने में विधायिकाओं की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे.



ब्राजिल में पी—20 सम्मेलन को संबोधित करते हुए.

ये सम्मेलन विभिन्न देशों की संसदों—जो अपने-अपने देशों में सर्वोच्च प्रतिनिधि नीति-निर्माण संस्थाएं हैं. इसके द्वारा वैश्विक परिस्थितियों और विश्व के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर अपनाए गए दृष्टिकोण को समझने का अवसर दिया जाता है. हाल के भू-राजनीतिक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में, ये मंच Global South की आकांक्षाओं और चुनौतियों पर संवाद का नेतृत्व करने के लिए भारत को एक प्रभावी माध्यम भी उपलब्ध कराते हैं.



2019 में भारतीय संसदीय दल की जापान यात्रा के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे के साथ.

दक्षिण एशियाई, यूरेशियाई तथा कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स मंचों पर उन्होंने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, युवा रोजगार, लैंगिक समानता तथा शांति के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया. साथ ही, उन्होंने यह रेखांकित किया कि Sustainable Development Goals (SDGs) जैसे वैश्विक प्रतिबद्धताओं को राष्ट्रीय कार्रवाइयों में रूपांतरित करने के लिए विधायी सहमति अत्यंत आवश्यक है.

Commonwealth Speakers and Presiding Officers Conference (CSPOC) की बैठकों में संसदीय नवाचार, साइबर एवं भौतिक सुरक्षा, सदस्यों और कर्मचारियों की क्षमता-वृद्धि, तथा संकट के समय—विशेषकर महामारी के दौरान और उसके बाद —Presiding Officers की विकसित होती भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया. BRICS Parliamentary Forum तथा P20 शिखर सम्मेलनों में, G—20 के अधीन, जलवायु न्याय, न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण, आपदा-रोधक क्षमता और प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग का समर्थन किया गया; साथ ही South–South cooperation और अफ्रीका के साथ साझेदारियों पर विशेष जोर दिया गया. इन सम्मेलनों के जलवायु-केंद्रित सत्रों में उन्होंने सतत जीवनशैली, नवीकरणीय ऊर्जा और समावेशी विकास पर भारत के नेतृत्व को पुनः सुदृढ़ रूप से रेखांकित किया.

सांसद के रूप में हरिवंश ने United Nations General Assembly तथा Inter-Parliamentary Union की 131वीं सभा में भाग लिया.

उपसभापति के रूप में विदेशों में 12 प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में गए 14 प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य रहे.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसदीय सहभागिताओं की विस्तृत सूची परिशिष्ट में उपलब्ध है.

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में सहभागिता के अतिरिक्त, भारतीय संसद भारत की यात्रा पर आने वाले विभिन्न देशों के Presiding Officers के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित करती है. इसके साथ ही, अनेक देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह (Parliamentary Friendship Groups) स्थापित हैं, जिनका उद्देश्य संबंधित देशों के विधायकों के बीच अधिक सशक्त, निरंतर और सार्थक संवाद को प्रोत्साहित करना है.



वैटिकन सिटी में पोप लियो IV के उद्घाटन समारोह में भारत का शांति और सद्भाव का संदेश देते हुए



ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स की उपाध्यक्ष नुसरत गनी के साथ भारतीय संसद में प्रौद्योगिकी (एआई) अपनाने पर संवाद.



2024 में हरिवंश ने हंगरी की द्विपक्षीय यात्रा के लिए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया.



भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से पहले यूरोपीय संघ के संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ

संसद टीवी से बातचीत





15 मार्च 2015 को तत्कालीन राज्यसभा टीवी पर हरिवंश का प्रारंभिक साक्षात्कारों में से एक.

संसद सदस्य तथा राज्य सभा के उपसभापति के रूप में हरिवंश ने संसद की समग्र कार्यप्रणाली, भारत की विकास आकांक्षाओं तथा विधायी संस्थानों को सुदृढ़ करने जैसे विषयों पर नियमित रूप से अपने विचार व्यक्त किए हैं. प्रमुख राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में नियमित लेखन के साथ-साथ, उन्होंने भारत में आयोजित पीठासीन अधिकारी सम्मेलनों के बाद अनेक साक्षात्कार दिए, जिनमें सम्मेलनों के प्रमुख बिंदुओं को सार रूप में प्रस्तुत किया. इससे विचार-विमर्श के लिए उठाए गए मुद्दों पर उनका विस्तृत दृष्टिकोण सामने आया. P20, Inter-Parliamentary Union, BRICS Parliamentary Summit सहित अन्य बहुपक्षीय मंचों पर उनके नेतृत्व में गए विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के परिणामों को भी नियमित रूप से साझा किया. इन साक्षात्कारों के माध्यम से दर्शकों को उपसभापति के रूप में किए जाने वाले कामों की सरल और स्पष्ट समझ प्राप्त हुई. विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के महत्व को रेखांकित किया गया. संसद से जुड़े विषयों के अतिरिक्त, पत्रकारिता में अपने लंबे अनुभव के आधार पर उन्होंने मीडिया की भूमिका पर व्यापक टिप्पणियाँ की हैं. पत्रकारिता पेशे के बदलते स्वरूप और प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर महत्वपूर्ण अवलोकन प्रस्तुत किए हैं.

2015 में तत्कालीन राज्य सभा टीवी (वर्तमान में संसद टीवी) को दिए गए अपने प्रारंभिक साक्षात्कारों में से एक में उन्होंने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और अनुशासन के महत्व से जुड़े अनेक संस्मरण साझा किए.

इसी प्रकार, सितंबर 2019 में प्रसारित उनका विस्तृत साक्षात्कार 'गुफ़्तुगू' शीर्षक से उनके जीवन-यात्रा पर केंद्रित रहा, जिसमें सिताबदियारा के एक छोटे से द्वीपीय गाँव से पत्रकारिता और अंततः संसद तक की उनकी यात्रा का वर्णन है. यह उन विरल साक्षात्कारों में से एक है, जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला. वर्ष 2025 में भारतीय संसद द्वारा भारतीय साहित्य, संस्कृति, सिनेमा और खेल जैसे विषयों पर सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्तियों को आमंत्रित करने हेतु साहित्यिक सम्मेलन का एक विशिष्ट आयोजन किया गया. इन विमर्शों में भारत के एक राष्ट्र के रूप में विकास-क्रम तथा विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियों के निर्माण की प्रक्रिया को भी रेखांकित किया गया. हरिवंश इस प्रकार के एक विमर्श का हिस्सा रहे, जिसमें उन्होंने अपने आइडिया ऑफ इंडिया, साहित्य और पत्रकारिता के विकास पर विस्तार से विचार रखे, साथ ही समकालीन राजनीति पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं.

हरिवंश के संसद टीवी पर प्रसारित सभी साक्षात्कार यहाँ (QR code) देखे जा सकते हैं.

लोक के बीच, लोक की बात

सोशल मीडिया, मल्टी मीडिया और न्यू मीडिया के तमाम उभार के बावजूद हरिवंश निजी तौर पर यह बार—बार कहते हैं और मानते हैं कि तकनीकि की नयी प्रणाली और उसकी ताकत को हम नकार नहीं सकते, उसे जाने बिना आगे नहीं बढ़ सकते, पर प्रत्यक्ष और सीधे संवाद का विकल्प अभी तकनीकि के जरिये आनेवाले वीडियो नहीं. इसलिए सांसद बनने के बाद भी उन्होंने प्रत्यक्ष संवाद परंपरा को ही तरजीह दी. 12 सालों के संसदीय सफर में भी हरिवंश ने प्रत्यक्ष संवाद की परंपरा को इस कदर निभाने की कोशिश की कि इसके लिए वे सुदूर यात्राएं भी करते रहें. गांव—कस्बे से लेकर बड़े शहरों और संस्थानों में जाकर संवाद करते रहे. इन यात्राओं में सुदूरवर्ती गांव से लेकर बड़े शहरों तक शामिल रहा. 2014 में सांसद बनने के बाद से लेकर 21 फरवरी 2026 तक यानी इन 12 वर्षों में उन्होंने करीब 350 सार्वजनिक आयोजनों में बतौर वक्ता, मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की. ये गैर संसदीय और विदेश यात्राओं को छोड़कर, सार्वजनिक आयोजनों में सहभागिता की संख्या है. इन आयोजनों में विविधता रही. विषय के स्तर पर अलग—अलग आयाम रहें. विद्यार्थियों से संवाद के लिए गांव के स्कूल से लेकर देश के बड़े विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में गये, तो पत्रकारिता और साहित्य पर संवाद के लिए देश के अलग—अलग हिस्से में गये.



महाराष्ट्र के वर्धा —सेवाग्राम— में गांधी की कुटिया के बाहर.

हरिवंश ने आयोजनों में जाने की एक ही कसौटी तय की कि आयोजन या विषय की सार्थकता कितनी है. इस बात की परवाह किये बिना कि आयोजन की भव्यता कितनी है या फिर उसकी विशालता या सफलता कितनी होगी? इसलिए अनेक ऐसे लेखक, जो वर्षों से लेखन करते रहे, अच्छे और सार्थक विषय पर लेखन करते रहे, उनकी किताबों के लोकार्पण में, छोटे—छोटे स्कूली आयोजनों में, अनाथालयों में, दिव्यांग और नि:शक्त बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाकर भी हरिवंश उनसे संवाद करते रहे हैं. जब गांधीजी की 150वीं जयंती का वर्ष आया, तो हरिवंश ने देश के अनेक संस्थानों में युवाओं से गांधी की प्रासंगिकता पर संवाद किये. फिर आजादी का अमृत वर्ष आया, तो 'भावी भारत' विषय पर अनेक संस्थानों में संवाद किये. इन व्याख्यानों में देश के चर्चित मेमोरियल लेक्चर, प्रतिष्ठित लिटरेचर फेस्टिवल में संवाद, दीक्षांत भाषण से लेकर मीडिया संस्थानों व प्रेस क्लबों के आयोजन भी शामिल हैं. 2018 से 2025 के आयोजनों को देखें, तो मोटे तौर पर युवाओं के विषय पर 35, साहित्य से संबंधित 22 और पत्रकारिता-मीडिया से जुड़े 15 से अधिक आयोजनों में व्याख्यान दिए.



संसदीय जिम्मेदारियों के साथ-साथ, सार्वजनिक आयोजनों के सिलसिले में हरिवंश प्राथमिकता के तौर पर शैक्षणिक संस्थानों में भाषण देने, युवाओं से संवाद करने में रुचि रखते हैं.

इस तरह अलग—अलग विशेष विषयों पर एक से अधिक व्याख्यान देश के अलग—अलग हिस्से में जाकर किये. हरिवंश कहते हैं कि प्रत्यक्ष संवाद, परस्पर संवाद को बढ़ाता है. परस्पर संवाद से निकली बातें दूर तक जाती हैं.

Year-wise Participation in Public Events

As Member of Parliament

2014	13	2016	12
2015	06	2017	06

After Becoming Deputy Chairman

2018	21	2022	44
2019	56	2023	51
2020	11	2024	50
2021	23	2025	41
		2026*	21

* Upto February 2026

आधिकारिक संसदीय दायित्वों के अतिरिक्त भारत में आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता की विस्तृत सूची के लिए कृपया क्यूआर कोड स्कैन करें.

सरोकार के आयाम

संसदीय जीवन में आने के बाद हरिवंश ने पिछले 12 सालों में अनेक आयोजनों में सहभागिता की. अंतरराष्ट्रीय—राष्ट्रीय स्तर के आयोजन. पर, इस दौरान ही बिना किसी मीडियाई प्रचार के, बिना किसी शोर के वैसी जगहों पर, वैसे आयोजनों में भी जाते रहे, जिनसे उनका गहरा सरोकार पत्रकारिता के दिनों से ही रहा है. ये आयोजन थे, हाशिये के समाज से, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों व वंचित समुदाय के बच्चों व किशोरों से संवाद करना.

हरिवंश 2018 में उपसभापति बने. उसके अगले साह गणतंत्र दिवस का लोकतांत्रिक पर्व आया, तो उन्होंने रांची के एक छोटे से, अचर्चित अनाथाश्रम में झंडोतोलन का निर्णय लिया. आंचल शिशु आश्रम नाम से यह अनाथालय रांची शहर के बीचों—बीच अवस्थित है. 26 जनवरी 2019 को इसी आश्रम के बच्चों के साथ हरिवंश ने झंडोतोलन किया. उन बच्चों के बीच घंटों रहकर संवाद किया.

इसी तरह बिहार के सिवान जिले के पंजवार गांव में (१८ अप्रैल २०२३) पहुंचे. यह अनूठा गांव है. यहां कर्मयोगी घनश्याम शुक्ल के प्रयास से पठन—पाठन से लेकर खेलकूद, सांस्कृतिक उत्सव होते हैं.इस गांव में हरिवंश, खेलकूद में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही बच्चियों से संवाद करने पहुंचे. बच्चों का मनोबल बढ़ाया. इसी तरह हरिवंश बिहार के औरंगाबाद जिले के महथु गांव में गये. इस गांव में सीतानवमी का आयोजन शुरू हुआ था. इस मकसद के साथ कि बिहार में सीताजी का जन्म—जन्मोत्सव मनाने की शुरुआत हो और इस बहाने लड़कियों के जन्मोत्सव का भी माहौल गांव—गांव तक बने. इस आयोजन में भाग लेने हरिवंश मई की तपती गर्मी में (२०२३ में) पहुंचे. रांची से लंबी सड़क यात्रा तय कर.गांव—समाज की बच्चियों को प्रेरित किया. संदेश दिया कि बच्चियों के जन्म—जन्मोत्सव को भी समाज उसी उत्साह से मनाये, जिस तरह लड़कों के जन्म पर उत्साह दिखाया जाता है. २४ अक्तूबर २०२५ को हरिवंश ने रांची के भारत सेवाश्रम संघ में चलनेवाले आदिवासी बच्चों के छात्रावास में पहुंचे. उनसे घंटों संवाद किया. ऐसे आयोजनों में समय—समय पर हरिवंश खुद ही पहल कर जाते रहे.



वर्ष 2025 में रांची स्थित बिरसा मुंडा छात्रावास के युवाओं के साथ संवाद

युवाओं के बीच : शैक्षणिक संस्थानों में संवाद

संसदीय जीवन में आने से पहले, बतौर पत्रकार व संपादक भी हरिवंश की रुचि शैक्षणिक संस्थानों में जाकर छात्र—छात्राओं से संवाद करने में रही. सांसद बनने के बाद उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों के आयोजनों को प्राथमिकता में रखा. स्कूल—कॉलेज या विश्वविद्यालयों के आयोजनों में सहभागी बनने या युवाओं से संवाद करने में व्यक्तिगत रुचि की वजह से हरिवंश ने सिर्फ बड़े शहरों के आयोजनों या गतिविधियों में सहभागिता नहीं की, बल्कि कई ऐसे मौके आये, जब युवाओं से संवाद करने लंबी सड़क यात्रा कर सुदूरवर्ती इलाके में भी गये. सांसद बनने के बाद आरा के प्रतिष्ठित एचडी जैन कॉलेज में हरिवंश ने शिक्षा के भविष्य और शिक्षा से भविष्य विषय को केंद्र में रखकर, व्याख्यान दिये, जिसकी चर्चा बिहार के शिक्षा जगत में चहुंओर हुई. इसी तरह झारखंड के प्रतिष्ठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में इनके व्याख्यान को प्रकाशित कर छात्रों के बीच बंटवाया गया. बिहार के कैमूर के चांद जैसे सुदूर इलाके में स्कूली छात्र—छात्राओं से संवाद करने गये, तो दूसरी ओर बिहार के ही सिवान जिले के पंजवार गांव में छात्राओं से संवाद करने पहुंचे. ये कुछ बानगी हैं. बड़े विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों में तो नियमित जाते रहे. इन संस्थानों में आइआइटी जैसे श्रेष्ठ तकनीकि संस्थान, आइआइएम जैसे श्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान से लेकर राज्यों के विश्वविद्यालय भी शामिल रहे.

शैक्षणिक संस्थानों में सभी कार्यक्रमों की पूरी सूची देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

2018 से 2025 के बीच 55 स्कूल,कालेज,विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में हरिवंश ने व्याख्यान दिए.युवाओं से संवाद हुआ. इनमें दीक्षांत भाषण से लेकर अन्य विषय शामिल रहें.



गोरखपुर यात्रा के दौरान छात्रों से संवाद.

लिटरेच फेस्टिवल, पत्रकारिता व साहित्य के आयोजनों में

अकादमिक तौर पर हरिवंश कभी साहित्य के विद्यार्थी नहीं रहे.पर, साहित्य से लगाव और अनुराग किशोरावस्था से ही रहा.बचपन में सुने सूरदास के भ्रमर गीत, जोगियों के भरथरी गीत,रामचरितमानस की चौपाइयां आदि का असर रहा. जिस बलिया में उनका जन्म हुआ या बचपन से लेकर किशोरावस्था तक का समय बिता, वह साहित्य की उर्वर भूमि रही है. बाद में जिस शहर बनारस में हरिवंश की पढ़ाई—लिखाई हुई, वह तो सदियों से साहित्य और संस्कृति को आकार और विस्तार देनेवाली प्रसिद्ध धरती रही है. इन सबका असर भी हरिवंश के व्यक्तित्व पर पड़ा. इसलिए जब पढ़ाई के लिए अर्थशास्त्र विषय का चयन किये, तब भी साहित्य से उनका लगाव कमा नहीं, बल्कि बढ़ता ही गया. धारणा बनी कि साहित्य महज शब्दों का संकलन नहीं है. समाज और मानव मन को गढ़नेवाली ताकत है.

सामाजिक परिवर्तन को संचालित करने की शक्ति भी. हरिवंश इस कथन को हमेशा कहते हैं कि अपने समय के सामाजिक बदलाव में लेखक और कवि सिर्फ़ दर्शक नहीं होते, बल्कि 'Engineers of Human Soul' यानी मानवीय मन के इंजीनियर होते हैं. साहित्य के इस महत्व को समझने और इससे अनुराग रखनेवाले हरिवंश जब पत्रकारिता के बाद संसदीय जीवन में आये, तो भी इन्होंने साहित्य के आयोजनों को प्राथमिकता दी. देश भर में होनेवाले साहित्यिक आयोजनों में सहभागी बने. बड़े लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्य उत्सवों,पुस्तक मेलों से लेकर छोटे स्तर पर होनेवाले पुस्तक लोकार्पण समारोहों में भी वे उसी हुलस के साथ सहभागी बनते हैं. पिछले 12 वर्षों में सांसद रहते या फिर उपसभापति का दायित्व निभाते हुए, साहित्य के आयोजनों में सहभागी बनना प्राथमिकता में रखा. इन आयोजनों में आज तक समूह द्वारा आयोजित होनेवाले 'साहित्य आज तक' , टाटा स्टील समूह द्वारा रांची में आयोजित होनेवाले 'टाटा लिटरेचर फेस्टिवल', बनारस लिटरेचर फेस्टिवल, बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल, खजुराहो लिटरेचर फेस्टिवल, कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल, पटना पुस्तक मेला, देवघर पुस्तक मेला, राष्ट्रीय पुस्तक मेला, साहित्य अकादमी का अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव 'उन्मेष', जमशेदपुर साहित्य उत्सव, गोरखपुर लिटरेचर फेस्टिवल समेत दर्जनों प्रतिष्ठित आयोजन शामिल हैं.

साहित्य,पत्रकारिता आदि से जुड़े सभी आयोजनों की पूरी सूची देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें



2025 में दिल्ली में सांसद के रूप में श्रीमती सुधा मूर्ति की 50वीं पुस्तक के लोकार्पण समारोह में.

पत्र से पहल

सांसद कोटे से केंद्रीय विद्यालय में नामांकन का प्रावधान था. सांसदों की सिफारिश पर केंद्रीय विद्यालय, हर साल बच्चों का नामांकन लेता था. राज्यसभा सदस्य बनने के बाद श्री हरिवंश को भी यह विशेषाधिकार मिला कि वे सिफारिश पर केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का नामांकन करा सके. उन्होंने इस कोटे से अपरिचित लेकिन जरूरतमंदों के लिए सिफारिश की.इस विषय पर श्री हरिवंश ने एक कोशिश की, कि विशिष्टता खत्म हो. पत्र के जरिये मांग रखी. इस पत्र को श्री हरिवंश ने महामहिम उपराष्ट्रपति को भी भेजा. इसके साथ ही हर साल कोटे से जो एडमिशन की प्रक्रिया रही, उसमें भी हरिवंश ने इन बातों का ध्यान रखा कि एकदम जरूरतमंद को ही इसका लाभ मिले. श्री हरिवंश के कोटे से जिन बच्चों का नामांकन केंद्रीय विद्यालयों में हुआ, अलग—अलग वर्ग, अलग—अलग श्रेणी के, अलग स्थानों के लोग हैं. इनमें ज्यादातर जदयू पार्टी से ताल्लुक रखनेवाले कार्यकर्ताओं आदि के बच्चे हैं.कुछ पत्रकारों के भी. लेकिन साथ ही हरिवंश ने दूसरी पहल भी की. सांसदी के तीसरे साल यानी 2017 में श्री हरिवंश ने तत्कालीन केंद्रय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर को इस विषय पर एक पत्र लिखा. उस पत्र के जरिये श्री हरिवंश ने मानव संसाधन मंत्री से मांग की कि केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों के लिए तय एडमिशन कोटे को खत्म किया जाए. 17 जुलाई 2017 को इस विषय पर श्री हरिवंश ने माननीय मंत्री को जो पत्र लिखा, वह यह था.

17 जुलाई 2017

श्री प्रकाश जावड़ेकर
मानव संसाधन विकास मंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय: केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों के लिए तय एडमिशन कोटे को खत्म करने के संबंध में

आदरणीय जावड़ेकर जी,

पिछले तीन वर्षो से मैं राज्यसभा में हूं और निजी अनुभव के आधार पर यह पत्र लिख रहा हूं. पहले हर सांसद को केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला के लिए पांच छात्रों के नाम अनुशंसित करने की व्यवस्था थी. फिर आपकी सरकार ने इसे बढ़ाकर दस किया. मेरा निजी आग्रह है कि केंद्रीय विद्यालयों की संख्या या अन्य बेहतर सरकारी स्कूलों की संख्या इतनी बढ़े कि हम सांसदों के पास अभिभावकों/छात्रों को एडमिशन के लिए परेशान न होना पड़े. बहुत पहले टेलीफोन, गैस, स्कूटर वगैरह भी सांसदों के कोटे से प्राथमिकता के आधार पर आवंटित होने के प्रावधान थे. पर अब इन चीजों की उपलब्धता इतनी सहज—आसान हो गयी है कि किसी जरूरतमंद को इसके लिए अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ती. इसी तरह मेरा आग्रह है कि चल रहे स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए इन स्कूलों में क्लास रूम बनवा—बढ़वा कर या नये स्कूला बनवाकर देश में यह स्थिति बनानी चाहिए कि किसी अभिभावक या छात्र को को नामांकन के लिए कहीं भटकना ना पड़े. किसी सांसद या राजनेता के पास न आना पड़े. बेहतर शिक्षा तो मौलिक अधिकार है. इस अनुरोध के साथ मैं यह आग्रह करता हूं कि केंद्रीय विद्यालयों में सांसद कोटे से जो एडमिशन का प्रावधान है, उसे तुरंत खत्म किया जाए. साथ ही यह व्यवस्था सरकार द्वारा हो कि किसी छात्र या अभिभावक को एडमिशन के लिए भटकना न पड़े.

मूलत: सांसदों के पास इस तरह का कोई विशेषाधिकार (एडमिशन कराने या अन्य फेवर देने के) न हो, यह राजनीति को साफ—सुथरा विश्वसनीय बनाने के लिए भी जरूरी है. विश्वास है, आप इस दिशा में सार्थक पहल करेंगे.

सादर
हरिवंश

दो विरासत का मेल :
संन्यासी गांव से जेपी गांव तक

हरिवंश 2014 में संसद सदस्य बने. उसी साल माननीय प्रधानमंत्री ने एक नया आह्वान किया. सांसद आदर्श ग्राम योजना के रूप में. इसकी शुरुआत हुई, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती पर. तब, हरिवंश पहली बार सांसद बने थे. हरिवंश उसी गांव के वासी हैं, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का गांव है. यानी सिताबदियारा. पर, हरिवंश ने तय किया कि वे अपने गांव का चयन नहीं करेंगे. ऐसे गांव का चयन करेंगे, जिस गांव का ऐतिहासिक महत्व तो हो, पर उस गांव से इनका कोई रिश्ता—नाता नहीं हो. हरिवंश ने भवानी दयाल संन्यासी को पत्रकारिता के दिनों में जाना था. उनके बारे में पढ़ा था. उनके गांव की खोज की. बिहार के सासाराम संसदीय क्षेत्र (आरक्षित लोकसभा क्षेत्र) में आनेवाले तेंदुनी बहुआरा गांव का चयन हुआ. यही गांव स्वामी भवानी दयाल संन्यासी का गांव है. रोहतास जिले के करहगर प्रखंड में अवस्थित.

भवानी दयाल संन्यासी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे. आजादी की लड़ाई में प्रवासी भारतीयों के प्रतिनिधि स्वर. गांधी के अति प्रिय. उनके पिता जयराम सिंह भी गांधी के अति निकटस्थ, जिनकी चर्चा गांधी ने अपनी आत्मकथा में की है. भारत प्रवास के दौरान भवानी दयाल संन्यासी ने अपने गांव तेंदुनी बहुआरा में शिक्षा आदि के विकास के लिए अहम काम किये थे. पर, आजादी के बाद वह गांव उपेक्षित रह गया था. हरिवंश ने इस गांव का चयन किया. प्रसिद्ध संस्था 'स्वनीति' की टीम भेजकर पूरे इलाके का सर्वेक्षण कराया ताकि विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार हो सके. रिपोर्ट को आधार बनाकर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को पत्र लिखे. उस गांव में केंद्र सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्रालय के सौजन्य से नि:शक्त लोगों के लिए विशेष कैंप का आयोजन हुआ. उपकरणों का वितरण हुआ. कोविड का दौर था,इसलिए इस आयोजन में हरिवंश खुद नहीं पहुंच सके. आनलाइन माध्यम से ग्रामवासियों से संवाद हुआ. गांव में आंगनबाड़ी का निर्माण हुआ.गांव में बैंक कस्टमर सर्विस सेंटर के लिए पत्र लिखा गया.साथ ही स्कूल के निर्माण के लिए जिलाधिकारी से पत्राचार कर जमीन की पहचान और पैमाइश हुई. स्कूल निर्माण का काम होना अभी बाकी है.

हरिवंश का अपने गांव और जवार से जीवंत रिश्ता है. हर दो—तीन महीने पर उनका अपने गांव और क्षेत्र में जाना होता है. हरिवंश जब भी अपने इलाके में जाते, लोग उनसे आग्रह करते कि दियारा का यह क्षेत्र जेपी के जमाने से ही पिछड़ा है. जिस तरह से विकास के काम होने चाहिए थे, वह नहीं हो सके. हरिवंश खुद उस इलाके के हैं, तो उन्होंने दियारा इलाके की मुश्किलों को देखा है, जीया है.

इसके बाद हरिवंश ने जेपी के गांव सिताबदियारा के विकास के लिए काम शुरू किये. सिताबदियारा गांव दो राज्यों बिहार और उत्तरप्रदेश की सीमा पर अवस्थित है. 27 टोलों का गांव, जिसका दायरा बिहार—उत्तरप्रदेश के तीन जिले सारण,बलिया और भोजपुर में फैला हुआ है. इस गांव में जेपी रहते थे. उनकी स्मृति में पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर ट्रस्ट का निर्माण करवाया था. जेपी के रहते उनके गांव के लोग कहते थे कि आपके कहने से पूरे देश में काम होता है पर आप अपने गांव के लिए कुछ नहीं करते. जेपी का जवाब होता था कि हमारे लिए हिंदुस्तान के सभी गांव बराबर हैं. पर, अंतिम दिनों में जेपी चंद्रशेखर से कहा था कि वह उनके गांव को भी देखेंगे. चंद्रशेखर ने ट्रस्ट का निर्माण करवाकर अनेक कामों को पूरा किया. फिर भी दियारा के इलाके में बसा यह गांव कई पैमाने पर पिछड़ा ही रहा. उसे दूर करने के लिए हरिवंश ने अपने स्तर से प्रयास शुरू किया. जेपी के नाम पर बिहार और उत्तरप्रदेश, दोनों ही राज्यों में ट्रस्ट है. हरिवंश ने पुणे की प्रतिष्ठित संस्था 'सीइजीपी' की एक्सपर्ट टीम भेजकर पूरे इलाके का सर्वेक्षण कराया. विघ्नेश मूले के नेतृत्व में सामाजिक,आर्थिक विकास का रोड मैप तैयार हुआ. टीम ने 15 दिनों तक इलाके में घूमकर, वहां के वासियों से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार की. उसके आधार पर काम शुरू हुआ. जेपी की यह इच्छा थी कि उस गांव में उनकी पत्नी प्रभावतीजी के नाम पर एक अस्पताल हो. गांव में अस्पताल तो था पर दो बेड का. हरिवंश के प्रयास से और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से गांव में 102 बेड का अस्पताल बना. गांव में पंचायत सचिवालय नहीं था. हरिवंश ने पंचायत भवन के लिए निजी जमीन दान दी. वह पंचायत सचिवालय अब सुचारू रूप से सक्रिय है. इस तरह हरिवंश ने जेपी के गांव में जेपी और श्री चंद्रशेखर के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं.

जन्मभूमि : सिताबदियारा

- हरिवंश

जहां मैं पैदा हुआ, उस गांव का नाम सिताबदियारा है. थोड़ा समझना शुरू किया, तो पता चला कि गांव में कुल 27 टोले हैं. यह गांव दो नदियों 'गंगा और घाघरा' के बीच है. गांव के उत्तर घाघरा या सरयू, तो दक्षिण में गंगा. चौथी क्लास में पहुंचा तो पता चला कि यह गांव दो राज्यों और तीन जिलों में पसरा हुआ है. उत्तर प्रदेश और बिहार के दो राज्यों के तीन जिलों बलिया (उ.प्र.), सारण (छपरा-बिहार) और भोजपुर (आरा-बिहार) के बीच बसा, पसरा. दियर का इलाका. बचपन में हम बच्चे हर साल बाढ़ का इंतजार करते. प्रतिवर्ष तीन,चार महीने गांव बाढ़ के पानी में घिरा रहता या डूबा रहता. बाढ़ का इंतजार इसलिए होता, क्योंकि हम बच्चों के लिए वह स्कूल में छुट्टी लेकर आता था. नदी के पानी में घंटों नहाने, उछलने, मछली पकड़ने की नाकामयाब कोशिश या छोटी नाव (जिसे डेंगी कहते) पर सवार होकर घर-घर जाने का अवसर मिलता. यही बाढ़ बच्चों के लिए जश्न-उत्सव का अवसर होता, तो गांववालों के लिए आफत व जीवन-मरण का द्वंद्व.

जुलाई आते-आते नदियों में पानी बढ़ने की सूचना आती. किसान, बुजुर्ग, व्यस्क पुरूष-महिलाओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगतीं. हम बच्चे झुंड में भाग-भाग नदी किनारे जाते कि पानी कितना बढ़ा, किस रफ्तार से बढ़ रहा है, कब तक घर तक पहुंचेगा? जुलाई यानी सावन की हरियाली भी स्मृति में है. भारी बरसात होती, तो घर वगैरह में पानी टपकता. बाढ़ कम आयी, तो खरीफ की कुछ फसल हो जाती. रहर, मसुरिया, ज्वार वगैरह. कास बड़े-बड़े उपजते. घोड़पड़ास, सियार, हुड़ाड़-आवारा पशुओं से बचाव के लिए मचान बनता, रात-दिन खेतों की फसल अगोरने या बचाने के लिए. वहां रहने वालों के लिए घर से खाना जाता. गांवों में सावन की अद्भुत हरियाली के चटक रंग अब भी याद हैं. तेज व भयावह लू के थपेड़ों, धूल की आंधी व भयावह गर्मी के बाद यह हरियाली आती. पढ़ाई में हमारी कक्षा बदलती, नयी किताबें आतीं. आपसी झंझट होता, खेत या किसी और कारण तो खराब माहौल होता. पर गांव के पंचों का इकबाल तब तक था. बड़े-बुजुर्ग पहलकर सुलझाने की कोशिश करते.

गांव के नजदीक का रेलवे स्टेशन लगभग 15 किमी की दूरी पर था. वहां जाने के लिए 10-12 किमी पैदल चलकर नदी पार करना होता था. बाढ़ के दिनों में यही यात्रा पूरे दिन की हो जाती थी. नदी में पानी के बहाव और हवा की दिशा पर निर्भर करता था कि उसे पार करने में कितना समय लगेगा. घर से घूमते-घूमाते नाव से 18-20 किलोमीटर की यात्रा. नाव डूबने का खतरा हमेशा रहता. नदियां जब भी अपनी धारा बदलती थीं, कटाव होता, तब घर गिरते थे. टोले के टोले डूब जाते थे. जिनके साथ ऐसा होता, वे फिर कहीं और बसते थे. इस बाढ़ का असर यह होता था कि महज एक फसल होती थी. रबी की. वजह, बाकी समय जमीन पानी में डूबी रहती थी. गांव की बसावट ऐसी थी कि घर एक जिला या एक प्रदेश में है, तो खेत दूसरे प्रदेश के दूसरे जिलों में भी. एक ही आदमी का घर यदि यूपी के इलाके में है, तो जमीन का एक हिस्सा बिहार के छपरा में है, तो दूसरा आरा में.

जब कक्षा पांच में गया, तो एहसास हुआ कि हमारे गांव के सबसे मशहूर व्यक्ति जयप्रकाश नारायण (जेपी) हैं. उनका घर बिल्कुल हमारे घर के पास था. बचपन में गांव के दो उत्सव या मेला स्मृति में हैं. ये आयोजन हम बच्चों की उत्सुकता का केंद्र होते . पहला 12 फरवरी, दूसरा 11 अक्टूबर. 11 अक्टूबर जेपी का जन्मदिन था. 12 फरवरी गांधीजी का स्मृति दिवस. जेपी ने अपनी जमीन में, अपने घर के परिसर से जुड़े स्थल पर सर्वोदय आश्रम और गांधी खादी भंडार के लिए जगह दी थी. उस दियारे में पैदल पहुंचे विनोबा भावे ने इसका उद्‌घाटन किया था. वहीं यह आयोजन होता. गांव के स्थानीय लोग 11 अक्टूबर को उनका जन्मदिन मनाते. हम बच्चों के लिए वह उत्साह का दिन होता. हमारी समझ सीमित थी. कक्षा पांच में 12 फरवरी का अर्थ ज्यादा पता चला. हमारे टूटे-फूटे प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक ने कहा कि वहां बच्चों का भाषण होता है, तुम्हें गांधी पर भाषण देना होगा. उन्होंने भाषण लिखकर रटाना शुरू किया. बोलने का अभ्यास भी. स्कूल के अन्य बच्चे भी दूसरे कार्यक्रमों में थे. याद है, खादी टोपी और गांधी कुर्ता पहनकर गया था. पहला भाषण डरते-कांपते माइक पर वहीं दिया. गांव के बड़े लोगों ने कितना स्नेह दिया, मनोबल बढ़ाया, वह अब भी याद है. यह आयोजन जेपी ने आरंभ किया था. गांधी जी नहीं रहे, तो जेपी ने हिंदू परंपरा के अनुसार 13 वें दिन उनकी स्मृति में मेले का आयोजन कराया कि लोग गांधी को याद करें. भारतीय रीति-रिवाज के तहत श्राद्ध दिवस को एक तरह से

गांधी स्मृति दिवस के रूप में मनाने की परंपरा की शुरुआत. इस अवसर पर ग्राम स्वराज्य को समझें, गांव की स्वायत्ता को पहचानें, विकेंन्द्रीकरण को जानें, यही कोशिश थी. विनोबा जी भी आए थे. सूत कातना, खेती, स्वदेशी इन सब की चर्चा लोगों की जुबान पर रहती थी. महिलाएं या पुरूष चरखा कातते. सूत बिकता.खादी आश्रम चलता. छोटी जगह में. एक खादी दुकान भी थी.

हमारे परिवार और गांव के लोगों ने जमीन देकर जेपी के नाम पर हाईस्कूल बनवाया. प्राइमरी के बाद कक्षा छह में वहीं पढ़ने गया. गांव के अधिकतर लोग अपढ़ थे. बहुत ज्यादा धन-संपत्ति नहीं थी. खेत थे. परंपरागत ढंग से खेती होती. बाढ़ के कारण, एक ही फसल. अच्छी बाढ़ से खेतों की मिट्टी उर्वर हो जाती, तो परिवार के गुजारा भर अन्न हो जाता. जातिगत विभेद था, पर लोगों का एक दूसरे के प्रति अपनत्व, स्नेह अद्भुत था. लोग गांव छोड़कर जाना नहीं चाहते थे. कई लोगों के विषय में सुनता. आईए-बीए करते ही पुलिस की नौकरी मिल गई. पर नौकरी छोड़कर गांव लौट आये. गांव का जीवन, माहौल उन्हें ज्यादा प्रेरक लगा. सड़कें नहीं. बिजली नहीं. आवागमन के साधन नहीं. आधुनिक साधन-सुविधाएं नहीं. पर मानवीय रिश्ते बेहतर थे. आत्मीय थे. संवेदना पर आधारित थे. संयुक्त परिवार का दौर था. बुजुर्गों की अलग अहमियत थी.

रामायण और महाभारत पर चर्चा होती. रामायण का गायन भी. हरिकीर्त्तन होता. अनेक अपढ़ लोग थे, लेकिन रामचरित मानस उन्हें कंठस्थ था. भिखारी ठाकुर का नाच बड़ा मशहूर था. खेती जमकर होती. पशुधन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था. पशुओं से मानवीय स्नेह, बचपन में यहीं घर से सीखा. बड़े स्नेह एवं सेवा से लोग पशुओं की देखभाल या जतन करते. गाय दूध की स्रोत थी. बैल हल का माध्यम, खेत जोतने वाले. भैंस भी होती. घोड़ा या घोड़ी भी लोग पालते. दियारे या रेत में सवारी के लिए. हाथी पालने की परंपरा छीज रही थी. सार्वजनिक चर्चा के विषय रहते, गांवों की समस्याएं. लोगों के दैनिक दुख-दर्द. आपस की समस्याएं. मुकदमें, साधु-संत, खेती, फिर राजनीति वगैरह. आपस में कठोर कटुता होती, फिर भी मरने या शादी में बैर रखने वाले भी दुश्मन के घर मदद में खड़े होते. बाहरी झगड़ों में गांव के व्यक्ति की इज्जत, गांव की इज्जत मानी जाती. साधु-संतों का बड़ा आदर होता. वे अधिसंख्य साधु-संत भी आज जैसे नहीं थे. एक घर से एक शाम भिक्षाटन करते या बहुत आग्रह पर कही एकाध रात ठहरते. कहा भी जाता था, रमता जोगी, बहता पानी. गांव में ही गोरखपंथी व नाथ संप्रदाय के योगियों को देखा. उनका गायन सुन आंखो में आंसू आते. खासतौर से महिलाएं असहज होतीं. वे एक रात बमुश्किल एक जगह ठहरते. एक त्यागी बाबा आये. विलक्षण संत. मेरे एक गृहस्थ संत चाचा ले गये. बियाबान में ठहरे थे. सरयू के किनारे. रात में अकेले रहते. आध्यात्मिक रूप से जागृत संत के रूप में उनकी कई विलक्षण यादें अब भी स्मृति में है. आमतौर से धोखा, झूठ, छल-प्रपंच जैसे प्रसंग बड़ी हेय दृष्टि से देखे जाते.

फिर धीरे-धीरे राजनीति ने आहट दी. तब कांग्रेस का जोर था. सोशलिस्ट पार्टी भी थी. कहीं-कहीं वामपंथियों की आवाज भी सुनाई देती थी. चुनाव तब एक साथ होते थे. कुछ वर्षों बाद बार-बार चुनाव की स्थिति बनने लगी. फिर विकास योजनाओं की चर्चा, ठेकेदारी की चर्चा, रिश्वत की बातें हवा में तैरने लगीं.

गांव का वह माहौल जब भी याद करता हूं, कह सकता हूं कि जो भी अच्छे संस्कार मिले, वह उसी गांव की मिट्टी, आबोहवा और बुर्जुगों की देन थी. हमारे घर जो बुजुर्ग खेती का काम संभालते, वे भिखारी भाई या ओस्ताद बाबा या अन्य वस्तुतः हमारे अभिभावक ही थे. हमने कभी नहीं जाना कि वे किस जाति के थे. शाम को खेलकर समय से घर नहीं लौटे, लालटेन जलाकर पढ़ने नहीं बैठे, तो पता था कि उनकी फटकार मिलेगी. वह पिता के लौटते ही शिकायत करेंगे. यह मेरी ही स्थिति नहीं थी. गांव का कोई भी बुजुर्ग गलत काम करते बच्चे को मना कर सकता था. घोर जाड़े में लोग आग जलाकर बैठते. उसे अलाव या कौरा कहते. उसमें गोबर से बना गोईठा, लकड़ी वगैरह जलाई जाती. वह एक तरह से गांव का यह सबसे जीवंत ड्राइंग रूम होता. खुले आसमान तले, जहां पूरे गांव-घर की समस्या, कभी-कभार देश की राजनीति या राज्य की राजनीति या नेताओं के कामकाज पर चर्चा होती. रेडियो किसी-किसी घर होता. अखबार नहीं आते थे. यह सार्वजनिक मिलन स्थल एक तरह से गांव सभा का छोटा रूप होता. इसी गांव सभा में बचपन में ऐसी जगहों पर सुनी कुछ चीजें स्मृति में अटक गयी, हमेशा के लिए दर्ज हो गई. उस अपढ़ समाज से समझ मिली कि भारत की परंपराएं क्या हैं ? यह हजारों साल पहले से आती हमारी सनातन संस्कृति का ही विस्तार था. लिच्छवी के ग्राम गणराज्य की बात बहुत बाद में पढ़ी. वह यही था कि गांव में एक आचारसंहिता थी. बुर्जुगों का आपस में भरोसा था. महत्वपूर्ण बात यह थी कि समाज चलाने के श्रेष्ठ मूल्यों पर एक अलिखित आपसी समझौता था. यह नैतिक व्यवस्था थी. हर घर में 'दो चारा' (मड़ई, पलानी, बइठका भी कहा जाता) होता, जहां सामान्य दिनों में लोग बैठते. हर गांव के घर का यह 'सार्वजनिक ड्राइंग रूम' होता. कहीं-कहीं पेड़ के नीचे चबूतरा होता. खेती के

दिनों में खलिहान. इन जगहों पर खाली समय में घर-गांव के पुरूष, वयस्क लोग बैठते-बतियाते. सुख-दिख़ बांटते. सपनों-समस्याओं पर बातें साझा करते. गांव का जीवन सामूहिक था. आमतौर से व्यक्तिवाद या अकेलापन का अवसाद नहीं था. साझा दुख-दर्द का माहौल, 'गंवई जीवन' के मूल में था.

ऐसा नहीं था कि सब कुछ ठीक था. अनेक घटनाएं होतीं. पर, गलत को सही कहने पर शायद ही कोई आमादा होता. अनैतिक ढंग से महत्वपूर्ण बन जानेवालों या धनी हो जानेवालों के प्रति समाज का सम्मान या स्वीकृति नहीं थी. गरीबी भयावह रूप में थी. चिकित्सा की बातें, तो सपना थीं. न बिजली. न पानी. न पढ़ाई की समुचित व्यवस्था. तब आवागमन के दो ही साधन थे. बिहार की तरफ रिविलगंज (छपरा) से घाघरा नदी पार कर पैदल 8-10 किलोमीटर चलना. या आरा की तरफ से गंगा पार कर इससे कुछ अधिक दूरी तय करना. उत्तर प्रदेश की तरफ से नजदीक के रेलवे स्टेशन उतरकर लगभग 20 किलोमीटर चलना. लोग बिहार की ओर से दोनों घाटों से ही गांव आते थे. नाव चलाने वाले मल्ला हों-नाविकों और घाट के घटवार के पास पूरे 27 टोलों के घर-घर की खबर होती. कारण ये विभिन्न टोलों से ही थे. रोज सुबह मिलना होता और इन्हीं दो जलमार्गों से छपरा और आरा जाना आसान था. बलिया काफी दूर था. आज यह गांव तीन सांसदों और तीन विधायकों (बिहार एवं उत्तर प्रदेश) का चुनाव क्षेत्र है.

पर धीरे-धीरे गांव के सामाजिक परिवेश में बदलाव की बाढ़ आयी. घर-घर वही हाल. स्वार्थ का रिश्ता अहम होने लगा. संयुक्त परिवार अतीत की व्यवस्था होने लगी. हर आदमी की अलग दुनिया. पहले गांवों में परिवार के मालिक-मुख्तार होते थे. पूरे परिवार की देखभाल, उनके जिम्मे होता. वह अपने बाल-बच्चों से अधिक दूसरों का ध्यान रखते. पिता का महत्व परिवार में अलग होता था. अब आज उसी गांव की हालत देखता हूं, घर में पिता निर्णय लेते हैं, पुत्र नहीं सुनता. गांवों में भी मोबाइल, ह्वाटशप पर चिपकी पीढ़ी, दुनिया बदल चुकी है. श्रम के प्रति भी वह सम्मान व समर्पण नहीं रहा. चीजें आसानी से मिलें, यही आकांक्षा-चाहत है. घर बैठे-बैठे बगैर श्रम करोड़ों कमाने का ख्वाब व मानस. यह नयी युवा पीढ़ी की चाहत है. कोलतार (अलकतरा) की काली सड़क भी गांव में पहुंच गयी है, जो तब अनहोनी बात थी. स्कूल भी बन गये हैं. बिजली आई, जो बचपन में 13-14 साल की उम्र होने पर पहली बार देखने को मिली थी. पर कभी नियमित नहीं रही. जयप्रकाश जी के कारण टेलीफोन की लाइन आई थी. सबसे बड़ी बात अब वह गरीबी नहीं रही. न अब हर साल विनाशकारी बाढ़ आती है . पर, जिस गांव ने संवेदना, आपसी सदभाव, मर्यादा, बड़ों का सम्मान, स्त्रियों के प्रति आदर जैसे जो दुर्लभ मूल्य, हमारी पीढी़ को दिया, अब वह नहीं दिखता. यह सिर्फ स्मृतियों में है, जो बार-बार कुरेदता है. खींचता है, तो गांव की प्रायः यात्रा करता हूं. पर वे पुराने लोग, स्मृतियों में ही बचे हैं. सिर्फ वह पीढ़ी



अपने गांव सिताबदियारा के लोगों से संवाद करते हुए

ही नहीं गयी, अपने साथ गांवों के उन पुराने आत्मीय रिश्तों को भी लेती गयीं. अपनी ही वह मिट्टी परायी लगती है.

बहुत बाद में अखबार का संपादन करते हुए बिहार के पूर्व वित्तमंत्री और प्रतिभावान नेता डॉ. प्रभुनाथ सिंह के दो लेख छापे, **'कहां गईल मोर गांव रे'**, दूसरी अपनी मां को केंद्र मे रखकर लिखा संस्मरण. उनकी दोनों रचनाएं आज भी जेहन में चुभती हैं. कैसे बूढ़े मां-बाप भी हमारे गांव में पराए हो गए. जिन बुर्जुगों को सबसे ज्यादा सम्मान गांवों में मिलता था, उनका जीवन कैसे अकेलापन की ठोकरें खा रहा है. तब गांव में पैसा, भगवान नहीं था.

इसी तरह जेपी के बारे में गांव के बुजुगों से सुनी दो बातों से, बाद की राजनीति को समझने में मदद मिली. जेपी मशहूर हो चुके थे. प्रायः गांव आते. पूरे टोले और गांव के सभी लोग उनके यहां जाते. वे सबसे मिलते. गांव उनकी कमजोरी थी. अपनी भोजपुरी भाषा में ही बात करते थे. एक बार गांव के लोगों ने उनसे कहा कि हमलोगों की दो समस्याएं हैं, जिसे बड़े संकोच के साथ आपके सामने रखने आए हैं. जेपी ने कहा, 'आप सब बताएं. लोगों ने कहा कि हमारा गांव एक है, पर यह दो राज्यों और तीन जिलों में बंटा है. कटाव यहां की नियति है. घर यहां (बलिया) है, तो खेत बिहार में है. बिहार के भी दो जिलों में यानी आरा और सारण. या फिर घर बिहार में है, तो खेत-खलिहान, कुछ ही दूर पर उत्तर प्रदेश में . बिहार में भी, दो-दो जिलों के अंतर्गत जमीन-घर हैं. इस तरह तीन जिलों के सरकारी नियंत्रण में गांव का विकास, जीवन है. अगर आप कह दें या प्रयास करें, तो यह पूरा गांव एक राज्य, एक जिले के मातहत हो जाए. इससे बड़ी राहत मिलेगी. उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा रेखा पर तब सरकार ने काम करने के लिए त्रिवेणी कमीशन गठित किया था. खासकर प्रशासनिक कामों की सुविधा लोग चाहते थे. गांव से सबसे नजदीक छपरा जिला है. इसके बाद आरा है. गांव से इन दोनों जिलों की दूरी जोड़ दें, तो भी उस संयुक्त दूरी से भी बलिया अधिक दूर है. बेहतर होता कि छपरा जिले में यह पूरा गांव शामिल हो जाये. आप एक ही प्रांत और एक ही जिले में इसको करा दें. दूसरी बात गांव वालों ने जेपी से कही कि इस गांव में न सड़क है, न बिजली है, न स्कूल. यहां आना-जाना इतना कठिन है कि कोई आना नहीं चाहता. बाढ़ के दिनों में हमारा जीवन पानी में घिरे टापू बन जाता है. साक्षात नरक. तब हम नियति के भरोसे रहते हैं. यहां कुछ जरूरी विकास का काम हो जाए, तो बड़ी राहत होती.

गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जेपी ने धैर्य से दोनों बातें सुनीं. शिष्टता और मर्यादा से कहा, 'रउआ सभे ठीक कहतानी, कई लोग ईहां बड़-बुजुर्ग भी बईठल बा. ई बताईं कि ए देश में लगभग 6 लाख गांव बा. आजादी के कुछे दिन भईल बा. हर गांव में कुछ न कुछ समस्या बा. यदि हम कहीं कहके, अपना गांव में कुछ काम कराईं, त पूरा देश में लोग का कही कि जेपी अपने गांव में कुछ काम कराव ताड़े. आजादी के लड़ाई लड़ल गइल की पूरा देश हमार ह. छह लाख गांव हमार ह. आज हम अपना गांव लागी बात करीं, त लोग का कही.' गांव के बुजुर्ग भांप गए. कहा कि बिल्कुल मत करिए. आपकी नैतिक मर्यादा, पूरे देश के प्रति आपकी सोच, हमें बड़ा बनाते हैं.

यह प्रकरण पहले बुजुर्गों से सुना, तब समझा कि लोक व्यवहार में मर्यादा व नैतिकता की क्या परंपरा रही है.

बाद में गांधी जी का यह भाव पढ़ाः कि 'लोग अपने खिलाफ कोई बात कहना-सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्हें यह अहसास ही नहीं होता कि जिसे वे सभ्यता का विकास कहते हैं, वह वास्तव में रोग है. उन्होंने लिखा कि लोग बाहरी दुनिया की खोजों और शरीर के सुख में सार्थकता और पुरुषार्थ मानते हैं. सौ साल पहले यूरोप के लोग जैसे घरों में रहते थे, उनसे ज्यादा अच्छे घरों में आज वे रहते हैं, यह सभ्यता की निशानी है. पहले लोग चमड़े के कपड़े पहनते थे और भालों का इस्तेमाल करते थे, अब वे लंबे पतलून पहनते हैं और भाले के बदले एक साथ पांच गोलियां छोड़ने वाली बंदूक का इस्तेमाल करते हैं । पहले मामूली हल से मेहनत करके जमीन जोतते थे, उसकी जगह भाप के यंत्रों से हल चलाकर एक आदमी बहुत सारी जमीन जोत लेता था और बहुत सारा पैसा कमा लेता है. यह सभ्यता की निशानी है. पहले लोग बैलगाड़ी से बारह कोस मंजिल तय करते थे. अब रेलगाड़ी से चार सौ कोस की मंजिल तय करते हैं. यह सभ्यता की चोट मानी गई. फिर लोग सोचते हैं कि हवाई जहाज से चंद घंटों में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकेंगे. हाथ-पैर हिलाने की जरूरत नहीं रहेगी. एक बटन दबाया, सामने पहनने की पोशाक हाजिर. दूसरा बटन दबाया और अखबार हाजिर. तीसरा बटन दबाया गाड़ी चलने के लिए तैयार. उसे हमेशा नए भोजन मिलेंगे. हाथ- पैरों को काम नहीं करना पड़ेगा. सारा काम यंत्रों से ही हो जाएगा. आज तोप के एक गोले से हजारों जानें ली जा सकती हैं. यह सभ्यता की निशानी है. पहले लोग खुली हवा में अपने को ठीक लगे, उतना काम स्वतंत्रता से करते थे. अब हजारों आदमी कारखानों में या खानों में इकट्ठा होकर काम करते हैं. उनकी हालत जानवर से भी बदतर है. पहले लोगों को मार-पीटकर गुलाम बनाया जाता था. अब पैसों और भोग का लालच देकर गुलाम बनाया जाता है. पहले ऐसे रोग नहीं थे, जैसे आज लोगों में पैदा कर दिए गए हैं. डॉक्टर इलाज

खोज रहे हैं कि इन्हें कैसे मिटाएं ? ऐसे में अस्पताल बढ़े हैं, यह सभ्यता की निशानी है. सभ्यता के इन अनुभवों में नीति या धर्म की बात ही नहीं है.'

गांधी जी ने यह स्पष्ट किया कि 'नीति से हटकर हासिल किया गया आविष्कार, आखिर में संकट को ही जन्म देगा. समाज अपनी आकांक्षाओं का गुलाम तो है ही, ऐसे में हमारी व्यवस्था और बाजार उस कमजोरी का भरसक लाभ उठाता है. हम देख रहे हैं कि जिसे गांधी जी ने सभ्यता कहा, उसे आज हम बोलचाल की भाषा में 'विकास' कहने लगे हैं. अपने लाभ और लोभ के लिए जिस तरह से धरती का शोषण किया गया, जिस तरह से नदियों, पहाड़ों, ग्लेशियर्स और मिट्टी के साथ बुरा बर्ताव किया गया, उसने दुनिया और मानव समाज के अस्तित्व पर संकट बिछा दिया है.

गांधी ने चेतावनी भी दी थी कि यह सभ्यता ऐसी है कि अगर हम धीरज धरकर बैठे रहेंगे, तो सभ्यता की चपेट में आये हुए लोग खुद की जलाई हुई आग में जल मरेंगे'.

अब बार-बार गांव आने-जाने के क्रम में लगता है कि मेरे पुराने गांव की वह भयावह गरीबी तो गयी, आधुनिकता ने उस सुदूर जगह पर भी दस्तक दी, पर क्या यही असल प्रगति है ?

एक बार चंद्रशेखर जी से मैंने कहा कि आज जो भी राजनेता हैं वे सभी अपने संसदीय या विधानसभा क्षेत्र के विकास में डूबे हुए हैं. जयप्रकाश जी का यह गांव पीछे छूट गया था, आपने कुछ काम कराया. उनका जवाब था, देखो, उत्तर प्रदेश से कितने प्रधानमंत्री और बड़े नेता हुए. हाल की बात छोड़ दें, तो जवाहरलाल जी लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे. उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी हुए. इसके बाद इंदिरा जी रहीं. ये सभी प्रभावी प्रधानमंत्री इतिहास के बड़े व्यक्तित्व थे. क्या यह उचित होता कि ऐसे बड़े लोग अपने प्रदेश या संसदीय क्षेत्र पर ही ध्यान केंद्रित करते. फिर समग्र देश या समूचा देश किसकी निगाह में रहता ? इस रास्ते यही आदर्श स्थापित होता कि देश हमारे लिए हमारा राज्य या संसदीय क्षेत्र ही है. याद रखो, गांव की परंपरा है कि संयुक्त परिवार में पिता अपने बच्चे पर ध्यान देने के बजाय, अपने भाई-भतीजों के विकास की बात करते हैं. फिर परिवार के मुखिया के बच्चे की जिम्मेवारी या वह लाड़-दुलार घर के दूसरे बड़े लोग देते हैं. इस तरह समग्र परिवार का उत्थान होता है. तब लगा कि पहले आसपास या दूसरों का भला करें. फिर खुद पर ध्यान केंद्रित करें. यह सोच उन लोगों की रही. अपने पिता को याद करता हूं. बचपन से जो छवि बनी, गंभीर. कामकाज - परिवार के प्रति अद्भुत समर्पण . अधिकतर खेती के काम से या मुकदमों, शादी वगैरह परिवारिक कामों से बाहर रहते. 16 वर्ष की उम्र में उनके पिता (यानी मेरे बाबा) असमय गये. परिवार की पूरी जिम्मेदारी संभाली. बहनों की शादी. भतीजों-भत्तिजियों की शादी-देखभाल. चाचा का असमय निधन. आय सीमित. उनसे यानी पिता से हमारा संवाद बहुत नहीं होता था. भय लगता, पर चाचा, जिन्हें हम लाला कहते, उनका स्नेह मिलता. पर पिता अनुशासन, लालन-पालन व पढ़ाने के प्रति सचेत थे. जीवनशैली उनकी निगाह में रहती . मामूली फूस-मिट्टी या कच्चे ईंटों का घर. पर सफाई अद्भुत. एक-एक पाई का हिसाब रोज लिखते. डायरियां रखते. लाल बही खाता रखते. हर साल कहां कितना खर्च हुआ, सबका ब्योरा दर्ज होता. आज भी उनके हाथ से लिखा हर साल का आमद-खर्च, सालाना डायरियों में है. पचासों वर्षों के घर का खर्च. पाई-पाई हिसाब. युवा दिनों में कैसे अधिसंख्य 'रेहन' (कर्ज लेकर खेत गिरवी रखना) पर रखे खेतों को छुड़ाया. गांव के प्रधान रहे. मां की स्मृति, ममतामयी व सात्विक है. कोई घर से बिना खाये नहीं लौटता था. मिट्टी के चूल्हे पर धुएं में चार बजे सुबह से दर्जनों लोगों का खाना बनातीं. दिन के 11-12 बजे नहाना-पूजा. महीने में 15-20 दिन व्रत. कार्तिक स्नान. सुबह चार बजे उठकर ठंडे पानी से. आंवले के पेड़ के नीचे दीया जलातीं. एक बार बस से गंगा सागर गयीं. गांव की 25-30 महिलाओं के संग. अकसर देखता कलकत्ता के विक्टोरिया मैदान में वैसी बसें कुछ देर ठहरतीं. वहीं लोग नीचे मैदान में सोते. बनाते-खाते. बाथरूम जाते. उन दिनों मैं कलकत्ता में ही था, जब वह गंगा सागर होकर इस विक्टोरिया मैदान में पड़ाव डालकर गयीं. अत्यंत असुविधाओं में. पर न मुझे सूचना थी, न उन्हें यह एहसास कि मैं भी पास में ही काम करता हूं. दूसरों की मदद, दान, सहनशीलता जैसे विलक्षण गुणों ने उन्हें अद्भुत गरिमा दी थी. वह हमारे पिता के मुकाबले संपन्न घर से थीं. काफी गहने लेकर आयीं थीं. पर पिता को घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए सब सौंप दिया. कभी ऊंची आवाज में किसी ने उन्हें बोलते नहीं सुना. आसपास के घरों या गांव में उनकी एक अलग छाप थी. अपनी दयालु प्रवृति के कारण वह बड़ा सम्मान पातीं.

इसी रूप में जयप्रकाश जी के निजी सचिव जगदीश बाबू को पाया. हम बच्चे थे तो समझते थे कि वे जेपी के घर के हैं. थोड़ी उम्र हुई तो पता चला कि वे वहां से 50 किलोमीटर दूर सोनपुर के गोविंदचक निवासी हैं. अच्छे किसान परिवार से हैं. वह काफी गंभीर रहते थे. उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी. बड़ा हुआ तो उनका स्नेह मिला. उन्होंने दो बारा शादी नहीं की. परिवार नहीं बसाया. विद्यार्थी दिनों में ही उन्हें समाजवादी आंदोलन ने आकर्षित किया था. उसके सिद्धांतों,

तब और अब : गांव यात्रा!

मई, 2025. पहले सप्ताह में अपने गांव (सिताबदियारा) था. अचानक एक मई की शाम संसद से सूचना आयी. हमें दो मई को दिल्ली रहना है. जापानी संसदीय मंडल का डेलिगेशन आ रहा था. माननीय लोकसभा अध्यक्ष व भारत के संसदीय मंडल से मिलने. दिल्ली से अधिकारियों ने संपर्क किया, हमारा तात्कालिक उत्तर था कि अपने गावं में हूँ. आवागमन की दृष्टि से यह असाधारण कठिन गांव है. चाहकर भी शायद कल न पहुंच पाऊं. इस स्वाभाविक व आरंभिक प्रतिक्रिया के पीछे मानस क्या था? अपने गांव की पुरानी (2014 पूर्व) अनुभवजन्य परिस्थितियों का अनुभव. बचपन व किशोर होने के क्रम में गांव में जो समय गुजरा उसका निचोड़. कुछ देर सोचने के बाद लगा कि नहीं! उन पुराने अनुभवों से हम बहुत दूर आ चुके हैं. 2014 के बाद, यह मुमकिन है. जिस गांव से बचपन या बाद में दिल्ली पहुंचने में तीन-चार दिन लगते थे, उसी गांव से सुबह निकल कर दस बजे तक (महज पांच घंटे) दिल्ली पहुंचना हो सकता है. सुबह निकलें, तो गंगा पार कर (पीपे का पुल होते हुए) ढाई घंटे में पटना पहुंचा जा सकता है. वहां से फ्लाइट से सुबह ही दिल्ली पहुंच सकते हैं. पुन: शाम को गांव लौटा भी जा सकता है.

जहां पैदा हुआ, वहां आवागमन की कठिन परिस्थितियां थीं. उसी गांव में बैठकर अब यह सोचना कि दिल्ली जाकर लौटा जा सकता है, तब नामुमकिन और असंभव लगता था. दुनिया में बहुत पहले, पर भारत में 2014 के बाद हुई इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रांति (या डेथ ऑफ डिस्टेंस, दूरियों का खत्म होना) से यह मुमकिन हुआ. हालांकि साल के सिर्फ छह माह, गंगा पर यह पीपे का पुल काम करता है. पर इस यात्रा को साकार करने के लिए पुन: दिल्ली संपर्क कर इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने को कहा. सुबह घर पर, जिला प्रशासन से गाड़ी आ गई. लगभग सुबह साढे चार बजे घर से निकला. गांव के दक्षिण की ओर गंगा बहती हैं. वहां लगे पीपे के पुल को पार करते हुए, सात बजे तक पटना पहुँचा. पटना से दिल्ली की इंडिगो की फ्लाइट (सुबह साढे आठ बजे) से टिकट था. सवा दस बजे तक दिल्ली पहुंच गया. दिल्ली स्थित सरकारी आवास आया. कुछ देर फ्रेश होकर, पार्लियामेंट पहुंचा. फिर लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी के नेतृत्व में जापानी संसदीय शिष्टमंडल से मिलना हुआ. इसके बाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आयोजित भोज समारोह में शरीक हुआ. पुन: सीधे दिल्ली एयरपोर्ट गया. पटना जाने वाली फ्लाइट (चार बजकर पांच मिनट) में टिकट था. पांच पैंतालीस में पटना उतरा. बीच में रुकते हुए, लगभग रात नौ बजे गांव लौट आया.

हमारे जीवन के अनुभव संसार में यह किसी चमत्कार से कम नहीं था. इस यात्रा या दिल्ली आने और जाने के क्रम में सिर्फ यही स्मृति छायी रही कि पहले पटना जाने या दिल्ली जाने में, इसी गांव से कितना समय लगता था? पुरानी स्मृतियां हैं. यह दियारा है. सड़क कोई चीज होती है, यह सोचना या कल्पना भी तब हमारी दुनिया में संभव नहीं था. पैदल आना-जाना होता. गांव के उत्तर में सरयू या घाघरा. दक्षिण में गंगा. पैदल 10-15 किलोमीटर, फिर मीलों रेत पर चल कर नदी तट पर पहुंचना होता. दोनों नदियों को पार करने के लिए. फिर नाव के माध्यम से नजदीक के स्टेशन तक. बाढ़ के दिनों में, घर से ही नाव पर सवार होकर सरयू या गंगा पार जाने का क्रम चलता. यह यात्रा चुनौती व हर पल जोखिम भरी होती. बाढ़ में नदी पार करने में 7 या 8 घंटे या अधिक भी लगते. घाघरा पार करने के बाद छोटी लाइन का रेलवे स्टेशन होता था, रिविलगंज. छपरा के पहले. बहुत बाद में जाना रिविलगंज के बारे में. जिस व्यक्ति के नाम पर यह स्टेशन है, वह अंग्रेज थे. उनका कारोबार था. उनका परिवार ब्रिटेन लौट गया. किसी स्थानीय महिला से उनका प्रेम संबंध था. वह आजीवन रिविलगंज में ही रह गए. उन्हीं के नाम पर यह कस्बा रिविलगंज कहा जाता है. इससे कुछ दूर लगभग दस किलोमीटर के आसपास आगे चलकर छपरा रेलवे स्टेशन है. छपरा और बनारस के बीच जो छोटी रेल लाइन चलती थी, उसी में छपरा के बाद पहला स्टेशन (बनारस जाने के क्रम में) रिविलगंज है. लखनऊ से छोटी रेल लाइन गुवाहाटी तक जाती थी. गोरखपुर या सीवान होते हुए, छपरा से. छपरा में बनारस जाने और गोरखपुर होते हुए लखनऊ जाने की अलग-अलग रेल लाइनें एक साथ मिला करती थीं. रिविलगंज से तब हम सब टमटम से भी छपरा जाते. या फिर रिविलगंज रेलवे स्टेशन पर इंतजार करते. दिन में दो या तीन गाड़ियां बनारस की तरफ से आतीं, जो छपरा जाती थीं. बाढ़ के दिन होते, तो कभी-कभी सुबह में निकले हुए शाम तक सिर्फ रिविलगंज पहुंचना होता. पूरी नाव यात्रा खतरों से भरी होती. हवा की अनुकूलता पर स्थिति निर्भर करती. फिर रिविलगंज में ठहरना पड़ता. या तो रात में छपरा जाएं या अगले दिन छपरा जाएं. पुन: छपरा से पटना जाना होता, तो छपरा से सोनपुर पहुंचते. सोनपुर से मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी या समस्तीपुर होते हुए छोटी लाइन की ट्रेनें चला करती थीं. सोनपुर पहुंचकर प्रतीक्षा करनी पड़ती. सोनपुर से पहलेजाघाट जाने वाली ट्रेन लेनी होती. पहलेजाघाट से स्टीमर द्वारा गंगा पार कर पटना पहुंचना होता. यानी बाढ़ के दिन हुए, तो दो-ढाई दिन पटना पहुँचने में लगते. सामान्य दिन हुए और बिना रुके, अगर हम गांव से पटना के लिए निकले, तब भी डेढ़ दिन या दो दिन लग ही जाते थे. वहां से दिल्ली जाने के लिए गाड़ी पकड़नी होती. ट्रेन रिजर्वेशन उसी दिन मिलता नहीं था. वैसे भी हम सब गांववाले, तब सामान्य डिब्बों में ही यात्रा करते. हमारे लिए आरक्षण की व्यवस्था अजनबी थी. पर सुनता था कि रिजर्वेशन लेने के लिए रुकना पड़ता है. किस ट्रेन में रिजर्वेशन किस दिन मिलेगा, वह व्यवस्था करनी होती है. फिर सामान्य डिब्बे में चढ़कर कम से कम दो दिन दिल्ली पहुंचने में लगते. इस तरह औसतन तीन से चार दिन गांव से दिल्ली पहुंचने में लगा करते थे.

पर एक मई 2025 को, अपने गांव से दिल्ली उसी दिन सुबह पहुंच गया और उसी दिन शाम में अपने गांव लौट आया. यह निजी तौर पर किसी बड़े बदलाव, बड़ी क्रांति या बड़े चमत्कार से कम अनुभव नहीं था. हमारे गांव वाले भी स्तब्ध थे कि उसी दिन सुबह दिल्ली जा कर काम कर, रात तक लौटा जा सकता है ? यह पुराने या हमारे हम उम्र लोगों के लिए स्तब्धकारी प्रसंग था. अगर पीपे का पुल रहे, हवाई जहाज से जाने की व्यवस्था नहीं है, तब भी शाम को हम चार बजे गांव से निकलकर छह बजे के लगभग आरा से संपूर्ण क्रांति जैसी ट्रेनों से अगले दिन दिल्ली पहुंच सकते हैं. फिर दिन भर दिल्ली मे काम कर शाम को इसी ट्रेन से आरा होते सुबह गांव लौट सकते हैं. आवागमन की यह क्रांति हमने अपने ही जीवन में देखी. बचपन में कल्पना में भी ये बातें असंभव लगती थीं. वर्ष 2005 तक भी हमारे गांव आना-जाना कठिन था. दक्षिण की तरफ गंगा बहती है. लंबी पैदल यात्रा, फिर रेत पर चल कर गंगा पार कर आरा पहुंचना थोड़ा कठिन था. गंगा की धारा-लहरें तेज उफानकारी होती हैं. प्रकृतत्या. इसलिए घाघरा पार कर ही लोग गांव से बाहर की यात्रा करते थे. हालांकि गांव से घाघरा पार करने या गंगा पार कर आरा पहुंचने की दूरी लगभग समान थी.

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के प्रयास से 1995-1996 से वहां सड़कों से गांव जोड़ने का काम शुरू हुआ. यह गांव लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि है, उनका घर भी है, जो अब ट्रस्ट है. पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर द्वारा गठित. यह घर या ट्रस्ट मेरे घर से बमुश्किल एक किलोमीटर के फासले पर है.

मई के बाद पुन: दिल्ली से गांव की एक दिन की यात्रा करनी पड़ी. दिसंबर 2025 में. एक चचेरे भाई थे. वो पहले चले गये. उनके श्राद्ध के दिन नहीं पहुंच सका था. दो दिन पहले ही गांव में उनके परिवार से मिलकर

दिल्ली आना पड़ा था. उनकी शादी में बचपन में बड़े उत्साह और ऊर्जा से हम गए थे. उन भाभी का निधन हुआ था. गांव के पुराने रिश्तों की स्मृति थी. लगा कि उनकी पत्नी यानी भाभी के श्राद्ध में शरीक होना चाहिए. राज्यसभा का सत्र चल रहा था. श्राद्ध के दिन ही सुबह, दिल्ली से पटना गया. एक दिन का अवकाश लिया.

नौ दिसंबर को सुबह, दिल्ली से आठ बजे (जहाज से) पटना गया. पौने दस बजे हम पटना पहुंचे. आधे घंटे एक जगह रुक कर आरा होते हुए महुली घाट (सिन्हा घाट के बगल में) पहुंचे. वहां से गंगा पार किया. नांव से. गांव पहुंच कर दो-तीन घंटे रहा. श्राद्ध में शरीक हुआ. उसी दिन इसी रास्ते से वापस महुली घाट लौटना हुआ. गंगा तट पर. फिर नांव से गंगा पार किया. तब तक पीपे का पुल लगा नहीं था. आमतौर पर नवंबर तक पीपे का पुल लग जाता है, जो जून तक चलता है. फिर गंगा में पानी बढ़ने से वह काम नहीं करता. तब गांव से बाहर जाने के लिए घूम कर पटना पहुंचने में, कम से कम चार घंटे लगते हैं. इस कारण आरा होकर पटना पहुंचना, सबसे आसान मार्ग है. पटना से जहाज से उसी दिन शाम आठ बजे तक दिल्ली लौट आये.

दिल्ली से पहले इसी गांव पहुंचने में न्यूनतम तीन-चार दिन, असुविधाओं के बीच लगते थे. वहां आवागमन में कभी ऐसा परिवर्तन हो सकता है या ऐसी यात्रा मुमकिन हो सकती है, यह कभी कल्पना में भी नहीं था. आज उसी गांव में आवागमन की दृष्टि से कितनी सड़कें हैं, और किस तरह की व्यवस्था है, यह तथ्य जीवंत प्रमाण है कि सुदूर इलाकों की स्थिति कैसे बदली है या बदल रही है ? गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन का ताबीज कहा था कि हर काम या निर्णय में समाज के सबसे पिछड़े, समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को ध्यान में रखें. विकास की परिकल्पना में, इसी दृष्टि के तहत, देश के जो सबसे पिछड़े गांव हैं, उनके आवागमन या जिंदगी में किस तरह 2014 के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन से परिवर्तन हुआ है, यह एहसास उन्हें ही होगा, जो ऐसे गांवों से आते हैं. ऐसे तथ्य प्रमाणित करते हैं कि देश कैसे बदल रहा है?

चंद्रशेखर जी जब जीवित थे, उनके प्रयास से गाजीपुर से हाजीपुर तक नेशनल हाईवे बनना शुरू हुआ था. पर बीच में सरयू नदी पर संपर्क पुल बनना था. केंद्र और बिहार-उत्तर प्रदेश की साझेदारी से. पर यह संपर्क पुल, 26 वर्षों बाद बनकर तैयार हुआ. 2005 से वह काम करने लगा. उसका लोकार्पण नहीं हुआ. बीच में 5-6 साल पहले यह पुल व सड़क जर्जर स्थिति में थे. फिर मरम्मत काम हुआ. अब वह पुल उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एकमात्र संपर्क पुल है. वहीं, अंग्रेजों के जमाने का बना एकमात्र रेल पुल है. छोटी लाइन का यह पुल, छपरा से बलिया को जोड़ते हुए बनारस-इलाहाबाद तक, जाने में काम करता था. छपरा-बलिया के बीच रेलवे लाइन का यह पुल मांझी में (सरयू नदी पर) 1856 में बना था. 1933-34 के भूकंप के कारण छतिग्रस्त हुआ. मरम्मत काम चला. मरम्मत कर कुछ वर्षों पहले तक यही रेल पुल संपर्क पुल का काम करता था. फिर इसे ब्राड गेज कर व मरम्मत कर अब ट्रेनें इसी से गुजरती हैं. इस तरह अब मीटर गेज की ट्रेनें नहीं, बल्कि ब्रॉड गेज की ट्रेनें इस पुल पर चलती हैं. इसी मांझी पुराने रेल पुल के पास अब एक नए पुल पर तेजी से काम चल रहा है, रेलवे का नया पुल होगा.

जनता पार्टी के शासन काल में, 1978 में जयप्रकाश नारायण, अंतिम बार अपने गांव आये थे. एक दिन के लिए. तब एक बड़ा समारोह हुआ था. इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव जी, बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी, केंद्र के अनेक मंत्रीगण, जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी, सभी मौजूद थे. तब, मांझी (सरयू नदी) में भारत सरकार के तत्कालीन परिवहन व यातायात मंत्री चांदराम ने उत्तर प्रदेश-बिहार के बीच संपर्क पुल का शिलान्यास किया. यह वही इलाका है, जिसकी गरीबी पर चर्चा सांसद विश्वनाथ सिंह गहमरी ने लोकसभा में की.

हुआ यह था कि सिताबदियारा क्षेत्र में भूमि सीमांकन का निर्णय करने के लिए प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने त्रिवेदी आयोग का गठन किया था. पर, इलाके का बंटवारा, भूमि सीमांकन की बजाय अंतिम निर्णय नदियों के जल प्रवाह के आधार पर हुआ. नतीजा, सिताबदियारा दो राज्यों में अलग—अलग द्वीपों की तरह बंट गया. इस क्षेत्र की अधिकांश आबादी अपने को बिहार के करीब पाती थी. पर, गांववालों को जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए दस किलोमीटर पैदल की यात्रा पहले पूरी करनी पड़ती थी. बरसात के दिनों में गांव, अलग—थलग पड़ जाते थे. कट जाते थे. आजादी के बाद कई दशकों तक घोर गरीबी की स्थिति रही. हाल और हालात कैसे थे, इसकी चर्चा सांसद विश्वनाथ सिंह गहमरी ने संसद में की. उन्होंने बताया कि इस इलाके में लोग पशुओं के मल विसर्जन में जो अनाज निकलते हैं, उसे खाकर गुजारा कर रहे हैं. उनके विवरण सुनकर प्रधानमंत्री नेहरू की आंखों में आंसू आ गये. प्रधानमंत्री ने तत्काल योजना आयोग की एक कमिटी (पटेल कमिटी) बना दी. पर, इस कमिटी या इसकी रिपोर्ट पर आज तक क्या हुआ? यह किसी को नहीं पता. उसी तरह 1978 में शिलान्यास के बाद केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को भूल गयी. जनांदोलन, प्रदर्शन वैधानिक मांग होते रहे. अंतत: चंद्रशेखर की सक्रियता से इस पर काम शुरू हुआ, पर दशकों लगे. यह पुल 2005 में किसी तरह बन सका. 27 वर्षों बाद.

उसी समय, जयप्रकाश जी की मौजूदगी में, बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी ने, घोषणा की कि बिहार सरकार गंगा पर आरा की ओर से (सिन्हाघाट-महुलीघाट) पुल बनवायेगी, ताकि आवागमन की समस्या हल हो सके. इस गांव से गंगा की ओर से बननेवाला यह पुल ही लाइफलाइन होगा. इससे पटना-बनारस वगैरह कुछेक घंटों में पहुंचा जा सकता है, जो पहले लगभग दो दिन लगा करता था. पर 1978 का यह आश्वासन 48 वर्षों बाद भी साकार होना बाकी है. 2014 के बाद देश में हो रहे इस इन्फ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन में जेपी के गांव के लोगों को उम्मीद है कि गंगा पर इस पुल निर्माण का काम भी संपन्न होगा.



2025 में अपने गांव सिताबदियारा जाने के लिए नाव की यात्रा करते हरिवंश. उत्तरप्रदेश और बिहार के दो तीन जिलों के 27 टोलों का नदियों से घिरा गांव सिताबदियारा और इलाका एक टापू की तरह है, जहां पहुंचने के लिए नाव का भी उपयोग करना पड़ता है.

आदर्शों के प्रति उनका आजीवन समर्पण . वे जेपी के साथ नया समाज बनाने निकल पड़े. अनेक बार जेल गए.1942 में जब जेपी हजारीबाग जेल से भागे, तो वही उनके बेड पर सोए थे. न जाने कितनी यातनाएं झेलीं. देश आजाद हुआ, वे सत्ता की राजनीति की ओर नहीं गए. उन्हें जेपी ने अपने साथ रखा. आधुनिक शब्दावली या मुहावरे में उनके निजी सचिव. पांच दशकों से अधिक साथ रहे. जेपी के घर के मालिक-मुख्तार. गांव की भाषा में या सर्वेसर्वा. वही उनके घर, खेती वगैरह की सारी व्यवस्था देखते. गांव के आश्रम आदि की देखभाल करते. बाद में जब उनके निजी जीवन के विषय में पूछना शुरू किया तो पाया कि सारे दिग्गज समाजवादी उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानते थे, क्योंकि वे उनके संघर्ष के साथी रहे. उनके करीबी मित्रों में रहे कर्पूरी ठाकुर वगैरह. प्रारंभिक समाजवादी चिंतन शिविरों में (1940-50 व 60 के दशक में) शामिल रहे. दुनिया के साम्यवाद, उसके अंतर्विरोध रूस की नयी साम्यवादी व्यवस्था, चीन के माओ, रूस के स्टालिन वगैरह के विषय में उन्हें गहरी जानकारी थी. पर शायद ही कभी इन विषयों पर सार्वजनिक रूप से बोलते. कोई दिखावा नहीं. न श्रेष्ठता का बोध या विशिष्ट होने का भाव. फिर भी उन्होंने सत्ता राजनीति का रास्ता नहीं अपनाया. वे जेपी के सबसे भरोसेमंद आदमी थे. पर हमेशा जान बूझ कर नेपथ्य में रहते. अब सोचता हूं तो उनके नैतिक बल या नैतिक आभा का गांव पर या मुझ पर जो असर था, वह अविश्वसनीय लगता है. तब ऐसे लोग गांव में प्रेरणा के केंद्र थे. रोल माडल.

उन्हीं के साथ खेती के कामकाज में मदद के लिए जेपी ने सरयू भाई को रखा. सरयू भाई भी छपरा के पास किसी गांव के थे. विचारों से कम्युनिस्ट. राहुल सांकृत्यायन के साथ जेल में बंद रहे. उनके अनुयायी थे. आजीवन कुंआरे रहे. जेपी का काम संभालने आ गए. फिर अंत तक जेपी के घर ही रहे. खेती की तकनीक में माहिर. तब वह खद्दर पैंट और हाफ गंजी पहने, दिन भर खेतों में काम करते. आधुनिक ढंग से . जेपी ने उन्हें खेती के अधुनातन तौर - तरीके सीखने के लिए इजरायल भिजवाया. गांव वापस लौटे, जेपी के घर की खेती का काम नए ढंग से करने लगे. जेपी के खेत में पहला ट्यूबवेल लगाया. जेपी के घर पहला गोबर गैस प्लांट भी लगवाया. सरयू भाई के जिम्मे था. वह जगदीश बाबू के मातहत थे. पर समाजवादी व अत्यंत गंभीर व्यक्तित्व के धनी जगदीश बाबू के ठीक विपरीत व्यक्तित्व था, सरयू भाई का. वह बिल्कुल वाणी व आचरण में मुखर क्रांतिकारी थे. साम्यवाद की लौ उनके अंदर हमेशा दहकती रहती. जेपी कभी गांव आते, तो वे उनके सामने हाथ से लिखकर पोस्टर लगा देते कि आपके गांव के अमुक लोग जो आपके आसपास बैठते हैं, वे गलत लोग हैं. शोषक हैं. वगैरह-वगैरह. जेपी व जगदीश बाबू देखते. आगंतुक भी देखते ही थे. सभी मुस्कुराते . बिना कहे जान जाते यह एक कम्युनिस्ट का गांधीवादी या अहिंसक संवाद है. उधर सरयू भाई बिना किसी की परवाह किए अपने काम में डूबे रहते. इसी तरह एक सर्वोदयी हमारे चंद्रिका चचा थे. वे जेपी के कट्टर भक्त और अनुयायी थे. गांव में कोई अतिथि आ जाए, तो बगैर उचित सत्कार के लौटता नहीं था. एक रासबिहारी भैया थे. सुबह-सुबह चार बजे उठकर किसी दरवाजे पर पहुंच सकते थे. यह लड़का सुबह उठकर पढ़ रहा है या नहीं ? या घर में कोई समस्या है ? या किसी के घर कोई घटना या झंझट हो गया है, तो उसके निदान या हल में जुटे रहते. खेत में बुवाई समय से नहीं हुई या मवेशी के लिए चारा की समस्या है या कोई बीमार है, शादी- विवाह का मामला है, कोई आपसी झंझट है, घर-घर की समस्याओं की फेहरिस्त या सूचनाएं उनके पास होतीं. क्या मदद हो, इसका उपाय भी होता. लंबे थे, तेज चलते थे. गांधीवादी टोपी पहनते. उन्हें लोगों ने आजीवन सरपंच बनाकर रखा. फिर हमारे ओस्ताद बाबा थे. दियारे में गंगा और घाघरा की धारा, कटाव में खेतों या टोलों को निगल जाती. फिर उस जमीन को निकलने में 25 या 50 वर्ष लगते या नहीं भी निकलता. पर अगर नया दियारा बने, तो वहां खेती कर रात में रहना भी होता. उस सुनसान, बियाबान में वह रहते. खेती के माहिर और दियारे की जमीन पहचानने की उनमें अद्भुत क्षमता थी. हमेशा दूसरों का भला कैसे हो, सोचते थे. कभी कोई हल्की या ओछी बात नहीं करते.

उसी तरह एक समा बाबा थे. अपढ़. अद्भुत गायक. हार्मोनियम बजाते. शाम को सुंदर राग में टेरते या गाते या अलापते. अपने बड़े भाई बहोरन बाबा के साथ गांजा भी पीते. दोनों भाई मशहूर पहलवान थे. लाठी भांजनेवाले. एक रामकेवल थे, शाम को गांजा पीने में वह साथ होते. गांजा चढ़ता, तो प्रायः झगड़ा होता आपस में. बैठे-बैठे बंटवारा वगैरह सब हो जाता. सुबह रामकेवल पूछते, कि बंटवारा का क्या हुआ ? दोनों भाई रामकेवल पर गुस्साते, बुरबक हो क्या ? जीते जी भाइयों में बंटवारा होता है ? वह तो नशे में हुआ बंटवारा था. परिश्रम से काफी चीजें अर्जित की, कोलकाता में. अपने धुन और मौज के पक्के. भूत के किस्से बताने-सुनाने वाले. आतिथ्यप्रेमी. रामायण-महाभारत, चैता, फगुआ कंठस्थ. बगैर संगीत शिक्षा हार्मोनियम के जानकार. लोकसंगीत के ज्ञाता. पर मुकदमा लड़ने में माहिर. आनबान, शान की लड़ाई में न जाने आज के मूल्य में कितने सौ करोड़ की संपत्ति गंवा दी. खासतौर से कोलकत्ता में अर्जित. फिर भी गम नहीं. उतने ही सहज, आत्मीय और भले. कोई छल-कपट नहीं. हमारे एक अन्य चाचा बिंदा सिंह थे. 50 के दशक में टीएनबी

कॉलेज, भागलपुर से पढ़कर आए. उनके साथ के लोग पुलिस में दारोगा हुए. फिर डीजीपी हुए. वे भी नौकरी में गए. लेकिन छोड़ कर गांव लौट आए. खेती और भगवान की भक्ति. साधुओं का स्वागत और सत्संग, यही उनकी दिनचर्या थी. सबसे अधिक स्नेह वे अपने भतीजों से ही करते. उन्होंने हमें सबसे पहले नेसफिल्ड की अंग्रेजी ग्रामर पढ़ने को कहा. घर में लुंगी पहनकर कोई घूम नहीं सकता था या शाम को, समय से दरवाजे पर लौटना जरूरी था. लालटेन जलाकर महावीर स्थल को दिखाना और पढ़ना तय कार्यक्रम थे. परिवार बंट चुका था, फिर भी हर दरवाजे के गार्जियन लाला ही थे. वह सुबह-सुबह उठकर 4 से 5 के बीच सूरदास के भजन गाते. उनसे सुने भ्रमर गीत आज भी कानों में गूंजते हैं. तब समझा. बहुत नहीं, पर यह एहसास हो गया था कि यह जीवन बहुत कुछ है नहीं. भौतिक कामनाओं की एक सीमा है. इसी तरह स्कूल में एक बुजुर्ग पंडित जी थे. हर मंगलवार की सुबह वह स्कूल के मैदान में बच्चों को बैठा कर गीता का पाठ व प्रवचन करते. तब कुछ समझ में नहीं आता. बच्चे उनकी बकुली चुरा लेते. बहुत गुस्साते. बकुली लेकर दौड़ाते. फिर भी कथा की शैली में गीता और पुरानी, पौराणिक सांस्कृतिक धरोहरों की अनमोल बातें बताते.

एक टकमानो आजी थीं. बचपन में ही विधवा हो गईं. ससुराल से लौट आयीं. गांव के लोगों ने एक मड़ई लगा दी. आजीवन उसी में रहीं. अकेले ही. गांव उनकी सुध लेता था. उनके घर में कोई था नहीं. गांव के बुजुर्ग, सम्मानित लोगों को भी फटकार सकती थीं. कोई उनकी बात का जवाब नहीं देता था. न जाने ऐसे कितने लोगों से ही मेरा गांव बना था या देश के हर गांव लगभग ऐसे ही मिजाज और संस्कार के थे. ये सदियों से उस भारतीय ग्रामीण संस्कृति के प्रवाह के हिस्से या अंग थे, जिसे देख राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने कहा,

' अहा ग्राम्य जीवन भी क्या है,
क्यों न इसे सबका मन चाहे,
थोड़े में निर्वाह यहां है,
ऐसी सुविधा और कहां है '

ग्राम्य जीवन को गांधी ने भी नजदीक से देखा था . उनका सही निष्कर्ष था कि इन गांवों को स्वायत्त बनाकर विकसित करना ही भारत के हक में होगा. शायद गांव की सांस्कृतिक धारावाहिकता या पुरातनता के कारण ही मुहम्मद इकबाल को लिखना पड़ा-

यूनां, मिस्र, रोमा, सब मिट गए जहां से,
बाकी मगर है अब तक, नामो निशां हमारा

इसीलिए गांधी ने गांव के विषय में कहा, 'गांव कितने प्राचीन रहे हैं, कितनी प्राचीन संस्कृति रही है हमारी'. महात्मा गांधी जहां गांव की खराबियों को दूर कर उन्हें सुंदर, स्वच्छ बनाना अपना कर्तव्य समझते थे, वहीं वे ग्रामवासियों की जीवन शैली से भी सात्विक, आध्यात्मिक जीवन सूत्र सीखना वांछनीय समझते थे.

पर हमारे देखते-देखते आधुनिकता नए रूप में प्रवेश कर रही थी. विकास की पश्चिमी अवधारणा भारत की आत्मा गांवों को, उसकी खूबियों को लीलने व प्रदूषित करने लगी थीं. कई बार लगता है कि बचपन और छात्र जीवन के मेरे गांव में न सड़क थी. न बिजली. न सुविधा व चिकित्सा के साधन. दूर संचार की बात तो सपना था. गरीबी थी. अशिक्षा थी. आज इसमें बहुत सारी चीजों का एक सीमा तक हल निकला है. न वैसी गरीबी है. न अन्य चुनौतियां. जगह-जगह स्कूल खुल गए. अब नीम के पेड के नीचे पढ़ने की मजबूरी नहीं. बोरा और पटरी लेकर जाने की जरूरत नहीं. ये सारी चीजें बदलीं, पर कुछ अनमोल खो गया. वह रिश्ता, वह अपनत्व, वह बुजुर्गों के स्नेह की छाया. अपना-पराया के फर्क की वह आग दरवाजे-दरवाजे दस्तक दे रही है. भौतिक होड़ है, पैसा भगवान है. जाति, उभर रही है.

बचपन मे मेरे गांव में बाजार नहीं थे. तुरहा-तुरहीन घूम-घूमकर चीजें बेचते. आम, तरबूज, खरबूज वगैरह भी. लोगों का उनसे आत्मीय रिश्ता होता. बर्तन बेचने वाले ठठेरा घूमते. फुलहा, पीतल और जस्ता या अल्युमिनियम के बर्तन होते. वे घोड़े पर या माथे पर बेचते. जूता वगैरह गांव में ही बनता. याद है 14 वर्ष की उम्र में पहला जूता बना था. घर से लगभग तीन किलोमीटर दूर. जूता बनाने वाले ने बनाया. महीने-डेढ़ महीने का समय लिया होगा. बचपन था. उत्सुकता थी. जूते का आकर्षण था. घोड़ी पर बैठ कर उसे कई बार देखने गया. जूता बन गया, तो घोड़ी पर ही हाथ में लेकर लौटा. कीमत याद नहीं. शायद 10-12 रुपये कुछ था. कपड़ा साल में एकाध बार, घर में शादी वगैरह के अवसर पर बनता. तब कपड़ों के लिए बाजार जाना होता था. लगभग 15-20 किलोमीटर दूर. नाव से, फिर टमटम या रेल गाड़ी से छपरा. फिर रिक्शा से या पैदल बाजार तक.

आज जब याद करता हूं, तो वे सामान्य बाजार थे. कस्बानुमा. पर वही छपरा, आरा शहर के रूप में मान्य थे. शादी विवाह या गमी (किसी के मरने पर) किसी आयोजन या भंडारे में टायर गांड़ी या नाव से उन्हीं जगहों लोग बाजार करने जाते थे. खेती होती. अन्न उपजता. लोग जमीन में गाड़ देते. उपर से मिट्टी से ढक देते, उसे गांव में खाद या बखार कहते हैं. कुछ मिट्टी से बने बड़े-बड़े 'छोड़' (मिट्टी के बड़े बर्तन) में रखते.

गांव में खेती प्रधान उत्सव अधिक थे. आसपास लगने वाले बड़े मेलों

की धूम होती. जहां मवेशी भी बिकते. हुनर के तहत बनी चीजें उपलब्ध होतीं. जब बरसात के बाद हल, विश्राम के बाद खेतों में उतरता, तो पूजा-पाठ से शुरूवात होती. गांव के मुहावरे में 'समहूत' कहते. होली का उत्सव होता. होली के गीत ढोल-मंजिरे लेकर घूम-घूम कर गाते. अमीर हो या गरीब, सबके दरवाजे जा कर फाग गाते. चैता होता . रातों में ढोल और झाल लेकर चैता, फाग वगैरह के गीत होते . रामायण का पाठ होता. हरिकीर्तन होते. पर्व अनेक थे. शायद कृषि प्रधान समाज या खेतिहर समाज को लगातार जीवंत रखने, बांधने और मनोवैज्ञानिक रुप से व्यस्त रखने के लिए. शादियां होतीं. घर-घर से बिस्तरें या चौकी या खाट जुटाये जाते. बारात एक दिन ठहरती थी. लड़की की शादी में माड़ो सजाये जाते. पूरे गांव के सक्रिय युवा उत्साह से भाग लेते. मृत्यु हो तो पूरा गांव एकत्र होता. हर मदद के लिए लोग तत्पर होते. गरूण पुराण का पाठ कहीं-कहीं होता. गांव के लोग एकत्र होते. किसी के घर मौत (गमी कहा जाता) होने पर लोग हमेशा उसके दरवाजे पर काम-क्रिया तक रहते. अपने-अपने घरों से खाना बनवा कर लाते. गांवों में उत्सव, शादी-व्याह, पूजा-पाठ, श्राद्ध वगैरह के काम 'इवेंट मैनेजरों' के भरोसे नहीं होते. अब हालात बदले हैं.

धीरे-धीरे समय के प्रवाह ने उन रीति-रिवाजों को भी बदला. पहले गांवों से जो लोग बाहर जाते थे, वे रिटायर होकर गांव ही आकर बसते. गर्मियों की छुट्टियों में सपरिवार बाल-बच्चों समेत गांव रहने आते. अब लोग गांव छोड़ने के लिए निकलते हैं. प्रतिभाएं गांवों से बाहर निकल गयीं. खेती में अब रूचि नहीं. खेत बोझ हैं. हां सरकारी योजनाओं से अधिक से अधिक लाभ मिल सके, यह कोशिश रहती है. बिना परिश्रम धन कमाने की भूख प्रबल है. इसी अंचल से निकले देश के जानेमाने साहित्यकार-निबंधकार पद्म श्री डॉ. कृष्ण बिहारी मिश्र, ने गांवों में आये बदलाओं और पराभाव को देखकर ही यादगार पुस्तक दशकों पहले लिखी 'बेहया का जंगल'. तब भोजपुरी में अश्लील गाने कम होते थे. भोजपुरी के शान थे, कबीर के निर्गुन. गोरखपंथी योगियों के विहवल करने वाले गीत. महेंद्र मिश्र, भिखारी ठाकुर या भोला सिंह गहमरी जैसे लोगों के गीत. इसी अंचल से हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी. पंडित परशुराम चतुर्वेदी (संत साहित्य के मर्मज्ञ), महान इतिहासकार भागवतशरण उपाध्याय. लेखक अमर कांत, कवि केदार नाथ सिंह, दूधनाथ सिंह वगैरह-वगैरह. जेपी, चंद्रशेखर का इसी अंचल से रिश्ता रहा. अब इस गांव में पहुंचने के कई माध्यम हो गए हैं. बिहार की तरफ से आने के लिए माझी में बना सरयू नदी पर पुल है. इधर दक्षिण से गंगा पर आरा होकर गांव पहुंचने के लिए पीपे का पुल है. बलिया से आने के लिए सड़क मार्ग से, सड़क भी बन गयी है. पर भीड़ बेतहाशा बढ़ी है. गाड़ी लगभग घर-घर है. दोपहिया व चारपहिया. सरकारी योजनाओं में मीडिलमैन बनने की मारामारी है. राजनीति ने बाकी हर चीज को पीछे छोड़ दिया है. यही अहम है. रिश्ते में, सामाजिक संबंधों में, जातीय संबंधों में, राजनीति ही प्रभावी भूमिका में है. गांव के आपसी बरताव में भी अब राजनीति है. इंच-इंच जमीन की लड़ाई है. घर में आपस में है. फिर बाहर है. नैतिक-अनैतिक का द्वंद्व मिट रहा है. जो सबल, सक्षम और प्रभावी, वही आगे है. जो जीता, वही सिकंदर है. अब पहले की तुलना में बुनियादी चीजों के मापदंड बदल चुके हैं.

तब पूजा-पाठ का दिखावा नहीं था. पर श्रद्धा से पूजा होती. बिना तड़क-भड़क. अब दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा वगैरह में चंदा वसूली है. शराब का सेवन है. तब जरूरत के अनुसार बाजार जाना होता. आज बाजार पर जाकर शाम की बैठकी, साथ चाय या शराब सेवन मर्यादा है. उस पुरानी व्यवस्था में बड़ी चुनौतियां थी. मुसीबतें भी. लोग साल भर का उधार लेते, खेती होने पर चुकाते. शादी या बीमारी में कर्जदार बन जाते. दुकानदार अपनी बही-खाते में नोट कर लेते. अब उस गांव में न जाने कितनी संख्या में मिनी बाजार उपज गये हैं. गांव की भाषा में इसे चट्टी कहते हैं. इन चट्टियों पर हर चीज उपलब्ध है. मादक पेय और नशीली चीजें भी. यानी शराब. यह देखता हूं, तो बचपन की एक स्मृति उभरती है. 69-70 की बात. गांव में उत्तर की ओर से एक व्यक्ति घइला (घड़ा) में ताड़ी लाया (ताड़ से निचोड़े जानेवाला मादक पेय). अगले दिन पूरे 27 टोलों में (बिहार-उत्तर प्रदेश स्थित तीनों जिलों के इस गांव में) यह चर्चा का विषय था. बुजुर्गों के लिए नैतिक सवाल था. सर्वोदयी चाचा चंद्रिका सिंह ने सभी टोलों के प्रमुख लोगों को खबर भेजी कि हम कहां जा रहे हैं ? बच्चों, समाज, गांव का क्या भविष्य होगा ? उस व्यक्ति को उसके ही गांव के बुजुर्ग लोगों ने बुलाया. तहकीकात की. उसे नष्ट करवाया. कहा आइंदा ऐसा न करें. घाट के घटवार और मल्लाह (नाविक) को अगाह किया कि सावधान रहें कि इसके बाद दियारा में उधर से ऐसी चीजें न आये. अब, तो गांव-गांव में चट्टी पर पीने वालों की भीड़ रहती है. शराब बनती है. कम ही घर बचे हैं, जहां पीने का शौक नहीं पहुंचा है. शहर से इस दियारे में आकर शराब पीना बढ़ गया है, क्योंकि बिहार के शहरों में सख्त पाबंदी है. बिहार के गांवों में असर है. पर, यूपी इलाके में मुक्त है.

पहले बाजार दूर होने की तकलीफें बहुत थी. अब घर में बाजार पहुंच चुका है, तो उसकी चुनौतियां अलग हैं. प्रायः गांव जाता हूं. जब भी इन चट्टियों से होते हुए लौटता हूं, तो एक खालीपना और उदासी का

बोध होता है. कठिनाइयों और मुसीबतों से निकले जरूर, पर पहुंच कहां गये ? पहले ऋण लेने से परहेज था. अब चार्वाक लोकप्रिय हैं. सरकारी बैंकों-संस्थानों से ऋण लें, फिर न लौटायें. यह चलन है. यकीन है कि यह तो माफ हो ही जायेगा.

जिस गांव में शिक्षा की भूख बढ़ी, वह भी खुद के कारण नहीं, अध्यापकों के कारण. वे पुराने किस्म के अध्यापक थे. धोती-कुर्ता वाले. हर साल इंक्रीमेंट और तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलन करने वाले नहीं, बल्कि अपने बच्चों को शिक्षित करने की प्रक्रिया में आत्मसुख पाने वाले (अपवाद हर दौर में होते हैं, तब भी थे, आज भी हैं). एक खास अध्यापक को मैं याद करूंगा वह मेरे हाई स्कूल के अध्यापक थे. घर पर ही रहते थे. परिवार के सदस्य की तरह.

न कभी डांटना. न कभी फटकारना. न छड़ी दिखाना. पढ़ाई के प्रति मोटिवेशन पैदा करना. नैतिक बोध कराना. एक घटना तो मामूली थी, पर उसने गहरा असर डाला. घर से थोड़ी दूर बड़ा दोचारा था (देशज अर्थ में पुरुषों को रहने-ठहरने का ड्राइंग रूम). फूस की बड़ी झोपड़ी, जिसमें 8-10 लोग सोते थे. जाड़े के दिनों में पुआल लगता था. 15-20 लोगों की सोने की जगह होती थी. जीवन बड़ा सादा-सरल था. प्रकृति पर निर्भर. बहुत बाद में 'हेनरी डेविड थोरो' को पढ़ा. कैसे वह सब नगर, भौतिक सुख- सुविधाएं छोड़ कर एक तालाब के किनारे रहने चले गए थे. बिल्कुल प्रकृति के भरोसे. कम से कम जरूरतें. थोरो 19वीं सदी के चिंतक थे. उन्हें ट्रांससींडेंटलिस्ट कहा गया. अपने निबंध 'सिविल असहयोग' के लिए वे प्रख्यात थे. गांधी जी इस अमेरिकी विचारक से प्रभावित रहे. थोरो का निष्कर्ष था कि संसार में स्वविवेक ही अंतिम कानून है. ईश्वर ने मनुष्य को शक्ति दी है कि वह स्वविवेक का इस्तेमाल करे. थोरो का यही दर्शन गांधी जी के लिए सत्याग्रह का आधार बना. थोरो की प्रार्थना को गांधी जी ने 'प्रार्थनाओं की प्रार्थना' माना.

' हे प्रभो ! मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं अपने को अपनी करनी से कभी निराश न करूं. मेरे हस्त, मेरी दृढ़ता, श्रद्धा का कभी अनादर न करें. मेरा प्रेम मेरे मित्रों के प्रेम से घटिया न रहे. मेरी वाणी जितना कहे- जीवन उससे ज्यादा करता चले. तेरी मंगलमय सृष्टि का हर अमंगल पचा सकूं, इतनी शक्ति मुझ में बनी रहे .'

थोरो दार्शनिक थे. प्रकृतिवादी नैतिक सिद्धांतों के आग्रही. 1817 में वह कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स अमेरिका में जन्मे. हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक किया. जीवन में अनेक प्रयोग किये. वह तालाब के किनारे रहे. कुछ दिन तपस्वी जीवन जिया. मांश, शराब, तंबाकू सब कुछ छोड़कर. प्रकृति के साथ तादात्मय बैठाते हुए. आस-पास के पौधे और जीवों का विस्तार से रिकॉर्ड तैयार किया. अपने इन अनुभवों को वाल्डेन में लिखा. इस तरह से दुनिया को नयी राह दिखाने वाले इंसान रहे. कम से कम सुविधा के बीच प्रकृति से लय बैठाकर जियें, यह चाहत रही.

आज दुनिया में मिनिमलिस्ट (कम से कम सुख-सुविधा के बीच रहने की आदत बनाना) आंदोलन चल रहा है. बढ़ते उपभोग की अपनी चुनौतियां हैं. प्रकृति पर असर है. पर्यावरण संकट है. पीने का पानी दूषित हो रहा है. उपभोक्ता संस्कृति और इस टेक्नोलोजी से चलने वाली दुनिया से जो अवशिष्ट (कचरा) पैदा हो रहा है, उससे निपटना दुनिया के लिए नयी चुनौती है. पर तब के मेरे गांव, परिवेश कठिन चुनौतियों से घिरे थे. फिर भी प्रकृति से न्यूनतम साधनों को लेकर इंसान जीता था. पुरुषों के रहने-सोने के लिए जो बैइठका या दोचारा बनता, वह भी खर-पतवार और सरकंडा से. रात को आठ बजते-बजते लगता आधी रात हो गयी. शाम में ही लगभग भोजन का रिवाज था. घर से अपने उस अध्यापक 'सुरेश गिरी' का शाम का खाना लाया. घर और दोचारे के बीच घुप्प अंधेरा. सांप, बिच्छू के डर होते थे. टर्च घर में होता था, पर एकाध. मिल-बांट कर काम करने की परंपरा थी. जाड़े के दिन थे. गिरी जी कि तबीयत नसाज थी. खाने के बाद पानी लाया, लोटे में. उन्होंने पूछाः पानी छनवा लिये हो ? हमने कहा, हां. कुएं से पीने का पानी आता था. मैंने गलत बोला था. जाड़े में दोबारा दोचारा से घर जाने, अंधेरे से बचने और ठिठुरन से बचने के कारण. शायद ! तब तक एक लालटेन मिल गया था, पढ़ने के लिए. लालटेन की रोशनी में उन्होंने पानी को निहारा. देखा उसमें मेढक का छोटा बच्चा है. गलत बोलने पर छड़ी से पिटाई की भी परंपरा थी. पर गिरी जी ने कुछ नहीं कहा. उन्होंने बस दिखाया पानी और कहा कि तुमने कहा कि छनवा लिए हो, देखो. इसके बाद और कोई टिप्पणी नहीं. सिर्फ यही कहाः दूसरा पानी ला दो.

मेरे किसोर मन-मस्तिष्क पर इस घटना का गहरा असर हुआ. आमतौर से जीवन में ऐसी स्थिति न आए, इसकी शिक्षा ऐसे ही अध्यापकों से मिली. पढ़ने की आदत विकसित हुई. क्योंकि ऐसे अध्यापकों ने बताया कि शिक्षा का मर्म क्या है ? पढ़ने की भूख या ललक पैदा करना, ऐसे लोगों ने किया. गिरी जी ने एक आदत डलवाई. गांव में शाम सात-आठ बजे खाकर सो जाने की परंपरा थी. पढ़कर अच्छे नंबर पाने की मनोवैज्ञानिक लालसा उन्होंने पैदा की. फिर कहा, शाम को खाकर सो जाना. रात में दो-ढाई बजे उठकर सुबह तक पढ़ो. लगभग दो साल, उन्होंने इस कार्यक्रम को अपनाने

को कहा. मैट्रिक परीक्षा के पहले. याद है यह प्रक्रिया शुरू हुई, तो कितनी दिक्कतें आई. कुर्सी पर बैठकर नींद आती. धीरे-धीरे आदत पड़ी, उठकर पांच-सात मिनट बाहर चांदनी रात होने पर टहलता. आज लगभग पांच दशक हो गए, प्रकृति की जिस निस्तब्धता, मुखर मौन का तब एहसास हुआ, वह अब नहीं मिलता. चांद का जो सौंदर्य देखा, वह फिर कहां मिला ? कृष्णपक्ष के अंधियारे में आसमान में जो तारों का सौंदर्य देखता, सामने के बगीचे के पेड़ दिखाई देते. दरवाजे के आगे का विशाल पाकड़ पेड़ या लंबा अशोक पेड़ झलकता. तब पंत की कविता कि पंक्तियां, जो बाद में पढ़ी, का एहसास होताः

स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार
चकित रहता शिशु सा नादान,
विश्व के पलकों पर सुकुमार
विचरते हैं जब स्वप्न अजान,
न जाने नक्षत्रों से कौन
निमंत्रण देता मुझको मौन!

पूस और माघ के भयावह जाड़े में जो खेखर, सियार वगैरह की आवाज गूंजती, अब वो आवाज सुनने को नहीं मिलती. प्राकृतिक घास पर जो ओस की बूंदे होतीं, वे रजत कड़ याद आते हैं. खुले आसमान के नीचे गांव में सोने की परंपरा थी. उसका जो आनंद मिलता, प्रकृति के छत के साये में रहने का, वह अब दुर्लभ है. न मेरे गांव में उसके दूर-दूर तक चिह्न रह गये और न इस पीढ़ी ने यह देखा या जीया है. प्रकृति से एक रूप होने की भूख, गांव ने ही मन-मस्तिष्क में पैदा की. बहुत बाद में काका कालेलकर का एक प्रसंग पढ़ा.

वह मध्यप्रदेश के झाबुआ के एक भील बच्चे को दिल्ली लाए, उसके पढ़ने से लेकर सब चीजों का बंदोबस्त किया. गांव की अपेक्षा अधिक भौतिक सुविधाएं मिली.

कुछ महीने बाद उन्होंने पाया कि रात में, उसके सुबकने की आवाज आ रही थी. छत पर खुले आसमान में कई लोग सोये थे. कालेलकर भी थे. वो बच्चा भी था. आवाज दी. पूछा, क्यों सुबक रहे हो ? पहले, तो वह लड़का बोला नहीं. बहुत कुरेदने पर, उनके सवालों का जवाब दिया. काका साहब ने पूछा, क्या तुम्हें खाने की दिक्कत है, कोई और असुविधा है, कोई चीज चाहिए, क्या परेशानी है ? गांव या घर पर कोई घटना हो गयी है या शहर में तुम्हारे साथ कोई अप्रिय प्रसंग हुआ है ?

बच्चे ने कहा, कुछ भी नहीं. यहां तो बहुत सुविधाएं हैं. हमने बिजली पहली बार देखी. खाना बहुत अच्छा मिलता है. लोग बहुत अच्छे हैं. कपड़ा अच्छा पहनता हूं. पहली बार शहर में रहता हूं. बहुत सी चीजें जीवन में पहली बार यहां आ कर देखी. बहुत सुख से हूं. पर मुझे अपना गांव चाहिए. रातों के सुनसान आसमान में जंगल के बीच वो चमकते तारे, आसमान का वह अक्षत सौंदर्य, गाय के बछड़े का वह फूदकना, गायों का रंभाना, गांव का वह सामूहिक गीत-नृत्य सब कुछ बहुत याद आते हैं. मैं यहां रह नहीं सकता, कृपया मुझे गांव, मेरे परिवेश में वापस कर दें.

यह पढ़ा प्रसंग जब-जब स्मृति में उभरता है, मुझे अपने गांव में गुजारे दिन, खासतौर से देर रात में उठकर देखा गया वो आसमान, प्रकृति का वह रूप या उन अंधेरिया (अंधकार) रातों या टहटह अंजोरिया (चांदनी) में देखे, वे पौधे-पेड़, मवेशियों के दृश्य, दूर तक मीलों-मीलों पसरे खेत-खलिहान, दरवाजे का एक मात्र कुंआ, खेती, अपने पशु गाय, भैंस, बैल, घोड़ी, बछड़े, पालतू देहाती कुत्ते वगैरह याद आते हैं. यह मालूम है कि अब न वह गांव है, न वे लोग हैं, न वह परिवेश है. गांव में ही गीता के उपदेश में पंडित जी ने कहा था, असल चीज काल यानी समय है. यह निरंतर प्रवाहमान है. गतिमान है. चरैवेति-चरैवेति.

इस बदले हुए परिवेश को समझने के लिए मेरे गांव में आए बदलाव (शायद देश के सभी गांव में आए बदलावों) के लिए लगभग चार दशक पहले पढ़े गए चार उपन्यास याद आते हैं. राही मासूम राजा का 'आधा गांव'. शिव प्रसाद सिंह का 'अलग-अलग वैतरणी'. फणीश्वरनाथ रेणु का 'मैला आंचल' और श्रीलाल शुक्ल का 'रागदरबारी'. आजाद भारत में गांव बदले, कैसे मूल्य परिवर्तित हुए, इसका समाजशास्त्रीय अध्ययन बहुत है. पर हिंदी के इन उपन्यासकारों की ये चार क्लासिक रचनाएं 60-70 के दशकों में गांव के समाज व परिवारों मे आए बदलाव का श्रेष्ठ अध्ययन है. इस अध्ययन की पृष्ठभूमि में ही अपने उस गांव को बार-बार समझने की कोशिश करता हूं. पांच दशकों के काल प्रवाह में बार-बार मुड़कर लौटता हूं. निजी घर में कोई स्वजन लगभग बचा नहीं, फिर भी प्रायः साल में कई बार जाता हूं. अपने गांव, उस धरती पर. घर में आज भी मामूली सुविधाएं ही हैं. फिर भी मन नहीं मानता, बार-बार आना जाना है. शायद, अतीत को जीने, अपनी जड़ समझने, ऊर्जा पाने, उस धरती को प्रणाम करने,

(अप्रैल 2020 में पत्रिका 'पंचायत' के लिए लिखा गया आलेख)

बारह सालों का संसदीय सफर : बातचीत

2020 में हरिवंश के पहले कार्यकाल (2014–2020, सांसद एवं उपसभापति के रूप में) की एक रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित हुई थी. इसमें उनकी पाँच वर्षों की संसदीय यात्रा का विवरण था. इसकी एक प्रति इस पुस्तक के पिछले कवर के अंदर छपे क्यूआर कोड के माध्यम से उपलब्ध है. उस अंक में हरिवंश के साथ एक विस्तृत प्रश्नोत्तर संवाद प्रकाशित हुआ था, जिसमें उनके व्यक्तिगत जीवन से लेकर सार्वजनिक दायित्वों तक, अनेक विषयों पर चर्चा है. वे प्रश्न इस संस्करण में दोहराए नहीं जा रहे हैं. यह संवाद केवल कुछ चयनित विषयों पर केंद्रित है. प्रस्तुत है, इस चर्चा का संक्षिप्त एवं संपादित अंश.

संसद आने से पहले पहले, प्रधानमंत्री कार्यालय में अल्पकालिक अनुभव को छोड़कर, आपने राजनीति, सत्ता और शासन को एक पत्रकार के रूप में बाहर से देखा था. सक्रिय संसदीय राजनीति का आपका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं था. संसद में आने के बाद आप पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? आपने क्या नया सीखा? आपके बारह वर्षों के अनुभव का सार क्या है?

इन बारह वर्षों में मुझे चार वर्ष, सांसद के रूप में तथा शेष आठ वर्ष उपसभापति के दायित्व निर्वहन का मौका मिला. ये वर्ष मेरे लिए समृद्ध अनुभवों से परिपूर्ण है.

एक सांसद के रूप में हमने देखा कि जो सदस्य पूरी तैयारी के साथ आते थे, विचारपूर्ण हस्तक्षेप करते थे, सदन की गरिमा बनाए रखते थे, वेल में जाने से बचते थे और तथ्यों एवं तर्कों के साथ गंभीरता से अपनी बात रखते थे, उन्होंने मुझे गहराई से प्रभावित किया. उनसे हमने संसदीय प्रक्रिया की बारीकियों को समझा और आज भी सीख रहा हूँ.

जब भी किसी दल या विचारधारा के सदस्य ने तैयारी, तक और तथ्यों के साथ अपनी बात रखी, उन्हें हमने अत्यंत ध्यान से सुना.उनसे सीखने का प्रयास किया. हमारी परंपरा में हमें प्रकृति से, प्रत्येक जीव से, यहाँ तक कि वृक्षों और पौधों से भी सीखने की शिक्षा दी जाती है. सीखना और समझना आज भी अपना स्वभाव और रुचि है.

जब पहली बार सांसद बना, तब हमें तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से मिलने का अवसर मिला. उन्हें संसदीय ज्ञान का गहन अनुभव था. उन्होंने एक सलाह दी. यह सुझाव या सलाह हमारे संसदीय जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बना. उन्होंने बताया कि जब वे पहली बार संसद में आए थे, तब श्री एम.सी. छागला ने उन्हें सलाह दी कि सांसद का प्रमुख कर्तव्य है, सदन में निरंतर उपस्थित रहना, चाहे उसे बोलना हो या नहीं. कार्यवाही को आरंभ से अंत तक देखकर व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है. महामहिम प्रणब बाबू ने कहा कि हमने सचेत रूप से इस मार्ग का अनुसरण किया.

जब पहली बार उपसभापति बना, तब राज्यसभा के माननीय सभापति आदरणीय एम वेंकैया नायडू जी थे. लंबे राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के अनुभव से संपन्न. संसदीय नियमों के गहरे जानकार. अनुशासन के पक्के. उनसे काफी सीखा. संसदीय परंपराओं—नियमों के बारे में जानकार. संसदीय नियमों की बारिकी से पालन हो, यह उनकी प्राथमिकता रहती थी. उनके मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला. उनसे काम—काज सीखा. आज भी जब कभी उनसे मिलता हूं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. पिछले साल हैदराबाद गया, तो उनसे मिलने गया. 11 जुलाई 2025 को उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई. मुलाकात के बाद अपने ट्वीट पर उन्होंने तसवीर साझा कर लिखा, "Shri Harivansh ji , Deputy Chairman of Rajya Sabha paid a courtesy call at my residence in Hyderabad today. Before Harivansh Ji transitioned to politics, he was a well-known journalist & took the Hindi daily, Prabhat Khabar to new heights with his flair for investigative journalism.

Harivansh Ji belongs to a rare & diminishing breed of public figures who are known for their adherence to


M Venkaiah Naidu @MVenk... · 11 Jul 25
Shri Harivansh ji , Deputy Chairman of Rajya Sabha paid a courtesy call at my residence in Hyderabad today.

Before Harivansh Ji transitioned to politics, he was a well-known journalist & took the Hindi daily, Prabhat Khabar to new heights with his flair for investigative journalism.
Harivansh Ji belongs to a rare & diminishing breed of public figures who are known for their adherence to principles & values. Harivansh Ji assumed office as Deputy Chairman of the Upper House when I was Vice President of India & the Chairman of Rajya Sabha. He used preside over the House with great tact & a smiling face & is highly respected by members of all political parties. During my tenure, Shri Harivansh Ji was of tremendous help to me in running Rajya Sabha smoothly.
@harivansh1956

principles & values. Harivansh Ji assumed office as Deputy Chairman of the Upper House when I was Vice President of India & the Chairman of Rajya Sabha. He used preside over the House with great tact & a smiling face & is highly respected by members of all political parties. During my tenure, Shri Harivansh Ji was of tremendous help to me in running Rajya Sabha smoothly.''

उनसे मुलाकात के बाद उनका यह ट्वीट प्रेरक था. हमने इसके जवाब में ट्वीट पर बस इतना ही लिखा,'यह हमारे जीवन का यादगार पल बना. आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह हमेशा अभिभूत करता है, ऊर्जा से भरता है. सादर आभार आपका.'

इसी तरह जब सांसद बनकर आया, तब सदन में माननीय उपसभापति आदरणीय पी.जे.कुरियन थे. उनसे आज भी हमारा निरंतर संपर्क है. कभी संशय या द्वंद्व की स्थिति हुई, तो आज भी उनसे या ऐसे वरिष्ठ लोगों से समझने की कोशिश करता हूं.

अपने कार्यकाल में हमने यथासंभव सदन में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की. उपसभापति के रूप में भी कार्यवाही के दौरान अधिकतम समय हमने सदन में रहने का प्रयास किया. स्थापित परंपरा के अनुसार, उपसभापति सदन के भीतर तभी बैठते हैं, जब माननीय सभापति अध्यक्षता कर रहे हों. उपसभापति की निर्धारित सीट, विपक्ष के नेता के साथ होती है. जब वाइसचेयरमैन पैनल का कोई सदस्य अध्यक्षता करता है, तब उपसभापति सामान्यत: सदन के भीतर नहीं बैठते. हालांकि जब मैं पीठासीन नहीं होता था, तब भी सदन में बैठकर प्रश्नकाल, शून्यकाल, विशेष उल्लेख अथवा अन्य किसी भी विषय पर हो रही चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनता था. स्वयं से पूछता था कि इससे क्या सीख सकता हूँ? ऐसा करते हुए देश के प्रति हमारी समझ अत्यंत गहरी हुई. जमीनी वास्तविकताएँ संसद में किसी भी अन्य मंच की अपेक्षा अधिक स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती हैं. वहीं से राष्ट्र की नब्ज महसूस की जा सकती है.

संसदीय कार्रवाई को सुनकर, एक महत्वपूर्ण तथ्य समझा. वह आर्थिक विकास से संबंधित है. जब हम विद्यार्थी थे, तब यह धारणा प्रचलित थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ धीमी गति से बढ़ती हैं, जबकि सर्वसत्तावादी व्यवस्थाएँ तेज गति से प्रगति करती हैं. हम संसदीय रक्षा समिति के सदस्य थे. इसकी अध्यक्षता मेजर जनरल बी.सी. खंडूरी कर रहे थे. तब रक्षा समिति की बैठक में गया. चीन का प्रसंग आता था. उसमें तेज तीव्र आर्थिक वृद्धि का विषय उठता. उस समिति में अनेक वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित सदस्य थे. इनमें एक पूर्व प्रधानमंत्री भी थे. सार्वजनिक जीवन के उच्च पदों पर आसीन रह चुके कई व्यक्तित्व उस समिति का हिस्सा थे. जवाब में ऐसे अनुभवी लोग कहते थे कि चीन की व्यवस्था तेज विकास को संभव बनाती है. किंतु हमारा सोचना था कि कि यदि हमारा पड़ोसी इतनी तीव्र गति से बढ़ सकता है, तो हम अपने लोकतांत्रिक ढाँचे में रहते हुए ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इन बैठकों के बाद कई अनुभवी सदस्य यह तर्क देते थे कि स्वतंत्रता के बाद से भारत की विकास दर प्रायः 2-3 प्रतिशत ही रही है. इसे प्रायः 'हिंदू ग्रोथ रेट' कहा जाता था.

आज भारत ने अपने अनुभवों से दुनिया को दिखाया है कि लोकतंत्र में भी तेज आर्थिक विकास संभव है. यह ऐतिहासिक उपलब्धि है. वर्ष 2012-13 के आसपास भारत 'फ्रैजाइल फाइव' अर्थव्यवस्थाओं में था. आज विश्व की तीव्रतम गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत है. भारत की यह यात्रा उल्लेखनीय है. स्वतंत्रता के लगभग साठ वर्ष बाद, 2007 में हम 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बने. 2014 तक हम 2 ट्रिलियन डॉलर पर पहुँचे. 2014 से 2019 के बीच, कोविड जैसी चुनौती के बावजूद, हमने 3 ट्रिलियन डॉलर का आँकड़ा पार किया. आज हम लगभग 4.50 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के निकट हैं. यह सब लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर संभव हुआ है. देश के लिए यह सामूहिक गर्व का विषय है.

हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये उपलब्धियाँ कैसे संभव हुईं? संसदीय बहसों में हमने सुना कि प्रधानमंत्री ने प्रमुख राष्ट्रीय परियोजनाओं की निगरानी हेतु 'प्रगति' पोर्टल की शुरुआत की. इस मंच के माध्यम से देशभर की बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा और उन्हें गति देने के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र स्थापित किया गया. ₹85 लाख करोड़ से अधिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएँ, जो विभिन्न कारणों से दशकों तक लंबित थीं. इनमें बजटीय प्रावधानों का अभाव भी प्रमुख कारण था. उन्हें व्यवस्थित रूप से पुनर्जीवित किया गया. पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा घोषित किंतु रेगुलर मॉनेटरिंग या अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव में रुकी ऐसी अनेक परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया. प्रधानमंत्री स्तर के इस हस्तक्षेप से विकास की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई. ऐसे नवाचारों को सामूहिक समर्थन मिलना चाहिए. ये राष्ट्रीय विकास से जुड़े विषय हैं. इन्हें दलगत राजनीति का विषय नहीं बनना चाहिए. इसी प्रकार के प्रयासों से भारत ने यह सिद्ध किया है कि लोकतांत्रिक ढाँचे में रहते हुए भी विश्व की तीव्रतम गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनना संभव है. यह श्रेष्ठ गवर्नेंस से संभव हुआ है. ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनसे हमें सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए.

आज संसद की भूमिका दलगत सीमाओं से परे होनी चाहिए. यदि कोई कमी या गंभीर चुनौती हो, तो उसे राजनीतिक सहमति से संबोधित किया जाना चाहिए. यह भी विधायिका की जिम्मेदारी है. सरकार और विपक्ष दोनों विधायिका के अंग हैं.

हमने पहले की संसदीय बहसों, प्रक्रियाओं, निर्णयों और पूर्व पीठासीन अधिकारियों के भाषणों का भी

अध्ययन किया. इतिहास सिखाता है कि अतीत की समझ भविष्य को बेहतर बनाती है. अक्सर जी.वी. मावलंकर के उस वक्तव्य पर विचार करता हूँ, जो उन्होंने 10 अप्रैल 1950 को लोक लेखा समिति को संबोधित करते हुए दिया था. उन्होंने कहा था (उनकी पुस्तक 'स्पीचेज एंड राइटिंग्स', पृष्ठ 76-77 में उद्धृत):

"यदि मैं कहूँ तो हमारे संसदीय जीवन में हमने रचनात्मक प्रतिभा के स्थान पर विनाशकारी प्रवृत्ति विकसित कर ली है. अनजाने में ही हम मंत्रियों और अधिकारियों की सद्भावना पर संदेह करने लगते हैं और मान लेते हैं कि बिना गंभीर अध्ययन या विचार किए, केवल सरकारी प्रस्तावों का विरोध करके ही हम देशहित की सेवा कर रहे हैं. इस दृष्टिकोण का परिणाम यह हुआ है कि आजादी और उत्तरदायी सरकार होने के बावजूद हम आज भी शासन की जिम्मेदारियों का वहन करने और साझा करने के लिए पूर्णतः तैयार नहीं हुए हैं.मेरा उद्देश्य दोषारोपण करना नहीं है, बल्कि केवल यह रेखांकित करना है कि हमें अपनी दृष्टि और समस्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा. केवल सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाओं में त्रुटियाँ निकालना पर्याप्त नहीं होगा. हमें प्रत्येक समस्या से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन करना होगा. यह विचार करना होगा कि यदि यह दायित्व हमें सौंपा जाए तो हम क्या करेंगे, और तब समाधान सुझाने होंगे."

हमारे विचार में यही बारह वर्षों के अनुभव का सार है-विधायी कार्य में रचनात्मक, समाधान-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना.महज आलोचना के लिए,आलोचना नहीं.

20 सितंबर 2020 को पारित कृषि कानूनों के संबंध में आपके खिलाफ मीडिया में प्रतिकूल टिप्पणियाँ आईं. आरोप लगाया गया कि आपने विपक्ष की आवाज़ दबाई और विधेयकों को पारित कराने में संसदीय नियमों का पालन नहीं किया. आज तक इस विषय पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है. क्या आप इन आरोपों की सच्चाई स्पष्ट करना चाहेंगे?

यह सच है कि आज तक इस विषय पर कोई सार्वजनिक वक्तव्य नहीं दिया है. मीडिया में मेरे विरूद्ध फैलायी जा रही विभिन्न निराधार बातों का खंडन करने के लिए घटना के दिन ही प्रेस कानफ्रेंस करना चाहता था. किंतु बताया गया कि हमारी संसदीय परंपरा के अनुसार, पीठासीन अधिकारी सदन के भीतर हुई कार्यवाही के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर स्पष्टीकरण देने के लिए औपचारिक प्रेस सम्मेलन नहीं कर सकते. और यह उचित भी है कि वे प्रक्रियात्मक विषयों पर, चाहे उन्हें बाहर कितना भी गलत चित्रित किया जाए, विपक्ष या मीडिया के साथ सार्वजनिक विवाद में न उलझें. राज्यपाल, न्यायपालिका के सदस्य तथा अन्य संवैधानिक पदाधिकारी भी इस प्रकार का संयम बनाए रखते हैं. उनसे इसी मर्यादा की अपेक्षा संवैधानिक परंपराओं में है. उसी परंपरा का पालन करते हुए हमने अब तक इस विषय पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की. निस्संदेह, हमारे जैसे व्यक्ति के लिए यह अत्यंत घुटन भरा अनुभव था. किंतु आज जब यह प्रश्न उठाया गया है, तो संबंधित तथ्यों को रिकार्ड पर रखना चाहूँगा.

कृषि विधेयक 20 सितंबर 2020 को, कोविड के दौरान, राज्यसभा की कार्य सूची में निष्पादन के लिए लिस्टेड थे. अनिवार्य सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए उन दिनों सदन में बैठने की विशेष व्यवस्था की गई थी. राज्यसभा की कार्यवाही तीन जगहों से संचालित हो रही थी. पहला राज्यसभा कक्ष. दूसरा लोकसभा कक्ष. तीसरा राज्यसभा के फर्स्ट फ्लोर की दीर्घाएं ताकि सदस्यों की शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जा सके. कोविड के दौरान सदन संचालन के लिए कुछ संभावित निर्देश जारी थे. सदस्यों को मास्क पहनना, एकत्र न होना, एक-दूसरे के निकट न आना और वेल में न जाने के निर्देश थे. सुबह या प्रात: काल में, दोनों सदनों की बैठकें क्रमशः आयोजित की जा रही थीं. सुबह राज्यसभा और अपराह्न यानी दोपहर में लोकसभा, जो प्रायः देर रात तक चलती थी. इन व्यवस्थाओं ने कोविड माहौल में पीठासीन अधिकारियों के लिए कार्य संचालन को और चुनौतीपूर्ण बना दिया था.

कृषि विधेयक पहले ही अध्यादेश के रूप में जारी किए जा चुके थे. ये विधेयक उन अध्यादेशों का स्थान लेने के लिए लाए गए थे. यह स्थापित संसदीय परंपरा है कि सरकार आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करती है. बाद में उन्हें विधेयक के माध्यम से अधिनियम में परिवर्तित करती है. लोकसभा इन विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी थी. यह भी उल्लेखनीय है कि यदि प्रतिस्थापन विधेयक पारित न हो, तो अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाता है और सत्र समाप्त होने के बाद उसे पुनः जारी करना पड़ सकता है.

संसदीय प्रक्रिया के अनुसार, प्रत्येक विधेयक पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है. इस समिति में विपक्ष के भी सदस्य थे. इन कृषि विधेयकों पर विचार और पारित करने के लिए चार घंटे का समय निर्धारित किया गया था.

जो भी व्यक्ति आसन से संचालन करता है, वह केवल नियमावली, परंपराओं और पूर्व दृष्टांतों के अनुसार काम करता है. उसे एक आधिकारिक 'रेड फोल्डर' प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रक्रियात्मक निर्देश उल्लेखित होते हैं. सदन संचालन में प्रक्रिया—नियम सर्वोपरि होते हैं. पीठासीन व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत पसंद या झुकाव का कोई स्थान नहीं होता.

इस प्रकरण में पृष्ठभूमि यह थी कि अध्यादेश पहले से जारी था. विधेयक के समर्थन और विरोध में राजनीतिक स्थितियाँ स्पष्ट थीं. इसे लेकर राजनीतिक मतांतर स्पष्ट था. सामान्यतः ऐसी परिस्थितियों में सरकार और विपक्ष कोई व्यावहारिक रास्ता या हल निकालने का प्रयास करते हैं. पर, इस मामले में व्यापक सहमति बनती हुई नहीं दिखी. हालांकि यह आसन के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है.

20 सितंबर को, नियमित कार्यवाही संपन्न होने के बाद और बहस शुरू होने के पहले, लगभग प्रातः 9:23 बजे विपक्ष ने इन कृषि विधेयकों से जुड़े अध्यादेश को निरस्त करने हेतु दो सांविधिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए. प्रक्रिया

के अनुसार संबंधित मंत्री ने विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव रखा. इसके अतिरिक्त विपक्ष के सदस्यों द्वारा सात संशोधन भी प्रस्तुत किए गए.

प्रातः 9:37 बजे हमने माननीय सभापति आदरणीय वेंकैया नायडू जी से आसन ग्रहण किया. इन विधेयकों के लिए तय चार घंटे में से लगभग तीन घंटे छियालीस मिनट चर्चा हुई. विभिन्न दलों के 33 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष और विपक्ष में वक्तव्य दिए या सदन में बोला. अतः यह आरोप कि विधेयक बिना चर्चा के पारित किए गए, तथ्यात्मक रूप से असत्य है. निराधार यह आरोप आज तक बार—बार लगाया जाता है. इस तरह बहस के लिए निर्धारित समय का लगभग पूर्ण उपयोग हुआ. शेष चौदह मिनट मंत्री के उत्तर के लिए बचे थे. उन्होंने संक्षेप में अपना वक्तव्य समाप्त किया. सदन के आधिकारिक अभिलेख में यह दर्ज है.

दोपहर 12:51 बजे मंत्री को उत्तर देने के लिए आमंत्रित किया गया. बैठक का समय दोपहर 1 बजे तक निर्धारित था, इसलिए आसन ने इस काम को पूरा करने के लिए 1 बजे के बाद बैठक बढ़ाने के लिए सदन की अनुमति चाही. यही परंपरा है. ठीक एक—दो दिन पहले एक विधेयक के संबंध में भी यही हुआ था. सदन की सहमति से लगभग 1:01 बजे बैठक बढ़ाई गई. यह संसद की सामान्य प्रक्रिया है.

ठीक इसी समय अव्यवस्था शुरू हुई. कोविड प्रतिबंधों के बावजूद सदस्य वेल में आ गए. कुछ सदस्य मंत्री के उत्तर के दौरान सरकारी बेंचों की ओर बढ़े और व्यवधान उत्पन्न किया. नियम पुस्तिका फाड़ी गई. आसन की ओर फेंकी गई. सदन संचालन के लिए चेयर के पास लगे माइक्रोफोन को क्षतिग्रस्त किया गया. आधिकारिक दस्तावेज छीने गए. स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख आसन ने व्यवस्था बहाल करने हेतु 1:25 बजे सदन को 1:42 बजे तक स्थगित कर दिया.

नियमों के अनुसार, किसी विधेयक पर चर्चा समाप्त होने के बाद, उसे क्लाज बाई क्लाज विचारार्थ लिया जाता है. प्रत्येक क्लाज को पहले ध्वनि मत से निर्णय के लिए सदन के सामने रखा जाता है. यदि डिवीजन की मांग की जाती है, तो उसे स्वीकार करना अनिवार्य है, बशर्ते तभी, जब सदन में व्यवस्था हो और सभी सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर हों. उस दिन काफी संख्या में सदस्य वेल में खड़े होकर हंगामा करते हुए डिवीजन की मांग कर रहे थे. चेयर ने कम-से-कम सोलह बार अपील की कि वे अपनी सीटों पर लौटें, ताकि डिवीजन कराया जा सके. पर, उन्होंने ऐसा नहीं किया. ऐसी स्थिति में सदन के नियमों—परंपराओं के तहत डिवीजन कराना व्यावहारिक रूप से संभव ही नहीं था.

विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने संबंधी संशोधनों का निर्णय इसलिए ध्वनिमत से किया गया. यदि सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर लौट आते, तो डिवीजन कराया जाता; यह उनका अधिकार था. उस समय सदन में संख्या-बल की कमी के कारण यह स्पष्ट हो गया था कि विपक्ष के पास विधेयकों को पारित होने से रोकने के लिए सदन में ऐसा व्यवधान उत्पन्न करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था, जिससे डिवीजन कराना असंभव हो जाए.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, उस दिन सदन में कुल 180 सदस्य उपस्थित थे और 26 सदस्यों ने अवकाश हेतु आवेदन किया था. अगले दिन एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि बहस की समाप्ति के समय उपस्थित सदस्यों में से लगभग 110 सदस्य समर्थक और 70 विरोधी दलों से थे. मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये आंकड़े सदस्यों के उपस्थिति रजिस्टर से सत्यापित किए गए थे. उल्लेखनीय है कि किसी भी दल ने अपने सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सामान्यतः जारी किया जाने वाला व्हिप भी जारी नहीं किया था.

यह भी तथ्य है कि पूर्व में कई विधेयक अव्यवस्था के बीच बिना डिवीजन के पारित किए गए हैं. अतः यह दावा कि ऐसी स्थिति अभूतपूर्व थी, भ्रामक था. कुछ ही दिन पूर्व हमने राज्यसभा के पूर्व सभापति श्री हामिद अंसारी द्वारा लिखित पुस्तक 'By Many a Happy Accident' पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि 9 मार्च, 2010 को महिला आरक्षण विधेयक पारित करते समय उन्होंने सदन में व्यवस्था न होने के कारण डिवीजन की अनुमति नहीं दी थी. इसी प्रकार, 2012 का एम्स (संशोधन) विधेयक तथा 2014 का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक भी सदन में अव्यवस्था के बीच बिना डिवीजन के पारित किए गए थे.

आसन डिवीजन कराने के लिए पूर्णतः तैयार था, यह भी रिकार्ड में दर्ज है. किंतु व्यवस्थित मतदान की आवश्यक शर्तें उत्पन्न नहीं होने दी गईं. आसन ने नियमावली और स्थापित संसदीय परंपराओं के अनुसार ही कार्य किया. तथ्य सार्वजनिक हैं; पाठक स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि क्या आसन ने शिष्टाचार और प्रक्रिया का पालन नहीं किया? मेरे विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप राजनीतिक प्रेरणा से युक्त और प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण थे, यह बात अनेक संसदीय विशेषज्ञों ने भी कही.

अंततः यह स्मरण रखना चाहिए कि आसन का कर्तव्य है कि वह नियमों, परंपराओं और पूर्व दृष्टांतों का पालन करते हुए सदन के कार्य को आगे बढ़ाए तथा सभी मतों को व्यक्त होने का अवसर दे. आवश्यकता पड़ने पर वह कार्य में विलंब कर सकता है, किंतु सर्वसम्मति के बिना उसे रोक नहीं सकता. निर्णय अंततः मतदान से होता है, पहले ध्वनिमत से और यदि मांग हो तो औपचारिक डिवीजन से. औपचारिक डिवीजन तभी संभव है, जब सदन में व्यवस्था हो. इस संदर्भ में पीठासीन अधिकारी की भूमिका का आकलन किया जाना चाहिए. इसके अतिरिक्त कही जाने वाली बातें राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं.

एक पत्रकार के रूप में आपने सरकारों और राजनीतिक सत्ता के खिलाफ काफी लिखा. पिछले बारह वर्षों से आप खुद राजनीति में हैं. आज पत्रकारिता बंटी दिखाई देती है, एक वर्ग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का दावा करता है, तो दूसरा कहता है कि सत्ता के विरुद्ध भाषा कभी इतनी असंयमित नहीं रही. आपका क्या मत है?

स्वभावत: पत्रकारिता तथ्य-आधारित और निष्पक्ष होती है. साख ही उसका आभूषण और नैतिक शक्ति स्रोत है. किसी भी आरोप को प्रकाशित करने से पहले दूसरे पक्ष को अवश्य सुना जाना चाहिए. आज यह भी विचारणीय है कि क्या हाल के वर्षों में संवैधानिक पदाधिकारियों के खिलाफ जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है, वैसी भाषा इसके पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई थी?

यह तथ्य स्वयं जीवंत प्रमाण है कि जिसे आज 'प्रतिबंध' कहा जा रहा है, उसकी हकीकत क्या है? आज सार्वजनिक विमर्श में अभूतपूर्व स्वच्छंदता है. ऐसा लगता है कि 2014 के बाद एक ऐसी पत्रकारिता शैली को बढ़ावा मिला, जो पहले राजनीतिक पूर्वग्रह या निजी मान्यता से प्रेरित होती है और उसके बाद तथ्यों को प्रस्तुत करती है.

जिस काल में हम पत्रकारिता करते थे, उस समय मुख्य बल तथ्यों की प्रस्तुति और उनके वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर होता था. किसी भी आरोप से पहले दूसरे पक्ष को जानना और प्रकाशित करना आवश्यक माना जाता था. आज हमें यह प्रश्न उठाना चाहिए कि क्या मीडिया उस निष्पक्षता और संतुलन के मानक से दूर हो गई है?

आज हम केवल गणेश शंकर विद्यार्थी जी के आदर्शों को स्मरण करें और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग के आलोक में मौजूदा हालात पर विचार करें. लगभग 113 वर्ष पूर्व, मात्र 23 वर्ष की आयु में उन्होंने 'प्रताप' का पहला अंक प्रकाशित किया. उसके पहले संपादकीय "हमारी नीति" में उन्होंने पाँच मूल सिद्धांत प्रतिपादित किए, जो मेरे विचार से आज भी ये सभी पत्रकारिता के स्थायी मानदंड हैं.

पहला, उनके अनुसार पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है? उनका मत था कि अंतिम लक्ष्य मानवता का कल्याण है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति का एक प्रमुख साधन भारत की प्रगति है. भारत को उन्नत अवस्था तक पहुँचाने के लिए समग्र शिक्षा का प्रसार, जनहित की रक्षा, सुदृढ़ प्रशासन और सुशासन, तथा आत्मनिर्भरता और आत्मानुशासन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता आवश्यक है.

दूसरा, न प्रशंसा और न ही आलोचना, न समर्थन और न ही अप्रसन्नता, इनमें से कोई भी पत्रकार को उसके मार्ग से विचलित न करे.

तीसरा, जो आज भी अत्यंत प्रासंगिक है. पत्रकारिता का दायित्व है कि वह जनता की वास्तविक शिकायतों और कष्टों को सरकार तक ईमानदारी से पहुँचाए. विद्यार्थी जी आगे बताते हैं की इस उद्देश्य की पूर्ति में यदि स्वयं का अस्तित्व भी दाँव पर लगाना पड़े, तो भी विचलित न हो. किंतु साथ ही, सरकार की नीयत को विकृत रूप में प्रस्तुत करना या मनमाने अर्थ निकालकर जनभावना को भड़काना भी उचित नहीं है. न्याय के विषय में पत्रकारिता को शासक और जनता, दोनों के साथ खड़ा होना चाहिए; अन्याय के विषय में किसी के साथ नहीं.

स्पष्ट है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय पत्रकारिता ने अपनी गरिमा और नैतिक प्रतिष्ठा, इसलिए अर्जित की क्योंकि उसने निजी पूर्वग्रहों से ऊपर राष्ट्रहित को रखा. गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने मानक स्थापित किया, वास्तविक जन-समस्याओं को उजागर करो, निजी पूर्वाग्रहों को नहीं; न अंध-विरोध करो और न ही गैर-जिम्मेदार उकसावे का सहारा लो.

हमें यह देखना चाहिए कि आज की पत्रकारिता किस मानस से संचालित हो रही है और किन प्रभावों में है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के डॉ. बलराम भार्गव, जिन्होंने कोविड काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने अपनी किताब GOING VIRAL MAKING OF COVAXIN: THE INSIDE STORY किताब में भारत के स्वदेशी टीके के विकास के दौरान आए प्रतिरोध का उल्लेख किया है. उन्होंने इसे "मैकॉले मानसिकता" कहा, एक औपनिवेशिक सोच, जिसमें यह विश्वास बैठा दिया गया कि भारतीय व्यवस्थाएँ स्वभावतः हीन हैं. कोविड काल में यह धारणा भी फैलाई गई कि भारत सफलतापूर्वक टीका विकसित नहीं कर सकेगा. उस समय हमारे वैज्ञानिकों ने जिन चुनौतियों का सामना किया, उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए.

यह एक बड़ा प्रश्न है, क्या आज भी राष्ट्रीय हित पत्रकारिता का प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत है? स्वतंत्रता संग्राम के समय राष्ट्र-निर्माण पत्रकारिता का केंद्र था; आज वह फोकस स्पष्ट दिखाई नहीं देता. जिन लोगों ने राष्ट्रहित में पत्रकारिता की, उन्होंने पत्रकारिता को गरिमा और विश्वसनीयता प्रदान की है. आज भी हम पत्रकारिता वही पुरानी गरिमा और सम्मान चाहते हैं.किंतु देश को शायद उतनी प्राथमिकता नहीं देते.

सन् 1930 में ही गणेश शंकर विद्यार्थी ने भारत और विदेश की पत्रकारिता की स्पष्ट आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि अनेक समाचारपत्र लाभ-लोलुपता से प्रेरित होकर असत्य को सत्य और सत्य को असत्य, सिद्ध करने का प्रयास करते हैं. अनेक बड़े पत्र धनिक वर्गों या राजनीतिक हितों से संचालित होते हैं और अपने संरक्षकों के विरुद्ध शायद ही कुछ कहते हैं. सत्य प्रायः सुविधा के पीछे छूट जाता है. बहुत कम लोग स्वयं से यह प्रश्न करते हैं कि उनकी निष्ठा सत्य के प्रति है या नहीं?

अतः समकालीन पत्रकारिता पर चर्चा करते समय हमें अतियों से बचना चाहिए. देशहित की कीमत पर कुछ भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए. देश, सर्वोपरि होना चाहिए. उदाहरण के लिए, संघीय बजट पर व्यापक चर्चा होती है. बजट आने के पहले और आ जाने के महीनों बाद तक. किंतु कानून-व्यवस्था, उद्योग नीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और भूमि आवंटन जैसे विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. राज्य अपनी विकास-यात्रा स्वयं निर्धारित करते हैं. राज्य आगे बढ़ेंगे, तो केंद्र स्वत: आगे बढ़ेगा. अनेक जाने—माने अर्थशास्त्रियों ने बताया भी

है कि राज्य और केंद्र एक धरातल पर आकर विकास कार्यों को प्राथमिकता दे, तो एकाध फीसदी राष्ट्रीय विकास दर स्वत: बढ़ जाएगी. पर, कई राज्यों की स्थिति व सुर अलग हैं. यह भी विचारणीय है कि क्या मीडिया राज्य सरकारों के प्रति भी समान रूप से चौकस व सतर्क रहती है? विशेषकर उन राज्यों में जहाँ से बड़े समाचारपत्र संचालित होते हैं और जो केंद्र की नीतियों पर मुखर मत व्यक्त करते हैं. पर, संबंधित राज्यों के मामले में उनका रूख भिन्न होता है.

व्यावसायिक दबाव, प्रायोजित सामग्री, पेड न्यूज़ और पूँजी-प्रधान प्राथमिकताओं ने पत्रकारिता के स्वरूप को प्रभावित किया है. किंतु विश्वसनीयता, सत्यनिष्ठा से ही आती है. मीडिया को यह आत्ममंथन करना होगा कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में उसकी क्या भूमिका होगी. पुरानी पत्रकारिता ने त्याग और राष्ट्र-निर्माण की भावना से अपनी नैतिक प्रतिष्ठा अर्जित की थी. उस मानक को आज की मीडिया को याद रखना जरूरी है. अपने हित में.

उपसभापति के रूप में संसद में व्यवधान कम करने तथा गुणवत्ता और उत्पादकता सुधारने के विषय में आपका क्या दृष्टिकोण है?

आज सदन की कार्यवाही के संचालन में जो चुनौतियाँ हैं, उन्हें समझने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी संसदीय परंपराओं की ऐतिहासिक नींव की ओर पुनः दृष्टि डालें. संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन तक काम किया. उसमें 308 निर्वाचित सदस्य थे. इन्होंने 2,473 संशोधनों पर चर्चा की. पर, एक भी व्यवधान नहीं हुआ. उन्होंने 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों वाले व्यापक संविधान को आकार दिया.

अपने समापन संबोधन में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के सदस्यों को इस बात के लिए बधाई दी कि उन्होंने 2,473 संशोधनों पर विचार किया और एक भी अवसर पर डिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी. यही हमारी विरासत है. कभी प्रदर्शन, हंगामा, शोर, बहिष्कार, प्रदर्शन की नौबत नहीं आयी. सदियों बंटे रहने के बाद भारत, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं की विविधता के बावजूद एक सूत्र में बंध रहा था. तब, जटिल प्रश्न, संवाद और सहमति से सुलझाए गए. वही भावना राष्ट्र की सर्वोच्च विचार-विमर्श संस्था का मार्गदर्शन करने के लिए थी.

डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने यह भी कहा था कि संविधान कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, यदि उसे संचालित करने वाले लोग चरित्र, ईमानदारी और क्षमता से संपन्न नहीं होंगे, तो वह निर्जीव दस्तावेज़ बनकर रह जाएगा. यदि इन गुणों से युक्त व्यक्ति उसे संचालित करें, तो उसकी कमियाँ भी दूर की जा सकती हैं; अन्यथा कोई भी संविधान राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता.

25 नवंबर 1949 को डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने भी इसी प्रकार चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा कि बहुदलीय लोकतंत्र में मूल प्रश्न यह है कि क्या देश को दल और व्यक्तिगत विचारों से ऊपर रखा जाएगा? यदि दल, राष्ट्रीय हित से ऊपर अपनी विचारधारा को रखेंगे, तो स्वतंत्रता पुनः संकट में पड़ सकती है.शायद हमेशा के लिए.

उन्हीं दिनों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संसद पूरे देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत करती है. यहाँ स्थापित आचरण और मानक राज्यों की विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों को प्रभावित करते हैं. करोड़ों लोग संसद की कार्यवाही देखते हैं; गरिमा में थोड़ी-सी भी गिरावट अनुचित परंपरा स्थापित कर सकती है.

आज ये बातें या ऐतिहासिक तथ्य विशेष रूप से प्रासंगिक हैं. 1998 में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था कि भारत को विश्व में सम्मान तभी मिलेगा, जब वह सैन्य और आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनेगा. शक्ति, सम्मान का आधार है. वर्तमान विश्व, जहाँ भू-राजनीतिक अस्थिरता, आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान और संघर्ष जारी हैं, वहाँ राष्ट्रीय एकजुटता और सहमति अनिवार्य है.

कभी "फ्रैजाइल फाइव" में गिने जाने वाला और 1990 में आर्थिक कंगाली के कगार पर खड़ा भारत, आज उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है. 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा एक नए राष्ट्रीय आत्मविश्वास का प्रतीक है. कोविड संकट के दौरान भारत को लेकर पश्चिम के कई वर्गों ने कहा था कि यह देश तबाह हो जाएगा, पर ऐसी आशंकाओं के बावजूद भारत आज दुनिया की तेज गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अप्रैल 2025 के आकलन के अनुसार भारत, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है. 2030 तक और आगे बढ़ने का अनुमान है.

"1998 में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था कि भारत को विश्व में सम्मान तभी मिलेगा, जब वह सैन्य और आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनेगा. शक्ति, सम्मान का आधार है. वर्तमान विश्व, जहाँ भू-राजनीतिक अस्थिरता, आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान और संघर्ष जारी हैं, वहाँ राष्ट्रीय एकजुटता और सहमति अनिवार्य है."

डिजिटल भुगतान में यूपीआई के माध्यम से अग्रणी, विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम, तथा विमानन, रेल, मेट्रो, दुग्ध और चावल

उत्पादन में अग्रणी देशों में स्थान, ये उपलब्धियाँ दर्शाती हैं कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से लेकर डिजिटल स्वास्थ्य तक अनेक क्षेत्रों में प्रगति ने भारत में आर्थिक विकास को सुदृढ़ किया है.

ऐसी प्रगति के लिए सहकारी संघवाद आवश्यक है, केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी समन्वय. केरल के विझिंजम में गहरे समुद्री बंदरगाह का विकास, जो केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से संभव हुआ, रचनात्मक व सकारात्मक राजनीति का उदाहरण है.

समय की आवश्यकता है ऐसी सहमति-आधारित राजनीति, जो दलगत सीमाओं से ऊपर राष्ट्रीय हित को रखे. संसद से लेकर विधानसभाओं और स्थानीय निकायों तक रचनात्मक सहभागिता की इस भावना को विकसित करना हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए.

आप चार वर्ष और चार माह तक सांसद रहे. सदन तथा सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे. उसके बाद आप संवैधानिक पद पर निर्वाचित होकर उपसभापति बने. राज्यसभा को परंपरागत रूप से पुनरीक्षण सदन और गंभीर बहस का मंच माना जाता रहा है. किंतु अब यह धारणा बन रही है कि चर्चा की गुणवत्ता घटी है और व्यवधान बढ़े हैं. इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?

राज्यसभा क्यों अस्तित्व में आयी? कभी पढ़िए संविधान सभा के बहसों को. संविधान निर्माताओं ने इस प्रश्न पर गंभीर विचार किया था. उच्च सदन की परिकल्पना ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों के मंच के रूप में की गई थी, जो सीधे चुनाव की राजनीति में भाग न लें, किंतु अपने-अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञता और प्रतिष्ठा रखते हों. उद्देश्य था, बहस की गुणवत्ता को ऊँचा उठाना. गरिमा और शिष्टाचार बनाए रखना. राष्ट्रीय हित में संसदीय कार्य को समृद्ध करना. संविधान सभा की बहसों से स्पष्ट है कि संस्थापकों की इच्छा थी कि एक ऐसा सदन हो, जहाँ विषयों पर शांत और संतुलित विचार हो सके, जैसा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन, लोकसभा, में हर बार संभव न हो.

अतः राजनीतिक दलों को आत्ममंथन करना चाहिए कि वे आज किन व्यक्तियों को नामित कर रहे हैं. यदि चयन पारिवारिक कारणों या राजनीतिक सुविधा से प्रेरित होगा, तो संस्था की मूल भावना क्षीण होगी. इस प्रक्रिया को सुधारना मुख्यतः दलों की जिम्मेदारी है.

सदन का सुचारु संचालन केवल आसन पर निर्भर नहीं होता. राजनीतिक दलों के नेतृत्व को भी सुव्यवस्थित कार्यवाही के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी होगी. सदस्य प्रायः दल-निर्देशों का पालन करते हैं; इसलिए आवश्यक है कि दल-नेता संसदीय नियमों, परंपराओं और आचरण की "लक्ष्मण रेखा" का पालन सुनिश्चित करें. आंतरिक अनुशासन के बिना व्यवधान समाप्त नहीं होंगे.

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, जिसमें संसद और राज्यों के अध्यक्ष एवं सभापति सम्मिलित होते हैं, दशकों से व्यवधान कम करने और विधायी गरिमा पुनर्स्थापित करने के उपायों पर विचार करते रहे हैं. 2002 में भी संसद के केंद्रीय कक्ष में वरिष्ठ पीठासीन अधिकारियों, मुख्यमंत्रियों, संसदीय कार्य मंत्रियों, दलों के नेताओं और मुख्य सचेतकों को आमंत्रित कर सामूहिक विचार-विमर्श किया गया था. किंतु सार्थक प्रगति सीमित रही है.

स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ पर संसद ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया था कि प्रश्नकाल और शून्यकाल में व्यवधान नहीं होगा. यदि संसद के ऐसे सामूहिक संकल्प पर भी संसद में अमल नहीं होता, तो किनसे अपेक्षा करें? लोकतंत्र में संसद ही सर्वोच्च संस्था है.

दूसरा मार्ग, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का है. जैसा कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद और डॉ. आंबेडकर ने कहा, राष्ट्रीय हित, दलगत हित से ऊपर होना चाहिए. यदि जनप्रतिनिधि सचेत रूप से इस सिद्धांत को अपनाएँ, तो बहस की गुणवत्ता प्रत्येक स्तर पर सुधरेगी.

तीसरा मार्ग, नागरिक सहभागिता का हो सकता है. प्रतिबद्ध युवा नागरिक एक वर्ष तक विधायी कार्यप्रणाली का अध्ययन कर, गिरते मानकों का दस्तावेजीकरण कर, जन-जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं. यदि नागरिक जागरूक होंगे और जनदबाव बढ़ेगा, तो स्थानीय निकायों से लेकर संसद तक व्यवहार में परिवर्तन संभव है.

लोकतंत्र से श्रेष्ठ कोई और व्यवस्था नहीं है. विधायिका, लोकतंत्र का मंदिर व प्राण है. इसे अनुशासन, जवाबदेही और राष्ट्रीय हित को दलगत विचारों से ऊपर रखने की प्रतिबद्धता के माध्यम से सुदृढ़ करना होगा.



सांसद के रूप में आप सक्रिय रूप से सवाल पूछते थे और बहस में भाग लेते थे.पर, उपसभापति बनने के बाद आपकी भूमिका केवल सदन की अध्यक्षता तक सीमित हो गई. क्या आपको उस भूमिका की कमी महसूस होती है?

हाँ, सांसद के रूप में सक्रिय रूप से बहसों में भाग लेता था, प्रश्न पूछता था और हस्तक्षेप करता था. स्वाभाविक रूप से उस भूमिका का अपना महत्व है. पर, उपसभापति के रूप में काम करने से एक भिन्न प्रकार का अनुभव और सीख मिली है. इससे मुझे विश्व की संसदीय व्यवस्थाओं के विकास, प्रौद्योगिकी द्वारा विधायी कार्य में आ रहे परिवर्तन, तथा अन्य संसदों की श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को समझने का अवसर मिला, जिनसे हमारे सदन की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है.

हमें ऐसे सुधारों और नवाचारों की जानकारी मिली है, जो समय के साथ हमारी संस्थाओं को अधिक प्रभावी बना सकते हैं. इस दृष्टि से, जहाँ एक भूमिका (सांसद की) पीछे छूटी, वहीं दूसरी ने नए समझ और चिंतन के द्वार खोले. इन विचारों पर चर्चा करना और उन्हें संसद सदस्यों, विधायकों तथा व्यापक जनसमुदाय के साथ साझा करना आवश्यक है, ताकि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएँ, समय के साथ सुदृढ़ और कदमताल मिलाकर आगे बढ़ती रहें. यही प्रयास निरंतर करता रहा हूँ.

एक आखिरी सवाल. कुछ ही वर्षों पहले गांधी जी की 150वीं जयंती (वर्ष) मनायी गयी थी. कई संस्थाओं में गांधी की प्रासंगिकता पर लगातार आपने संबोधित किया था. लोकजीवन में आज गांधी की प्रासंगिकता या साधन—साध्य का प्रसंग प्रयोग में है?

गांधी की प्रासंगिकता थी, है और रहेगी. कारण, गांधीवादी मूल्यों का स्रोत सनातन मूल्यों में है. वे हमेशा प्रासंगिक रहेंगे.

बहरहाल, निजी जीवन में गांधी के मूल्य ही हमारे मार्गदर्शक रहे. पत्रकारिता में भी. राजनीतिक या सार्वजनिक जीवन में भी, अपने स्तर पर हमारा जीवन शुरू से ही सामान्य रहा. निजी चर्चा से परहेज है, पर सार्वजनिक जीवन में हूं, तो कुछेक चीजों कहना चाहूंगा.

एक किसान परिवार की सादगी और सनातन मूल्य, परिवार से विरासत में मिले. यह मान्यता भी कि अपने श्रम, मिहनत से अर्जित चीज ही स्वाभिमान,गौरव और सात्विकता देती है. यही पुण्य है, शेष पाप. परिवार की पहली जीवन कसौटी रही, 'जितनी चादर, उतना ही पैर फैलाव'. पत्रकारिता और जीवन, दोनों में यही मापदंड रहा है, जीवन का.

पत्रकारिता और राजनीति, दोनों में पारदर्शी तरीके से हमने काम किया है. सामान्य भूलें हुई होंगी, पर इरादतन कोई गलती नहीं की. संसद में आने के बाद केंद्रीय स्कूलों में जो नामांकन कराये (कुछेक वर्षों बाद वह बंद हो गया), उनमें से एक—एक का नाम,पता सार्वजनिक किया. इनमें अधिसंख्य सामान्य पार्टी कार्यकर्ताओं के बच्चे थे. दिल्ली में जो सरकारी आवास मिला है, उसमें हर साल एक-एक सरकारी चीजों का आडिट करवाया. प्रथा है कि अपने कार्यकाल के अंत में आवास खाली करते समय सामान वापस करने या सौंपते समय लोग आडिट करवाते हैं. हर साल संपत्ति का विवरण संसद के नियमानुसार देता रहा. आमतौर पर कई सरकारी—अर्द्धसरकारी संस्थानों में व्याख्यानों के लिए बुलाया जाता रहा. वहां अगर मानदेय का भी प्रावधान रहा, तो भी इन बारह वर्षों में कहीं से एक भी व्याख्यान का मानदेय नहीं लिया. न उनका आतिथ्य स्वीकारा. कारण, जिस पद पर रहा, उसके साथ यात्रा एवं सर्किट हाउस में ठहरने की सुविधा थी. गांव प्राय: जाता हूं, तो पटना से निजी गाड़ी किराये पर लेता हूं. जब इस संवैधानिक पद पर आया, तो रांची आवास पर प्रोटोकॉल के तहत लगभग 13 पुलिसकर्मियों की 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था में तैनाती का प्रस्ताव व प्रसंग आया. हमने मना कर दिया. बगैर सरकारी सुरक्षा रहा. रात में एक गार्ड सिर्फ सोने के लिए आता रहा. आज रांची में एक घर है, जो हमारे चार दशकों की नौकरी की देन है. गांव में एक पुश्तैनी घर है. यह घर हमारे गांव जाने पर खुलता है. गांव पर भी पंचायत भवन के निर्माण के लिए अपना सबसे बेहतर भूखंड दे दिया. खुद पर सरकारी धन का खर्च कम से कम हो, हमेशा यह कोशिश रही. ऐसी अनेक चीजें हैं. इन सबके पीछे गांधी के जीवन मूल्यों का भी प्रभाव है. 12 वर्षों के संसदीय काम काज पर दो—दो रिपोर्ट कार्ड का सार्वजनिक प्रकाशन भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है. सांसद फंड का प्रयोग कहां, किसलिए, किस तरह हमने किया, इस पर विस्तार से इसी रिपोर्ट कार्ड में चार किश्तों में लेख है. इस तरह गांधी या सनातन मूल्य चिरंजीवी हैं, जो भारत—भारतीयों के लिए शक्तिस्रोत हैं.

गांधी की प्रासंगिकता थी, है और रहेगी. कारण, गांधीवादी मूल्यों का स्रोत सनातन मूल्यों में है. वे हमेशा प्रासंगिक रहेंगे. बहरहाल, निजी जीवन में गांधी के मूल्य ही हमारे मार्गदर्शक रहे. पत्रकारिता में भी. राजनीतिक या सार्वजनिक जीवन में भी, अपने स्तर पर हमारा जीवन शुरू से ही सामान्य रहा. निजी चर्चा से परहेज है, पर सार्वजनिक जीवन में हूं, तो कुछेक चीजों कहना चाहूंगा.

राह की रोशनी रही किताबें : 'मानवता बची रहेगी,अगर पुस्तकें बची रहें'

हरिवंश की किताबों में गहरी रुचि रही है. बतौर पाठक, जितनी रुचि उनकी इतिहास या साहित्य में है, उतनी ही रुचि देश—दुनिया में हो रहे बदलाव और इन बदलावों को लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकि विषयों लिखी जानेवाली किताबों में भी. हरिवंश अब भी खाली समय में टीवी, सिनेमा आदि कम या ना के बराबर देखते हैं. उसकी जगह किताबें बढ़ते हैं. यात्रा में उनके साथ किताबें होती हैं. किताबों से इस प्रेम ने उनकी निजी लाइब्रेरी को समृद्ध किया है, जो रांची स्थिति उनके आवास पर है. आज भी हर महीने में कम से कम आठ-दस पुस्तकें खरीदते हैं.उनके जीवन में किताब खरीदना ही उनके प्रमुख शौक में शामिल है. 23 अप्रैल 2024 को विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर मोतीहारी (चंपारण, बिहार) के रहनेवाले साहित्यकार,अध्येता, संस्कृतिकर्मी व प्राध्यापक **डॉ. विनय कुमार सिंह** ने उनसे लंबी बातचीत की थी. किताबों को लेकर हुई उसी बातचीत का संशोधित व संक्षिप्त अंश यहां प्रस्तुत है—

विनयः पुस्तकें, हमारी चिंतन प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर हमें संवाद के योग्य बनाती हैं; हम विमर्श कर पाते हैं! पुस्तकों के लिए पाठक और पाठक के लिए पुस्तकें अपेक्षित हैं. .. तभी तो प्रयाग शुक्ल कहते हैं, "इंतजार करते हैं आदमी/ कोई पढ़े उनको/ लिखते हैं किताबें आदमी/ करती है किताबें इंतजार/ पढ़े जाने का/ .. तो आप बताएँ क्या पढ़ना अच्छा लगता है? किस तरह की किताबें इंतजार करती है कि आप उन्हें पढ़ें?

हरिवंश: विनय जी! कह नहीं सकता कि पुस्तकों से कब आत्मीय लगाव हुआ. हां, आज यह कह सकता हूँ कि पुस्तकें नहीं हों, तो शायद जीवन में रोशनी न मिले. अकेलेपन में, संकट के क्षणों में, ऊर्जा पाने का एकमात्र माध्यम, बल्कि विश्वसनीय स्रोत पुस्तकें ही हैं. खुद के जीवन में पाता हूं कि पुस्तकों के प्रति एक सहज और स्वाभाविक लगाव शायद प्रकृति ने ही दिया है. बचपन से ही पुस्तकों ने आकर्षित किया. कुछ पुस्तकें, अगर नाम बताना हो, जिन्हें लगातार पढ़ कर अपनी हर मन:स्थिति में एक नई दृष्टि, एक बेहतर समझ या ऊर्जा पाता हूँ, उनमें से कुछ एक का उल्लेख करूंगा. जैसे, हिंदी में नाम है, 'समर गाथा' अमृत राय जी द्वारा अनूदित. यह एक उपन्यास है, हॉवर्ड फास्ट (Howard Fast) का 'दी ग्लोरियस ब्रदर्स' (The Glorious Brothers). किस तरह से मनुष्य अपनी अस्मिता के लिए, अपनी निजी स्वतंत्रता, निजी चिंतन, अपनी आत्मभूमि, अपनी राष्ट्रीयता, अपने देश, अपने वजूद के लिए संघर्ष करता है.. अद्भुत उपन्यास है! बार-बार उसके पात्र आकर्षित करते हैं. दूसरी पुस्तक, जिसने जीवन पर गहरा असर डाला, पुस्तक न कहूँ, बल्कि विषय कहूँ, कृष्ण हैं. कृष्ण के जीवन के अद्भुत पक्ष हैं. डॉ० राम मनोहर लोहिया ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि कृष्ण सारी कलाओं के अवतार थे. राम के बारे में कहते हैं कि वह मर्यादा के ज्यादा तत्त्व लेकर आए थे, लेकिन कृष्ण तो सभी 16 कलाओं में प्रवीण, पारंगत थे. कृष्ण पर लिखी बहुत सारी पुस्तकों ने मुझे आकर्षित किया, लेकिन मनु शर्मा ने जो कृष्ण पर आठ खंडों में पुस्तकें लिखीं, वे विशिष्ट लगीं. जिनका शीर्षक याद करूँ तो 'नारद की भविष्यवाणी', 'दुरभिसंधि', 'द्वारिका की स्थापना', 'लाक्षागृह', 'खांडव दाह', 'राजसूय यज्ञ', 'संघर्ष' और 'प्रलय' हैं. भाषा की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, जीवन की दृष्टि से, जीवन के दर्शन की दृष्टि से, जीवन का यथार्थ क्या है, समय क्या है, काल क्या है, व्यक्ति का क्या महत्त्व है, इन सभी पहलुओं पर चर्चा. कृष्ण व कृष्ण के समय पर, इतनी सुंदर पुस्तकें कम देखने को मिली हैं . खुद प्रेमचंद की जीवनी है. उनके बेटे अमृत राय जी द्वारा लिखित 'कलम की सिपाही' श्रेष्ठ रचना. इस तरह देश-दुनिया के अनेक विशिष्ट लोगों की जीवनियों ने प्रभावित किया है. फिर इतिहास की पुस्तकों ने बहुत आकर्षित किया. इनमें अगर कहूँ तो विल डूरंट (Will Durant) की 11 खंडों में लिखी 'द स्टोरी ऑफ़ सिविलाइजेशन' भी है. भारत पर उनकी अद्भुत किताब है- 'द केस फार इंडिया' 1930 में लिखी, तब उन्होंने दुनिया को 'भारत' की विशिष्टताएं व अनोखापन बतायी. हम तो आजादी बाद ऐसी चीजों को भूल ही गये, ऐसी किताबों को, कि भारत की सभ्यता और संस्कृति कितनी गौरवपूर्ण रही है! हमारे उपनिषद अद्भुत हैं. रामायण और महाभारत, कहूँ कि जीवन में जो भी सवाल हैं, उन सबका दर्शन व उत्तर या समाधान इन पुस्तकों में हैं. इनसे बाहर कहीं कुछ है ही नहीं. प्रचलित कहावत है कि जो महाभारत या रामायण में नहीं है, जीवन से जुड़ा वह सवाल सृष्टि में ही नहीं है.विंल डूरंट की अन्य पुस्तकें थीं, जिनमें 'आवर ओरिएंटल हेरिटेज : द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन' (वॉल्यूम 1-2), 'द लाइफ ऑफ ग्रीस' (वॉल्यूम 2-3), 'सीजर एंड क्राइस्ट' (वॉल्यूम 3), 'द स्टोरी ऑफ़ सिविलाइजेशन' (वॉल्यूम 4-5), 'द रेनेसाँ' (वॉल्यूम 5-6), 'द स्टोरी ऑफ़ सिविल वॉर रूम (5-6), 'द रिफॉर्मेशन : द स्टोरी ऑफ़ सिविल (वॉल्यूम-6), 'दी एज ऑफ़ रीजन बिगेन्स' : दी स्टोरी ऑफ़ सिविलाइजेशन (वॉल्यूम 7-8), 'द एज ऑफ़ लुईस XIV', 'दी एज ऑफ़ वॉल्टियर : दी स्टोरी ऑफ़ सिविलाइजेशन' (वॉल्यूम 9-10), 'रूसो एंड रेवोल्यूशन : दी स्टोरी ऑफ़ सिविलाइजेशन (वॉल्यूम 10), 'दी एज ऑफ़ नेपोलियन : द स्टोरी ऑफ़ सिविलाइजेशन' (वॉल्यूम-11). सांसद बनने के बाद इन सभी खंडों को किस्त पर खरीदा. कीमत शायद लगभग 80-85 हजार. इनके अलावा उनकी दो और छोटी-छोटी किताबें हैं. एक बार सांसद के रूप में अमरीका जाने का मौका मिला. वहाँ मैंने उनकी एक पुस्तक खरीदी कि दुनिया के टॉप थिंकर्स कौन हैं ? जिन्होंने इतिहास सभ्यता व समय को नए ढंग से प्रभावित किया. दृष्टि दी. असर छोड़ी. कौन से कवि-दार्शनिक हैं, जिन्होंने दुनिया पर असर डाला. वे हैं, Fallen Leaves: Last Words on Life, Love, War, and God by Will Durant (2014). और दूसरी है, Greatest Minds And Ideas Of All Times by Will Durant (2002). ये दोनों अनूठी किताबें हैं. उन्हीं विल डूरंट की एक और उल्लेखनीय पुस्तक है- Heroes Of History (2012).

इस तरह उनकी अन्य किताबें भी हैं, जो दृष्टि देती हैं. पॉल कैनेडी की एक पुस्तक है 'द राइज एंड फॉल ऑफ़ दी

ग्रेट पावर्स : इकोनॉमिक चेंज एंड मिलिट्री कॉन्फ़्लिक्ट फ्रॉम 1502 - 2000 यानी 500 शताब्दी में कैसे दुनिया में बड़ी सभ्यताएँ बनीं और खत्म हुईं ? आज से 25-20 वर्ष पहले इसे पढ़ा, तो समझ पाया कि दुनिया में कैसे ताकतवर देश या सभ्यताएं विकसित हुईं ? ऐसी पुस्तकों के साथ-साथ अध्यात्म की पुस्तकों ने जीवन में गहरे ढंग से असर डाला. आकर्षित किया. परमहंस योगानंद की अमर आत्मकथा है, 'ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी'. पॉल ब्रंटन को आज हम भारतीय शायद नहीं जानते. भारतीय अध्यात्म पर उस व्यक्ति ने सौ-सवा सौ वर्षों पहले गहराई से काम किया है. उनकी बड़ी मशहूर किताब है, 'ए सर्च इन सीक्रेट इंडिया'. ब्रंटन की पंद्रह-बीस और किताबें हैं. इस्कॉन के संत राधानाथ स्वामी. यह मूलतः अमेरिकी हैं. उनकी बड़ी रिमार्केबल दो पुस्तकें हैं. अध्यात्म की दृष्टि से. एक का नाम है, 'द जर्नी होम'. दूसरे का नाम है, 'द जर्नी विदिन'. एक का हिंदी अनुवाद है, अनोखा सफर. दोनों यादगार पुस्तकें हैं! जीवन क्या है? संसार क्या है ? जीने का अर्थ क्या है ? ऐसे सवालों पर चर्चा. आज अध्यात्म को लोगों ने बाजार बना दिया है. ये किताबें आध्यात्म का मर्म बताती हैं. महर्षि अरविंद की परंपरा है. रमण महर्षि की परंपरा है. रमण महर्षि से जुड़े साहित्य-पुस्तकें, महर्षि अरविंद की किताबें-लेखन और उनसे जुड़ा साहित्य अंदर से इंसान को समृद्ध करते हैं. इसी तरह परमहंस रामकृष्ण के प्रवचन हैं. जीवन हैं. मास्टर एम द्वारा उनके प्रवचनों पर कई खंड हैं. विवेकानंद रचनावली हैं. याद रखें गुलाम भारत में अपढ़ कहे जाने वाले परमहंस रामकृष्ण ने आध्यात्मिक-सामाजिक चेतना पैदा की. विवेकानंद जैसे महापुरूष उनकी ही इस धारा की देन हैं. विवेकानंद की रचनाएं, उनके काम-प्रवचन भारत के जीवन स्रोत बने. भारत जगा, उसी आध्यात्मिक-अलौकिक चेतना प्रवाह से, जिसके बीज परमहंस रामकृष्ण ने बोये थे. स्वामी सत्यानंद जी, जिन्होंने मुंगेर योग स्कूल बनाया. उनके उत्तराधिकारी हैं, स्वामी निरंजनानंद जी. फिर स्वामी सत्यानंद जी द्वारा स्थापित देवघर में रिखिया आश्रम है, जहां स्वामी सत्संगी जी रहती हैं. अध्यात्म पर, योग पर, इनकी मौलिक पुस्तकें हैं. भक्ति पर, भारतीय आध्यात्मक पर इनकी रचनाएं हैं. इन लोगों ने अध्यात्म को कभी प्रचार का विषय नहीं बनाया. यहां के प्रकाशन हैं, उन्होंने कभी आध्यात्म को व्यवसाय का माध्यम नहीं बनाया. संत श्री एम की कई किताबें हैं. पर इनकी पहली किताब पढ़ी थी, वह है 'Apprenticed to a Himalayan Master (A Yogi's Autobiography)' by Sri M. उनकी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है 'Journey Continues, The: A sequel to Appr' by Sri M (इस तरह इनकी अन्य रचनाएं भी हैं). महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज की अनेक पुस्तकें हैं. इन लोगों ने जीने-जीवन-संसार का अर्थ ढूंढा है. पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब तो पुस्तकों के बड़े पक्षधर थे. जहाँ तक याद है, आउटलुक या किसी अन्य पत्रिका में उन्होंने बड़े विस्तार से आठ-दस पुस्तकों के बारे में बताया था, कहा था कि इन्हें जीवन में हर व्यक्ति को अपने साथ रखना ही चाहिए. इनमें से कई पुस्तकें मेरी जीवन यात्रा में साथ हैं.

विनय: जी! कलाम साहब का, अरुण कुमार तिवारी से जो संवाद हुए हैं, उनमें भी उन्होंने अपनी पसंद की पुस्तकों का जिक्र किया है.

हरिवंश : आप सही कह रहे हैं. पर कलाम साहब की बतायी पुस्तकों में से दो का नाम बताता हूं. एक पुस्तक का नाम है- कहूँ कि इसे सिरहाने में रखता हूँ, पढ़ता हूँ. लिलियन इचलर वॉटसन की पुस्तक 'लाइट फ्रॉम मेनी लैंप्स : ए ट्रेजरी आफ इंस्पिरेशन' (Light from many Lamps : A Treasury of Inspiration) है. अद्भुत रचना है. हर व्यक्ति को अपने पास रखनी चाहिए. क्योंकि जीवन, विनय जी! उतार-चढ़ाव, निराशा-आशा, आस्था-अनास्था, इन सबका मेलजोल है. जब जीवन में ऐसे क्षणों से आप गुजरते हैं, तो पुस्तकें, और ऐसी पुस्तकें खासतौर से, अद्भुत ताकत देती हैं. कलाम साहब ने कहा था कि यह पुस्तक उन्होंने ऐसी पायी, जो जीवन भर साथ रखी जा सकती है. बार-बार पढ़ता हूँ. हर परिस्थिति में नई ऊर्जा, दृष्टि मिलती है; आत्मबल मिलता है. कलाम साहब ने यह भी बताया था कि यह पुस्तक उन्हें मिली कैसे ? कहा कि सेकेंड हैंड बुक स्टोर में मुझे यह पुस्तक मिली थी. इस किताब का मिलना उनके जीवन में बदलाव का क्षण था. उन्होंने कहा था कि जीवन में जब भी हताशा या निराशा आई, इस किताब ने गाइडिंग लाइट की तरह काम किया. उनकी बतायी दूसरी महत्वपूर्ण किताब है, 'EMPIRES OF MIND' by Denis Waitley (1996). इस तरह अनेक किताब, उनकी बतायी हैं, जिन्हें पढ़ने से आंतरिक ताकत मिलती है. 'समरगाथा' पुस्तक के बारे में बताऊँ, मनुष्य के स्वत्व, अपनी पहचान और संस्कृति के मूल्य क्या हैं ? ये धमनियों में रक्तप्रवाह की तरह हैं! यानी राष्ट्रीयता, हमारा स्वाभिमान, आजादी की कोई कीमत नहीं होती. अपनी शर्तों पर जीने की कीमत चुकाने वाली कौम की कथा है, इसमें इंसान की प्रेरणा की उस लौ का मार्मिक वर्णन है, जो कभी बुझी नहीं! लोग बदले, सभ्याताएं बदलीं, कौमें आयी व गयीं, पर जिस इंसान, समुदाय में व लौ या आत्मसम्मान होता है, वह विशिष्ट बन जाती है. इतिहास लिख कर प्रेरणा देती है, भावी पीढ़ियों को. पिछले दिनों हल्दीघाटी गया. वहाँ खड़ा रहा. डॉक्टर लोहिया की पंक्ति याद आई. 'पिछले हजार बरस में भारत के राष्ट्रीय चरित्र को समझने के लिए एक वाक्य काफी है कि यहाँ एक हल्दी घाटी है तो पचास या सौ बक्सर हैं'. अरूण भोले की महत्वपूर्ण किताब है, 'राजनीति मेरी प्रेयसी', भारत-बिहार व हिंदी पट्टी की राजनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण किताब, उसमें उन्होंने लिखा है, 'हल्दी घाटी' वह जगह है, जहाँ 18 जून, 1576 को अकबर की सेनाओं के साथ मेवाड़ के राणा प्रताप का घनघोर युद्ध हुआ था. राणा प्रताप करीब-करीब आखिरी सिपाही तक लड़ते रहे. लेकिन 22 अक्टूबर, 1764 को बक्सर के मैदान (बिहार) में जब अंग्रेज और भारतीयों का मुकाबला हुआ, तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के बादशाह शाह आलम की सम्मिलित सेना में लगभग पचास हजार सिपाही थे और अंग्रेजों की तरफ बस, तीन-चार हजार. लेकिन लड़ाई मुश्किल से पाँच मिनट चली और फतह अंग्रेज सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो की हुई'.

इस चरित्र को समझने के लिए ऐसी किताबें ही माध्यम बनती हैं.

कृष्ण का जीवन, शायद हर एक को छूता है, उद्वेलित करता है, ऊर्जा देता है, जीने का अर्थ बताता है. डॉ. राम मनोहर लोहिया का उन पर अद्भुत लेख है. बार-बार पढ़ा. दुर्गा भागवत (मराठी लेखिका) समेत अनेक गुजराती, बंगला, उड़िया, मराठी लेखकों की महाभारत और कृष्ण पर अनेक किताबें ढूंढी, खरीदी और पढ़ी. काशीनाथ जी का कृष्ण का अंतिम दिनों पर उल्लेखनीय किताब है. पर कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर, मनु शर्मा का आठ खंडो में कृष्ण साहित्य तो न जाने कितनी बार पढ़ा. नरेंद्र कोहली जी ने रामकथा (अनेक खंड) के बाद महाभारत पर भी

कई खंडों में लिखा है. ऐसी पुस्तकों का मन-मस्तिष्क पर गहरा असर रहा है. कृष्ण हैं तो लोकमानस में रचे बसे ईश्वर के रूप में, पर इतनी पीड़ा, दर्द और जीवन, जो कृष्ण ने मानव रूप में जन्म ले कर पाया, जो दुःख झेला, वो शायद ही हम याद रखते हैं ? संसार में पीड़ा, संघर्ष, त्याग, कर्त्तव्य, फर्ज की जो भी भूमिकाएं, लौकिक कल्पना या जीवन तथ्य संभव हैं, वो सब कृष्ण के जीवन में हैं. इसलिए कृष्ण हैं, जीवन के हर दुःख, विषाद, खुशी, उपलब्धि, हानि-लाभ, जीवन-मरण, हर पल प्रेरित करने वाले! मौत के फन पर भी नृत्य करने वाले! जीवन जीने वाले. नृत्य, संगीत में रमे रहने वाले, तो महासंहार यानी जो महाभारत हुआ, तो मौत के फन पर गीता का उपदेश देने वाले! जीवन लेने वाले व्याघ्र को भी अभय दान देने वाले कृष्ण! अद्भुत हैं. मान्यता है कि जो इतिहास में है, वही भविष्य के गर्भ में है. संसार के रहस्य को समझने की प्रभावी कुंजी हैं, इतिहास की पुस्तकें. विल डूरंट ने दुनिया का इतिहास और खासतौर से भारत का इतिहास बड़ी रोचक शैली में लिखा है. इसी तरह महाभारत का संदेश है, काल ही सच है; यानी 'टाइम डिसाइड्स'. व्यक्ति बड़ा नहीं होता. बचपन में कहावत सुनी, समय होत बलवान. वही अर्जुन थे, वही तीर, वही गांडीव, लेकिन भीलों ने पराजित किया. द्वारिका से लौटते हुए उनके साथ सब था. सैनीक भी. द्वारका की औरतें भी. पर भील हर ले गए. ... तो व्यक्ति बड़ा नहीं होता, काल बड़ा होता है. इतिहास हमें क्या बताता है कि बड़े साम्राज्य, सत्ता या खुद को अमिट समझने वाले इतिहासनायक दरअसल समय की देन हैं. व्यास ने महाभारत में कहा कि काल, बलवान है. व्यक्ति अमर या बलवान नहीं होते. समय की लहरें उन्हें ऊपर ले जाती हैं, तो धरातल में भी पहुँचाती हैं.

अंग्रेजी में 'महाभारत' पर सत्यमूर्ति की एक किताब है, 'महाभारतः मार्डन रीटेलिंग'. उसमें कृष्ण के देह त्याग के बाद अर्जुन के हस्तिनापुर लौटने का मार्मिक वर्णन है. रास्ते में भीलों से वह पराजित होते हैं, तो सभी भाई, व्यास के पास जाते हैं. व्यास जो कहते हैं, वह सृष्टि-संसार और 'समय' या काल के महत्व को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं. नेपोलियन द ग्रेट, जब हेलेना द्वीप में कैद था, तो लिखा कि समय बलवान है, नियति बड़ी होती है. जिसने कभी कहा था कि मेरे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है. इस तरह जीवन वही नहीं है, जो हम देखते हैं. इससे इतर का जीवन-रहस्य समझने के लिए अध्यात्म की पुस्तकें हैं, उसमें परमहंस योगानंद जी की अमर कालजयी कथा, ब्रिटेननिवासी पॉल ब्रंटन की सैकड़ों वर्ष पहले लिखी भारत पर आध्यात्मिक किताबें, स्वामी राधानाथ की किताब, मास्टर एम की पुस्तकें हैं. मास्टर एम (मूलतः केरल के मुस्लिम हैं) की भारतीय अध्यात्म पर जो गहराई और चिंतन है, हर देशवासी को उन्हें पढ़ना चाहिए.

विनय : आपकी पुस्तक में, विगत वर्ष जिनका विमोचन हुआ, सारी बातें आई हैं ?

हरिवंश : बताना चाहूँगा कि अपने हिंदी इलाके को हमने कैसे समझा ? पुस्तकों के माध्यम से. जब विद्यार्थी था, हिंदी इलाके के समाज को, उसके परिवर्तन को समझने के लिए किसी समाजशास्त्री को हमें नहीं पढ़ना पड़ा, बल्कि उन दिनों के राजनीतिक हालात, सांस्कृतिक परिवेश, आर्थिक तंत्र, परिवारों का ताना-बाना समझने के लिए पाँच या छह उपन्यासकारों को पढ़ा. मानता हूँ कि अगर इनको पढ़ लें, तो उस दौर को समझने के लिए किसी समाजशास्त्री को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी. 'रागदरबारी' (श्रीलाल शुक्ल), 'अलग अलग वैतरणी' (शिवप्रसाद सिंह), 'आधा गाँव' (राही मासूम रजा), 'मैला आँचल' (फणीश्वरनाथ रेणु), 'बेहया के जंगल' (ललित निबंध, कृष्ण बिहारी मिश्र). इनके अलावा अनेक पुस्तकें मेरे जीवन का हिस्सा हैं.

गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल जी, डॉ. लोहिया, जेपी समेत देश-दुनिया के बड़े क्रांतिकारियों या इतिहास पुरूषों की जीवनी व उनके लेखन पढ़ने में रूचि थी. भारतीय ज्ञान पीठ देशज भाषाओं की श्रेष्ठ पुस्तकों का अनुवाद कराता था. उसका सस्ता साहित्य मंडल या अन्य प्रकाशन के सौजन्य से बंगला के शीर्ष साहित्यकारों, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मलयालम, गुजराती, उर्दू वगैरह की श्रेष्ठ रचनाओं को भी हमारी पीढ़ी पढ़ती थी. दार्शनिक, अर्थशास्त्री प्रो. कृष्णनाथ के यात्रा साहित्य व विचारों ने भी प्रभाव छोड़ा. उसी क्रम में राहुल सांकृत्यान की कुछ चीजें पढ़ीं. चंद्रशेखर की दो खंडों में जेल डायरी या लेखन (उनकी पत्रिका के संपादकीय) भारतीय राजनीति को समझने के लिए श्रेष्ठ सामग्री है. साम्यवादी साहित्य चेग्वेरा, जूलियस फुचिक समेत अनेक महत्वपूर्ण लेखक भी रूचि पैदा करते थे. नक्सलवादी साहित्य भी. यह समझने के लिए कि समाज में कितनी धाराएं, किस तरह सक्रिय हैं व सोचती है.

पुस्तकों से घिरा रहना आनंद देता है. लगातार पढ़ता हूँ. पुस्तकें खरीदता हूँ. कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली रहना हुआ. इन तीनों शहरों में किताब की एकाध जो मशहूर दुकानें हैं, वहां प्रायः आना-जाना रहा है. बंगलूर-चेन्नै यात्रा में भी वहां की चर्चित पुस्तक दुकानों पर भी. 25-25 वर्षों से पुस्तकों की दुकानों पर जाना मेरा रागात्मक लगाव है. तो मैं यह कह सकता हूँ कि पुस्तकें नहीं होतीं, तो हमारे जैसा मामूली समझ का आदमी भी अगर अलग ढंग से सोचने की कोशिश करता हूँ, वो नहीं कर पाता.

विनय: एक सवाल है कि हम क्यों पढ़े किताबें ? रघुवीर सहाय की पंक्तियाँ हैं - पढ़ता जाता और रोता जाता था मैं/ जो पढ़ता हूँ उस पर मैं नहीं रोता हूँ/ बाहर किताब के जीवन से पाता हूँ/ रोने का कारण मैं/ पर किताब रोना संभव बनाती है/ .. तो सवाल है कि क्या सही है कि पुस्तकों से संवेदनशीलता जाग्रत होती है?

हरिवंश : पुस्तकें, मनुष्य की संवेदना-दिल को स्पर्श करती हैं. आपके सोचने-समझने के तौर-तरीके, ह्रदय व मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं. कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक दरअसल ये चीज़ें हैं, जो मनुष्य को बदलती हैं. राजनीति या विचार एक सीमा तक व्यवस्था बदलते हैं. संसार के अब तक के बदलाव में वैचारिक तत्वों-सिद्धांतों ने दुनिया को प्रभावित किया है. अब इनकी जगह टेक्नोलॉजी ले रही है. आप देखें, पिछले सवा दो सौ साल का दुनिया का इतिहास. फ्रांस क्रांति शुरू हुई, तब से लेकर लगभग बीसवीं सदी के अंत तक. आप पायेंगे, रूसो, वाल्टेयर का फ्रांस की क्रांति पर कैसा असर था ? मैक्सिम गोर्की, टालस्टाय समेत अनेक बड़े साहित्यकार हुए रूस में. रूस की क्रांति में भी साहित्यकारों की भूमिका रही. स्टालिन ने कहा था कि लेखक समाज की आत्मा होते हैं. फिर चीन-वियतनाम में बदलाव के दौरान साहित्य की उल्लेखनीय भूमिका रही. इसके बाद दुनिया व भारत ने देखा, गांधी का आविर्भाव. गांधी के आने के बाद दुनिया से साम्राज्यवाद का अंत हुआ. पहले यह कोई सोच नहीं

सकता था. पहली बार संसार ने देखा, गांधी उदय के बाद कि अहिंसक ढंग से दुनिया बदल सकती है. और दुनिया में गांधी ने उस साम्राज्य का, जिसके राज में सूर्यास्त नहीं होता था, खत्म करके दिखाया. यह मनुष्य के विचारों की यात्रा की ताकत थी. इसमें लोगों की चिंतनशील पुस्तकें, लेख-विचारों ने बदलाव का पथ प्रशस्त किया. भारत की आजादी की लड़ाई में साहित्यकारों की, कवियों की क्या भूमिका रही.., पचास वर्ष पहले हुए जेपी मूवमेंट में कवियों की क्या भूमिका रही. डॉ. धर्मवीर भारती की जेपी पर मशहूर कविता, धूमिल की कविताएं, दुष्यंत की गजलें, अनेक लेखक-कवि हुए. फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन का महत्व अपनी जगह है. इस तरह मनुष्य के मन को बदलने का काम तो साहित्य ही करता है. एक सीमा के आगे साहित्य जैसा प्रभावी दूसरा कोई माध्यम नहीं. यह निजी धारणा है. आप देखें, हमारे महर्षि अरविंद की पुस्तक 'सावित्री' जिस पर नोबेल प्राइज देने की चर्चा हुई थी, क्या अद्भुत कल्पना है! हम सामान्य लोग उसको समझ नहीं पाते.

विनय : एक दार्शनिक ने लिखा भी है कि सावित्री को समझ पाने की क्षमता नोबेल कमेटी में नहीं थी..

हरिवंश : संभव है! आपको बताऊँ कि जब ऐसी जगहों पर गया, जो इनके नाम से जुड़ी हैं, तो अलग एहसास हुआ. रमण महर्षि के यहाँ तिरूवन्नामल्लै या पांडिचेरी स्थित महर्षि अरविंद आश्रम, तो अनुभव समृद्ध हुआ. आपको बताना भूल गया कि हमें भारत के आध्यात्मिक विरासत को जानना है, तो अगर हमने विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस को नहीं जाना, तो नहीं समझ पायेंगे. रामकृष्ण परमहंस, जिनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, उस व्यक्ति ने भारत-दुनिया को विवेकानंद दिया. जिसने भारत में वह चेतना पैदा की कि आज हम देश-समाज के रूप में यहां खड़े हैं. उससे आगे की यात्रा, विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं. इन्होंने भारतीय चेतना में वह प्रखर लौ पैदा की, जिसका आलोक धीरे-धीरे दुनिया में फैल रहा है. पहली बार महर्षि अरविंद के आश्रम गया. उस कमरे की ओर गया, जहां वह रहते थे. लगभग पंद्रह-बीस वर्ष पहले की बात है. महर्षि अरविंद लगातार 24 वर्षों तक उसी एक कमरे में ही रहे. विनय जी! उसी कमरे में एकांत साधना की. उसी में लिखा-पढ़ा. आप 24 पल, 24 मिनट एक छोटे-से कमरे में रहने की कल्पना करिए. रहना तो दूर की बात है, 24 दिन रह नहीं सकते. 24 सप्ताह या 24 महीने की बात छोड़ दीजिए. 24 वर्ष हो गए महर्षि अरविंद को उसी कमरे में. स्वतः चुना, यह साधना पथ. जिनके पिता और माता ने उनको वो शिक्षा दी कि लैटिन, ग्रीक और इंग्लिश ही पढ़ें; जिन पर छाया न पड़े भारतीयता का. अपनी बंगला भाषा-संस्कृति का. और आप जानते हैं कि हमारे देश में बंगाल, महाराष्ट्र कुछ ऐसे राज्य हैं, जहाँ पर लोगों की अपनी संस्कृति और भाषा से अद्भुत लगाव है! महर्षि अरविंद बंगाल के थे, पर उनको अपनी भाषा से भी दूर रखने की कोशिश हुई. वो आभिजात्य-विदेशी परिवेश देने की माँ-पिता ने कोशिश की, पर वही महर्षि अरविंद भारतीयता के सबसे बड़े प्रवक्ता बने. अपने लेखन, अपने विचारों, अपनी समझ व साधना से. इसी तरह रमण महर्षि का जीवन है. इनसे जुड़ी पुस्तकें पढ़ कर जीवन दृष्टि मिलती है. हमें लगता है कि पुस्तकें न हों, तो मनुष्य का जीवन श्रीहीन हो.

विनय : मेरे दो और सवाल थे, जिनके जवाब मिल गए हैं. एक तो आपके लेखन का सर्जनस्रोत, जिसका जवाब मिल चुका है. क्या पुस्तकें आध्यात्मिक संकेत देती हैं? हाँ देती हैं, यह जवाब मिल चुका है. अब एक-दो छोटे-छोटे सवाल. क्या लिखा आपने, जिसे लिखने के बाद सर्वाधिक संतुष्टि मिली ? क्या लिखने की इच्छा है, जिसे अब तक लिखा नहीं या लिखना चाहेंगे?

हरिवंश : बताना चाहूँगा, पत्रकार रहते दुनिया के कई देशों में गया. उन देशों में जाकर यह देखना, जानना कि किस समाज ने कैसे करवट ली ? लोगों ने अपनी ज़िन्दगी कैसे बदली? मनुष्य का संकल्प, मनुष्य का हौसला, मनुष्य का जज्बा कैसे अपनी नयी नियति लिख सकता है- ऐसे विषयों पर लिख कर एक पत्रकार के रूप में अपने पाठकों के सामने रखता था, तो मुझे बहुत संतोष की अनुभूति होती थी. लगता था कि अपने देश व समाज के संदर्भ में सही काम कर रहा हूँ. ऐसे देशों से घूम कर-उनके इतिहास को पढ़ कर बलवती इच्छा होती कि अपने देश के लोगों को बताऊँ कि हम अपने हौसला से, हम अपने संकल्प से, अपने इरादे से, कैसे देश को बुलंदी की ओर ले जा सकते हैं! उसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है! ठोस उदाहरणों के रूप में आपको बताऊँ कि जब सिंगापुर में पहली बार गया, तो सिंगापुर ने कैसे खुद को- अपने को बदला ? वह कछार था. गंदा इलाका. बहुत ही पिछड़ा इलाका. उस मुल्क ने अपने को दुनिया के सबसे विकसित देशों की कतार में कैसे खड़ा कर लिया ? वहाँ के नेता ली कुआन यू का क्या योगदान रहा ? उनकी आत्मकथा है, दो खंडों में. 'फ्राम थर्ड टू फर्स्ट वर्ल्ड मेमोयार्स ऑफ ली कुआन'. फिर सिंगापुर व उन पर और किताबें पढ़ीं. ग्राहम एलिसन, राबर्ट ब्लैक विल ने उनसे बात की. पुस्तक का नाम है 'ली क्यान यूः द ग्रैंड मास्टर्स इनसाइट्स आन चाइना, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वर्ल्ड'. अद्भुत विश्व दृष्टि से संपन्न और दूरदर्शिता भरी किताब. भारत के बारे में भी इसमें चर्चा है. हर भारतीय को पढ़ना चाहिए ? हम कैसे लोग हैं ? संभावनाओं से भरे इस मुल्क को किन कारणों से हम दुनिया की महाशक्ति नहीं बना पाये ? चीन कैसे आगे निकल गया ? जो भारत 2014 के बाद करवट ले रहा है, पहले इस रास्ते होता तो आज भारत दुनिया की महाशक्ति होता. यह सब जानना-समझना है, तो यह पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए. चीन के बारे में भी इसमें भविष्यवाणी है. अमरीका के बारे में भविष्य दृष्टि है. आज से कई दशकों पहले उनकी कही बातें आज की दुनिया को समझने में अति कारगर हैं. खासतौर से हर भारतीय को अपने देश के भविष्य को समझने की दृष्टि से पढ़ना चाहिए. भारत के बारे में बड़े पैशन से उन्होंने बताया है. अपनी आत्मकथा व इस किताब में भी कहा है कि युवा उम्र में हम भारत को बड़ी उम्मीद की नजर से देख रहे थे, पर भारत खरा नहीं उतरा ? उन्हें पढ़ कर, उन पर, सिंगापुर पर, हमने लंबा लिखा, तो आत्मसंतोष हुआ कि हमने अपने समाज-देश के लोगों के मन को छूने की कोशिश की है. अपना दायित्व पूरा किया है. भले ही इसका असर हो या न हो. लेकिन ईमानदारी से लेखन, उस दिशा में प्रयास है कि लोगों के- पाठकों के मन को छू सकूँ. उनके सोच-चिंतन में ये चीजें आ सकें. पत्रकारिता में रहते हुए हमने बताने की कोशिश की कि हम अपने कारणों से दुनिया की बड़ी ताकत नहीं बन पाये ? समृद्ध देश नहीं बन पाये ? नयी नियति नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम कैसे दोषी हैं ? नागरिक के तौर पर हमारा फर्ज क्या है ? हमारी राष्ट्रीयता कैसी होनी चाहिए ? हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए ? हमारा फर्ज-दायित्व क्या होना चाहिए ? हमारी शासन-व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ? बारह वर्षों पहले जब उन देशों से लौटकर लिखता था, तो बड़ा सुकून अनुभव होता था. इसी क्रम में, उन्हीं दिनों में, 2004 से 2010 के बीच लगातार चीन और दूसरे देशों को पढ़ता.

देखता रहा कि किस तरह उन देशों ने अपनी नियति बदली. कम समय में अपने संकल्प से आर्थिक विकास का एक नया इतिहास लिखा ? हम कैसे पस्त होते जा रहे हैं. पीछे छूट रहे हैं ? उस वक्त लंबा लिखता था.यह भी लिखता था कि भारत में कहाँ क्या कमी रह गई... . हमें क्या और करना चाहिए... . जनमानस हमारा कैसा होना चाहिए... . हम सिर्फ नेतृत्व से अपेक्षा करें, वह अपनी जगह एक अलग मुद्दा है, लेकिन नेतृत्व के साथ-साथ हमारी अपनी जन भागीदारी, जन भूमिका क्या है ? इन विषयों पर लंबा और गंभीरता से लिखता था. ऐसे लेखन से मुझे बहुत सुकून मिलता था. गाँवों में घूम कर- नक्सल प्रभावित इलाकों में जाकर रिपोर्ट करता था, उससे भी बड़ा संतोष मिलता था. आंतरिक अनुभूति के लिए जब कैलास मानसरोवर की यात्रा पर गया, तो उस पर लिखा - जीवन क्या है ? आध्यात्म क्या है ? यह यात्रा वृतांत लिख कर आंतरिक सुकून मिला. चंद्रशेखर जी की जीवनी 'Chandra Shekhar: The Last Icon of Ideological Politics' (Rupa Publications India-2019) लिखी कि एक सामान्य परिवार से निकलकर कैसे उन्होंने दुनिया में अपनी जगह अपने बूते, अपने संकल्प से बनायी ? अपनी शर्तों पर बनायी. अंग्रेजी का इलीट क्लास, हमेशा उन्हें नकारता रहा. आज बहुत सारे लोग उनके बारे में नहीं जानते. वह सब लिखा, तो सार्थक अनुभूति हुई.

कैलाश यात्रा, आध्यात्म और कुछेक महापुरूषों पर मेरी तीन पुस्तकें वाणी से छपी हैं- 'सृष्टि का मुकुट: कैलाश मानसरोवर', 'कलश', और 'पथ के प्रकाश पुंज' (वाणी प्रकाशन-2022). इनमें दो (कैलाश यात्रा छोड़कर) अखबारों में लिखे लेखों का संकलन है, इन्हें लिख कर भी अच्छा लगा.

इसी तरह पत्रकार के रूप में दुनिया के अन्य देशों को देख कर जो लेख लिखे, उनका प्रकाशन राजकमल ने किया है- 'दिल से मैंने दुनिया देखी' (2018). उन्हें लिखते भी सुख मिला.

जहाँ तक सवाल है कि भविष्य में क्या लिखना चाहेंगे ? बहुत सारे विषय मन में रहते हैं . यह यक्ष-सवाल रहता है कि यह सृष्टि क्या है ? कृष्ण, जो बड़े आकर्षित करते हैं, कृष्ण का जीवन कैसे अपने आप एक संदेश है ? कृष्ण का अंत कितना मार्मिक है, बार-बार पढ़ता हूँ, उस प्रसंग को. जितना पढ़ता हूँ, अंदर से बिलकुल बेचैन-सा महसूस करता हूँ. कृष्ण ने जीवन को जिस सहजता से लिया, मौत को भी उसी सहजता से लिया. उन्होंने अपने हाथों से वह स्थिति प्रशस्त की कि अब द्वारका इतनी बलशाली हो गई है कि वहाँ मूल्य खत्म हो गए हैं. वह द्वारका, जो मूल्यों के लिए बनी, कैसे वहां मूल्यों का नाश हो रहा है, तो खुद कृष्ण ने उसे दंडित किया ? कैसे अहंकार को सजा मिले, इसका रास्ता प्रशस्त किया. बहुत इच्छा होती है कि कभी कुछ कृष्ण के इस भाव पर थोड़ा-बहुत अपने मन को व्यक्त कर सकूँ. उसी तरह से, मुझे राम का जीवन बहुत आकर्षित करता है. मर्यादा का इतना बड़ा प्रतीक संसार में कोई दूसरा नहीं है. बुद्ध का बुद्धत्व. जापान गया, तो जापान के लोगों का जो स्वभाव, मिजाज़ और आत्मसम्मान देखा, इच्छा रहती है कि वह सब अपने लोगों को बता सकूँ, लिख सकूँ, तो अच्छा होगा. कह नहीं सकता कि कुछ कर पाऊँगा या बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा ?

विनय : हमारी भी इच्छा है कि आपकी यह इच्छा पूरी हो और हम पढ़ पाएँ. कुछ सवाल थे जिनके जवाब मिल गए कि आपकी प्रिय पुस्तकें, आपके प्रिय रचनाकार कौन हैं? एक और सवाल और अंतिम सवाल, आज के संदर्भ में कि क्या ई-बुक से मुद्रित पुस्तकें चलन से बाहर हो जाएँगी, आज के संदर्भ में देखें तो..?

हरिवंश: मैं पुस्तकों की पीढ़ी का व्यक्ति हूँ. आज भी हर महीने में कम से कम आठ-दस पुस्तकें तो खरीद ही लेता हूँ. औसतन सात-आठ हजार का. मेरे जीवन में, मेरा कोई व्यसन या खर्च नहीं है. जीवन में न कोई कपड़े का शौक है. न किसी क्लब में जाना है. पर आज से नहीं, बहुत पहले से पुस्तकें, प्रिय हैं. घर पर समस्या है कि उनको रखी कहाँ जाएँ ? उस पीढ़ी का हूँ, जो पुस्तकों के बीच ही पला-बढ़ा. इसलिए सोच ही नहीं सकता कि पुस्तक विहीन होती दुनिया में रहूंगा. एम.सी. छागला की एक पुस्तक है, 'रोजेज इन दिसंबर' (ROSES IN DECEMBER). उनका संस्मरण है. आप जानते हैं, एम.सी. छागला (M.C. Chagla) भारत के एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, चीफ जस्टिस भी थे (महाराष्ट्र के शायद). पंडित जवाहर लाल जी देश के बड़े नेता थे. पंडित जी प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति जी से मिलने प्रायः जाते थे. छागला जी ने लिखा है कि राधाकृष्णन जी जब प्रेसिडेंट थे और वे जाते थे, तो देखते थे कि चौकी पर धूल भरी किताबें भरी रहती थीं. बगल में पतला-सा उनका बेड लगा रहता था. उसी पर सोते थे. एक बार किसी ने सुझाव दिया कि बगल में किताब की चौकी पर इतनी धूल है, उसे साफ करा लें. वह मना कर देते थे कि इसे किसी को साफ नहीं करना है. इसकी धूल, इसको साफ करना, सब उनका काम है. राष्ट्रपति राधाकृष्णन दी ने कहा उन्हें इन किताबों से इतना रागात्मक लगाव है कि कोई चीज इधर-उधर होती है, तो उन्हें बेचैनी की अनुभूति होती है ! ..तो यह है पुस्तकों से जीवंत लगाव! मैं उस पीढ़ी का हूँ कि नहीं मानता कि पुस्तकें खत्म होंगी. हमारे पढ़ने का टेक्नीकल माध्यम बदल सकता है, जो बदल रहा है. कंप्यूटर पहले आया, अब लैपटॉप पर पढ़ सकते हैं. अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट आ ही रहे हैं. ई-रीडर आ रहे हैं... नये इंस्ट्रूमेंट आएँगे, पर कंटेंट तो वही है, जो पुस्तकों में आता है. वही इन माध्यमों में होगा. और आज भी दुनिया में बहुत सारी जगहों पर किताबों की बड़ी दुकानें सम्मानित दृष्टि से देखी जाती हैं; चाहे यूएस हो, ब्रिटेन हो, या अन्यत्र पुस्तकें बिक ही रही हैं. इसलिए, हमें नहीं लगता कि वैसा अवसर आएगा. पुस्तकों का कंटेंट, समृद्ध होता है, वह ऊर्जा देता है, प्रेरित करता है. माध्यम यानी कागज या मशीन नहीं.

विनय : क्योंकि मुद्रित पुस्तकों के स्पर्श के सुख का विकल्प ई-बुक नहीं है ..

हरिवंश: आपकी बात से शत-प्रतिशत सहमत हूँ, विनय जी!

विनय : शब्द की धारा में अर्थ का आवेश हैं पुस्तकें, जो मन-मानस को ऊर्जस्वित करती रहती हैं. पढ़ने की प्रवृत्ति बनी रहे तो मुझे लगता है, बची रहेंगी पुस्तकें. लेखक सार्थक लिखते रहें, पाठक सतत पढ़ते रहे, तो शब्द रहेंगे साक्षी, सभ्यता के भी, संस्कृति के भी! आपने इतना समय दिया, हम अनुगृहीत हैं. धन्यवाद!

हरिवंश : मनुष्य की मानवता बची रहेगी, अगर पुस्तकें बची रहें तो. बहुत धन्यवाद विनय जी!

सूक्ति उक्ति :
संसद, राजनीति और सार्वजनिक जीवन पर उल्लेखनीय उद्धरण

राजनीति एक कला के रूप में – सर रॉबर्ट मेंज़ीज़ (ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री)[1]

यह मेरा थेसिस है. राजनीति का काम सबसे महत्व का है. राजनीति एक ओर जहां एक सूक्ष्म कला है, वहीं दूसरी ओर एक अपूर्ण विज्ञान भी है. हमने इसके वैज्ञानिक पक्ष पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, जैसे आर्थिक प्रवृत्तियों को मापने— आंकने, वित्तीय संगठन, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का निर्माण और यह तय करने पर कि क्या किया जाना चाहिए? पर, हमने इसे एक कला के रूप में उपेक्षित किया है. यानी इन कामों को कैसे और कब किया जाए? सबसे बढ़कर, स्वशासित जनता के बीच स्वीकृत करने, निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए? यह उपेक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं यह कहने को तैयार हूं कि राजनीति के विज्ञान का समुचित अध्ययन और उस पर अधिकार तभी संभव है, जब राजनीति की कला सफल होती है.

संक्षेप में, कला विज्ञान से कम महत्वपूर्ण नहीं है. आज के समय में यह कथन एक विरोधाभास जैसा प्रतीत हो सकता है. पर, बीसवीं सदी के इतिहास का कोई भी विद्यार्थी इससे आश्चर्यचकित नहीं होगा, क्योंकि इतिहास इस बात की त्रासद कथा है कि विज्ञान (जो सरलता से घृणा और विनाश का उपकरण बन जाता है) जीवन की कला से आगे निकल गया है. जिससे मानवता को असुविधा, भ्रम और लगभग विनाश का सामना करना पड़ा है.

[1]: It was published in the New York Times Magazine on November 28, 1948.

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्।
धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यं न तद्यच्छलमभ्युपैति॥
(महाभारत, सभा पर्व 5/35/58)

"वह सभा सच्ची सभा नहीं जहां ज्ञानी वृद्ध उपस्थित न हों. वे वृद्ध भी सच्चे ज्ञानी नहीं, जो धर्म की बात न करें. वह धर्म शुद्ध नहीं, जिसमें सत्य न हो, और वह सत्य भी वास्तविक नहीं जो छल से युक्त हो."

(यह श्लोक संविधान सदन (पुराना संसद भवन) की दीवारों पर अंकित है.)

नासौ मुनिर् यस्य मतं न भिन्नम्।
धर्मस्य तत्त्वम् निहितं गुहायाम्
महाजनो येन गतः स पन्था॥

"ऋषि-मुनियों के मत भिन्न-भिन्न हो सकते हैं; धर्म का सार अत्यंत सूक्ष्म होता है. इसलिए वही मार्ग सर्वाधिक श्रेष्ठ है, जिस पर महापुरुषों ने अपने पदचिन्ह छोड़ते हुए चलकर उदाहरण प्रस्तुत किया हो." (महाभारत)

"जहाँ तक इसकी विचार-विमर्श की भूमिका का प्रश्न है, हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देना संभव है. यह हमारे काम पर निर्भर करेगा कि हम इस द्विसदनीय प्रणाली को कितना उचित ठहराते हैं, जो अब हमारे संविधान का अभिन्न अंग है. यह हमारे लिए एक परीक्षा है, और हमें अपनी पूरी शक्ति से यह सिद्ध करना चाहिए कि देश की जनता के लिए दूसरा सदन त्वरित और अपरिपक्व विधि-निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक है."

- राज्य सभा के प्रथम सभापति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

"संसद का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वह किस प्रकार काम करती है और उसके क्या महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं, न कि इस आधार पर कि किसने बलपूर्वक संसद को बाधित किया. यह कोई मानदंड नहीं हो सकता. वास्तविक मानदंड यह होना चाहिए कि संसद ने कितने घंटे कार्य किया और कितना सकारात्मक कार्य संपन्न हुआ."

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

"सभापति के पास सदन के भीतर सदस्यों पर एक अत्यंत प्रभावी, यद्यपि अप्रत्यक्ष, शक्ति होती है. सदन में उनके किसी भी निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती, भले ही वह निर्णय त्रुटिपूर्ण ही क्यों न हो. यह नियंत्रण-शक्ति इसलिए भी अत्यंत प्रभावशाली होती है, क्योंकि नियम के अनुसार केवल वही सदस्य प्रश्न पूछ सकता है या बोल सकता है, जिसे सभापति द्वारा आमंत्रित किया जाए."

- गणेश वासुदेव मावलंकर, लोक सभा के प्रथम अध्यक्ष

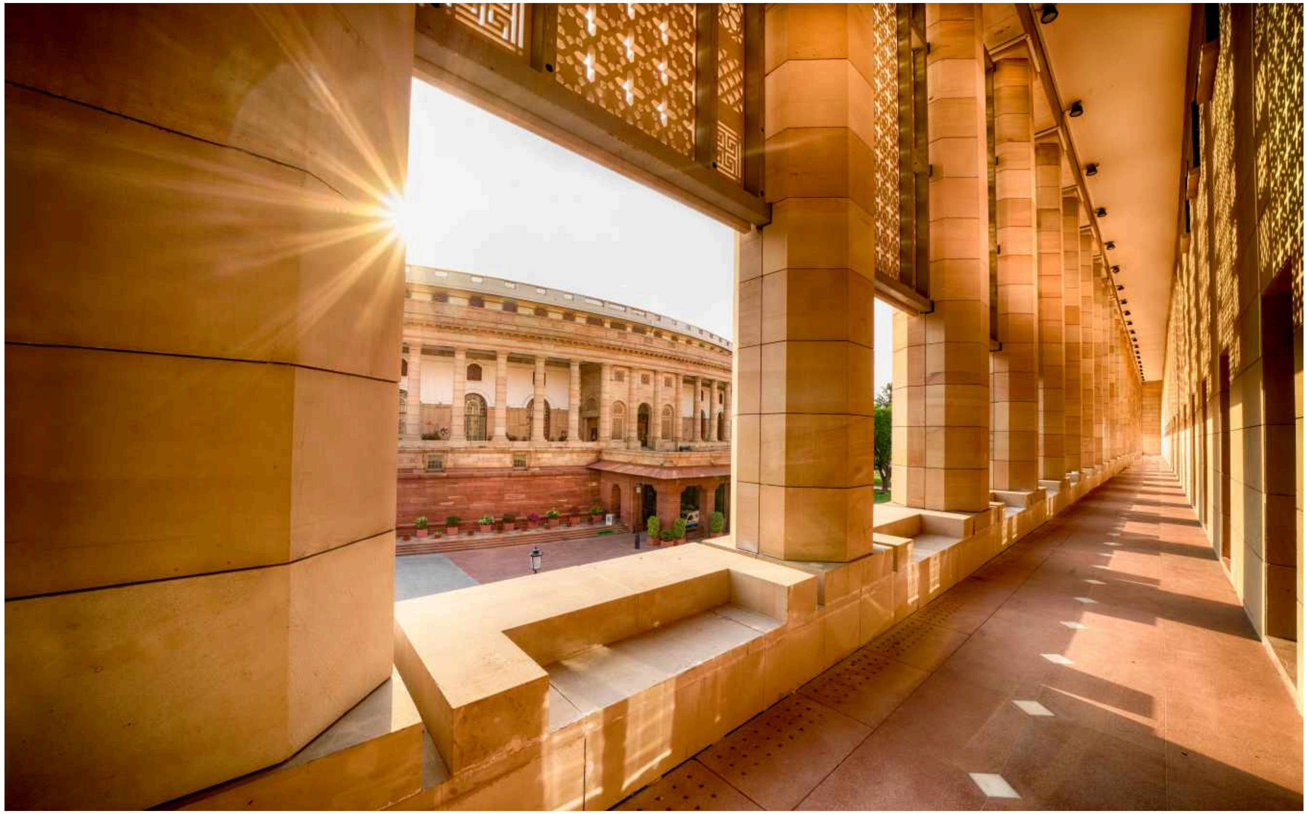
"यदि निर्वाचित प्रतिनिधि सक्षम, चरित्रवान और सत्यनिष्ठ हों, तो वे एक दोषपूर्ण संविधान से भी सर्वोत्तम परिणाम निकाल सकते हैं. किंतु यदि उनमें ये गुण न हों, तो कोई भी संविधान देश की सहायता नहीं कर सकता. अंततः संविधान एक मशीन की तरह निर्जीव वस्तु है; उसे जीवन उन लोगों से मिलता है जो उसे संचालित करते हैं."

- डॉ. राजेंद्र प्रसाद (संविधान सभा को संबोधित करते हुए)

"यदि हम संसद (जिसमें विधान सभा और विधान परिषद भी सम्मिलित हैं) में अपने दायित्वों को न समझें और युक्तिसंगत समय-सीमा में जनता के कल्याण और हितों की देखभाल का भार न उठाएं, तो मेरे मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि यह संसद (या विधान सभा और विधान परिषद) बाहर की जनता द्वारा घोर उपेक्षा और तिरस्कार की दृष्टि से देखी जाएगी. तब यह संस्था ऐसी हो जाएगी जिसकी आवश्यकता ही न समझी जाए."

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर

"कोई संविधान चाहे जितना भी उत्तम क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग ही अनुचित हों, तो उसका परिणाम निश्चित रूप से खराब होगा. इसी प्रकार, कोई संविधान चाहे जितना भी दोषपूर्ण क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग उचित हों, तो वह अच्छे परिणाम दे सकता है. संविधान की कार्यशीलता केवल उसके स्वरूप पर निर्भर नहीं करती. संविधान राज्य के अंग—जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—प्रदान करता है; किंतु इन अंगों की कार्यप्रणाली उन लोगों और राजनीतिक दलों पर निर्भर करती है, जिन्हें वे अपनी इच्छाओं और राजनीति को लागू करने के साधन के रूप में स्थापित करते हैं. कौन यह कह सकता है कि भारत के लोग और उनके दल किस प्रकार आचरण करेंगे?"



- डॉ. बी.आर. अंबेडकर, संविधान सभा को संबोधित करते हुए

"हम इस सदन की प्रतिष्ठा और गरिमा बनाए रखना चाहते हैं. हम में से प्रत्येक इसके प्रति उतना ही सजग है, जितना मैं स्वयं हूँ. मैं नहीं चाहता कि कभी यह कहा जाए कि हमारी चर्चाएँ यह संकेत देती हैं कि हम गंभीर और उत्तरदायी संसद सदस्य की भाँति व्यवहार नहीं कर रहे, बल्कि गैर-जिम्मेदार पेशेवर आंदोलक जैसा आचरण कर रहे हैं."

- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राज्य सभा के प्रथम सभापति

"हमने अतीत में अनेक अवसरों पर देखा है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कई संकटों का सामना करना पड़ा, किंतु हमारी जनता और संसद सदस्यों ने गरिमापूर्ण ढंग से उन चुनौतियों का सामना किया और समस्याओं का समाधान निकाला. आज मेरे जैसे व्यक्ति को संसद के गलियारों में कभी-कभी अकेलापन और झुंझलाहट का अनुभव होता है—जिसका उल्लेख, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी किया है. क्या ऐसा नहीं है कि लगभग प्रतिदिन इतिहास हमारे द्वार पर दस्तक दे रहा है? क्या वह द्वार नहीं खोला जाना चाहिए? संकीर्णता और संवाद की कमी ने कई बार संसद के वातावरण को बोझिल बना दिया है. क्या आप सब मिलकर कोई मार्ग नहीं निकाल सकते, जिससे संसद पुनः जनता की आकांक्षाओं का सजीव प्रतिबिंब बन सके?"

- चंद्रशेखर, 'उत्कृष्ट सांसद' पुरस्कार स्वीकार करते हुए (1995)

"संसद देश के शेष भाग के लिए एक प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करती है. हम यहाँ एक-दूसरे के साथ, अपने कार्य के प्रति और सामान्य जनता के प्रति जैसा व्यवहार करते हैं, उसी के अनुरूप अन्य स्थानों पर—चाहे वह राज्य विधानसभाएँ हों या स्वशासन के अन्य निकाय—आचरण देखने को मिलता है; यहाँ तक कि हमारे लोकतंत्र की आधारशिला, ग्राम पंचायतों तक. अतः हम सभी पर यह महान दायित्व है कि न केवल हम उचित आचरण करें, बल्कि सदैव यह स्मरण रखें कि लाखों आँखें हम पर टिकी हैं और हम संसद की प्रतिष्ठा को आंच पहुँचाने या जनता के समक्ष गलत उदाहरण प्रस्तुत करने वाला कोई भी कार्य न करें."

- **जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री**

"कभी-कभी मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि कुछ सदस्यों के आचरण में कितना परिवर्तन आ जाता है. जब वे पहली बार संसद में आए, तो वे गंभीर और संयमित वक्ता हुआ करते थे; किंतु कुछ वर्षों के बाद वे लगभग उत्तेजक वक्तव्यों तक सीमित हो गए. उनका कहना था कि जब तक वे विचारशील ढंग से बहस में योगदान देते रहे, तब तक मीडिया ने उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया और उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग संसद में उनकी निष्क्रियता की शिकायत करते रहे. किंतु जैसे ही उन्होंने सदन में हंगामा करना आरंभ किया, मीडिया ने उन्हें प्रमुखता से कवर करना शुरू कर दिया."

- **कृष्णकांत, राज्य सभा के पूर्व सभापति**

"यदि मतदाता संसद का सर्वोत्तम सदस्य चुनने की चिंता किए बिना उस व्यक्ति को चुन लें जो चुनाव में सर्वाधिक धन व्यय करता है, तो सबसे व्यापक रूप से लोकप्रिय प्रतिनिधि व्यवस्था का भी क्या लाभ रह जाता है? कोई प्रतिनिधि सभा जनकल्याण के लिए कैसे कार्य कर सकती है, यदि उसके सदस्य खरीदे जा सकते हों, या यदि उनका असंयमित स्वभाव—जिसे सार्वजनिक अनुशासन या निजी आत्मसंयम नियंत्रित न कर पाए—उन्हें शांत विचार-विमर्श के अयोग्य बना दे, और वे सदन के पटल पर हाथापाई करें या एक-दूसरे पर हथियार तान लें? "

- **जॉन स्टुअर्ट मिल**

"मेरा विश्वास है कि जब तक भारत विश्व के समक्ष आत्मविश्वास के साथ खड़ा नहीं होगा, तब तक कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा. इस दुनिया में भय का कोई स्थान नहीं है; केवल शक्ति ही शक्ति का सम्मान करती है."

- **डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति**



बतौर लेखक

हरिवंश खुद को बेहतर पाठक मानते हैं. बतौर पाठक, छात्र जीवन से ही उन्हें किताबें खरीदना,पढ़ना और सहेजना, उनका प्रिय काम रहा है. पाठक के रूप में उनकी सक्रियता और गंभीरता को उनकी निजी लाइब्रेरी—रांची स्थित उनके आवास पर— के रूप में देखा जा सकता है. गांव—समाज से लेकर देश—दुनिया के विविध विषयों पर पुस्तकों का समृद्ध संग्रह है, निजी लाइब्रेरी में. पत्रकारिता के दिनों में नयी किताबों पर नियमित आलेख भी लिखते रहे, जो 'शब्द संसार' नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित भी हुआ. किताबों से यह लगाव और जुड़ाव ने पत्रकार हरिवंश को भी लेखक बनाया. अखबारों और पत्र—पत्रिकाओं में लेखन के साथ उन्होंने अपने समय के सवालों और निजी अनुभवों को समूह की आकांक्षा से जोड़कर किताबें लिखनी भी शुरू की. करीब चार दशकों तक सक्रिय पत्रकारिता और 12 सालों तक संसदीय राजनीति में रहते हुए हरिवंश की अब तक प्रकाशित व संपादित कुल पुस्तकों की संख्या 35 है. इनमें हिंदी में लिखित किताबों की संख्या उन्नीस (19) व अंग्रेजी में एक (01) है. शेष पंद्रह (15) पुस्तकें श्री हरिवंश द्वारा संपादित हैं.

संसदीय जीवन में आने से पहले (2014 से पहले) की प्रकाशित पुस्तकें

संपादित पुस्तकें

- झारखंड: दिसुम मुक्तिगाथा और सृजन के सपने - (2002) राजकमल प्रकाशन
- जोहार झारखंड - (2002) राजकमल प्रकाशन
- झारखंड: सुशासन अब भी संभावना है - (2009) प्रभात प्रकाशन
- संताल हूल: आदिवासी प्रतिरोध संस्कृति - (2009) प्रकाशन संस्थान
- झारखंड: अस्मिता के आयाम - (2011) प्रकाशन संस्थान
- बिहारनामा (2011) - प्रकाशन संस्थान
- बिहार: रास्ते की तलाश - (2011) प्रकाशन संस्थान
- बिहार: अस्मिता के आयाम - (2011) प्रकाशन संस्थान

लिखित पुस्तकें (हिंदी में)

- झारखंड: समय और सवाल - (2012) प्रभात प्रकाशन
- झारखंड: सपने और यथार्थ - (2012) प्रभात प्रकाशन

पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर पर संपादित पुस्तकें

- चंद्रशेखर के विचार - (2002) राजकमल प्रकाशन
- चंद्रशेखर संवाद एक : उथल-पुथल और ध्रुवीकरण -(2002) राजकमल प्रकाशन
- चंद्रशेखर संवाद दो : रचनात्मक बेचैनी में - (2002) राजकमल प्रकाशन
- चंद्रशेखर संवाद तीन : एक दूसरे शिखर से - (2002) राजकमल प्रकाशन
- चंद्रशेखर के बारे में - (2002) राजकमल प्रकाशन
- मेरी जेल डायरी: एक - (2002) राजकमल प्रकाशन
- मेरी जेल डायरी: दो - (2002) राजकमल प्रकाशन

संसदीय जीवन में आने के बाद (2014) प्रकाशित-लिखित व संपादित पुस्तकें

लिखित पुस्तक (अंग्रेजी में)

- चंद्रशेखर : द लास्ट आइकॉन ऑफ आॅइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स - (2019) :रूपा पब्लिकेशंस. इसका विमोचन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 जुलाई 2019 को संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग के बालयोगी सभागार में किया था.

लिखित पुस्तकें (हिंदी में)

- शब्द संसार - (2016) इंडिया टेलिंग बुक्स
- दिल से मैंने दुनिया देखी - (2018) राजकमल प्रकाशन
- गणेश मंत्री : आधुनिक हिंदी पत्रकारिता के यशस्वी स्तंभ- (2022) :रूद्र पब्लिशर्स
- कलश - (2022) वाणी प्रकाशन
- सृष्टि का मुकुटः कैलास मानसरोवर - (2022) वाणी प्रकाशन
- पथ के प्रकाश पुंज - (2022) :वाणी प्रकाशन
- सत्याग्रही संन्यासी (भवानी दयाल संन्यासी की संक्षिप्त जीवनी) (2023), नॉटनल (ई बुक)
- समय के सवाल श्रृंखला के तहत प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली से प्रकाशित दस किताबें

'समय के सवाल' शृंखला के तहत दस किताबें प्रकाशित हैं. 2024 में, प्रकाशन संस्थान (नई दिल्ली) से. 5211 पृष्ठों में समाहित इन किताबों में हरिवंश के 1977 से 2017 तक का लेखन है. .'नवभारत टाइम्स', 'धर्मयुग', 'रविवार', 'प्रभात खबर' और अन्य प्रकाशन संस्थानों में प्रकाशित आलेखों का संकलन है.सभी खंडों के विषय अलग हैं. गुजरे चार दशकों में राज-समाज, देश-दुनिया की सामाजिक-राजनतिक-आर्थिक-सांस्कृतिक सवालों पर अलग-अलग कालखंडों में लिखी सामग्री. विभिन्न विधाओं में. रिपोर्ट, रिपोर्ताज, अग्रलेख, विश्लेषणात्मक टिप्पणी, त्वरित टिप्पणी, साक्षात्कार, यात्रा वृतांत, समीक्षाएं वगैरह.

1.'बिहार: सपना और सच'

2. 'झारखंड: संपन्न धरती, उदास बसंत'

3. 'झारखंड: चुनौतियां भी-अवसर भी'

4. 'राष्ट्रीय चरित्र का आईना'

5. 'पतन की होड़'

6. 'भविष्य का भारत'

7. 'सरोकार और संवाद'

8. 'अतीत के पन्ने'

9. ऊर्जा के उत्स

10. सफर के शेष

2014 के बाद श्री हरिवंश पर लिखी गयी किताबें

1. हरिवंश: पत्रकारिता का लोकधर्म (प्रलेक प्रकाशन.) संपादक: कृपाशंकर चौबे.(2024)
2. Newsprint To Heartprint: An Ingenious Odyssey of Harivansh in Prabhat Khabar. Srinath Sridharan, Abhijit K Chattoraj,Saloni Sinha (2024) Writersgram Publications. (2024)
3. Harivansh's Experiment with AD-Vocacy Journalism – From Ads to Action; From Words to Change. A.S. Raghunath (2024). IndiaStat Publications.
4. जन सरोकार के पत्रकार (प्रभात प्रकाशन) : डॉ. आर के नीरद.

किताबों की भूमिका

हरिवंश ने पिछले 12 सालों में देश के अलग—अलग हिस्से में रहनेवाले लेखकों, पत्रकारों, शोधार्थियों की किताबों की भूमिका लिखी. ये पुस्तकें अलग—अलग विषयों की रहीं.पर, पत्रकारिता करते हुए हर विषय में रुचि की वजह से उन्हें विविध विषयों पर लिखने का अभ्यास शुरू से रहा है. इसलिए अलग—अलग विषयों की किताबों पर भूमिका लिखने का आग्रह हरिवंश के पास नियमित रूप से आते भी रहे. उनमें कुछ किताबें उदाहरण स्वरूप निम्नवत हैं, जिनसे यह समझा जा सकता है कि उनके लिखने में विविधता कितनी रही.

झारखंड में महात्मा गांधी: अनुज सिन्हा
एक देश-एक चुनाव: अनुप वर्णवाल
पाथ ब्रेकर - पाथ मेकर: कर्पूरी ठाकुर.
संसदीय पत्रकारिता: डॉ हरिश लखेड़ा.
पोपले मुख का पैनापन: प्रकाश दुबे
झारखंड में मीडिया: प्रो देवव्रत सिंह व प्रो कीर्ति सिंह.
नमामी काशी: काशी एक विश्वकोष: विमल मिश्र
ब्रोकन प्रोमिसेस: मृत्युंजय शर्मा
एकला चलो रे: इंदर सिंह नामधारी
सनातन का महाकुंभ: नीरज मिश्रा
ग्रामचरितमानस: संतोष सिंह
बिहार में पत्रकारिता: संजय सिन्हा
सिवान माटी की विभूतियां: डॉ मन्नू राय
सियासत की दास्तान: सुरेंद्र किशोर
संस्मरणनामा: त्रिलोकीदीप
वीर कुंवर सिंह: प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक : डॉ शशि सिंह
विधानसभा में बदरी विशाल: अभिषेक
लोक मेधा सम्मान— पद्म पुरस्कारों का स्वर्णीम काल: डॉ दर्शनी प्रिया
जिन राहों पर सियाराम चले : कैप्टन जेपी सिंह राठौड़
गँवई गांधी : अनुरंजन झा

निजी जानकारी

जन्म व आरंभिक जीवन

30 जून 1956. बलिया जिले (उत्तरप्रदेश) के सिताबदियारा गांव (दलजीत टोला) में. यह गांव लोकनायक जयप्रकाश नारायणजी का गांव है. देश के दो राज्यों,दो नदियों गंगा और घाघरा के बीच तीन जिलों भोजपुर (आरा) ,बलिया और सारण (छपरा) की सीमा में 27 टोलों में बंटा और फैला गांव.

शिक्षा-अध्ययन

पढ़ाई की शुरुआत गांव में ही. काशीराय टोला में प्राइमरी की शिक्षा. फिर जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर बने हाईस्कूल से मैट्रिक. इंटर,बनारस के उदयप्रताप कॉलेज (यूपी कॉलेज) से. काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से स्नातक व अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर. बीएचयू के ही पत्रकारिता विभाग से डिप्लोमा स्तरीय प्रशिक्षण.

राजनीतिक चेतना

बीएचयू में पढ़ाई के दौरान जयप्रकाशजी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन ने आकार लिया. छात्र रूप में हरिवंश की राजनीतिक रुचि जगी. महामंत्री का चुनाव लड़े. कला संकाय से छात्र संघ के लिए चुने गये. इमरजेंसी का समय आया. भूमिगत परचा-पोस्टर चिपकाने, बांटने का काम करने लगे. बनारस में समाजवादी अर्थशास्त्री, राजनीतिक विचारक कृष्णनाथजी के यहां आना-जाना शुरू हुआ. सर्वसेवा संघ में आने—जाने की शुरुआत हुई. दादा धर्माधिकारी समेत कई लोगों को करीब से जानने का मौका मिला. राजनीतिक चेतना का विस्तार होता रहा. जेपी के निजी सचिव जगदीश बाबू से आत्मीय रिश्ता था. उन्होंने इमरजेंसी के दिनों में तीन बड़े लोगों के नाम पत्र लिखकर हरिवंश को दिल्ली भेजा. जेपी के गांव की होने की वजह से,जगदीश बाबू का पत्रवाहक होने की वजह से तीन में से दो लोगों ने मिलने से मना कर दिया. एक पत्र अनुपम मिश्र के नाम था. अनुपमजी के पिता कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने उत्साह और आत्मीयता दिखायी. इस तरह श्री हरिवंश को राजनीति को करीब से देखने-समझने का अवसर मिलता रहा. इसी दौरान राजनीतिक सामग्री पढ़ने—लिखने की आदत लगी. अर्थशास्त्री बनने के सपने ने नया मोड़ लिया. पत्रकारिता से जुड़ाव होता गया. करीब चार दशक तक सक्रिय पत्रकारिता में रहे. इस दौरान सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सरोकारों पर लिखने,संवाद करने का काम करते रहे.

कैरियर

पत्रकारिता

कैरियर के रूप में पत्रकारिता की शुरुआत 'टाइम्स आफ इंडिया' समूह की हिन्दी पत्रिका 'धर्मयुग' से. हिंदी पत्रिका 'धर्मयुग' में उप-संपादक के रूप में 1977-1981 तक कार्यरत. 'आनंद बाजार पत्रिका' समूह की हिंदी पत्रिका 'रविवार' में सहायक संपादक के तौर पर 1985 -1989 तक कार्यरत. अक्तूबर 1989 में रांची से प्रकाशित अखबार 'प्रभात खबर' में बतौर प्रधान संपादक जुड़ाव.जून 2016 तक अखबार में प्रधान संपादक के रूप में कार्यरत.

बैंकिंग

1981 से 1984 तक बैंक आफ इंडिया, हैदराबाद व पटना में अधिकारी के रूप में कार्यरत.

प्रधानमंत्री कार्यालय

PMO India

प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के अतिरिक्त सूचना सलाहकार (संयुक्त सचिव) के रूप में कार्यरत. (1990 से जून 1991 तक)

पत्रकारिता के दौरान

— भारतीय प्रेस संस्थान की पत्रिका 'विदुरा' के सलाहकार संपादक.

— अखिल भारतीय पत्रकारिता विकास परिषद, कोलकाता द्वारा अगस्त 1996 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पत्रकारिता सम्मान.

— पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान व कार्य के लिए अगस्त 2008 में भोपाल (मध्य प्रदेश) में प्रथम माधव राव सप्रे पुरस्कार से पुरस्कृत व सम्मानित.

— केके बिड़ला फाउंडेशन जर्नलिस्ट रिसर्च फेलोशिप के निदेशक मंडल में सदस्य.

— भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के हिंदी कांसुलेट में सदस्य— 1991—1996 तक

— 1992 में बिहार सरकार के राजभाषा पुरस्कार चयन समिति में सदस्य.

— 2001 और 2004 में झारखंड विधानसभा की श्रेष्ठ विधायक चयन समिति में सदस्य

— 1999—2002 तक भारत सरकार के रेल मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य

— 1998 से 2003 तक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्रबंध समिति सदस्य

— भारत सरकार द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जन्म शताब्दी समारोह आयोजन समिति में सदस्य नामित

— एशियन डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर (आद्री) में आर्गेनाइजिंग कमिटी सदस्य (बिहार) और झारखंड में वाइस प्रेसिडेंट (पूर्व)

— वर्ल्ड एसोसिएशन आफ न्यूजपेपर, फ्रांस के वर्ल्ड एडिटर फोरम में सक्रिय भागीदारी.

— एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया, नई दिल्ली के सदस्य

— सितंबर 2012 में जोहांसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में आयोजित नौवें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान हिंदी के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान.

— आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ विचार मंच, मेहरौली, दिल्ली द्वारा आचार्य तुलसी सम्मान, 2014 में

राजनीति

— अप्रैल 2014 में जनता दल यू की ओर से बिहार से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित.

— 09 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए निर्वाचित.

— अप्रैल 2020 में पुन: बिहार से जदयू से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित

— 09 सितंबर 2020 को पुन: उपसभापति पद के लिए निर्वाचित

व्यक्तिगत जानकारी

पिता: स्व. श्री बांके बिहारी सिंह
माता :स्व. श्रीमती देवयानी देवी
पत्नी : श्रीमती आशा सिंह
बेटा: विकास कुमार सिंह
बेटी : ऋचा सिंह

पत्राचार का पता:

रोड नंबर, 6-एस, वृंदावन कॉलोनी, चिरौंदी - बोड़ेया रोड, रांची (झारखंड)-834006

संपर्क ई-मेल : harivansh@harivansh.net



फोटो गैलरी

नवनिर्मित संसद भवन



दिसंबर, 2020 में नए संसद भवन की आधारशिला समारोह में.



मई,2023 में नए संसद भवन के उद्‌घाटन समारोह के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और और माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ.



भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट.

बतौर उपसभापति, देश के उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों के साथ निकटता से काम करने तथा उनसे मिलने के विविध अवसर प्रदान करता है. राज्यसभा में 12 वर्षों के दौरान तीन राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्रपतियों के साथ हुई बैठकों की कुछ झलकियां नीचे प्रस्तुत हैं. उपसभापति, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करनेवाले करने वाले उपराष्ट्रपति के साथ, उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं.



भारत के पूर्व राष्ट्रपति (2017-2022) रामनाथ कोविंद के साथ.



संसदीय कार्यक्रम के दौरान देश के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के माननीय सभापति (2017-2022) एम वेंकैया नायडू के साथ.



भारत के पूर्व राष्ट्रपति (2012-2017) प्रणब मुखर्जी के साथ.



संसद सत्र के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के माननीय सभापति (2022-2025) जगदीप धनखड़ के साथ.



सितंबर, 2025 में निर्वाचित उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के मानीय सभापति सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए.



बतौर सांसद, रोम में माननीय लोकसभा अध्यक्ष (2014-2019) सुमित्रा महाजन के साथ.



जिनेवा में आयोजित अंतर संसदीय संघ के सम्मेलन के दौरान माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ.

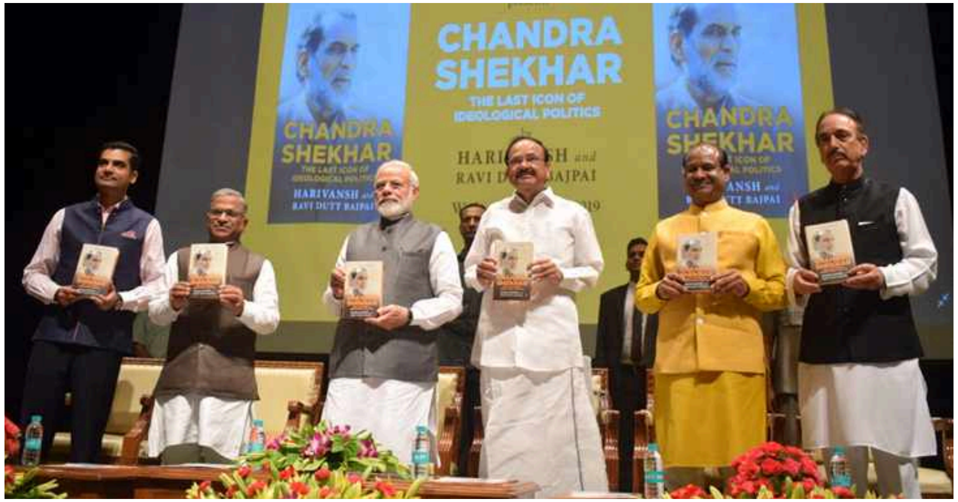


2025 में आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस द्वारा आयोजित सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान के दौरान
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ.



2024 में P20 Speakers' Summit के दौरान रूसी संसद के उपाध्यक्ष के साथ.





2019 में, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर सह—लिखित पुस्तक 'Chandra Shekhar: The Last Icon of Ideological Politics', का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया. इस विशेष अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद सभी एक मंच पर उपस्थित थे.



महाराष्ट्र के वर्धा स्थित संत विनोबा भावे के पवनार आश्रम में प्रसिद्ध गांधीवादी लेखक और विचारक गौतम बजाज के साथ. उन्होंने आचार्य विनोबा भावे के सचिव के रूप में भी काम किया.



2026 में, नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित राष्ट्रकुल देशों के 28वें स्पीकर और अधिकारियों के सम्मेलन में.

परिशिष्ट

संसदीय हस्तक्षेप : एक विवरण (2014-2018)

Matters Raised With Permission

No.	Title	Date
1	Continued cross-border incursions from Pakistan	12.08.2014
2	Cleaning of River Yamuna	12.03.2015
3	Possibility of hacking of EVMs	12.03.2015
4	Illegal and unethical online sale of medicines	17.12.2015
5	Plight of displaced families in Jharkhand due to industrialisation	28.04.2016
6	Withdrawal of forces from Siachen	29.04.2016
7	Alleged lynching of muslims in Jharkhand	29.04.2016
8	Agreement of Nepal with China on transit rights and multiple train routes	29.04.2016
9	Need to rationalise parity between armed forces and bureaucracy	03.05.2016
10	Concern over supply of fake and adulterated fitness and food supplements in market	05.05.2016
11	Concern over top companies defaulting in bank loans	05.05.2016
12	Incidents of eve-teasing of students in Haryana	06.05.2016
13	Situation due to deteriorating health of some JNU students participating in indefinite fast	06.05.2016
14	Indian workers stranded in Mecca in Saudi Arabia	10.05.2016
15	Suspension of students by the VC of Banaras Hindu University	21.07.2016
16	Death of renowned Hockey player Mohd. Shahid	21.07.2016
17	Concern over efforts to dilute the benefits of reservation for OBCs on the grounds of creamy layer	27.07.2016
18	Alleged discrimination with the world-renowned Khuda Baksh Library by the Ministry of Culture	27.07.2016
19	Concern over threat to cyber security of the sensitive departments of the Government	27.07.2016
20	Dismal performance of Government in creating job opportunities in organized and unorganized sectors	01.08.2016
21	Plight of labourers from Bihar within the country and abroad	01.08.2016

No.	Title	Date
22	Havoc caused by floods in various States of northern India and steps being taken in this regard	01.08.2016
23	Proposed shifting of the headquarters of the Tea Board from Kolkata to Guwahati	02.08.2016
24	Alleged fraud amounting to 302 crores in a branch of the Indian Overseas Bank in Chandigarh	08.08.2016
25	Death of cows in a cow shelter at Jaipur	08.08.2016
26	Re. Demand for ruling in respect of holding meetings of committees during the session of parliament along with a point of order raised by the Hon'ble Minister	09.08.2016
27	Concern over suicide by students taking coaching classes in Kota, Rajasthan	02.02.2017
28	Plight of Print Media Industry	03.02.2017
29	Problems being faced by the students due to restriction on number of attempts for AIPMT	03.02.2017
30	Plight of powerloom industry in the country	03.02.2017
31	Need for CBI inquiry into the case of a missing student of JNU	06.02.2017
32	Reported scam of Rs 3,700 crores by a social trade company	08.02.2017
33	Need to revoke the U.G.C. Notification regarding admissions for M.Phil and Ph.D. Courses	08.02.2017
34	Need to confer Bharat Ratna on Late Shri Karpoori Thakur	08.02.2017
35	Alleged attack on academic freedom in Delhi University and Jawaharlal Nehru University	10.03.2017
36	Alleged harassment of farmers by bank managers and farmers' suicides in Tamil Nadu	16.03.2017
37	Plight of farmers due to inefficient system of procurement of wheat and pulses by the Government	16.03.2017
38	Plight of common man due to economic burden imposed by the Government	17.03.2017
39	Poor implementation of the Right to Education Act	21.03.2017

No.	Title	Date
40	Need for compensatory attempt for aggrieved candidates of Hindi and other official languages in Civil Services Examination	22.03.2017
41	Alleged conversion of black money into legal money by Shell companies	22.03.2017
42	Concern over frequent coal mine accidents in Koyalanchal in Jharkhand	22.03.2017
43	Need for a Central Legislation for protection of street hawkers	22.03.2017
44	Concern over sex determination racket caught in a village in Delhi	24.03.2017
45	Need to resume work in the fertilizer unit in Barauni	31.03.2017
46	Increasing fire incidents in ordnance factories in the country	31.03.2017
47	Safety and security of whistleblowers and their families particularly women and children	31.03.2017
48	Lapse in security arrangements of the President of India	06.04.2017
49	Waiver of loans to farmers in the country	07.04.2017
50	Need to make NCERT study material mandatory to all CBSE schools	12.04.2017
51	Cases of fraud by fake doctors and middlemen in Government hospitals in Delhi	12.04.2017
52	Need to get Presidential assent to the NEET Bill, passed by the Tamil Nadu Legislative Assembly	19.07.2017
53	Agitation due to closure of the Jharkhand's Dhanbad-Chandrapura railway line	20.07.2017
54	Concern over GST imposed on materials used by disabled and marginalised persons	20.07.2017
55	Concern over the scarcity of life saving drugs in hospitals after implementation of GST	24.07.2017
56	Loss of lives due to illegal mining in Jharkhand	04.08.2017
57	Need for installation of a statue of Rabindranath Tagore at Jalianwala Bagh Memorial premises	04.08.2017
58	Need to save the village and memorial of Shri Jai Prakash Narayan	19.12.2017
59	Incidents of misbehaviour with the passengers by some private airlines	29.12.2017
60	Need to provide central aid for flood affected people of Bihar and to expedite construction of high dams on Saptkoshi and Sunkoshi rivers	02.01.2018
61	Concern over quality of education in the country	07.02.2018
62	Challenges arising out of the misuse of social media	19.07.2018
63	Crisis in the Banking Sector of the country	24.07.2018
64	Threat to India's national security on account of Chinese MNCs	25.07.2018
65	Adverse impact of Indigo plantation on soil fertility	26.07.2018
66	Concern over increasing menace of elephants in Surguja district of Chhattisgarh	26.07.2018
67	Poor quality of food served in the Ranchi Rajdhani Express	02.08.2018
68	Lack of quality healthcare facilities for poor women and children in Balia district of Uttar Pradesh	02.08.2018
69	Need for recognition and grant of Central Pension to the victims of internal emergency of 1975	02.08.2018

Short Duration Discussion

No.	Title	Date
1	Re: Situation arising from reported attempts to curb independence of Media and restrict freedom of expression	08.08.2014
2	Situation arising out of price rise in the country	27.07.2016
3	Excessively high levels of air pollution in Delhi	28.12.2017
4	The state of economy, investment climate and job creation in the country and the need to address the challenge of rising unemployment	04.01.2018

Special Mention

No.	Title	Date
1	Need to bring reforms in school and higher education to bridge the gap between the rich and the poor	07.05.2015
2	Need to set up an inquiry into the revelations made in a magazine on the involvement of middlemen to give information about judicial verdicts to corporates and other beneficiaries	27.07.2016
3	Demand to make a time-bound plan to provide ambulances, equipped with all the facilities and give cashless treatment to victims of road accidents on National Highways in the country	24.07.2017
4	Concern over assurance made for various development works in Jharkhand not being fulfilled by Central Government	26.07.2017
5	Demand to address the issues of delay in arrival and departure by some Superfast Trains of South Central Railway and North Central Railway	10.08.2017
6	Demand to remove anomalies existing in various pension schemes launched in country	06.02.2018

Budget

No.	Title	Date
1	The Budget (General), 2014-15 and the appropriation (No.2) bill, 2014 the appropriation (No.3) Bill, 2014 - Contd.	24.7.2014
2	The Budget (General) 2015-16 -Contd.	18.03.2015
3	The Appropriation (Vote on Account) Bill, 2016 and The Appropriation Bill, 2016	16.03.2016
4	The Union Budget, 2017-18	16.03.2017
5.	The Union Budget, 2018-19	08.02.2018

Government Legislation

No.	Title	Date
1	The Central Universities (Amendment) Bill, 2014	09.12.2014
2	(i) The Appropriation (Vote on Account) Bill, 2015 (ii) The Appropriation Bill, 2015	18.03.2015
3	The Regional Rural Banks (Amendment) Bill, 2014	28.04.2015
4	The Central Universities (Amendment) Bill, 2014	16.03.2016
5	The Compensatory Afforestation Fund Bill, 2016	28.07.2016
6	The Benami Transactions (Prohibition) Amendment Bill, 2016	02.08.2016
7	(i) The Appropriation Bill, 2017; and (ii) The Appropriation (No. 2) Bill, 2017	23.03.2017
8	The Finance Bill, 2017 - Contd.	29.03.2017
9	I. The Appropriation (Railways) Bill, 2017 II. The Appropriation (Railways) No.2 Bill, 2017 AND Discussion on Working of the Ministry of Railways	30.03.2017
10	The Collection of Statistics (Amendment) Bill, 2017	26.07.2017
11	The National Institutes of Technology, Science Education and Research (Amendment) Bill, 2017 - Contd.	26.07.2017
12	The Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 2016	09.08.2017
13	The Banking Regulation (Amendment) Bill, 2017	10.08.2017
14	The Companies (Amendment) Bill, 2017 - Contd.	19.12.2017
15	The Indian Forest (Amendment) Bill, 2017	27.12.2017
16	The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2017	28.12.2017
17	Statutory Resolution Disapproving the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2017	02.01.2018
18	The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2017	02.01.2018
19	The State Banks (Repeal and Amendment) Bill, 2017	18.07.2018
20	The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2017	23.07.2018
21	The Specific Relief (Amendment) Bill, 2018	23.07.2018
22	The Fugitive Economic Offenders Bill, 2018 - Contd.	25.07.2018

Private Member Legislation

No.	Title	Date
1	The Parliament (Enhancement of Productivity) Bill, 2017	03.08.2015
2	The Rights of Transgender Persons Bill, 2014	27.12.2015

Other Discussion

No.	Title	Date
1	Discussion on Working of the Ministry of Railways	30.03.2017
2	Re. Objection to discussion on bills after private members' business on fridays	31.03.2017
3	Regarding direction to set up special courts for MPs and MLAs	19.12.2017
4	Regarding Chairman's advice on the manner of addressing the Chairman and Vice-President	06.02.2018
5	Regarding demand for completion of debate on NRC in Assam	01.08.2018

Details of Foreign Parliamentary Delegations & VisitsDetails of the Indian Parliamentary Delegation Visits Abroad

Sl. No.	Dates	Conference/Meeting	Status
1	12-16 Oct 2014	131st IPU Assembly, Geneva, Switzerland	Member
2	September 2017	72nd UNGA, New York, USA	Member
3	14-18 Oct 2018	139th IPU Assembly, Geneva, Switzerland	Member/Leader
4	16-20 Mar 2019	Goodwill Delegation to Japan	Leader
5	5-10 Apr 2019	140th IPU Assembly, Doha, Qatar	Leader
6	1-2 Sep 2019	South Asian Speakers' Summit (SDGs), Maldives	Member
7	23-24 Sep 2019	Speakers of Eurasian Countries Parliaments, Kazakhstan	Leader
8	6-10 Jan 2020	25th CSPOC, Ottawa, Canada	Member
9	7-9 Sep 2021	World Conference of Speakers, Vienna, Austria	Member
10	7-8 Oct 2021	G20 Speakers' Summit (P-20), Rome, Italy	Member
11	6-7 Oct 2022	G20 Speakers' Summit (P-20), Jakarta, Indonesia	Member
12	11-15 Oct 2022	145th IPU Assembly, Kigali, Rwanda	Leader
13	3-6 Jan 2023	CSPOC, Canberra, Australia	Leader
14	27-29 Sep 2023	BRICS Parliamentary Forum, South Africa	Leader
15	12-14 Oct 2023	G20 Speakers' Summit (P-20), New Delhi	Member
16	3-6 Jan 2024	27th CSPOC, Kampala, Uganda	Leader
17	6-9 Mar 2024	Visit to Hungary	Leader
18	23-27 Mar 2024	148th IPU Assembly, Geneva, Switzerland	Leader
19	11-12 Jul 2024	10th BRICS Parliamentary Forum, Russia	Member
20	13-17 Oct 2024	149th IPU Assembly, Geneva, Switzerland	Member
21	6-8 Nov 2024	G20 Parliamentary Speakers' Summit, Brazil	Leader
22	5-9 Apr 2025	150th IPU Assembly, Tashkent, Uzbekistan	Member
23	18 May 2025	Official Delegation to Vatican City (Pontificate Ceremony)	Leader
24	4-5 Jun 2025	11th BRICS Parliamentary Forum, Brazil	Member
25	29 Sep-3 Oct 2025	G20 Parliamentary Speakers' Summit, South Africa	Leader
26	5-12 Oct 2025	Commonwealth Parliamentary Conference, Barbados	Member
27	14-16 Jan 2026	28th CSPOC, New Delhi	Member

Foreign Parliamentary Delegations that called on the Deputy Chairman, Rajya Sabha, New Delhi

Sl. No.	Date	Country	Delegation Details
1	25 September 2018	France	Four-member delegation led by Mr. Yvon Collin, President of the India-France Friendship Group of the French Senate at Parliament House
2	6 February 2019	Russian Federation	Three-member delegation led by Mrs. Yelena Afanasyeva, Committee on Constitutional Legislation and State Building at Parliament House Annexe
3	5 July 2019	Republic of Korea	Delegation led by Mr. Song Young Gill, President of the Korea-India Parliamentarians' Association
4	23 July 2019	China	10-member delegation led by Mr. Qie Yingcai, Member of the 13th National People's Congress
5	12 March 2022	Czech Republic	Delegation led by H.E. Mr. Jiri Oberfalzer, Vice President of the Senate
6	6 February 2023	Hungary	Six-member delegation led by H.E. Mr. Istvan Jakab, Deputy Speaker of the Hungarian National Assembly
7	29 March 2023	Russia	10-member delegation led by H.E. Alexander Babakov, Deputy Chairman, State Duma
8	19 December 2023	EU Delegation	12-member delegation led by Mr. Morten Løkke-gaard, MEP, Chair of D-IN Delegation
9	8 January 2024	Hungary	Delegation led by H.E. Mr. Zsolt Attila Nemet, President of Parliamentary Committee for Foreign Affairs
10	6 February 2025	Sweden	12-member delegation led by H.E. Margareta Cederfelt, MP, Chairperson of India-Sweden Friendship Group
11	11 February 2025	Poland	H.E. Mr. Pawel Kowal, MP and Chairman of Foreign Affairs Committee
12	17 March 2025	Portugal	Delegation led by H.E. Mr. Marcos Perestrello, Vice-President of Portuguese Assembly
13	18 March 2025	European Parliament	Delegation led by H.E. Ms. Angelika Niebler, Chair of EP Delegation for relations with India
14	4 August 2025	United Kingdom	Delegation led by Ms. Nusrat Munir Ul-Ghani, Deputy Speaker, House of Commons
15	29 October 2025	European Parliament Committee of International Trade	Delegation led by Ms. Cristina Maestre, INTA Standing Rapporteur for India
16	12 December 2025	Czech Republic	Delegation led by Ms. Jitka Seitlova, Vice-President of the Senate

contd...

Sl. No.	Date	Country	Delegation Details
17.	30 Januay 2026	Republic of Korea	Delegation led by Mr. Lee Hack Young, Deputy Speaker of National Assembly of Republic of Korea
18.	18 Febrauary 2026	Hungary	Delegation led by Mr. Lajos Olah, Deputy Speaker of National Assembly of Hungary
19.	02 April 2026	Russian Federation	Delegation led by H.E. Mr. Vladimir Yakusher, the First Deputy Speaker of Federation Council of the Russian Federation

समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेख

पेशे से पत्रकार और संपादक रहे हरिवंश ने संसदीय जीवन में आने के बाद भी लिखना जारी रखा. इन 12 सालों के संसदीय सफर में उन्होंने अनेक प्रमुख अंग्रेज़ी और हिंदी समाचार पत्रों में अलग—अलग विषयों पर लेख लिखे हैं. ये लेख संसदीय कार्यप्रणाली, शासन, और समाज जैसे समकालीन विषयों पर उनके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं.

Articles in English

No.	Date	Title	Publication
1	25/06/2019	Emergency chronicles: The party Chandra Shekhar brought to power, sent him to jail	Indian Express
2	20/04/2020	India has played an exemplary role in tackling the Covid-19 crisis	Indian Express
3	11/03/2023	Pradhanmantri Sangrahalaya a Befitting Reply to Critics, Gives Equal Play to All PMs	Economic Times
4	14/04/2023	Engaging young people in India's political history	Hindustan Times
5	27/05/2023	A fountainhead of the people's hopes and aspirations	The Hindu
6	13/10/2023	P20: A parliamentary dimension to global governance	Indian Express
7	11/04/2024	Cues from India's past to help battle climate crisis	Hindustan Times
8	13/04/2024	Swaminarayan Temple: the UAE's monument of harmony	The Pioneer
9	08/07/2024	Parliamentary Disruption: Need for Course Correction	The Daily Guardian
10	10/07/2024	A mockery of Parliament?	Indian Express
11	19/10/2024	ONOP: Sync 'n' Scale Up the States	Economic Times
12	18/12/2025	In Bihar, MPLADS have paved way for knowledge hubs	Indian Express

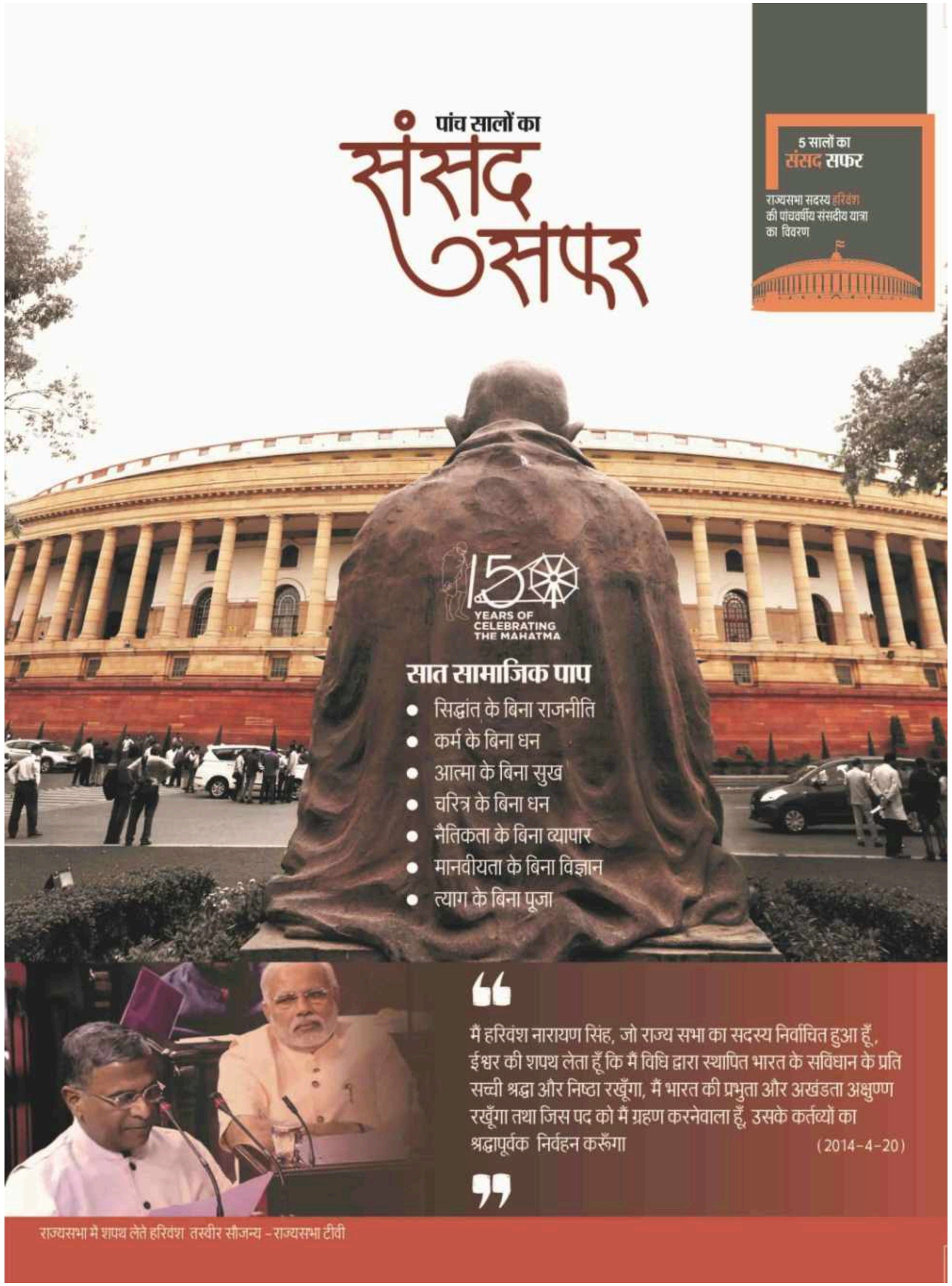
यहां दिये जा रहे कुछ लेखों के शीर्षक नमूने के तौर पर हैं. उन्होंने दैनिक भास्कर में 2020 से नियमित रूप से एक कॉलम लिखा, साथ ही अन्य प्रमुख हिंदी दैनिकों में भी समय—समय पर लेखन किया.

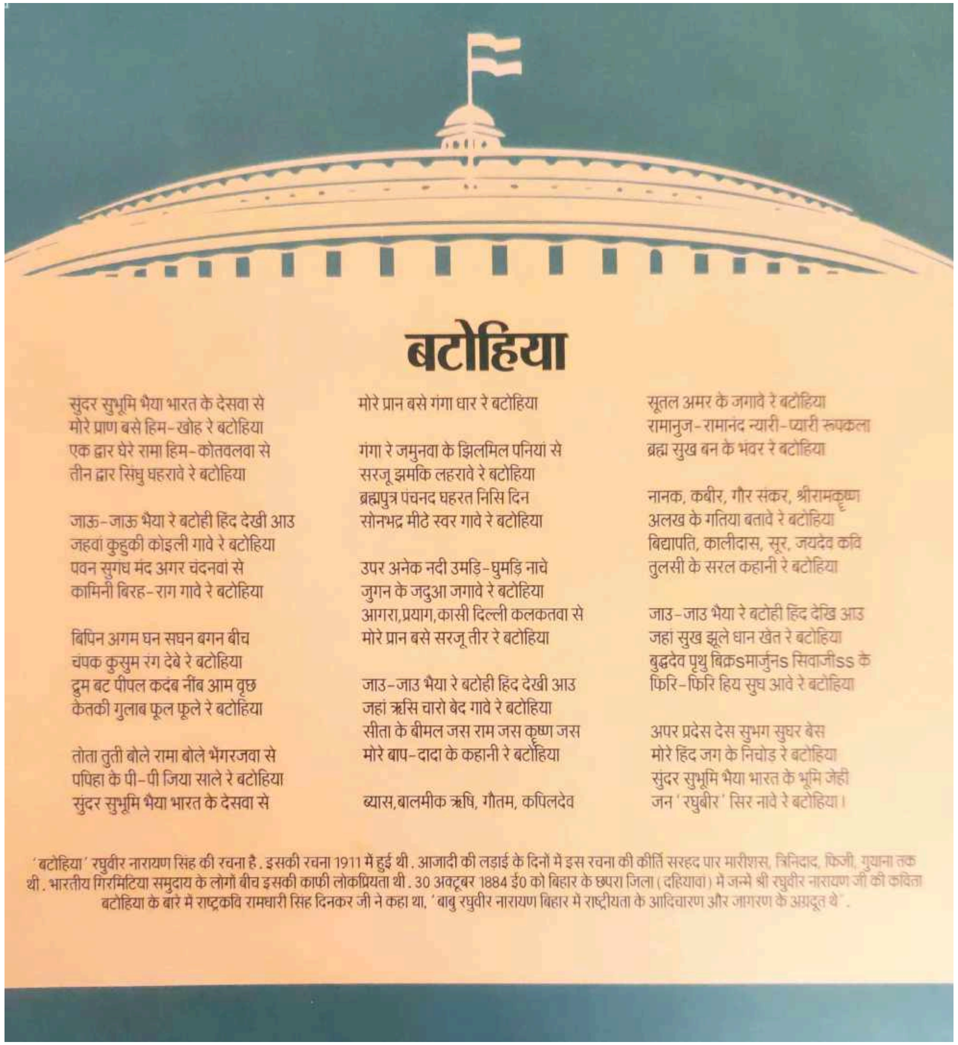
सं.	दिनांक	शीर्षक
1.	02.07.17	आधी रात का फैसला
2.	12.07.17	गांधी, लोहिया और जेपी के सिद्धांतों का मिश्रण हैं नीतीश के पास
3.	13.07.17	आलू और बालू वाले बिहार को मिला न्याय के साथ विकास
4.	14.07.17	सरकारें समाज सुधार की काम नहीं करतीं, पर नीतीश ने किया
5.	29.04.19	भूले राजनीतिक आदर्शों के नायक हैं कड़िया मुंडा !
6.	21.07.20	सिर्फ सुधार ही बचाएंगे !
7.	22.07.20	खारिज मॉडल का खामियाजा
8.	23.07.20	दबंगों का दबदबा
9.	24.07.20	चार दशक पहले ये सुधार होते तो कोयला कथा अलग होती
10.	25.07.20	तेज विकास के लिए देश को बड़ी पूंजी की जरूरत
11.	26.07.20	नीतियां फेल नहीं हुई, नीयत से संकट बढ़ा !
12.	27.07.20	जब एकबारगी हिल गईं बैंकिंग उद्योग की जड़ें
13.	28.07.20	दुनिया देखेगी आत्मनिर्भर भारत की ताकत
14.	24.07.20	अतीत बताता है कि भारत ने संकट से सबक नहीं लिया
15.	07.08.20	क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकास धीमी गति से होता है? संसदीय कामकाज की प्रक्रिया में इस यक्ष प्रश्न का उत्तर
16.	21.08.20	अब अमेरिका-ताइवान रिश्तों का नया चक्र शुरू हो रहा है, भारत-ताइवान संबंधों में भी सुधार के संकेत हैं, क्या यह इतिहास के दूसरे अध्याय का आरंभिक चरण है?
17.	04.09.20	टेक्नालॉजी के हाथों इंसान का भाग्य होगा या दीर्घजीवी मानव के नियंत्रण में होगी 'सुपर टेक्नोलॉजी'?, इस फैसले की दहलीज पर खड़ी है ग्लोबल दुनिया
18.	18.09.20	विकास पर समझौता, भावी पीढ़ी और देश के साथ अन्याय है; सरकारें आएं या जाएं पर बेहतर भविष्य से राजनीति नहीं होनी चाहिए
19.	16.10.20	चुनाव की वजह से बिहार फिर केंद्र में है, इतिहास के गर्भ में दबा तथ्य है कि 'आधुनिक बिहार' बना कैसे? जवाब एक किताब में मिला
20.	30.10.20	युवाओं का सब्र घट रहा है, अब जीवन को सरल बनाना जरूरी है

21.	08.11.20	नीतीश जी, आपकी अधिक जरूरत है ! (केवल बिहार एडीशन)
22.	13.11.20	जीवन जीने के लिए हमें मौत को जानना भी बहुत जरूरी है
23.	27.11.20	नए होनहार युवा, राजनीति या व्यवस्था को बारीकी से परख रहे हैं, यह स्वागत योग्य है, चूंकि उनका भविष्य, इससे जुड़ा है
24.	11.12.20	युवा सार्वजनिक योजनाओं पर निगाह रखें, चुनौती का समाधान टेक्नोलॉजी से निकालने के लिए तत्पर रहें
25.	22.01.21	बदलाव का दशक: तकनीक कादुनिया के तानेबाने पर होगा असर
26.	05.02.21	आत्मनिर्भर भारत ही देश में सबको रोजगार दे सकता है
27.	19.02.21	उदारीकरण की अपनी शंकाएं हैं ये संसार की नई बेचैनी बन रही
28.	06.03.21	आने वाली पीढ़ियों के लिए निजी स्तर पर आत्मसंयम की जरूरत
29.	19.03.21	कोयला उद्योग बंद होने की भविष्य की चुनौती का हल अभी खोजें
30.	02.04.21	जो अतीत को अनदेखा करते हैं, वे भविष्य की खाई खोदते हैं
31.	16.04.21	इस मुश्किल समय में क्या हम अपना नागरिक फर्ज निभा रहे हैं?
32.	01.05.21	संकट क्र.में सिर्फ सामाजिक रिश्ते ही हमारी जान बचा सकते हैं
33.	15.05.21	भारतीय परंपरा में मृत्यु जीवन से जुड़ी है, इसकी चर्चा से भय जागता है, पर यह दौर भी गुजर जाएगा
34.	28.05.21	आत्मसंयम की बुनियाद पर सामाजिक चरित्र का विकास
35.	25.06.21	क्या 'डिजाइनर बेबी' बनाना नैतिक रूप से सही होगा
36.	09.07.21	इस आपदा के बाद भावी संसार के लिए नई नींव रखनी होगी
37.	17.09.21	एआई दुनिया को बहुत तेजी से बदल रही है
38.	01.10.21	जेपी के नजरिए से दुनिया को सही विकास देखने की जरूरत है
39.	15.10.21	भारत के अध्यात्म से प्रभावित इटली ने कोविड को ऐसे जीता
40.	29.10.21	अब युवा ही भारत का भविष्य हैं, उन्हें कौशल संपन्न बनाएं
41.	12.11.21	मंदिर नैतिक मूल्यों के केंद्र हैं इनका बेहतर प्रबंधन जरूरी
42.	26.11.21	देश में कुलपति चयन के मापदंड बदलने चाहिए
43.	06.01.22	क्या 2022 में हम खुद को बदलने के लिए तैयार हैं ?
44.	21.01.22	हमारा समाज अभी भी सच्चे नायकों का सम्मान करता है
45.	04.02.22	टेक कंपनियों के विजन पर उठ रहे सवाल, राह निकालनी होगी
46.	18.02.22	वैश्विक महामारी के बावजूद हमारा अर्थ-प्रबंधन श्रेष्ठ रहा
47.	16.03.22	इतिहास युद्ध के सबकों से भरा है, पर हमने सीखा नहीं है
48.	12.04.22	महामारी से जूझकर हमने स्वाभिमान की गाथा लिखी
49.	23.04.22	क्या हर जगह कानून ही काम करेगा, समाज नहीं ?
50.	13.05.22	बराबरी एक सपना है या साकार होने वाला सच ?
51.	24.06.22	पुरानी पेंशन नीति की ओर लौटना अब संभव नहीं है
52.	08.07.22	देश के 20 राज्य कर्ज के बोझ तले कैसे दब गए ?
53.	22.07.22	कर्ज में दबे राज्य बेलगाम खर्च से बाज नहीं आ रहे
54.	09.08.22	हाल की कुछ खबरें समाज की सेहत बताने के साथ गंभीर सवाल भी पूछती हैं
55.	19.08.22	आजाद मुल्क में शिक्षा का उद्देश्य इंसान को गढ़ना है
56.	17.01.23	क्या 'एआई' इंसान की निजी पहचान पर हावी हो जाएगी ?
57.	07.02.23	झूठे मुकदमों और आधारहीन आरोपों की परिपाटी नई नहीं
58.	06.04.23	किस कीमत पर दुनिया को मिली है विचारों की ताकत?
59.	21.04.23	पेंशन पर तीन-चौथाई खर्च तो शेष के लिए क्या बचा ?
60.	09.05.23	देश में समय के साथ जाति कमजोर हो रही हैं या मजबूत ?
61.	24.05.23	आज नैतिक होना लग्जरी नहीं अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न है
62.	07.06.23	दुनिया के बड़े सवाल भारत की राजनीति मे कहां हैं?
63.	22.06.23	सरकार और कंपनियों पर बचपन बचाने की जिम्मेदारी
64.	25.07.23	ज्ञान की दुनिया में सबके पास आगे बढ़ने के मौके हैं
65.	11.10.23	देश को चाहिए नई ऊर्जा व मौलिक सोच वाली राजनीति
66.	27.10.23	भारत की सफलताओं से दुनिया के सुर भी बदले
67.	24.11.23	हमारे नेता व एआई के प्रभावों को समझ पा रहे हैं ?
68.	05.01.24	क्या कानून के भय से ही हम नागरिक-फर्ज अदा करेंगे ?
69.	06.02.24	देश के कर्णधारों का साफ-सुथरी छवि का होना जरूरी
70.	06.11.24	24 साल का युवा झारखंड अपना रहनुमा चुनने को तैयार
71.	07.11.24	यहां 150 कोल माइंस, पर बिजली खरीदनी पड़ती है
72.	09.11.24	बेंगलुरू, पुणे, रांची एक साथ चले... पर रांची पिछड़ गई

73.	10.11.24	यहां प्रचुर मानव संपदा, बशर्ते माहौल-अवसर मिले
74.	11.11.24	विचार या वाद नहीं, तकनीक तय कर रही भविष्य
75.	12.11.24	दूसरे राज्य संस्थानों को बुला रहे, हम जमीन में उलझे
76.	13.11.24	भावी चुनौतियों पर हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड बने
77.	14.11.24	मुफ्तखोरी माने... बंधक भविष्य, देश देख चुका है
78.	15.11.24	झारखंड को विकसित बनाना है तो नए अवसर तलाशने ही होंगे
79.	16.11.24	टेक्नोलाजी नए अवसर सृजित कर रही, क्या झारखंड तैयार है?
80.	17.11.24	तेजी से बढ़ना है तो नई रणनीचि और निरंतरता रखनी ही होगी
81.	18.11.24	विजनरी युवा राजनीति से जुड़ें... झारखंड आगे बढ़ेगा
82.	01.05.25	मुल्क मजबूत रहेगा, तभी न्यायपालिका है, संसद है...
83.	22.05.25	जीवन के अज्ञात तथ्यों के राज कौन जान-समझ सका है?
84.	11.06.25	हालात पहले से बेहतर पर हमें अभी और आगे बढ़ना है
85.	25.06.25	आपातकालः चंद्रशेखर की जेल डायरी
86.	09.07.25	गरीबी समाजवाद नहीं है, आर्थिक संपन्नता जरूरी
87.	26.09.25	आठ बार राष्ट्रपति शासन से गुजरकर 18वीं बार चुनाव के दौर में बिहार'
88.	27.09.25	भारत को समझने के लिए बिहार को समझना जरूरी
89.	28.09.25	भारत सोने की चिड़िया था, यह इतिहास भी हमारे नाम'
90.	29.09.25	ठोस नीतियां ही बनाती हैं भविष्य की बुलंद इमारत'
91.	30.09.25	आध्यात्मिक सर्किट जैसी परियोजनाएं बिहार की झोली भरेंगी'
92.	01.10.25	औद्योगीकरण के सर्वथा अनुकूल था बिहार का 'इकोसिस्टम'
93.	04.10.25	19वीं सदी में छिनी आर्थिक हैसियत और गरीब होता गया बिहार
94.	05.10.25	अंग्रेजी राज में नहीं, आजाद भारत में आंतरिक उपनिवेश बना बिहार
95.	06.10.25	भाड़ा समानीकरण नीति सबसे बड़ा झांसा
96.	07.10.25	'बिहार गरीब नहीं था, इसे गरीब बनाया गया'
97.	08.10.25	बिहार की अर्थव्यवस्था... दो दशक में बारह गुना छलांग
98.	09.10.25	बिहार की आर्थिक सेहत मापनी है तो जीएसडीपी को जानना जरूरी

99.	10.10.25	दूरदर्शी नेता को समाजहित में लेने पड़ते हैं कड़े फैसले
100.	11.10.25	राजनीति समाज से कट जाए तो लेन-देन का सौदा बन जाती है
101.	12.10.25	बीमारू राज्यों की परिभाषा में B बिहार के लिए था
102.	13.10.25	खैरात नहीं, महिला केंद्रित नीतियों से आया बदलाव
103.	14.10.25	लोक सेवाओं की गारंटी का कानून... बिहार ने राह दिखाई
104.	15.10.25	उदारीकरण के पहले दशक का लाभ उठाने में चूक गया बिहार
105.	16.10.25	सभाओं में भारी भीड़ के बावजूद चुनाव में समाजवाजी पिछड़े
106.	17.10.25	चुना तो हमने ही है, नेताओं को कोसने से क्या होगा'
107.	18.10.25	बिहार की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार नौ महीने टिकी
108.	19.10.25	राजनीति के जायंट किलर महामाया प्रसाद
109.	20.10.25	विरोधी दलों ने कम, खुद कांग्रेसियों ने एक-दूसरे को हराया
110.	22.10.25	90 का दशक... गांधी की प्रयोग भूमि-चंपारण बना चंबल'
111.	23.10.25	बीमारू बिहार में पशुपालन घोटाले की शुरुआत
112.	24.10.25	1985-90 के बीच कांग्रेस सरकार ऐसे चली कि चली ही गई
113.	25.10.25	सवाल गायब हुआ, ,स्टीमर बदल गया तो मचा बवाल
114.	26.10.25	सत्ता बदली, आशा जगी पर विकास का नया माहौल नहीं बन सका
115.	27.10.25	शासन की सोच बदली तो विकास की मौन क्रांति साबित हुईं सड़कें
116.	29.10.25	14 साल में 2300 किमी से अधिक बढ़ी बिहार में एनएच की लंबाई
117.	30.10.25	दूरी घटी तो दिन फिरे, पुल बने और बदलने लगी सोच
118.	31.10.25	नदियां बांटती थीं, पुल जोड़ रहे, आधुनिकीकरण की यही असली कहानी
119.	01.11.25	सरकार कोई भी हो, शिक्षा ही मुक्ति द्वारा
120.	02.11.25	बिहार में शिक्षा श्रेष्ठ बने, इसकी जमीन तैयार
121.	09.01.26	बिहार में ज्ञान-आधारित विकास की राह
122.	10.01.26	आपदा के साये में सुरक्षा की तलाश
123.	11.01.26	बिहारः एक नई ज्ञानयात्रा की दहलीज पर
124.	12.01.26	भाषाएं बचेंगी तो संस्कृति बचेगी





बटोहिया

सुंदर सुभूमि भैया भारत के देसवा से
मोरे प्राण बसे हिम-खोह रे बटोहिया
एक द्वार घेरे रामा हिम-कोतवलवा से
तीन द्वार सिंधु घहरावे रे बटोहिया

जाऊ-जाऊ भैया रे बटोही हिंद देखी आउ
जहवां कुहुकी कोइली गावे रे बटोहिया
पवन सुगंध मंद अगर चंदनवां से
कामिनी बिरह-राग गावे रे बटोहिया

बिपिन अगम घन सघन बगन बीच
चंपक कुसुम रंग देबे रे बटोहिया
द्रुम बट पीपल कदंब नींब आम वृछ
केतकी गुलाब फूल फूले रे बटोहिया

तोता तुती बोले रामा बोले भेंगरजवा से
पपिहा के पी-पी जिया साले रे बटोहिया
सुंदर सुभूमि भैया भारत के देसवा से
मोरे प्रान बसे गंगा धार रे बटोहिया

गंगा रे जमुनवा के झिलमिल पनियां से
सरजू झमकि लहरावे रे बटोहिया
ब्रह्मपुत्र पंचनद घहरत निसि दिन
सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया

उपर अनेक नदी उमड़ि-घुमड़ि नाचे
जुगन के जदुआ जगावे रे बटोहिया
आगरा,प्रयाग,कासी दिल्ली कलकतवा से
मोरे प्रान बसे सरजू तीर रे बटोहिया

जाउ-जाउ भैया रे बटोही हिंद देखी आउ
जहां ऋसि चारो बेद गावे रे बटोहिया
सीता के बीमल जस राम जस कृष्ण जस
मोरे बाप-दादा के कहानी रे बटोहिया

ब्यास,बालमीक ऋषि, गौतम, कपिलदेव
सूतल अमर के जगावे रे बटोहिया
रामानुज-रामानंद न्यारी-प्यारी रूपकला
ब्रह्म सुख बन के भंवर रे बटोहिया

नानक, कबीर, गौर संकर, श्रीरामकृष्ण
अलख के गतिया बतावे रे बटोहिया
बिद्यापति, कालीदास, सूर, जयदेव कवि
तुलसी के सरल कहानी रे बटोहिया

जाउ-जाउ भैया रे बटोही हिंद देखि आउ
जहां सुख झूले धान खेत रे बटोहिया
बुद्धदेव पृथु बिक्रSमार्जुनS सिवाजीSS के
फिरि-फिरि हिय सुध आवे रे बटोहिया

अपर प्रदेस देस सुभग सुघर बेस
मोरे हिंद जग के निचोड़ रे बटोहिया
सुंदर सुभूमि भैया भारत के भूमि जेही
जन 'रघुबीर' सिर नावे रे बटोहिया।

'बटोहिया' रघुवीर नारायण सिंह की रचना है. इसकी रचना 1911 में हुई थी. आजादी की लड़ाई के दिनों में इस रचना की कीर्ति सरहद पार मारीशस, त्रिनिदाद, फिजी, गुयाना तक थी. भारतीय गिरमिटिया समुदाय के लोगों बीच इसकी काफी लोकप्रियता थी. 30 अक्टूबर 1884 ई0 को बिहार के छपरा जिला (दहियावां) में जन्मे श्री रघुवीर नारायण जी की कविता बटोहिया के बारे में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, 'बाबु रघुवीर नारायण बिहार में राष्ट्रीयता के आदिचारण और जागरण के अग्रदूत थे'.

राज्यसभा में पहले कार्यकाल पूरा होने पर 2020 में प्रकाशित 'संसद सफर' की प्रति यहां उपलब्ध है. पढ़ने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें.



वन्दे मातरम् के 150 वर्ष

वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम्
शस्यश्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।।1।।

शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।।2।।

कोटि-कोटि कण्ठ कल-कल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैधृत खरकरवाले,
के बॉले माँ तुमि अबले,
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीम्,
रिपुदलवारिणीं मातरम्। वन्दे मातरम्।।3।।

तुमि विद्या तुमि धर्म,
तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वम् हि प्राणाः शरीरे,
बाहुते तुमि माँ शक्ति,
हृदये तुमि माँ भक्ति,
तोमारेई प्रतिमा गड़ि मन्दिरे-मन्दिरे।
वन्दे मातरम्।।4।।

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदलविहारिणी,
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्,
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्,
सुजलां सुफलां मातरम्। वन्दे मातरम्।।5।।

श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्,
धरणीम् भरणीम् मातरम् ।
वन्दे मातरम्।।6।।

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित 'वन्दे मातरम्' पहली बार 07 नवम्बर 1875 को साहित्यिक पत्रिका 'बंगदर्शन' में प्रकाशित हुआ था. बाद में इसे उनके अमर उपन्यास आनंदमठ (1882) में शामिल किया गया. इस गीत का इतिहास साहित्य, राष्ट्रवाद और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को आपस में जोड़ता है. काव्य रचना से राष्ट्रीय गीत बनने तक की इसकी यात्रा,औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारत के सामूहिक जागरण का उदाहरण है.